Friday, 08 April, 1983

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

(खंड 36 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 29, शुक्रवार, 8 अप्रैल, 1983/13 चैत्र, 1905 (शक)

विषय		
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	...	1-6
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 557, 558, 560, 561, 563 और 564	...	6-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या 556, 559, 562 और 565 से 577	...	23-37
अतारांकित, प्रश्न संख्या 6305 से 6325, 6327 से 6434, 6436 से 6459 और 6461 से 6541	...	37-199
दिनांक 18-3-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3293 में शुद्धि करने वाला विवरण	...	199-202
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	203-208
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
59वां प्रतिवेदन	...	208
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
दिल्ली के निकट भाट्टी खानों में तीन और मजदूरों की मृत्यु का समाचार		
श्री रामविलास पासवान	...	210-214
श्री वीरेन्द्र पाटिल	...	213-224
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	208-220
श्री भीखाभाई	...	221-224

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबन्ध के बारे में याचिका ... 224

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राहत कार्य के लिए राजस्थान को सहायता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 224-225

(दो) अलवर को अहमदाबाद दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जोड़ा जाना

श्री रामसिंह यादव ... 325-226

(तीन) केन्द्र द्वारा कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों को कर्नाटक को बिजली सप्लाई करने के लिये निदेश दिये जाने की आवश्यकता

श्री बी. वी. देसाई ... 226

(चार) सैदपुर क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उस क्षेत्र का उद्योगीकरण

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ... 226-227

(पांच) हिसार टेक्सटाइल मिल

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ... 227

(छः) मध्यप्रदेश में बीड़ी बनाने का कार्य करने वाले श्रमिकों को सुविधाएं

श्री बाबूराम परांजपे ... 228

(सात) तमिलनाडु में सिंचाई की समस्या का समाधान करने के लिए गंगा-कावेरी नदियों को मिलाया जाना

श्री ईरा अनबारासु ... 228-229

(आठ) मजखाली में एक फोटो फिल्म इकाई स्थापित करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत ... 229-230

अनुदानों की मांगें, 1983-84

गृह मंत्रालय

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति ... 230-236

श्री निहार रंजन लास्कर ... 236-241

श्री चन्द्रजीत यादव ... 241-258

श्री जगदीश टाईटलर ... 246-250

श्री सूरज भान ... 248-258

श्री भाऊ साहिब थोरट ... 257-258

श्री चित्त बसु ... 258-260

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने और पेंशनभोगियों को राहत देने के बारे में वक्तव्य

श्री प्रणब मुखर्जी ... 260

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

56वाँ प्रतिवेदन ... 262

विधेयक—पुर:स्थापित

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन, विधेयक (धारा 25 का संशोधन, आदि)

श्री ए. टी. पाटिल ... 262

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ... 263

हिन्दु धर्मग्रन्थ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण एवं संशोधन) विधेयक

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ... 263-294

ऋण (सीमा का निर्धारण) विधेयक

श्री चित्त बसु ... 264

संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 19क का अन्त: स्थापना)

श्री चित्त बसु ... 265

कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा 2क का संशोधन, आदि)

श्री सुधीर गिरि ... 265

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 244 का संशोधन, आदि)

श्री अजय विश्वास ... 265-266

व्यापार और पण्य चिन्ह (संशोधन) विधेयक (नई धारा 88क का अन्त: स्थापन, आदि)

डा. बसन्त कुमार पण्डित ... 266

भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद (संविधान) विधेयक

डा. वसन्त कुमार पण्डित ... 266

दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक
(धारा 2 का संशोधन, आदि)

डा. वसन्त कुमार पण्डित ... 267

दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक
(धारा, 2 का संशोधन, आदि)

श्री के. लकप्पा ... 267

देवदासी और मुरली प्रथा (उन्मूलन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

प्रो. सत्यदेव सिंह ... 267-268

श्री राजेश कुमार सिंह ... 268-269

श्री चन्द्रपाल शैलानी ... 270-271

श्री सी. पलानी अप्पन ... 271-273

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 273-274

श्री हरीश रावत ... 274-276

श्री सुन्दर सिंह ... 286-278

श्री पी. के थुंगन ... 278-284

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ... 281-285

संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंसन (संशोधन) विधेयक
(धारा 3 का संशोधन, आदि)-वापस लिया गया

विचार करने का प्रस्ताव

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल ... 285-288

श्री जेवियर अराकल ... 288-289

श्री चन्द्रपाल शैलानी ... 289-290

श्री राजेश कुमार सिंह ... 289-291

श्री एम. सत्यनारायण राव ... 291-292

श्री सुधीर गिरि ... 292-293

श्री एस. वी. सिदनाल ... 293-297

श्री रामलाल राही ... 297-299

श्री मल्लिकार्जुन ... 299-300

आधे घण्टे की चर्चा

गेहूं का समर्थन मूल्य

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	...	300-318
राव बीरेन्द्र सिंह	...	301-320
श्री अमल दत्त	...	307
श्री हरीश रावत	...	314-315
श्री राजेश कुमार सिंह	...	315-316
श्री सत्यनारायण जाटिया	...	316-319

लोक सभा

शुक्रवार, 8 अप्रैल, 1983/18 चैत्र, 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे सभा को श्री नारायण सादोबा कजरोलकर, जो महाराष्ट्र के बम्बई नगर उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से पहली तथा तीसरी लोक सभा में 1952-57 और 1962-67 में सदस्य थे, के निधन की सूचना देनी है।

उससे पूर्व वह बम्बई की विधान परिषद् के 1947-52 के दौरान सदस्य रहे।

वह एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण में विशेष रुचि ली।

वह भारतीय दलित वर्ग लीग के उपाध्यक्ष थे। वह केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड के सदस्य थे। इसके अलावा वह अनेक सामाजिक संगठनों से संबद्ध थे।

26 जनवरी, 1970 को श्री कजरोलकर को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया।

31 मार्च, 1983 को 86 वर्ष की आयु में इनकी बम्बई में मृत्यु हो गई।

हम अपने इस मित्र की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सदन भी मेरे साथ शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेगा।

अब सभा कुछ क्षणों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात सदस्य कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, मैंने एक नोटिस दिया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सन् 1948 में महात्मा गांधी को शहीद कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह तो क्वेश्चन आवर है।

श्री रशीद मसूद : जिस प्रकार गांधी जी की हिफाजत नहीं हो सकी क्योंकि वे वायलेंस के खिलाफ लड़ रहे थे, आज हालात बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं । उसी प्रकार आज दूसरे महात्मा गांधी जो हिन्दुस्तान को यूनाईटेड रखना चाहते हैं ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नोटिस नहीं पहुंचा है ।

श्री रशीद मसूद : उनको और उनके साथियों को मारने के लिए टेलीग्राम पहुंच रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी तक नोटिस नहीं आया है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : नोटिस आफिस में नोटिस डाल दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : सस्पेन्शन ऑफ दी बिजनेस, नियम-388 के अन्तर्गत हो सकता है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह मार डालने की धमकी का मामला है ? कृपया पता लगायें क्या मामला है ।

श्री रशीद मसूद : चौधरी चरण सिंह जो हिन्दुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, उनकी जिन्दगी के खिलाफ···**(व्यवधान)** वायलेंस की जो फिजा हमारे मुल्क में चल रही है, उसको देखते हुए आप किस तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं ? कोई भी आदमी रिलीजन के खिलाफ नहीं है । हम सब रिलीजन की रिसपेक्ट करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है । इस बात में मैं आपसे इत्तिफाक रखता हूं । इसको आप किस तरीके से करना चाहते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : और क्या तरीका हो सकता है ? गांधी जी की हत्या का लोगों को पता हो गया था और लोग तरीका देखते रहे । चौधरी चरण सिंह का मर्डर हो जाए, लाला जगत नारायण का मर्डर हो गया, और आप तरीका ही तलाश करते रहेंगे । **(व्यवधान)** पंजाब में सरकारी असलहाखाने से हथियार चोरी हो रहे हैं । मजाक बना रखा है । **(व्यवधान)**

श्री नीरेन घोष : आप सरकार से कह सकते हैं कि वह इस बात की जांच करें ।

एक माननीय सदस्य : चौधरी साहब ने उन लोगों की गलत मांगों के खिलाफ आवाज उठाई थी··· **(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तार में पृथकतावादी ताकतों का उल्लेख है । इसमें भिंडरावाले तक का नाम है । इसमें चौधरी साहब को मारने की धमकी दी गई और कहा गया है कि आपने उनके खिलाफ बयान दिए हैं, आप देश की एकता चाहते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे । पृथकतावादियों का संकेत हैं कि यदि आप देश की अखंडता के लिए बोलेंगे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । सरकार पृथकतावादियों को रोकने में पूर्ण रूप से असफल है ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : प्रश्न काल खत्म हो लेने दें। जो कुछ वे कह रहे हैं, हम उस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर आप में हिम्मत है, तो पंजाब जाकर दिखाएं। **(व्यवधान)**

श्री के० मायातेवर : वह डाकघर इस प्रकार का तार कैसे ले सकता है? अगर माननीय सदस्य का यह आरोप सही है तो वह डाकघर इस प्रकार के तार कैसे ले सकता है? **(व्यवधान)**

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सरकार को इस बारे में बताना चाहिए कि :

(क) उस डाकघर ने इस प्रकार के तार कैसे मंजूर किए; और

(ख)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : एक केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इन तत्वों के कार्यों का पता लगाना चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :...और (ग) और उनको बिना शर्त इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि वे इस प्रकार की बातों के लिए उपलब्ध बनायेंगे और इस प्रकार के रवैये वाले लोगों से निपटेंगे। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : सदस्यों की सुरक्षा के बारे में क्या है? **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। एक मिनट आप सुन लें। इससे आप हमारी जिन्दगियां ही खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि वे लोग समझेंगे कि हम गलत कह रहे हैं। इस सदन में कोई ऐसा सदस्य नहीं है, जो हिन्दू, सिख, मुसलमान या ईसाई की बात करता हो। सारे सदन ने एकता का प्रस्ताव पास किया है। यदि देश में किसी भी व्यक्ति का बिगाड़ होता है, तो सदन पर चोट लगती है। यह देश का सवाल है। पृथकतावादियों को इतनी शक्ति मिल जाए कि वे जुर्म करें और किसी मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाएं और सरकार उन्हें गिरफ्तार न कर सके, पहले तो आप इस पर फैसला करें। एक्स-प्राइम मिनिस्टर को मारने की धमकी दी जा रही है। पंजाब में सरकारी असलहाखाने से खुल्लम-खुल्ला हथियार लूट लिए जाएं...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : इसकी जांच वगैरह आप करवाइए, मगर यह तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट एक्ट इमिड्एिट्ली। उनके प्रोटेक्शन के लिए फौरन कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसी धमकियों से डरना नहीं होगा।

श्री मनीराम बागड़ी : ये खुद डरते हैं। आज कोई मंत्री पंजाब में नहीं जा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका जवाब यही है कि हम लोग पंजाब में जाएं।

श्री मनीराम बागड़ी : उन्होंने अमन मार्च करने वालों को निकाल दिया।

श्री राजेश कुमार सिंह : अगर चौधरी साहब पर हमला हो गया, तो देश भर में अशान्ति हो जाएगी। वह किसानों के नेता हैं। करोड़ों किसानों पर इसका असर पड़ रहा है।

श्री समर मुखर्जी : सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह तो एक आम बात है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने जो विचार बताए हैं और चिन्ता व्यक्त की है—यह चिन्ता का विषय है—मैं उनसे सहमत हूं। मैं समझता हूं कि सारा हाउस मुझसे सहमत है कि देश के हर एक वासी का जीवन अमूल्य है। खास तौर पर जब इतने बड़े आदमी को लिखा है, जो एक्स-प्राइम मिनिस्टर है, जो सैंकड बड़ी आपोजीशन पार्टी का लीडर है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है, जो बड़ी सराहनीय बात है, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए और उनकी रक्षा का पूरा प्रबन्ध करना चाहिए।

लेकिन एक बात में इस विषय में और कहना चाहूंगा। सारे मेम्बरों से और आप सबसे निवेदन है, गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहता हूं कि डर के पास जाने से डर निकलता है। देश में अगर कोई भय पैदा करता है तो बुरी बात है, अत्यन्त बुरी बात है। भय से प्रजातंत्र का नाश होता है। हमें भय क्रिएट नहीं होने देना चाहिए। खासतौर से जो इस तरीके का भय पैदा करना चाहते हैं कि तुमने आतंकवाद के खिलाफ बोला है या किसी और के खिलाफ बोला है, वह उनका एक और नजरिया है जो देशद्रोही भी हो सकता है।

वैसे भी हम सैकुलरिज्म का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। विधान में भी जो धर्म के नाम पर करना चाहता है, इस तरीके की बात करना चाहता है, वह स्वयं अधर्मी है। दया नाम धर्म का है। कौन सा ऐसा धर्म है जो दया नहीं सिखाता? जो धर्म दया नहीं सिखाता, वह धर्म नहीं। रहीम कहते हैं भगवान को, कृपासिन्धु कहते हैं, बैनोवेलेन्ट कहते हैं।

जो आदमी ऐसा करना चाहता है, वह अधर्मी है, वह किसी धर्म का अनुयायी नहीं है। वह देश की प्रणाली का और हमारे आचरण का घातक है। मैं उसके खिलाफ हूं। मैं आपकी बात को ठीक मानता हूं। हमें इनको किसी किस्म से भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

फिर खासतौर से आप कहते हैं कि सिख हिन्दू का यह करना चाहते हैं। यह है क्या, किसी ने कभी सोचा है क्या? ये एक ही वृक्ष की जड़ें हैं। यह मैं रहा। मेरे आधे भाई दाढ़ी वाले हैं। मेरा चाचा यहां डिप्टी मिनिस्टर रहा है, वह दाढ़ी वाला है। मैं बगैर दाढ़ी वाला हूं। मेरा आधा परिवार दूसरा है। यह मेरा सैक्रेटरी बैठा है, इसके दो भाई हिन्दू हैं और ये दो सिख हैं। तो यह है क्या? हमारे यहां आपके इर्रिगेशन के मिनिस्टर हैं मि० मिर्धा। उनका लड़का हमारे सरदारों के यहां हुआ है, वह हमारे रिश्तेदार हैं। सारे आपस में एक हैं, कौन किसको करे? कौन किसको मारेगा, कौन किसको काटेगा? एक मां के दो बच्चे पैदा हों तो हमको सबको एक तरीके से चलना है।

यह गलत बात है, बर्दाश्त नहीं की जा सकती। होम मिनिस्टर यहां आयेंगे, वह भी देखेंगे कि

इसको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है ? मैं कहता हूं कि यह सब आपका मसला है। जिस देश ने जान दी है, जिस धरती मां ने पैदा किया है, उसकी लाज हम नहीं रखते तो किस मां का दूध हमने पिया है ? यह सब आप देखें।

मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि गीदड़ भभकियां देने वाले बहुत होते हैं। ऐसे चोर, उचक्के, लफंगे, जिनकी कोई शान नहीं, कोई धर्म नहीं, लिहाज नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे आदमी एनोनीमस लैटर लिखें, टेलीफोन भी करते हैं, लेकिन इनका निवारण करने के लिए मैं आपके साथ हूं, गृह-मंत्री जी से बताइये कि वह इस बात को देखें, पड़ताल करें और जिस प्रकार भी हो पूरी हिफाजत का बन्दोबस्त करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सवाल यह है कि तार किसने दिया ? कौन भड़काने वाला है ? पंजाब में बहुत सी घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिनका कोई जवाब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इन सबका निराकरण करना है। यह मामूली बात नहीं है, इसे हम बढ़ने नहीं देंगे और इसमें सारा हाउस आपके साथ है, सारा देश है, महात्मा गांधी का देश है, जवाहरलाल नेहरू का देश है।

श्री रशीद मसूद : एक महात्मा गांधी को खत्म कर दिया, अब दूसरे महात्मा गांधी को खत्म न कर दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, किसी को खत्म करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप इसको देखेंगे कि करवायेंगे या नहीं। देश की बात है, देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। देश नहीं है तो कोई कुछ नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : यह बढ़ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित कुमार मेहता।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वैश्चन नं० 563 है। इस पर मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमैंट ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे, जब आयेगा।

श्री जगपाल सिंह : मैं बगैर स्टेटमैंट के सप्लीमैंटरी कैसे पूछूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : आने दें, बाद में देख लेंगे। जब आयेगा तब इसका निपटारा करेंगे घबराइए नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न संख्या 557.

श्री बीजू पटनायक : श्रीमन्, अगर यह नहीं आता है तो ?

अध्यक्ष महोदय : तब हम दूसरा तरीका निकालेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

*557. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, (फेरा) के अन्तर्गत व्यापारिक सौदे करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फेरा के अधीन जिन व्यापार सौदों की अनुमति नहीं है उनको फेरा के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी के पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां बनाकर चोर द्वार से अनुमति दी जा सकती है; और

(घ) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पूर्ण-स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी इन्डेक्सपोर्ट लिमिटेड को कानून के किस उपबन्ध के अधीन मूंगफली के तेल जैसी आवश्यक वस्तु का व्यापार और भंडार करने की अनुमति है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम *(फेरा) के* अन्तर्गत आने वाली कम्पनी उन व्यापारिक कार्यकलापों को करना जारी रख सकती है *जिन्हें* वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू होने की तारीख से पूर्व किया करती थी। कोई नया व्यापारिक कार्यकलाप शुरू नहीं किया जा सकता । उसके सम्पूर्ण गैर-महत्वपूर्ण (नानकोर) कार्यकलाप, जिनमें व्यापारिक कार्यकलाप भी शामिल हैं, उसके कुल कारोबार (टर्नओवर) के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इन्डेक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का कतिपय अभिकथित उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2087 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले दिए गए जिस उत्तर का माननीय मंत्री ने हवाला दिया है, वह पिछले 15 अक्तूबर को नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री ने सदन में दिया था । उस उत्तर में यह माना गया है कि इन्डेक्सपोर्ट लि०, गाजियाबाद का 108.054 मीटरी टन मूंगफली का तेल, भण्डारण और

संसाधित करने के लिए हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पास पाया गया था और इन्डेक्सपोर्ट लि० के पास दलहन, खाने के तेलों के बीज और खाने के तेल आदेश, 1977 के अन्तर्गत कोई वैस्ट लाइसेंस नहीं है।

इसलिए, मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि, क्या यह सत्य है कि इन्डेक्सपोर्ट लि० वास्तव में हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी की एक पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, जबकि हम सब जानते हैं कि खुद हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी भी एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनीलीवर की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है ? क्या वास्तव में यह इन्डेक्सपोर्ट लि० कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर की एक पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी नहीं है, अगर हां, तो क्या हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी जानबूझकर अपराधों को वितप्रेरित करती रही है, और जैसा कि सरकार ने भी माना है कि इन्डेक्सपोर्ट लि० अपराध बिना किसी वैध लाइसेंस के अपने परिसर की उपयोग किसी अन्य कम्पनी को मूंगफली के तेल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भण्डारण और जमाखोरी के लिए किराए पर दे करके करती रही है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक नागरिक पूर्ति मंत्रालय, जो कि तेल और तेल के बीजों के लिए एक संगत प्रशासनिक मन्त्रालय है, से जानकारी प्राप्त की है, मुझे बताया गया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश खाद्य तेल लाइसेंस आदेश के अन्तर्गत अब लाइसेंस प्राप्त कर लिया है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसने ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं समझता हूं कि यह अक्तूबर, 1980 में मुझे सही स्थिति का तो पता नहीं है लेकिन यह अक्तूबर में हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसने प्राप्त किया था।

श्री प्रणब मुखर्जी : इन्डेक्सपोर्ट ने।

दूसरे, जैसा कि मैंने अपने भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया है कि किसी भी फेरा कम्पनी को उसके कुल कारोबार (टर्न ओवर) के 40 प्रतिशत से अधिक के व्यापारिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन फेरा के लागू होने की तारीख अर्थात 1-1-74 से पहले, जो सहायक कम्पनियां मौजूद थीं, उनको व्यापारिक कार्यकलाप करने की अनुमति है।

जहां तक उस सहायक कम्पनी का सम्बन्ध है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि यह हिन्दुस्तान लीवर की 100% पूर्ण-स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी है, वे 1-1-71 से पहले विद्यमान थीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शायद मंत्री महोदय भ्रम में हैं। उनके उत्तर में कुछ भ्रम है। फेरा कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर है। इन्डेक्सपोर्ट लि० फेरा कम्पनी नहीं है। फेरा लागू होने से पहले हिन्दुस्तान लीवर कुछ व्यापारिक कार्यकलाप कर रही थी जो मंत्री महोदय के अनुसार उन्हें ऐसे कार्य जारी रखने की अनुमति है। क्या यह सत्य नहीं है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को लागू करने के बाद भी यदि वह इसे जारी रखना चाहें तो वे स्वतः ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें एक प्रक्रिया का

पालन करना होगा। उसे यह जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करना होगा और जब तक रिजर्व बैंक उसकी स्पष्ट अनुमति नहीं देता, तब तक वह ऐसा नहीं कर सकती। क्या इसने उसके लिए आवेदन किया था ? ऐसी अनुमति के लिए इसे कब आवेदन पत्र दिया था ? यदि रिजर्व बैंक ने अनुमति दी थी तो कब यह अनुमति दी गई थी ?

मेरा दूसरा असली प्रश्न यह था कि निगमित कानून में पर्दा उठाना जैसी एक बात है। इसे निगमित कानून के अन्तर्गत 'पर्दा उठाना' कहा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जबकि घूंघट अथवा पर्दे के पीछे छुपा हुआ वास्तविक अपराधी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड है तो केवल इस इन्डेक्सपोर्ट लि० के विरुद्ध ही अभियोग क्यों चलाए जा रहे हैं तथा दण्ड क्यों दिया जा रहा है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये वही लोग हैं, जिनकी वस्तुएं इस कम्पनी द्वारा रखी गई थीं और जब इस कम्पनी के विरुद्ध अभियोग चलाया गया तो उन्होंने कहा, "हमने इन वस्तुओं को संसाधित करने के लिए रखा है।" किन्तु ऐसा करने के लिए उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने जानबूझकर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी। मैं कम्पनी के इसके पीछे के उद्देश्य को समझ सकता हूं किन्तु इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है—वे इस पर्दे को क्यों नहीं उठा रही, जैसाकि निगमित कानून के अन्तर्गत कहा जाता है और हमें यह स्पष्ट क्यों नहीं बता रही है कि वास्तविक अपराधी हिन्दुस्तान लीवर मिलिटेड है और उसे यह भी बताना चाहिए कि क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है अथवा नहीं।

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य के प्रश्न के अवास्तविक भाग के उत्तर में, क्योंकि उन्होंने प्रश्न के वास्तविक भाग का बाद में उल्लेख किया था। मैंने यह बताया है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को कुल कारोबार का 40 प्रतिशत व्यापारिक एवं गैर-प्रमुख गतिविधियों के अन्तर्गत आता है और ऐसा वह भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से कर रही है। और यदि माननीय सदस्य किन्हीं आंकड़ों की सूचना चाहते हों तो मैं उन्हें दे सकता हूं। 1980 के वर्ष के दौरान उनका कुल कारोबार 4466 लाख की थी, उसमें से 2765 लाख प्रमुख क्षेत्र में था—62% और 48% व्यापारिक और गैर प्रमुख कार्यों के लिए था। इसी प्रकार 1981 के प्रमुख क्षेत्र में यह 60% था और 40% व्यापारिक तथा गैर-प्रमुख कार्यों के अन्तर्गत था। प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि मैंने यह पहले ही बता दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। मामला न्यायाधीन है। हम किसी को भी संरक्षण नहीं दे रहे हैं और जब तक यह मामला न्यायालय में है तब तक हम यह नहीं कहेंगे कि कोई कुछ सांठगांठ कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। (इस सभा में पहले दिए गए उत्तर के अनुसार) अभियोग इन्डेक्सपोर्ट लि० के प्राधिकारियों के विरुद्ध है। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप यह स्वीकार करते हैं कि यह कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर लि० के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक कम्पनी है तो हिन्दुस्तान लीवर लि० स्पष्ट ही जानबूझकर इस कम्पनी के साथ सांठगांठ कर रहा है। यह कम्पनी उनके आगे कर रखी है। मेरा प्रश्न यह है कि आप इस कम्पनी के पीछे छुपे असली चेहरे को सामने क्यों नहीं लाते और आप हिन्दुस्तान लीवर लि० को संरक्षण क्यों दे रहे हैं। क्योंकि वही लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, इंडेक्सपोर्ट उत्तरदायी नहीं है। इंडेक्सपोर्ट एक दिखावटी कम्पनी

है जो इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरे विचार से आप जानते हैं कि अनेक कम्पनियां ऐसा करती हैं। आप इतने भोले नहीं हैं, श्री मुखर्जी, आप इन सब बातों को जानते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : प्रथम सूचना रिपोर्ट इंडेक्सपोर्ट के विरुद्ध दर्ज की गई है जिसमें कहा गया है कि वे बिना लाइसेंस के कुछ व्यापारिक गतिविधियों में लगे हैं। आरोप क्या लगाया गया है? आरोप यह लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में यह सहायक कम्पनी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बिना किसी वैध लाइसेंस के कोई व्यापार कर रही है, और यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। जब तक इस मामले पर निर्णय नहीं हो जाता, मैं इस पर अपना निर्णय कैसे दे सकता हूं। मजिस्ट्रेट ने भी अभी अपनी कोई राय नहीं दी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय मन्त्री के उत्तर के दो भाग हैं जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि इंडेक्सपोर्ट के पास कोई लाइसेंस नहीं था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्तूबर, 1982 के बाद लाइसेंस दिया था। अब प्रश्न यह है कि जब उसे अनियमितता के आधार पर चुनौती दी गई है तो क्या मन्त्रालय ने यह बात उत्तर प्रदेश सरकार से पता लगाई है कि वह कौन सी बात थी जिसके कारण उन्हें इस प्रकार के लाइसेंस की उत्तर-स्वीकृति देने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या इस लाइसेंस की उत्तर-स्वीकृति दी गई थी अथवा यह भावी प्रभावी लाइसेंस था ? जब लीवर ब्रादर्स के गोदाम में यह माल पाया गया (यह बात तो छोड़ दीजिए कि यह कम्पनी किसकी थी) तो लीवर ब्रादर्स के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई गई ? उन्होंने इंडेक्सपोर्ट लिमिटेड के विरुद्ध ही मामला क्यों दर्ज करवाया ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित करनी होगी। मैं अपने सहयोगी नागरिक पूर्ति मन्त्री से इसे एकत्रित करने का अनुरोध करूंगा। वह प्रशासनिक मन्त्रालय के प्रभारी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं इस भ्रम को दूर करने के लिए आपसी अनुमति से मैं श्री मोहम्मद उसमान आरिफ के उत्तर से कुछ अंश पढ़ रहा हूं। वह कहते हैं कि इंडेक्सपोर्ट लिमिटेड का 108.054 मीटरी टन मूंगफली का तेल हिन्दुस्तान लीवर को कब्जे में पाया गया। यह इंडेक्सपोर्ट की गोदाम में नहीं पाया गया, बल्कि हिन्दुस्तान लीवर की गोदाम में पाया गया। यहां यह बात सम्बन्धित मन्त्री महोदय द्वारा कही गई है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे सुनने से पहले ही उन्होंने उछलना आरम्भ कर दिया है। मैंने कहा था कि यह सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित करनी होगी। इसे इसके प्रशासनिक मंत्रालय, नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा एकत्रित किया जायेगा। मैं इससे अनुरोध करूंगा कि सूचना एकत्रित की जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सूचना एकत्रित करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे ? मैंने प्रश्न के लिए तीन सप्ताह की सूचना दी थी। फिर भी आपको समय चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि यह प्रश्न अन्तरित किया गया था, मूल रूप से इसे विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के लिए गृहीत किया गया था। मुझे आपके कार्यालय ने सूचना दी थी कि वित मंत्रालय ने

हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि यह इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है। इसे वित्त मंत्रालय को अन्तरित कर दिया गया। इतनी लम्बी अवधि के बाद उनका कहना है कि वह पूछताछ करना चाहते हैं। आप इन दिनों में क्या कर रहे थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम मंत्री महोदय के प्रभार में है। इस अधिनियम के तहत कम्पनियां तथा दूसरी कम्पनियां वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत हमेशा जांच का विषय रही हैं। यदि वे कम्पनियां कुछ अवैध और गलत कार्य आरम्भ कर देती हैं तो इस अधिनियम के तहत कम्पनियों को सही करना उनके अधिकार में है और वे वैसा कर सकती हैं। किन्तु लीवर ब्रादर्स की चालें सरकार से भी ज्यादा तेज हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : सरकार से कोई बड़ा नहीं है···(व्यवधान) माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं, यदि मैंने सही सुना है—यदि गलत सुना हो तो वे मेरी बात सही कर दें—क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतलक्षी प्रभाव से अथवा भविष्य प्रभावी लाइसेंस जारी किया था ? अतः हमें उत्तर प्रदेश सरकार से यह सूचना एकत्रित करनी होगी हालांकि विदेशी मुद्रा विनियमन कम्पनियां वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में होती हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मंत्री महोदय को यह सूचना अपने साथ लानी चाहिए थी। मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री प्रणब मुखर्जी : आप स्वयं मंत्री थे। आप जानते हैं कि आपको प्रश्न की सूचना कितने दिन पहले मिलती हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जिस प्रकार से वित्त मंत्री महोदय सूचना देने में घबराते हैं मैं अभी ऐसा नहीं घबराता था।

श्री प्रणब मुखर्जी : जब कोई प्रश्न एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के लिए *अन्तरित किया* जाता है तो आपको तीन से चार दिन ही कठिनाई से मिल पाते हैं। आप मंत्री थे, आप जानते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : भविष्य में कृपया आप उन्हें अधिक समय दीजिए। हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री नीरेन घोष : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि हिन्दुस्तान लीवर रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना ही तीसरी पार्टी के उत्पादों के बारे में आन्तरिक व्यापार करता पाया गया और उन्हें निर्यात वृद्धि सम्बन्धी अधिकारों के तहत छोड़ दिया गया था ? यह उनका पहले किया गया अपराध है। क्या वे इसके बारे में जानते हैं ? चूंकि कम्पनी के कब्जे में मूंगफली का तेल पाया गया तो आपने सीधी जांच क्यों नहीं की थी ? आपने उसके सम्बन्ध में सी० बी० आई०, द्वारा जांच क्यों नहीं करवाई ? केवल यहीं नहीं, कच्ची प्रौद्योगिकी के आधार पर उन्होंने अपनी पूंजी को 40% तक कम नहीं कर दिया है उनके पास यह 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक थी। यह सरकार की सांठ-गांठ के साथ किया गया बड़ा जबरदस्त कांड है।

श्री प्रणब मुखर्जी : सरकार के साथ सांठ-गांठ का कोई प्रश्न ही नहीं है। हिन्दुस्तान लीवर्स के पास 51 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, इस प्रश्न के बारे में मैंने आंकड़े दिए हैं जिनसे पता चलता है कि गैर-प्रमुख क्षेत्र में उनका व्यापार कार्य 40 प्रतिशत होगा और प्रमुख क्षेत्र में 60 प्रतिशत। हमने उन्हें प्रौद्योगिकी के लाभ की अनुमति दी है। कुछ दिन पहले माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि साबुन निर्माण में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। सदस्यों को यह बात ज्ञात है कि 1970-71 तक समूचे देश में साबुन निर्माण खाद्य तेलों से प्राप्त वसा पर निर्भर करता था जिसका बाजार पर प्रभाव पड़ता था। उन्होंने अनुसंधान किया और एक विशेष प्रौद्योगिकी का विकास किया और वहां वे गैर-खाद्य तेलों से प्राप्त वसा का प्रयोग कर रहे हैं और उस सीमा तक हमने चरबी का आयात कम कर दिया। यह उनकी प्रौद्योगिकी है और उन्हें उसके प्रयोग की अनुमति दे दी गई है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह अच्छी किस्म की प्रौद्योगिकी नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं आपसे नहीं सीखूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको अपनी विशेषज्ञ समिति से सीखना चाहिए। मैंने उनके प्रतिवेदन से उद्धृत किया है।

उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र का पर्यटन के लिए विकास

*558. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थान हैं और विश्व विख्यात फूलों की घाटी, जैसे प्राकृतिक रमणीय स्थल भी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर इस क्षेत्र के अधिकांश लोगों की आजीविका निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र के पर्यटन में विकास के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में तीर्थाटन के अनेक सुप्रसिद्ध स्थान हैं। यहां ऐसे भी असंख्य स्थान हैं जो अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए जाने जाते हैं।

(ख) इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका के अन्य साधनों में तीर्थ-पर्यटन एक प्रमुख साधन है।

(ग) और (घ) पर्यटन के दृष्टिकोण से इन क्षेत्र के विकास की देखरेख उत्तर प्रदेश सरकार

द्वारा की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र के विकास की देखभाल राज्य सरकार के विशेष अभिकरणों द्वारा की जाती है। तथापि, इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए यथा-संभव सहायता करती है। फिलहाल, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यदि इच्छाओं के पैर होते तो माननीय मंत्री महोदय सम्पूर्ण उत्तराखण्ड क्षेत्र के लोगों को, जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, हिमालय के शिखर पर बैठा देखते परन्तु ऐसा नहीं है। मैं एक बात से तो प्रसन्न हूं कि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि इन लोगों में जीवन निर्वाह के लिए पर्यटन एक प्रमुख स्रोत है। फिर भी सरकार के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उत्तराखण्ड के चार जिले—चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी उद्योग शून्य जिले हैं और गरीबी रेखा के मामले में वे लोग सम्पूर्ण देश में सर्वाधिक गरीब हैं, क्या भारत सरकार (क) उस क्षेत्र के लिए पर्यटन की कोई योजना बनाएगी और चलचित्रों, चित्रों, पोस्टरों के निर्माण के लिए इस क्षेत्र का विकास करेगी तथा देश के बाहर इस क्षेत्र का प्रचार करेगी ताकि वहां मे पर्यटक आएं, (ख) क्या माननीय मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक, वित्तीय संस्थान और भारतीय पर्यटन विकास निगम छोटे-छोटे उद्यमियों का उन उद्यमियों को नहीं जो आयकर देते हैं बल्कि उनको जिन्होंने पर्यटन में डिप्लोमा किया है, जिन्होंने इन विषयों का अध्ययन किया है और बेरोजगार हैं, प्रोत्साहन दें? क्या वे इस प्रकार के उद्यमियों को प्रोत्साहन देंगे और उन्हें संरक्षण और परामर्श देंगे? यदि हां तो क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मुझे सम्मिलित करते हुए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की एक बैठक बुलाएंगे। मैं पुनः कहता हूं कि मुझे सम्मिलित करते हुए, क्योंकि मैं सरकार के लिए अछूत हूं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि यह अत्यन्त *महत्वपूर्ण* क्षेत्र है। परन्तु मैं निश्चय रूप से उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि वहां के लोग *महत्वपूर्ण* नहीं हैं? क्योंकि माननीय सदस्य वहां से चुन कर आए हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानता हूं कि कितने महत्वपूर्ण हैं और वह कितने महत्वपूर्ण थे।

जहां तक उस क्षेत्र के विकास का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सदैव तैयार है और राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं—कुछ चल रही हैं और कुछ नई हैं। मैं माननीय सदस्य को उन योजनाओं की जानकारी दे सकता हूं जिनमें हम राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। हाल ही में हमने बहुत कुछ किया है। तीर्थ स्थानों के मार्ग में यात्री बंगलों के निर्माण के लिए हमने बहुत सहायता दी है। हमने ट्रेकिंग उपकरण उपलब्ध कराए हैं। हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि हम कसौनी तथा अन्य स्थानों पर शिविर सुविधाएं और शिविर उपकरण उपलब्ध कराएंगे। हम तीर्थ-यात्रियों के लिए एक धर्मशाला बनवा रहे हैं।

जहां तक उस क्षेत्र के अत्यधिक प्रचार का सम्बन्ध है, हमारे पास उत्तराखण्ड पर बहुत साहित्य है। यह न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी वितरित किया जा रहा है। यहां आने वाले

लोगों के लिए, यह साहित्य बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है और हम देखते हैं कि विदेशों से आने वाले पर्यटक इस स्थान पर भी जाते हैं। उत्तराखण्ड विकास निगम, फूलों की घाटी तथा अन्य स्थानों के लिए जो देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, बस सेवा की व्यवस्था करता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का विस्तृत उत्तर के लिए तथा इस विषय में गहरी रुचि दिखाने के लिए जहां मैं धन्यवाद करता हूं वहीं मैं यह जानना चाहता हूं कि (क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का फूलों की घाटी के बारे में कोई चलचित्र बनाने का प्रस्ताव था ? और यदि हां, तो क्या उसे कुछ कारणों की वजह से, सही कारणों की वजह से नहीं, रद्द कर दिया गया है। इसे रद्द करने का यह कारण रहा है कि जिस व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया था और जो विशेषज्ञ भी था, वह राज्य सरकार को पसन्द नहीं था ?

परन्तु महोदय, मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या सरकार उस क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को, सेना से आने वाले लोगों को, डिप्लोमाधारियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार कर रही है और क्या वह इसे केवल विभागीय धन्धा बना देंगे और इन लोगों से बेगार करवाते रहेंगे अथवा स्विस लोगों की भांति उन्हें इस उद्योग का उद्यमी बनाया जायेगा ? मैं आयकर न देने वाले लोगों का, गरीबों का उल्लेख कर रहा हूं। क्या आप उन्हें तकनीकी सहायता, जानकारी देंगे और उन्हें प्रोत्साहन देंगे और उन्हें उस क्षेत्र पर चलचित्र बनाने में सहायता देंगे ताकि उसे देश और विदेशों में प्रदर्शित किया जा सके।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यदि वे आगे आते हैं तो हम निस्सन्देह, उन लोगों को आवश्यक सहायता देंगे क्योंकि हम हमेशा पर्यटन में रुचि रखने वाले अथवा पर्यटन में प्रशिक्षण अथवा शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के लोग पर्यटन में पर्यटन सम्बन्धी बुनियादी सुविधाएं जुटाने में सहयोगी होंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : किस योजना के अन्तर्गत ? कृपया मुझे बताइए ताकि मुझे भी जानकारी हो जाए।

श्री खुर्शीद आलम खां : योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की जाएगी और हम सहायता देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इसके बारे में जानना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : बोलिए तिवारी जी, आप भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण सभा को उत्तराखण्ड के महत्व का पता है, जहां पर बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थ और फूलों की घाटी जैसे स्थान हैं। हमें बताया गया है कि अधिक चराई और वनों की कटाई के कारण उस क्षेत्र का पर्यावरण पहले ही बिगड़ चुका है। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में बिना सोचे विचारे पर्यटन की

योजनाओं को लागू करने का निर्णय लेने से पूर्व क्या उन्होंने उस क्षेत्र के पर्यावरण की सम्पूर्ण स्थिति का जायजा लिया है।

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, योजनाएं राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और माननीय सदस्य द्वारा जो कुछ मेरे ध्यान में लाया गया है। हम निश्चित रूप से उसे राज्य सरकार के ध्यान में लायेंगे ताकि योजना बनाते समय वे इसे ध्यान में रखें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या आप स्वयं भी कुछ कर रहे हैं? आप अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमें राज्य सरकार से जब प्रस्ताव प्राप्त होंगे तब हम अपना योगदान भी देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री माधवराव सिन्धिया यहां नहीं है। अब प्रश्न संख्या 560। श्री के० प्रधानी।

दिल्ली से भुवनेश्वर तक सीधी विमान सेवा

*560. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली से भुवनेश्वर तक सीधी दैनिक विमान सेवा आरम्भ करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन *किया* है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच कम यात्री यातायात उपलब्ध होने के कारण, इण्डियन एयरलाइंस की इस सैक्टर पर एक दैनिक बी-737 सेवा प्रचलित करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं।

श्री के० प्रधानी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि बहुत कम यात्री मिलते हैं। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि फ्लाइट नम्बर 497 और 498 में दिल्ली से कितने यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं?

श्री खुर्शीद आलम खां : सीधी सेवा द्वारा लगभग 39 व्यक्ति दिल्ली से भुवनेश्वर तक यात्रा करते हैं।

श्री के० प्रधानी : भुवनेश्वर के लिए दो मार्ग हैं—एक वाराणसी होकर सीधी उड़ान है और दूसरी कलकत्ता होकर है। सीधी उड़ान और घूमकर जाने वाली उड़ान में लगभग 300 रुपए का अन्तर है। सीधी उड़ान में सीटों की कमी के कारण संसद सदस्यों सहित अनेक व्यति कलकत्ता होकर जाते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि प्रतिदिन कितने यात्री दिल्ली से कलकत्ता होकर भुवनेश्वर जाते हैं और क्या उनके पास यह जानकारी है कि भुवनेश्वर जाने वाली एवरो उड़ान में सीटों की कमी के कारण बहुत मे यात्रियों को कलकत्ता रुकना पड़ता है और तीसरे, क्या मंत्री महोदय ने भुवनेश्वर के लिए सीधी उड़ान के प्रस्ताव पर विचार करते समय इस सारी जानकारी को ध्यान में रखा है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हमने सभी बातों का ध्यान रखा है, परन्तु मुझे खेद है कि मेरे पास कलकत्ता से भुवनेश्वर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के आंकड़े इस समय नहीं हैं, परन्तु जहां तक किराए में अन्तर का सम्बन्ध है, हम इस पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कठिनाई कम से कम हो।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं जानना चाहती हूं कि दिल्ली-भुवनेश्वर सीधी सेवा थी। उसमें पहले खजुराहो में भी हाल्ट था। इसमे खजुराहो, भुवनेश्वर दोनों स्थानों का लाभ टूरिस्टों को था। आप बता रहे हैं कि यात्री कम जाते हैं। उस समय यात्री भरपूर रहते थे। क्या मंत्री महोदय इसको फिर से शुरू करेंगे और खुजराहो होते हुए भुवनेश्वर ले जाएंगे ? इससे यात्रियों की कमी की पूर्ति भी होगी और यात्रियों को भी खजुराहो, पुरी, कोणार्क वगैरह देखने की सुविधा मिल सकेगी।

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, खजुराहो के लिए कोई दुश्वारी नहीं है। खजुराहो के लिए हमारे पास काफी सर्विसेस मौजूद हैं। बहुत सी जगह अगर उसको रोक दिया गया तो डायरेक्ट सर्विस चलाने का फायदा ही जाता रहेगा। दिल्ली से भुवनेश्वर तक डायरेक्टर पैसेन्जर्स की कमी है, दूसरा मैंने नहीं बताया।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि भुवनेश्वर से दिल्ली वापस आते समय भुवनेश्वर में केवल 10 सीटें आरक्षित होती हैं ? वे वाराणसी से सन्देश भेजते हैं कि 10 से अधिक सीटें बुक न करें। क्या इसकी जांच करेंगे क्योंकि इसका सीधे राज्य को राजधानी से सम्बन्ध है। हाल ही में मैंने यात्रा की है। तीन दिनों में से यह दो दिन आगरा जाती है। माननीय महिला सदस्य की इसमें दिलचस्पी है कि यह उड़ान खजुराहो भी जानी चाहिए। परन्तु हमारी दिलचस्पी इस उड़ान के सीधे दिल्ली से भुवनेश्वर जाने में है। अत: आप कृपया पूरी बात की जांच करें।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : हजारों-लाखों विदेशी पर्यटक वहां जाना चाहते हैं। वह विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमारी भी इसमें दिलचस्पी है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं खजुराहो के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा 10 सीटों की जो समस्या मेरे ध्यान में लाई गई है, हम उस पर निस्सन्देह विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें पर्याप्त सीटें मिलें।

मैसर्स गोल्डन टुबैको कम्पनी पर बकाया कर

*561. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट बनाने वाली कम्पनी मैसर्स गोल्डन टुबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा 1982 तक गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, उत्पादन-शुल्क, निगम कर, आयकर और बिक्री कर जैसे विभिन्न करों के रूप में, अलग-अलग, कितनी धनराशि जमा करायी गयी;

(ख) इस कम्पनी पर कितनी राशि बकाया है और राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि यह कम्पनी अपने उत्पादन के 30 प्रतिशत का रिकार्ड नहीं रखती और इससे वह उत्पादन की शुरूआत से लेकर उपभोक्ता तक उसकी बिक्री कर लगने वाले सभी प्रकार के करों की वंचना कर जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस कम्पनी के कार्यकरण के इस पहलू की जांच कराएगी जिससे तथ्यों को सामने लाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है :

विवरण

(क) मैसर्स गोल्डन टोबैकी कम्पनी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अदा किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इस प्रकार है :

(हजार) रु०

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
बड़ौदा एकक	19, 42, 68	24, 53, 12	30, 19, 33	34, 23, 48	52, 40, 13	28, 22, 41 (केवल फरवरी 83 तक)
बम्बई एकक	33, 73, 71	37, 54, 75	42, 12, 70	54, 65, 80	46, 72, 82	46, 57, 90
	53, 16, 39	62, 07, 87	72, 32, 03	88, 94, 28	79, 12, 95	74, 31, 80

मैसर्स गोल्डन टोबैको कम्पनी द्वारा अदा किया गया आयकर/निगम कर इस प्रकार है :

1978-79	शून्य
1979-80	69,30,000 रुपए
1980-81	82,00,000 रुपए
1981-82	40,00,000 रुपए
1982-83	64,43,000 रुपए

बिक्री-कर राज्य कराधान का विषय है। बिक्री-कर अधिनियम 1956 का प्रशासन भी, जिसके अन्तर्गत माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर लगाया जाता है, कानून द्वारा राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है जो इस प्रकार के कर का निर्धारण करती हैं उसकी वसूली करती और प्राप्तियों को अपने पास रखती हैं ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की पुष्टि मांगों से सम्बन्धित कोई देय रकम कम्पनी की ओर बकाया नहीं है । कर निर्धारण वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए आयकर की क्रमशः 66,92,157 रु० की और 8,22,586 रुपए की मांगें 11 मार्च, 1983 को जारी की गई थी, ये मांगें अभी आदयगी योग्य नहीं बनी हैं जिसके परिणामतः इस कम्पनी की ओर कानूनी तौर पर आयकर की कोई रकम बकाया नहीं है।

(ग) तथा (घ) सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि कम्पनी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून/नियमों के अन्तर्गत विहित सभी सांविधिक रिकार्ड रख रही है । सिगरेटों के दिन-प्रतिदन के उत्पादन की सांविधिक रजिस्टरों में प्रविष्टि की जाती है। उत्पादन को छिपाये जाने का कोई भी मामला अभी तक जानकारी में नहीं आया है ।

राजकोट स्थित मैसर्स आर० के० एण्ड कम्पनी के परिसरों की तलाशी के दौरान, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारियों ने, मैसर्स गोल्डन टोबैको कम्पनी बम्बई द्वारा निर्मित भिन्न-भिन्न ब्रांड की सिगरेटें इस आधार पर पकड़ी थीं कि उन सिगरेटों को कम्पनी द्वारा जारी किए गए गेट पासों के साथ सह-सम्बन्धित नहीं किया जा सका था। जांच पड़ताल के बाद, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता बम्बई ने, पार्टी को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी और पकड़े गए माल को छोड़ने का आदेश दिया।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसी प्रकर का एक प्रश्न 22 मार्च को राज्य सभा में पूछा गया था । उस प्रश्न के उतर में माननीय मंत्री जी ने जो कहा था, वह मैं आपको पढकर सुनाता हूं ।

वित्त मंत्री जी प्रणव मुखर्जी ने आज राज्य सभा में स्वीकार किया कि सिगरेट बनानेवाली कम्पनियां बड़े पैमाने पर कर अपवंचन कर रही हैं ।

एक सदस्य के इस आरोप से सहमत होते हुए कि सिगरेट कम्पनियां उत्पाद-शुल्क का अपवंचन करने के उद्देश्य से सिगरेट पैकटों पर उपभोक्ताओं से किए जाने वाले मूल्य से कम मूल्य छाप रहे

हैं, वित्त मंत्री ने कहा, "यदि परचून मूल्य प्रकाशित मूल्य से अधिक हो तो मैं नहीं जानता कि इसका समाधान कैसे किया जाए।"

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें तथ्यों को छिपाया गया है। मंत्री जी ने कहा है कि गोल्डन टुबैकी कम्पनी पर कानूनी तौर पर आय कर की कोई रकम बकाया नहीं है। माननीय मंत्री जी के आज उत्तर में और 22 मार्च को राज्य सभा में दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में बहुत फर्क है। यह कम्पनी अपने उत्पादन के 30% का रिकार्ड नहीं रखती जिससे वह उत्पादन की शुरूआत से लेकर उपभोक्ता तक उसकी बिक्री पर लगने वाले सभी प्रकार के करों की वंचना कर जाती है।

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उत्पादन को छिपाए जाने का अभी तक कोई भी मामला उनकी जानकारी में नहीं आया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि यह कम्पनी ऐसा करती है। आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते? मंत्री जी आज सदन में स्पष्ट बताएं कि वे इस कम्पनी के कार्य करण पहलू की जांच करायेंगे जिससे सारे तथ्यों का पर्दाफाश हो सके।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देते हुए मेरे विचार में इन्होंने राज्य सभा की कार्यवाही को नहीं देखा होगा इन्होंने समाचार पत्र रिपोर्ट को उद्धृत किया है—यदि मैं ठीक समझू तो, क्योंकि एक सिगरेट विक्रेताओं द्वारा पैकट पर प्रकाशित मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल करने सम्बन्धी राज्य सभा में हुए अनुपूरक प्रश्न के बारे में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में था और उनके उत्तर में मैंने कहा था कि मैंने भी वह समाचार पढ़ लिए हैं। और यदि यह सही है तो हमें यह देखना होगा कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। यहां प्रश्न विशेषरूप से मैसर्स गोल्डन तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड के बारे में है और माननीय सदस्य कर की चोरी और कर-अपवंचन के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वह विवरण में दिया गया है। मैंने प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों दोनों से सम्बन्धित आकड़े विस्तार से आंकड़े दिए हैं और जारी किए गए आंकड़ें विवरण के भाग 'ख' में दिए गए हैं।

विवरण के पहले पृष्ठ में सबसे नीचे माननीय सदस्य देखेंगे कि वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए जिन दो निगम करों में वृद्धि की गई है, यह वृद्धि चाहे किसी भी तारीख से क्यों न की गई हो, कम्पनी उसका 35 दिनों में भुगतान कर सकती है। अतः यदि इसे 11-3-1983 से बढ़ाया गया है और यद्यपि यह 1978-79 और 1979-80 के लिए है और वे इसका भुगतान नहीं करते हैं तो 35 दिनों के बाद वह बकाया राशि हो जाएगी।

परन्तु जहां तक जांच का सम्बन्ध है, वह इससे सम्बन्धित नहीं है, बल्कि अन्य किन्हीं मामलों से सम्बन्धित है। कम्पनी की कतिपय प्रथाओं के बारे में जांच चल रही है और माननीय सदस्य को इसकी पूरी जानकारी है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्न का अभी सही उत्तर नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं जो करों की चोरी करती हैं, क्या यह कम्पनी भी उनमें से एक है?

मैंने स्पष्टत: जानना चाहा था क्या मंत्री जी इस कम्पनी के कार्य-कलापों की जांच करायेंगे या नहीं ? अगर करायेंगे तो वह किस तरह की जांच होगी और कब तक होगी ?

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस कम्पनी के डायरेक्टर, मालिक व व्यवस्थापकों की सरकारी अधिकारियों से सांठ-गांठ है जिसके कारण यह कम्पनी करों की चोरी करती है और इसीलिए उस कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जांच चल रही है। वास्तव में जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जांच नहीं की जाएगी।

श्री के० लकप्पा : मैसर्स गोल्डन तम्बाकू कम्पनी एन० टी० सी० और आई० टी० सी० सहित सभी तम्बाकू कम्पनियां केन्द्रीय उत्पाद कर की बहुत बड़े पैमाने पर चोरी कर रही हैं और उनके विरुद्ध जांच भी की जा रही है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार करों की चोरी को रोकने के लिए एक कक्ष का सृजन करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ? जब कभी करों को जमा कराने के लिए कहा जाता है, वे न्यायालय की शरण लेती हैं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लेती हैं। यहां तक कि करोड़ों रुपए के कर बकाया हैं और अनेक मामले विचाराधीन हैं। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कर देने वाली कम्पनियों पर निगाह रखने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है तथा क्या यह सुनिश्चत करने के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार की मांगें स्थगन आदेशों और न्यायालय के संरक्षण के कारण अनावश्यक रूप से बकाया न रहें और वे करों की बकाया राशि की वसूली कर सकें। क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास किए गए हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों दोनों के मामले में और विशेष रूप से केन्द्रीय उत्पाद कर के मामले में करों की चोरी और उनके अपवंचन पर निगाह रखने के लिए विशेष कक्ष गठित किए गए हैं। माननीय सदस्य को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि इन कक्षों के गठन के परिणामस्वरूप हमने लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि वसूल की है। परन्तु मैं अभी भी महसूस करता हूं कि करों की चोरी और अपवंचन के बहुत से क्षेत्र हैं।

इसके अतिरिक्त एक और गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले कुछ समय से जब भी हमने कुछ लोगों से कर जमा कराने की मांग की अथवा आदेश जारी किया तो निर्धारिती न्यायालय में चले गए और स्थगन आदेश ले आए। उन मामलों को निपटाया नहीं जा रहा है और बहुत सी राशि रुकी पड़ी है। वास्तव में वे उपभोक्ताओं से धन एकत्र कर रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं। दूसरी ओर, वे आयकर में कटौती की मांग कर रहे हैं और कहते हैं कि यह उनका सांविधिक कर्त्तव्य है और उन्हें कर देना है। वित्त विधेयक में संशोधन लाने का हमारा स्पष्टत: यही कारण था। यदि वे कर नहीं देते हैं तो वे कटौती के हकदार नहीं होंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप जानते हैं कि इस कम्पनी विशेष के मामले में यह प्रश्न उठाया गया था। हमारे पास सबूत हैं। प्रो० मधु दण्डवते और मेरे पास कागजात हैं, दिल्ली से बम्बई को भेजे गए उन अनुदेशों की जेरोक्स प्रतिलिपियां हैं जिनमें इस कम्पनी के, जिसने 100 करोड़

रुपयों के करों की चोरी की है, विरुद्ध चल रही जांच को रोकने के आदेश हैं। क्या मंत्री महोदय इसे स्वीकार करते हैं और कागजातों का निरीक्षण करेंगे ? महोदय, आपके माध्यम से हम उन्हें उन कागजातों की जेरोक्स प्रतिलिपियां देने को तैयार हैं जिनसे यह पता चलता है कि जांच को रोकने के अनुदेश दिल्ली से दिए गए थे। यह प्रश्न प्रो० मधु दण्डवते और मेरे द्वारा उठाया गया था और शायद श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने भी इसमें उनकी सहायता की थी।

श्री प्रणब मुखर्जी : यहां जो चर्चा की जाती है उसकी आपको पूर्ण जानकारी है। मैं उस मामले में नहीं जा रहा हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं उस प्रश्न में नहीं जा रहा हूं कि क्या मैंने सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है या नहीं क्योंकि ऐसे मामले हैं जिनसे अध्यक्ष महोदय पूर्णतया वाकिफ हैं। एक समय यह सुझाव दिया गया था कि आपने लगभग ऐसे 450 व्यक्तियों के बयान ले लिए हैं जिनके बारे में आप जांच पड़ताल कर रहे थे और कागजात के लगभग 28 ट्रक पकड़े गए हैं, जिनकी छानबीन चल रही है, इसलिए आप कागजातों और बयानों की, जो पहले ले लिए गए हैं, जांच-पड़ताल करें। वहां से आपको कुछ सुराग मिल सकता है और आगे जांच जारी रखी जा सकती है। यह जांच का तरीका मात्र है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। इरादा न तो जांच को रोकने का था और न ही उसमें हस्तक्षेप करने का। सरकार का इरादा जांच में हस्तक्षेप करने का नहीं है। परन्तु जांच करने वाली एजेंसियों की जब जांच में दिलचस्पी है तो उनके पास अनेक तरीके हैं और यदि किसी समय विशेष में वे चाहते हैं कि जांच किसी विशेष ढंग से की जाए तो मैं नहीं सोचता कि यह हस्तक्षेप है।

अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात

***563. श्री जगपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार देश खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हो गया है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात जारी रखा जा रहा है; और

(ख) क्या निर्यात प्रयोजनों के लिए खाद्यान्नों की मात्रा नियत करते समय राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की सलाह को भी विचार में लिया गया है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके और इस बारे में पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) खाद्यान्नों के निर्यात की अनुमति उपलब्ध मात्रा तथा घरेलू मांग का निर्धारण करने के पश्चात ही दी जाती है। निर्यात की मात्रा खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय से परामर्श करने के बाद तय की जाती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ख) ऐसी कोई परिषद नहीं है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें, तो सप्लीमेंटरी पूछने से पहले मैं

एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर मंत्री महोदया किसी संसद-सदस्य के द्वारा पूछे गये प्रश्न का इरादतन जवाब न दें, तो आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं ? मेरा सवाल नेशनल इम्पार्टेन्स का है, देश की सारी इकानोमी उस पर डिपेंड करती है और मन्त्री महोदया ने इरादतन उसका जवाब नहीं दिया है। पहले मैं वे सवाल पूछना चाहता हूं और फिर आप मुझे सप्लीमेंटरी पूछने की इजाजत दें।

मेरे प्रश्न का भाग (क) यह है : "क्या सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार देश खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हो गया है……।" कोई जवाब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो दिया है।

श्री जगपाल सिंह : वह हां या न कहें।

"…और मूल्यवान विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात जारी रखा जा रहा है।" कोई जवाब नहीं है। पहले तो मंत्री महोदय इसका जनाब दे दें और फिर अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सप्लीमेंटरीज पूछने की इजाजत दें।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का संबंध है, यद्यपि यह मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं, कि यदि मौसम अनुकूल रहे तो हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं।

श्री जगपाल सिंह : आप जानते हैं कि पिछले तीन सालों में सरकार ने 40 लाख टन अनाज विदेशी मुद्रा देकर बाहर से मंगवाया है। इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं हम आज आत्मनिर्भर हैं या नहीं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि इसका संबंध हमारे मन्त्रालय से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : खाद्य उत्पादन को तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखेगी और एक्सपोर्ट को यह मिनिस्ट्री देखेगी।

श्री जगपाल सिंह : पिछले तीन सालों से अनाज के लिए अमरीका के सामने नाक रगड़नी पड़ रही है। इस देश के किसानों को 140 रुपया क्वींटल और अमरीका के किसानों को दो सौ रुपया क्वींटल का भाव दिया गया। मेरा सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन यह है कि यह मान लिया जाए कि हम आत्मनिर्भर नहीं हुए…(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो स्पीकर हूं वरना जवाब दे देता।

(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, हमारे जो सवाल होते हैं उनका जवाब नहीं दिया जाता है। हमने आपसे पचासों बार कहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : इस मन्त्रालय के नाम पर यह क्वैश्चन एडमिट ही क्यों हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आपने किसको लिखा ?

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : यह सवाल तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित है। इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास ही ट्रांसफर कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है यह।

इस सवाल को देने वाला भी गलत और लेने वाला भी गलत। उनको लेना नहीं चाहिए था और आपको देना नहीं चाहिए था। इसको ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो कृषि मंत्री कहेंगे यह आयात-निर्यात का मामला है, हमसे संबंधित नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते इसलिए इसके दो सवाल अलग-अलग कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अलहदा-अलहदा कर देंगे।

बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल का फैसला

*564. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूर संघ के नेताओं के साथ मंत्री जी की हुई बातचीत के दौरान बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों की 13 महीने से चली आ रही हड़ताल समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1983 में हुई बातचीत में किसी ठोस फार्मूले पर पहुंचा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या अनेक तथ्यों पर पहले ही सहमति हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो सभी अनिर्णीत विवादों के कब तक तय हो जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) मार्च, 1983 के प्रथम सप्ताह में मजदूर संघ के नेताओं और वाणिज्य मंत्री के बीच विचार विमर्श कामगारों की विभिन्न मांगों और कामगारों को काम पर लौट आने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही उठाये गए कदमों के आसपास केन्द्रित रहे।

विशेष रूप में मजदूर संघ के नेताओं को यह बताया गया कि 1500 रु० की पेशगी काम पर लौटने वाले सभी व्यक्तियों को दी जाएगी और 1981 के लिए बोनस, जो कि एक कानूनी मांग है, की भी अदायगी की जाएगी। कामगारों की ओर से उठाई गई मांगें इस समय वस्त्र उद्योग हेतु त्रिपक्षीय समिति के समक्ष हैं और ऐसी एक पुख्ता तारीख बताना संभव नहीं होगा जिस तक कि सभी बकाया विवादों के हल हो जाने की संभावना हो। इस बीच, त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों, जिन्हें सरकार द्वारा समर्थित कर दिया गया है, के आधार पर मिल मालिकों से अपेक्षित होगा कि वे 1 अप्रैल, 1983 से कामगारों को 32 रु० प्रतिमास से 65 रु० प्रतिमास तक मकान किराया भत्ता अदा करें।

श्री रामविलास पासवान : समय नहीं है, मैं इतना ही जानना चाहता हूं क्या सरकार इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट में तरमीम करने के लिए तैयार है तथा सभी यूनियनों की मांग को देखते हुए सीक्रेट बैलट को आधार पर चुनाव करायेगी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट गाइड लाइन्स देगी और क्या डा० दत्ता सामन्त की स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत हुई है तथा क्या सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी उनसे बातचीत करके इस मामले को तय करने के लिए तैयार है?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक इण्डस्ट्रियल लेबर रिलेशन्स ऐक्ट का सवाल है, यह महाराष्ट्र सरकार का विषय है। यह हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : क्या डा० दत्ता सामन्त की स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत हुई है और क्या सैन्ट्रल गवर्नमेंट उनसे बातचीत करने जा रही है, इस प्रश्न को लेकर जिस पर कि सारा हंगामा है?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इसका सम्बन्ध महाराष्ट्र सरकार से है। मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं।

श्री रामविलास पासवान : गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : फिर देखेंगे, खत्म हो गया। हम इसे बाद में देखेंगे।

श्री रामविलास पासवान : क्या आप इसकी अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बाद में करेंगे, मेरे से मिलना।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी तंत्र पर व्यय

*556. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तंत्र पर व्यय बढ़ कर हमारी राष्ट्रीय आय का 20 प्रतिशत हो गया है जो मूल्यों में हुई वृद्धि तथा हमारी वास्तविक आय से बहुत अधिक है; और

(ख) क्या विकास की प्रक्रिया में सरकारी तंत्र को सौंपी गई भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय, दोनों विकासात्मक और गैर विकासात्मक (और केवल सरकारी तंत्र का ही व्यय नहीं) 1975-76 में चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की तुलना में 19.4 प्रतिशत था जो 1981-82 (नवीनतम वर्ष जिसके लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान बढ़कर 21.2 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में पिछले 6 वर्षों के दौरान कुल सरकारी व्यय में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1979-80 और 1980-81 के दौरान कुल व्यय के अनुपात में सरकार के प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत 3.8 और 3.7 रहा है। 1981-82 में यह और घटकर 3.53 हो गया। उसी अवधि के दौरान अर्थात् 1975-76 से 1981-82 तक थोक मूल्यों में 62.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्यों पर (1970-71 आधार) 1980-81 में 47,490 करोड़ रुपए की तुलना में 1981-82 में 49,887 करोड़ रुपए की कुल राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया है जो 1980-81 में 8.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि में वस्तुत: 5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

(ख) विकास प्रक्रिया में सरकारी तन्त्र को जो भूमिका सौंपी गई है वह छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दस्तावेज के संगत अध्यायों में, विशेषकर उसके 8 वें अध्याय में, दी गई है। आवश्यकता और परिस्थितियों में हुए परिवर्तन पर निर्भर करते हुए, समय-समय पर भूमिका की समीक्षा की जाती है। सरकार का यह विचार है कि आयोजना-भिन्न और गैर-विकासात्मक व्यय में कड़ाई से किफायत करने के अलावा सही अर्थों में व्यय में किफायत को स्कीमों/परियोजनाओं के उचित चयन और कुशलतापूर्वक उनके कार्यान्वयन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

सहकारी चाय खेती का विकास

*559. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा नीलगिरी में सहकारी क्षेत्र में चाय की खेती का प्रतिशत क्या है; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में चाय की सहकारी खेती का विकास करने और चाय के उद्योग में बड़े व्यापारिक घरानों तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से प्रभावी प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा नीलगिरी में सहकारी क्षेत्र में चाय बागानों की प्रतिशतता नगण्य है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल चार एस्टेट हैं जो सहकारिताओं के स्वामित्व में हैं। नीलगिरी में ऐसे कोई स्टेट नहीं हैं। तथापि, नीलगिरी में 11 औद्योगिक सहकारी चाय फैक्टरियां हैं और उनकी सदस्यता में लघु चाय उपजकर्ता शामिल हैं।

(ख) सहकारिताओं के हितों को आगे बढ़ाने और लघु उपजकर्ताओं पर वित्तीय लेवी का

भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने सहकारी क्षेत्र के लिए उत्पादन शुल्क की रियायती दर की अनुमति दी है। चाय बोर्ड द्वारा भी नई सहकारी चाय फैक्टरियां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। तमिलनाडु में सहकारी क्षेत्र में चाय बागानों की स्थापना करने तथा पर्वतीय जनजातियों, बन्धक मजदूरों तथा हरिजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव भी है। केन्द्रीय सरकार ने लघु उपजकर्ताओं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए लघु उपजकर्ताओं सम्बन्धी एक विशेष समिति स्थापित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रबड़ का आयात

*562. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्ष रबड़ का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि रबड़ के इस आयात के परिणामस्वरूप देश के रबड़ उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग को संकट से बचाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 30,050 मे० टन प्राकृतिक रबड़ की कुल मात्रा का आयात किया गया।

(ग) जी, नहीं। आयातों का देश में रबड़ बागान उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उनकी मात्रा देश में प्राकृतिक रबड़ के मांग-सप्लाई अन्तर को पूरा करने तक सीमित थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

*565. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कठिनाइयों का सामना करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आई कठिनाइयों के प्रमुख कारणों में ये शामिल हैं :

(1) विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी की दशाएं। विश्व उत्पादन 1981 में 1.^ प्रतिशत गिर गया तथा 1982 में उसमें और गिरावट आई। 1981 में स्थिरता के बाद विश्व व्यापार की मात्रा में 1982 में 2 प्रतिशत की और गिरावट आई।

(2) व्यापार प्रतिबंन्धों के रूप में विकसित देशों द्वारा, ऐसे क्षेत्रों में भी जहां पर भारत को वस्त्रों तथा वस्त्र उत्पादों जैसे उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है, संरक्षणवाद की नीति का अधिक आश्रय लेना। विकसित देशों द्वारा टैरिफ तथा गैर टैरिफ अवरोधों के लगाए जाने तथा प्रतिकारात्मक और पाटन रोधी शुल्कों आदि के उपयोग से विकसित देशों के बजारों को होने वाले भारतीय निर्यातों की वृद्धि तथा विविधीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(3) घटती-बढ़ती विनिमय दरों की व्यवस्था का प्रचलन।

(4) औद्योगीकृत देशों को विकासशील देशों की परम्परागत वस्तुओं की सप्लाई के लिए उनके निर्यातकों के बीच गम्भीर प्रतियोगिता जिसके फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें कम हो गईं।

(5) कभी-कभी, बिजली, आधारभूत अन्तर्निविष्टि साधनों की कमी तथा आवस्थापना सम्बन्धी समस्याएं जैसी घरेलू बाधाएं भी रही हैं। देश में व्यापक आन्तरिक बाजार हैं। घरेलू मांग का बढ़ना भी निर्यातों में वृद्धि के रास्ते में एक बाधा रही है।

अरण्डी के तेल की निर्यात नीति की पुनरीक्षा

*566. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार अरण्डी के तेल का निर्यात बढ़ाने, नए बाजारों की खोज करने और उसके औद्योगिक उपयोग ढूंढने के उद्देश्य से क्या कदम उठाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार अरण्डी के तेल की निर्यात नीति की पुनरीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अरण्डी के तेल के निर्यातों को अधिकतम करने के उद्देश्य से निजी व्यापारी-वर्ग को राज्य व्यापार निगम के पास निर्यात संविदाओं के पंजीकरण के बाद सामान्य मुद्रा क्षेत्र को निर्यात करने की अनुमति दी गई है। अरण्डी के तेल का उपयोग मुख्यतः औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) 1983-84 के लिए अरण्डी के तेल के लिए निर्यात नीति तैयार की जा रही है।

मथुरा, वृन्दावन और गोवर्धन का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

*567. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :

श्री दिगम्बर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा, वृदान्वन और गोवर्धन आदि को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) जी, हां।

(ख) विभाग ने ब्रजभूमि परिक्रमा कॉम्पलैक्स की मास्टर योजना तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान, अहमदाबाद को सौंपा था। संस्थान ने अभी हाल ही में अपनी योजना प्रस्तुत की है जिसकी राज्य सरकार, केन्द्रीय पर्यावरण विभाग और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों से परामर्श करते हुए जांच की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत बृजभूमि परिक्रमा कॉम्पलैक्स में तीर्थ यात्रियों और अन्य पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

विभाग ने एक रजिस्टर्ड सोसाइटी भारतीय यात्री आवास विकास समिति के माध्यम से वृन्दावन में एक धर्मशाला का निर्माण भी प्रारम्भ किया है।

पेट्रो-डालर की प्राप्ति में कमी

***568. श्री रशीद मसूद :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पेट्रो-डालर की प्राप्ति में कमी हो रही है तथा हाल में इसके भारत में सुगमता से आने में अड़चनें पैदा हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में पेट्रो-डालर की असन्तोषजनक प्राप्ति के कारणों का कोई आलोचनात्मक विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) देश में पेट्रो-डालर की सुगम प्राप्ति में हो रही अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) 'पेट्रो डालर' शब्द एक जातिवाचक शब्द है तथा इसका आशय कच्चे तेल की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप तेल निर्यातक विकासशील देशों के पास उपलब्ध अधिशेष वित्तीय साधनों से है। मोटे तौर पर कहा जाए तो इस शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) मध्य पूर्व के देशों से गैर-सरकारी अन्तरणों के जरिए प्राप्त प्रेषणाएं जिनमें इन देशों में रह रहे भारतीय निवासियों से प्राप्त प्रेषणाएं भी शामिल हैं;

(ii) तेल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा भारतीय उद्योगों में पूंजी निवेश के सम्बन्ध में अपनाई गई उदार नीति के अन्तर्गत विदेशी पूंजी निवेश; और

(iii) मध्य पूर्व के देशों द्वारा भारत को दी गई विदेशी सहायता।

2. जहां तक उपर्युक्त (i) का सम्बन्ध है, चालू विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों को 10,000 रुपए तथा उससे कम राशि की प्रेषणा के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि समूचे विश्व के आंकड़ों के अनुमान विवरण एक में दिए गए हैं, फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास किसी विशेष देश अथवा क्षेत्र से भारत में भेजी गई धनराशियों के बारे में कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

3. जहां तक उपर्युक्त (ii) का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मध्य पूर्व के तेल निर्यातक विकासशील देशों से प्राप्त निवेशों के सम्बन्ध में उसके पास कोई तुरन्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

4. जहां तक उपर्युक्त (iii) का सम्बन्ध है, वर्ष 1979-80 से वर्ष 1983-84 तक मध्य पूर्व के देशों से प्राप्त विदेशी सहायता के आंकड़े विवरण दो में दिए गए हैं।

विवरण एक

सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के तुरत और अन्तिम अनुमान

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1978	2218.75
1979	2775.28
1980	4467.28
1981	4621.76
1982	5013.00

उपर्युक्त आंकड़े 'आवक प्रेषणाओं' अर्थात् (i) परिवार भरण-पोषण, (ii) अनिवासी बचतों, (iii) प्रवासी अन्तरणों, और (iv) मनी आर्डर प्राप्तियों से सम्बद्ध प्राप्तियों के चार शीर्षों के अलावा नौवहन, बीमा, लाभांश तथा पर्यटन प्राप्तियों आदि जैसी सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के द्योतक हैं।

विवरण दो

मध्य पूर्व के देशों से प्राप्त विदेशी सहायता

(लाख रुपए)

देश	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83 (संशोधित अनुमान)	1983-84 (बजट अनुमान)
	उपयोग की गई धनराशि				
1 2	3	4	5	6	7
1. इराक	1,33	65	—	—	—
2. ईरान	11,65	16,56	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
3.	कुवैत निधि	—	6,12	6,55	47,84	54,06
4.	सऊदी अरब निधि	29,13	9,25	3,93	15,24	4,26
5.	आबूधाबी निधि	5,94	1,73	—	—	—
6.	ओपेक विशेष निधि	—	3,17	7,61	38,27	21,61
	जोड़	48,05	37,48	18,09	101,35	79,93

जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन के प्रबन्धकीय मूल्यांकन कार्यनिष्पादन का मानदण्ड

*569. **श्री भीखा भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन के प्रबन्धकीय मूल्यांकन/कार्य निष्पादन के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या उक्त मूल्यांकन/कार्य निष्पादन के लिए सकल प्रीमियम आय अथवा लाभप्रदता अर्थात् हानि-अनुपात को अधिक महत्व दिया जाता है; और

(ग) 50 लाख रुपए और उससे ऊपर के दावों अथवा उतनी ही हानि के लिए सर्वेक्षक/हानि समायोजक नियुक्त करने के लिए स्पष्ट मानदण्ड क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए, सकल प्रीमियम आय और लाभप्रदता दोनों मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं।

(ग) 20,000 रुपए या उससे ऊपर के किसी भी दावे का बीमा अधिनियम के अन्तर्गत सम्यक् रूप से लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक/हानि निर्धारक द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है।

रुपए में व्यापार करने वाले देशों को चाय का निर्यात

*570. **श्री तारिक अनवर :** क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि रुपए में व्यापार करने वाले देशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और देश वार, निर्यात की गई चाय का मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान रुपए में व्यापार करने वाले देशों को निर्यात नीति की गई चाय का वर्ष-वार तथा देश-वार मूल्य दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु० में)

देश का नाम	1980	1981	1982
सोवियत संघ	124.94	146.40	101.82
पोलैंड	20.88	22.17	30.36
चेकोस्लोवाकिया	0.6	0.99	0.90
जर्मन जनवादी गणराज्य	0.49	0.55	0.76
रोमानिया	कुछ नहीं	0.20	0.09
योग	146.97	170.31	133.39

बैंकों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

***571. श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा नए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तौर-तरीके तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में नियुक्त कार्यदल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) क्या बैंकों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय हेतु सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त कार्यदल की रिपोर्ट पर पहले ही विचार किया जा चुका है ताकि इस कार्यक्रम का लाभ पाने वाले लोग अनावश्यक विलम्ब और परेशानी से बच सकें ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नये 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद 15 फरवरी 1982 को हुई सरकार क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक के निर्णय के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कार्यक्रम के हिताधिकारियों का निर्धारण करने और सरकारी क्षेत्र के बैंक उन्हें किस प्रकार ऋण सहायता दें, इस बारे में सिफारिश करने के लिए उप गवर्नर श्री ए० घोष की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया था। इस कार्यकारी दल से यह भी अपेक्षा की गयी थी कि वे 20-सूत्री कार्यक्रम के उन सूत्रों की पहचान करें जो बैंकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है तथा साथ ही इस कार्यक्रम में बैंकिंग प्रणाली द्वारा सहायता के बारे में विशिष्ट उपाय सुझाएं।

इस व्यापक ढांचे के भीतर, इस कार्यकारी दल ने विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उन कमजोर वर्गों को निर्धारित करने के बारे में अनेक सिफारिशें कीं जो 20-सूत्री कार्यक्रम के हिताधिकारी हैं। उसने "कमजोर वर्ग" की एक व्यापक अवधारणा भी विकसित की और इस वर्ग

को ऋण देने के बारे में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये तथा साथ ही कृषि क्षेत्र के भीतर प्रत्यक्ष वित्त के लिए अलग से लक्ष्य भी निर्धारित किये। 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकाधिक अन्तर्ग्रस्तता जिला ऋण योजनाओं को बैंक सहायता के एकीकरण, कमजोर वर्गों को ऋण की मात्रा बढ़ाने की सुविधा के लिए समुचित मध्यवर्ती संगठनों की स्थापना तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए नियमित तंत्र विकसित करने के बारे में भी सिफारिशें की गयीं।

इस कार्यकारी दल की सरकार द्वारा यथा स्वीकृत सिफारिशों का सारांश विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और साथ ही राज्य सरकारों को इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सूचित करते हुए अपनी हिदायतें 7 फरवरी, 1983 को जारी कर दी हैं।

विवरण

घोष कार्यकारी दल की, सरकार द्वारा यथा स्वीकृत, सिफारिशों का सारांश

नये कार्यक्रम के 20 सूत्रों में से 12 सूत्र बैंकिंग प्रणाली से सीधा संबंध रखते हैं। राज्यों में प्रचलित विभिन्न विकसित कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को बैंकों और/अथवा ए० आर० डी० सी०/नाबार्ड के घनिष्ठ सहयोग से विभिन्न सूत्रों के अधीन समन्वित रूप से विशिष्ट योजनाएं/स्कीमें तैयार करनी चाहिएं ताकि दी जाने वाली बैंक सहायता का स्पष्ट चित्र उभर सके और उससे सम्बद्ध अन्य उपयोगी प्रबंध किये जा सकें।

2. यद्यपि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के समग्र गठन के बारे में किसी परिवर्तन पर विचार करना आवश्यक नहीं है, प्राथमिकता क्षेत्र के कुछ घटकों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छोटे ऋणकर्ताओं के वित्त पोषण पर मुख्य रूप से जोर दिया जाए। जो संशोधन सुझाए गये हैं वे ये हैं: (1) आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली उचित दर दुकान और उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के अतिरिक्त अन्य खुदरा व्यापारी जिनकी खुदरा व्यापार के अधीन ऋण सीमाएं 25 हजार रुपये से अधिक न हों; (2) ऐसे छोटे कारोबार जिनका मूल पूंजी निवेश 2 लाख रुपये से अधिक न हो और जिनकी कार्यकारी पूंजी सीमाएं 1 लाख रुपये से अधिक न हों; और (3) ऐसे व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति जिनकी ऋण सीमाएं 2 लाख रुपये से अधिक न हों और कार्यकारी पूंजी 1 लाख रुपये से अधिक न हो।

3. कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए प्रायोजक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध करायी गयी शुद्ध निधियों को उन प्रयोजक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये ऋणों में शामिल माना जाना चाहिए।

4. प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के लिए कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक का जो समग्र लक्ष्य रखा गया है उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

5. बैंकों को चाहिए कि कृषि को अपने प्रत्यक्ष वित्त की मात्रा मार्च, 1985 तक अपने कुल ऋणों के 15 प्रतिशत तक पहुंचा दें और मार्च, 1987 तक 16 प्रतिशत तक।

6. बैंकों को छोटी सिंचाई और भूमि विकास प्रयोजनों के लिए अपने ऋणों के भाग को और काफी बढ़ाने के उपाय करने चाहिएं।

7. प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कमजोर वर्गों की परिभाषा 20 सूत्री कार्यक्रम के हिताधिकारी के अनुरूप होनी चाहिए जोकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गयी है।

8. ऊपर निर्धारित कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋण मार्च, 1985 तक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋणों के 25 प्रतिशत और कुल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत तक के स्तर तक पहुच जाना चाहिए।

9. यह कार्य पूरा करने के लिए फील्ड स्तर तक के तंत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए। वित्त पोषण के हिताधिकारियों के स्वरूप को देखते हुए प्रणालियों और प्रक्रिया को समुचित रूप से सरल बनाया जाना चाहिए और फील्ड स्तर पर इसके कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।

10. राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों के अनेक दायित्व हैं जैसे योजनाओं और हिताधिकारियों का व्यवस्थित निर्धारण विस्तार सेवाओं, सम्बन्धनों और मूलभूत ढांचे की सुविधाओं को उपलब्ध कराना, आवश्यक उपादानों को जुटाने और उत्पादनों की हाट व्यवस्था में सहायता देना, योजना तैयार करने और उनके कार्यान्वियन में तकनीकी सहयोग, योजनाओं की निगरानी और निचले स्तर पर उनका समुचित कार्यान्वियन सुनिश्चित करना, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करना, ऋणों की सामयिक वसूली में सहायता करना और हिताधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था करना।

11. नये 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

12. अतिदेय राशियों के एकत्र हो जाने के परिणाम स्वरूप वित्तीय संस्थाओं, विशेषत: सहकारी समितियों के कमजोर होने और उसके फलस्वरूप निधियों के आदान-प्रदान में न आने के तथ्य को केवल वित्तीय संस्थाओं का ही नहीं बल्कि सम्बद्ध राज्यों और विकसित अभिकरणों का भी चिन्ता का विषय माना जाना चाहिए। वसूली का स्वस्थ वातावरण बनाने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सभी को एक-जुट प्रयास करने चाहिए।

13. सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी वर्ष में सहकारी समितियों द्वारा दी गयी कुल ऋण सहायता में कमजोर वर्गों का हिस्सा आदि आधे से कम न हो।

14. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20 सूत्री कार्यक्रमों के वित्त पोषण में अपनी प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिएं।

15. बैंकों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन बनी सभी अर्धक्षम/बैंक सहायता योग्य योजनाओं

को जिला ऋण योजनाओं/ए०ए०पी० में शामिल करके 20 सूत्री कार्यक्रम के हिताधिकारियों को एकीकृत सहायता प्रदान करनी चाहिए।

16. राज्य सरकारों के कमजोर वर्गों को संगठित रूप से ऋण सहायता की सुविधा प्रदान करने और उपादानों एवं हाट व्यवस्था में सहायता करने के उद्देश्य से उपयुक्त मध्यवर्ती ऐसे संगठनों की स्थापना के प्रश्न पर विचार करना चाहिए जिन्हें समुचित समर्थन सुविधाएं भी प्राप्त हों।

17. कमजोर वर्ग के हिताधिकारियों को उपयुक्त कामकाजी समूहों में संगठित करने की आवश्यकता है। अधिक अच्छा हो कि इनका सहकारी समितियों अथवा पंजीकृत समितियों में संगठन किया जाए और उन्हें जिला/राज्य स्तर पर तकनीकी सलाह, उपादानों की पूर्ति और हाट व्यवस्था के सम्बन्ध में विकसित अभिकरणों से समुचित सहायता मिले।

सिन्डिकेट बैंक की अमृतसर शाखा का लूटा जाना

*572. **श्री गुलशेर अहमद :**

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्डिकेट बैंक की अमृतसर शाखा में से 25/26 जनवरी, 1983 की रात को भारी धनराशि लूटी गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाओं में चौकीदार सशस्त्र गार्ड रखने बन्द कर दिए हैं और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा सुरक्षा व्यवस्था का परित्याग करने का क्या औचित्य है;

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या लुटेरे बैंक के तथाकथित सेंधमार-रोधी कोषकक्ष के दरवाजों को आसानी से तोड़ कर अन्दर घुस गये थे और यदि हां, तो संबंधित निर्माणकर्ता का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने उसका क्या स्पष्टीकरण दिया है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंकों से फालतू नकदी यह तर्क देकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनके पास स्टाफ और जगह की कमी है; और

(च) यदि हां, तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सिंडीकेट बैंक ने सूचना दी है कि 25/26 जनवरी, 1983 की रात को अमृतसर स्थित उसकी शाखा में सेंधमारी की घटना हुई थी जिसमें शाखा के स्ट्रांग रूम से लगभग 7.34 लाख रुपए चुरा लिये गये। बैंक के अनुसार, सेंधमार लोग स्ट्रांग-रूम के 'गोदरेज' स्टील के दरवाजे को काटकर स्ट्रांग रूम में घुसे मालूम होते थे।

बैंक ने और आगे बताया है कि वह** इस मामले की सूचना अलग से स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और पुलिस जांच चल रही है।

बैंकों में सुरक्षा के अनेक उपाय होते हैं जिनमें विशिष्टियों के अनुसार सुरक्षित स्ट्रांग-रूमों का निर्माण करना, सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था, अलार्म आदि शामिल हैं। अनुभवों के आधार पर, समय-समय पर, इन प्रबंधों की समीक्षा की जाती है। अपने सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाने के संबंध में, सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों के भीतर सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ बनाने के वास्ते उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न विशिष्ट उपायों के बारे में भी बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि स्टाफ की कमी अथवा जगह की कमी के आधार पर बैंकों की अतिरिक्त नकदी को स्वीकार करने से इन्कार किए जाने का कोई मामला उसकी ओर से नहीं हुआ है। अलबत्ता, उसे पीछे कुछ सूचनाएं मिली थीं कि करेंसी चेस्ट रखने वाले कुछ बैंक, स्टाफ की कमी और जगह की कमी के आधार पर, दूसरे (अन्य) बैंकों से अतिरिक्त नकदी स्वीकार करने से इन्कार कर रहे थे। रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि ऐसे मामलों को, समुचित कार्यवाही के वास्ते, संबंधित बैंकों के साथ उठाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा 25 फरवरी, 1983 को बुलाई गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में भी, इस बात पर जोर दिया गया कि उन्हें अतिरिक्त नकदी को जमा करने के प्रयोजनों के वास्ते अन्य बैंकों को भी करेंसी चेस्ट सुविधाएं प्रदान करना चाहिए।

"इंडियन एयरलाइंस" और "एयर इण्डिया" द्वारा समय की पाबन्दी का पालन

*573. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार तथा चालू वर्ष में "इंडियन एयरलाइंस" और "एयर इंडिया" द्वारा समय की पाबन्दी के पालन की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) अन्य देशों की एयर-लाइनों की तुलना में इनके कार्य निष्पादन की स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और उसके क्या परिणाम रहे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क)

*इस मामले को दरवाजे के निर्माताओं के साथ उठा चुका है।

वर्ष	समय की पाबंदी का प्रतिशत	
	इण्डियन एयरलाइन्स	एयर इण्डिया
जनवरी, 80 से दिसम्बर, 80	78.43	82.46
जनवरी, 81 से दिसम्बर, 81	79.82	87.39
जनवरी, 82 से दिसम्बर, 82	78.04	88.92
जनवरी, 83 से फरवरी, 83	69.05	89.80

(ख) अन्य देशों की एयरलाइनों की तुलना में हमारी एयरलाइन्स का पूर्ण समय निष्पादन ठीक है।

(ग) सभी नियंत्रणीय देरियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा पूर्ण समय निष्पादन के सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दोनों निगमों तथा सरकार का उड़ान की सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करते हुए उड़ानों की समय की पाबंदी को बनाए रखे जाने के लिए निरंतर प्रयत्न रहता है।

गुजरात में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे

*574. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में गुजरात में आयकर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने कितने छापे मारे और इन छापों में कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया तथा कितने लोग गिरफ्तार किए गए;

(ख) गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई तथा क्या जब्त किया गया सामान छोड़ दिया गया, या विभाग में जमा कर लिया गया; और

(ग) यदि जब्त किया गया सामान नियमों के अन्तर्गत अवैध नहीं पाया जाता तो उसे कितने समय के अन्दर छोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जब्त किया गया सामान तीन मास से अधिक समय तक रखा गया; और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) आयकर विभाग के आसूचना पक्ष ने वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान गुजरात में 150 तलाशियां ली थीं और प्रथम दृष्ट्या लगभग 119.62 लाख रुपये मूल्य की लेखा-बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गई थीं। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियों के दौरान गिरफ्तारी का कोई उपबंध नहीं है।

कानून की अपेक्षाओं के अनुसार कर-निर्धारण को अभिग्रहण की कार्यवाही के 90 दिन के अन्दर-अन्दर अप्रकटित आय का सरसरी तौर पर अनुमान लगाना होता है, उस पर लगाए जाने वाले कर का हिसाब लगाना होता है, उस पर लगाए जाने वाले ब्याज तथा अर्थदण्ड का निर्धारण करना

होता है, सभी प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अन्तर्गत अन्य मौजूदा बकाया पड़ी देनदारियों का विशेष रूप से उल्लेख करना होता है और यदि पकड़ी गई परिसंपतियां इन सबसे अधिक हों तो उस अधिक भाग को छोड़ना होता है। पकड़ी गई परिसंपत्तियों को गैर-कानूनी रूप से रोके रखे जाने का कोई भी दृष्टान्त नोटिस में नहीं लाया गया है।

वर्ष 1982 के दौरान पर्यटक यातायात में हुई थोड़ी सी वृद्धि

*575. **श्री चित्त बसु :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में भारत में पर्यटक यातायात में 0.5 प्रतिशत की थोड़ी सी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण पर्यटन संरचना के प्रायोजित विकास में फ़ालतू क्षमता उत्पन्न नहीं होगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम पर पुनराविलोकन करना उचित समझती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1982 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में अन्तिम आंकड़े पर्यटक यातायात में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

(ख) और (ग) पर्यटक सुविधाओं की पुनरीक्षा और उनका विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा देश की पर्यटन संभाव्यता और विभिन्न देशों के पर्यटकों की आगमन संबंधी संभावनाओं को ध्यान में रख कर किया जाता है जो सम्पन्न होने अथवा भारत के निकट स्थित होने के कारण लाभकर स्थिति में हैं; साथ ही उनमें इस देश को देखने की इच्छा भी होनी चाहिए।

भारत के लिए पर्यटक यातायात भेजने वाले देशों की आर्थिक समृद्धि में उतार-चढ़ाव होने की वजह से इस देश के पर्यटक आगमनों में तदनुरूप अन्तर आते रहते हैं। आजकल, पश्चिमी दुनिया और उत्तरी अमरीका क्षेत्र में आर्थिक मंदी के कारण इन दोनों क्षेत्रों से पर्यटक आगमनों में गिरावट आई है। चूंकि दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, सरकार आधारिक संरचना के निर्माण के लिए अपनी कार्य योजना (प्लान आफ एक्शन) को संशोधित करना आवश्यक नहीं समझती।

भारत द्वारा अफ्रीकी बन्दरगाहों का उपयोग

*576. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में गठित किए गए संगठन 'फ्रेन्ड्स ऑफ अफ्रीका' सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन सरकारों तथा उद्योगपतियों का पूरा ब्यौरा क्या है जो इसमें शामिल हुए हैं;

(ख) उन अफ्रीकी देशों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत बन्दरगाहों का उपयोग करेगा और वहां भारत का कितना पूंजी निवेश होगा;

(ग) क्या इस बारे में सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इन्हें संभवतः कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) भारत तथा अफ्रीकी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग तथा व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से फ्रेन्ड्स आफ अफ्रीका नामक सोसाइटी स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

भारत उन सभी अफ्रीकी देशों के समुद्री पत्तनों का उपयोग करता रहेगा जिनके साथ इसके व्यापार सम्बन्ध हैं। इस सम्बन्ध में किसी भारतीय निवेश की कोई प्रस्थापना नहीं है।

इन्जीनियरिंग सामान के निर्यातकर्त्ताओं की अपनी सभी अधिकृत मदों का सीधे आयात करने की मांग

***577. प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकर्त्ताओं ने मांग की है कि उनको जिन मदों का आयात करने का हक है उनका सीधे आयात करने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वाणिज्य मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना सं० 58-आई० टी० सी० (पी० एन०), 82 दिनांक 11 दिसम्बर, 1982 जारी की जिसके अनुसार इस्पात की कतिपय श्रेणियों के लिए आयात लाइसेंस धारकों को सीधे आयात करने के बजाय स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड से अपनी आवश्यकता का माल प्राप्त करना था। इस प्रावधान के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) चूंकि 1983-84 के लिए आयात तथा निर्यात नीति घोषित नहीं की गई है अतः इस स्तर पर ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

उत्पादन बढ़ाने के लिए इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर द्वारा दिए गए सुझाव

6306. श्री डी० पी० जडेजा :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर ने सरकार को उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी कुछ मांगें और सुझाव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व विभिन्न वर्गों, संगठनों, अर्थशास्त्रियों आदि द्वारा विभिन्न सुझाव दिए गए थे। बजट तैयार करते समय विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया था। 1983-84 के बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उत्पादक शक्तियों को सुदृढ़ बनाना, मुद्रास्फीति पर कड़ा अंकुश रखना, वैयक्तिक और निगमित दोनों क्षेत्रों में बचतों को प्रोत्साहित करना तथा आवश्यक पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है।

यूनाइटिड इण्डिया इन्सोरेन्स कम्पनी में टंककों और लिपिकों को निर्धारित कार्य करने के लिए बाध्य करने संबंधी नियम

6306. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिन में पालिसियां तैयार करने जैसे निर्धारित काम करने के लिए टंककों और लिपिकों को बाध्य करने सम्बन्धी यूनाइटिड इण्डिया इन्सोरेन्स कम्पनी के कोई नियम हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्पनी उपरोक्त कर्मचारियों को तब भी समयोपरि भत्ता देती है, जबकि वे काम के निर्धारित घंटों में यह काम नहीं करते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

सरकार द्वारा मैसर्स मोहिनी मिल्स को अपने अधिकार में लेना

6307. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेलघारिया, पश्चिम बंगाल में स्थिति मैसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड को, जो बन्द पड़ी है, अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से बन्द पड़ी है तथा मिलमालिकों की ओर किन-किन बैंकों, राज्य वित्त निगम ओर अन्य संस्थाओं को ऋण की कितनी-कितनी धनराशि बकाया है तथा मिल बन्द होने से पहले उनकी और भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारियों के वेतन, आय-कर की कितनी-कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) सरकार अब इस मिल को कैसे चलाएगी तथा इस मिल में कब तक काम शुरू हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) यह मिल 20 फरवरी, 1980 से बंद पड़ी है। उसके अधिग्रहण के समय बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के ऋणों, कर्मचारियों की देय राशि तथा बकाया आय-कर के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) सैन्ट्रल बैंक	204.42 लाख
(2) यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	48.32 लाख

(3) इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	78.91 लाख
(4) भविष्य निधि, ई० एस० आई० तथा प्रशासनिक प्रभार आदि	97.31 लाख
(5) वेतन, मजदूरी तथा बोनस	68.52 लाख
(6) आयकर	0.23 लाख
(7) ग्रेज्युटी	189.21 लाख

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को इस मिल के प्रबन्ध के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मिल 25 मार्च, 1982 से नियमित रूप से उत्पादन कर रही है।

उदार आयात नीति अपनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिया गया वचन

6308. **श्री पीयूष तिरकी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उदार आयात नीति अपनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वचन दे रखा है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए ऐसे वचन के अनुरूप सरकार की उदार आयात नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1982-83 में वास्तविक व्यापार घाटा कितना रहा; और

(घ) इसका स्वदेशी तैयार माल, विशेष रूप से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), (ख) और (घ) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किए गए भारत के विस्तारित व्यवस्था कार्यक्रम के संबंध में 23 नवम्बर, 1981 और 13 जुलाई, 1982 को संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य दे चुकी है। सम्बन्धित प्रलेख, जिनमें नीति सम्बन्धी वक्तव्य भी शामिल है, पहले ही संसद के पुस्तकालय में रख दिए गए हैं।

(ग) अनन्तिम आधार पर 1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर, 1982) की पहली तीन तिमाहियों के व्यापार घाटे का अनुमान 4059.96 करोड़ रुपए का है।

बोगस संस्थाओं और संगठनों को सेना के ट्रक, जीप और स्क्रैप दिया जाना

6309. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, रक्षा मंत्रालय से बोगस संस्थाओं और संगठनों को सेना के ट्रक, जीपें और स्क्रैप दिए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें जाली रिलीज आदेशों के आधार पर सेंट्रल व्हीकल डिपो, पानागढ़, पश्चिम बंगाल से 2.5 लाख रु० से 3 लाख रु० मूल्य के सेना अतिरिक्त स्टोर रिलीज किए जाने का आरोप है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने शिकायत की जांच की और इनकी जांच से प्रकट हुआ है कि ई०-ए०-41, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली निवासी श्री आर० एल० वर्मा ने गांव तथा डाकखाना रामकृष्ण पुरम, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल निवासी श्री छोटे लाल, श्री नलिनी हलदर और कलकत्ता के श्री प्रेमनाथ खत्री के साथ आपराधिक मिलीभगत से 1978-79 के दौरान जाली रिलीज आदेश के आधार पर सेन्ट्रल व्हीकल स्टोर पानागढ़ से रियायती दरों पर पीतल की कतरनें प्राप्त कर लीं और इस प्रकार सरकार को धोखा दिया। श्री आर० एल० वर्मा के खिलाफ 23.12.82 को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली की अदालत में धारा 420, 468 और 472 के साथ पठित धारा 120-बी०, आई० पी० सी० के अन्तर्गत अभियोग दायर किया गया है।

अंधाधुंध आयात के कारण कम्पनियों का बन्द हो जाना अथवा नुकसान में चलना

6310. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंधाधुंध आयात के कारण, जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है, अनेक कम्पनियां बन्द हो रही हैं अथवा नुकसान में चल रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : घरेलू उत्पादन एवं मांग तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए आयात नीति तैयार की जाती है। आयात नीति का एक मुख्य उद्देश्य, स्वदेशी उद्योग को इसके विकास के लिए समर्थन देना है।

आयात नीति में परिवर्तन करने के लिए प्राप्त सुझावों पर विचार करने हेतु एक स्थायी प्रबन्ध है। 1982-83 में, इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद अनेक मदों के बारे में आयात नीति को अधिक प्रतिबन्धित बना दिया गया था।

साइकिलों का निर्यात

6311. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष किस-किस मेक की कितनी साइकिलों का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या यह निर्यात सीधा ही किया जाता है अथवा किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से;

(ग) कौन-कौन से देशों में भारतीय साइकिलों की मांग है तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु इन देशों को साइकिलों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई० ई० पी० सी०) से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1978-79 से 1980-81 के दौरान भारत से निर्यातित बाइसिकलों की संख्या निम्नलिखित थी :

	अदत
1978-79	3,31,893
1979-80	3,54,883
1980-81	6,83,538

पूर्ण बाइसिकलों का निर्यात करने वाली अनेक फर्म हैं जिनमें प्रमुख ब्रांड हैं, हीरो, एटलस, एवन, टी० आई० हरक्यूलस, फिलिप्स, रोडमास्टर, हैमिल्टन आदि।

(ख) पूर्ण बाइसिकलें गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में अधिकांशतः अलग-अलग फर्मों द्वारा निर्यात किये जाते हैं।

(ग) विकसित तथा विकासशील देशों दोनों में बाइसिकलों की मांग है। तथापि, भारतीय बाइसिकलों का निर्यात अधिकांशतः अफ्रीका तथा एशिया के विकासशील देशों अर्थात ईरान, श्रीलंका, इराक, उगांडा, जाम्बिया, नाइजीरिया आदि को किया जाता है।

इंजीनियरी सामान, जिसमें बाइसिकलें भी शामिल हैं, के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। सामान्य निर्यात संवर्धन उपायों जैसे कि मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, बिक्री प्रतिनिधि मण्डलों का प्रायोजन के अलावा यह आशा है कि बाइसिकल विनिर्माताओं के निर्यात प्रयासों का सरकार द्वारा प्राथमिकता आधार पर इस्पात तथा पिण्ड लौह की सप्लाई, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर इस्पात की सप्लाई, आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के सरलीकरण, कच्चे माल के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली और 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के शुरू किए जाने के लिए उठाये विभिन्न कदमों से सुदृढ़ीकरण होगा।

ई० ई० पी० सी० ने हाल ही में सितम्बर, 1982 में इन्टरनेशनल मोटर साइकिल्स एण्ड साइकिल फेयर, कोलीन में छः भारतीय फर्मों की सहभागिता का आयोजन किया।

(घ) बाइसिकलों तथा बाइसिकल पुर्जों का निर्यात निम्नलिखित रहा है :

1981-82	65.00 करोड़ रु० (अनन्तिम)
1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर)	37·00 करोड़ रु० (अनन्तिम)

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध निदेशक और चैयरमैन के पदों का भरा जाना

6312. **श्री केयूर भूषण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध निदेशक और चैयरमैन के पद गत कुछ महीनों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई

6313. **श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान को 1.1 अरब डालर का अतिरिक्त सैनिक ऋण देने और शेष एफ०-16 विमानों की शीघ्र सप्लाई का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) इस बारे में सरकार के पास कोई विश्वासनीय सूचना नहीं है।

(ख) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी गतिविधियों का बराबर मूल्यांकन किया जाता है और पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय शुरू किए जाते हैं।

अशान्ति की स्थिति में सेना का प्रयोग

6314. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में अशान्ति की स्थिति को सभालने के लिए सेना की पिछले दिनों सहायता ली गई थी तथा अब भी उसकी सहायता ली जा रही है;

(ख) क्या मंत्रालय ने ऐसी स्थितियों का मुकाबला करने के लिए सेना के कुछ जवानों को प्रशिक्षित करने की ओर ध्यान दिया है क्योंकि यह उनका सामान्य काम नहीं है; और

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र में सेना को उस स्थिति के बारे में भली-भांति समझा दिया गया है जो उन्हें सम्भालनी है ताकि मुख्यतः जानकारी के अभाव में उनकी अच्छी छवि बिगड़ न जाए ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) सेना असम में राज्य सरकार को विभिन्न किस्म की सहायता उपलब्ध करा रही है। सिविल प्राधिकारियों को इस तरह की सहायता देना सेना के कर्तव्यों का एक वैध हिस्सा है। जिसके लिए उसे हमेशा प्रशिक्षित रखा जाता है।

(ग) जी हां।

स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट अथारिटी से धनराशि प्राप्त कर रही परियोजनाएं

6315. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की ऐसी परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है, जिन्हें स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट अथारिटी से धनराशि प्राप्त हो रही है;

(ख) इन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं महिलाओं से सम्बद्ध हैं; और

(ग) क्या परियोजनाओं से हो रहे लाभों या सुधारों के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) स्वीडिश इन्टरनेशनल डैवेलपमेंट अथारिटी से सहायता प्राप्त करने वाली परियोजना निम्नलिखित हैं :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
4. लागकार्य शिक्षण केन्द्र परियोजना, देहरादून
5. भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल
6. सामाजिक वनपालन परियोजना तमिलनाडु
7. इलैक्ट्रोनिक्स तथा प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद
8. महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना
9. भूमि जल परियोजना, केरल
10. 9-14 वर्ष के आयु समूह के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
11. व्यापार संवर्धन में तकनीकी सहयोग के लिए एकीकृत कार्यक्रम

(ख) इन परियोजनाओं में एक परियोजना, अर्थात् महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण परियोजना विशिष्ट रूप से महिलाओं से संबंधित है। अन्य परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण तथा अधिक गरीब वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य तथा रहन सहन की स्थिति में सुधार लाना है और इन के अन्तर्गत महिलाएं भी आती हैं।

(ग) स्वीडिश इंटरनेशनल डैवेलपमेंट अथारिटी तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इन परियोजनाओं की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के अनुसार जहां आवश्यक पाया जाता है वहां प्रयोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कदम उठाये जाते हैं। परियोजनाओं की प्रगति अभी तक संतोषजनक रही है।

सरकारी उपक्रमों की आधारभूत अड़चनों और प्रबन्ध संबंधी कमियों को दूर करना

6316. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आधारभूत अड़चनों और प्रबन्ध संबंधी कमियों के कारण विद्यमान क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है, लागत बढ़ गई है तथा खर्च की दर में कमी करने के उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों को जीवन क्षम बनाने तथा उन्हें उनकी निर्धारित भूमिका निभाने योग्य बनाने और विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) कुछ उद्यमों में मौजूदा क्षमता के इष्टतम उपयोग में कमी अनेक कारणों से है जैसे-बिजली की कमी, बिजली की वोल्टता में घटा बढ़ी एवं खराबी, औद्योगिक संबंधों की समस्या, उपस्कर में खराबी आदि।

(ख) सरकार सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन का स्तर समुन्नत बनाने की आवश्यकता को भली-भांति समझती है तथा उसने इसके लिए विभिन्न सदुपाय: किये हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(I) प्रशासनिक मंत्रालयों में कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करना।

(II) विशेषकर कोयला, बिजली, इस्पात, परिवहन क्षेत्रों आदि में अवस्थापन संबधी सुविधाओं का उच्चस्तरीय समिति द्वारा परिवीक्षण करना।

(III) विनिर्माणकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों की आवधिक बैठकों में क्षेत्रीय सामूहिक विचार-विमर्श द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता पर अधिकाधिक बल देना।

(Iv) वैज्ञानिक परिवीक्षण प्रणाली चालू करना।

(V) यथासमय कार्रवाई करके शीर्ष स्तरीय रिक्त पदों को भरना और

(vI) संतोलक सुविधाओं तथा निजी उपयोग उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों में पूंजी लगाना।

गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती

6317. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में वह खेती कितने क्षेत्र में की जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक गैर-परम्परागत राज्य में रबड़ का अनुमानत: कितना-कितना उत्पादन हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) रबड़ बोर्ड देश के दोनों परम्परागत तथा अपरम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती के अधीन क्षेत्रों में नये रोपण तथा पुनर्रोपण को प्रोत्साहन देने के लिए 'रबड़ बागान विकास योजना' नामक एकीकृत योजना क्रियान्वित कर रहा है।

(ख) 1981-82 के अन्त में देश में रबड़ की खेती के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 2,80.000 हेक्टार होने का अनुमान है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	क्षेत्र (हेक्टार में)
केरल	2,48,000
तमिलनाडु	15,700
कर्नाटक	8,700
अण्डमान तथा अन्य अपरम्परागत क्षेत्र	7,600

(ग) प्रत्येक अपरम्परागत राज्य में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। 1979-80 से 1981-82 के दौरान अपरम्परागत राज्यों में कुल उत्पादन क्रमशः 206 मे. टन, 193 मे. टन तथा 299 मे. टन हुआ।

स्थायी सरकारी कर्मचारियों का सरकारी उपक्रमों में स्थानान्तरण

6318. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री हीरा लाल आर. परमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के कितने स्थायी सरकारी कर्मचारी उपक्रमों को स्थानान्तरित किए गए हैं; और

(ख) क्या इन व्यक्तियों को यथानुपात पेंशन संबंधी लाभ दिए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल रख दी जाएगी।

सशस्त्र सेना में संवर्ग पुनरीक्षा

6319. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या रक्षा मंत्री : सशस्त्र सेना में संवर्ग पुनरीक्षा के बारे-में 13 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5321 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा निरीक्षण संगठन में कार्यरत सेना अधिकारियों की संवर्ग पुनरीक्षा करने के संबध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : निरीक्षण महानिदेशालय ने सेना अफसरों के संवर्ग की संवीक्षा के प्रस्ताव तैयार किए हैं और सरकार द्वारा इनकी जांच की जा रही हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में आधुनिकीकरण कार्यक्रम

6320. **श्री कमलामिश्र मधुकर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा 'रिंग-फ्रेम' खरीदने में

कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस मशीन का 'हायर काउन्ट' उत्पादन करने का मानक क्या है;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम और उसकी नियन्त्रित कम्पनियों को किस सप्लाई कर्ता ने ये मशीन सप्लाई की हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी नियंत्रित कम्पनियों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन. टी. सी.) ने एक निगमित योजना बनाई है जिसमें, क्रमबद्ध तरीके से जहां कहीं आवश्यक हो, इसकी मिलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये 320 करोड़ रु. का परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है। एन. टी. सी. ने छठी योजना के प्रारम्भ होने से पहले अपनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये 100 करोड़ रु. व्यय किये थे और शेष 220 करोड़ रु. की छठी योजना अवधि के दौरान निवेश किये जाने की व्यवस्था थी।

दिसम्बर, 1982 के अन्त तक एन. टी.सी. मिलों के आधुनिकीकरण विस्तार पर 245 करोड़ रु. व्यय किया गया था जिनमें नए रिंग फ्रेमों की खरीद पर व्यय किए गए लगभग 51 करोड़ रु. शामिल हैं। ये रिंग फ्रेम अधिक फाइन काउंटों के यार्न का उत्पादन करने में सक्षम हैं तथा वे निम्नांकित फर्मों से खरीदे गये थे :—

1. मै. लक्ष्मी मशीन वर्क्स, कोयमबटूर।
2. मै. मफतलाल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, बम्बई।
3. मै. टेक्समाको लि., कलकत्ता।
4. मै. टेक्सटूल कं. लि., कोयमबटूर।
5. मै. इण्डक्वीप इन्जीनियरिंग लि., अहमदाबाद।
6. मै. रामकृष्णा इण्डस्ट्रीज, कोयम्बटूर।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इन मिलों का आधुनिकीकरण विस्तार कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है और छठी योजना अवधि के अन्त तक उसके पूरा हो जाने की संभावना है।

डी. ए. डी. में संवेदनशील पदों पर तैनाती की पदावधि।

6321. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी. ए. डी. में संवेदनशील पदों पर तैनाती की पदावधि क्या है;

(ख) क्या पटना में सी. डी. ए. के मुख्य कार्यालय के कुछ अनुभागों को संवेदनशील अनुभाग के रूप में श्रेणीकृत किया गया है;

(ग) क्या संवेदनशील तैनातियों के मामलों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि व्यक्तियों को संवेदनशील पदों पर बार-बार तैनात किया जाता है तथा कुछ व्यक्तियों को लम्बी अवधि के बाद भी इसका अवसर प्रदान नहीं किया जाता;

(ङ) क्या प्रशासन अनुभागों में तैनात कुछ अनुभाग अधिकारियों तथा लेखा-परीक्षकों को निर्धारित पदावधि पूरी होने के बाद भी संवेनशील सीटों से नहीं हटाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : (क) कार्य की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, दो से पांच वर्ष तक।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नीति को अपनाया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक में बचत लेखा खातों पर ब्याज का परिकलन

6322. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक में बचत लेखा खातों पर ब्याज का परिकलन और उसका जमाकर्ताओ के हिसाब में जोड़ा जाना वार्षिक आधार पर किया जाता है जबकि अन्य राष्ट्रीयकृत तथा अतर्राष्ट्रीयकृत्त बैंकों में बचत लेखा खातों पर ब्याज का परिकलन और उसका हिसाब में जोड़ा जाना छमाही आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस असंगति के क्या कारण हैं तथा क्या भारतीय स्टेट बैंक में बचत लेखा खातों पर ब्याज को संशोधित करने का तथा छमाही आधार पर ब्याज देने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा और नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिर्जव बैंक के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बचत और मियादी जमा खातों पर तिमाही अथवा लम्बे अतरालो पर ब्याज की गणना करनी होती है। भारतीय स्टेट बैंक बचत खातों पर ब्याज सितम्बर के अत की स्थिति के मुताबिक वर्ष में एक बार खाते में जमा करता है किन्तु वास्तविक गणनाए छमाई आधार पर होती हैं इन खातों पर वर्ष के पूर्वाद्ध में संचित हुआ ब्याज बचत खाते के अधिशेषो में जुड़ा हुआ मान लिया जाता है और वर्ष के उत्तरार्द्ध के लिए उस पर ब्याज की अनुमति दे दी जाती है। सूचना दी गयी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक खातों पर अर्ध-वार्षिक अंतरालों से ब्याज की गणना करते हैं और उसे खातों में डालते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उक्त प्रथा सुविधाजनक पाई गयी है क्योंकि इससे जमाकर्त्ताओं

को कोई हानि नहीं होगी जबकि दूसरी ओर बैंक के बहुत बड़े तादात वाले बचत बैंक खातों पर ब्याज की गणना करने के लिए अपेक्षित मानव-शक्ति की बचत सुनिश्चित हो जाती है।

गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरे अतिविशिष्ट व्यक्ति

6323. **श्री एन. ई. होरो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों में अति विशिष्ट व्यक्ति और उनका स्टाफ ठहरा था;

(ख) यदि हां, तो जिन होटलों में उनका स्टाफ ठहरा था उन होटलों सहित ऐसे होटलों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेश मंत्रालय ने उन सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है जिनकी सेवा का गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान प्रयोग किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इन होटलों में कार्यरत अवर श्रेणी के कर्मचारियों को भी कोई प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी करने अथवा कुछ वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पर्यटन मत्रालय का किस किस्म का लाभ देने का विचार है और उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक, सम्राट, कनिष्क तथा लोधी होटलों ने गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों व उनके स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था थी।

(घ) गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के प्रबंधों से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों द्वारा जो सेवाएं अर्पित की गई उनका उपयुक्त मूल्यांकन विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दिए गए सुझाव

6324. **श्री के. मालन्ना क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने विद्युत, परिवहन और सिंचाई क्षेत्रों की आवश्यकताओं की आगे और वृद्धि को वित्तपोषित करने के लिये राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है तथा क्या मुख्य सुझाव दिया है; और

(ग) उनके सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) जी, हां,।

(ख) 7-3-1983 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दिये गए टी. टी. कृष्णमाचारी स्मारक भाषण के दौरान उन्होंने, मुख्य रूप से, उचित प्रबन्ध की कमी के कारण बहुत से राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य सड़क परिवहन निगमों तथा सिंचाई विभाग के कमजोर कार्य निष्पादन की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। उन्होंने इन क्षेत्रों के और अधिक संवर्द्धन के लिए वित्तपोषण के वास्ते ऊर्जा, सिंचाई तथा यातायात के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। इस बैंक को यह दायित्व मिलना चाहिए कि वह केवल अर्थक्षम परियोजना प्रस्तावों के आधार पर और उचित प्रबन्ध एवं मूल्य नीतिया और प्रथाएं अपनाने पर ही राज्य निगमों को ऋण प्रदान करें।

(ग) ऊर्जा, सिंचाई, तथा परिवहन क्षेत्रों के वास्ते अलग से राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना के लिए अभी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत करघा निर्मित कपड़ों को हथकरघा वस्तुओं के रूप में भेजने वाले बेईमान निर्यातकों का पंजीकरण रद्द करना

6325. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** विद्युत करघा निर्मित कपड़ों का हथकरघा वस्तुओं के रूप में निर्यात के बारे में 5 नवम्बर, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार यह पुष्टि करेगी कि ऐसे बेईमान निर्यातकों का, जिन्होंने विद्युत करघा निर्यात कपड़ों को हथकरघा वस्तुओं के रूप में भेजा था, पंजीकरण रद्द कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : कानून के अधीन कार्यवाही शुरू कर दी गई है और सम्बन्धित निर्यातकों के विरुद्ध यथा संशोधित निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1977 के संगत उपबन्धों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं। प्रश्नाधीन निर्यातकों में से एक को एक अन्य सन्दर्भ में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अपंजीकृत कर दिया गया है।

निपटान किए गए सामान का मूल्य और निपटान का तरीका

6327. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान की गई सप्लाई का मूल्य और उसका ब्यौरा क्या है और उनकी खरीद का तरीका क्या है; और

(ख) उस अवधि के दौरान निपटान किए गये सामान का मूल्य तथा ब्यौरा क्या है और उसके निपटान का तरीका क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 से 1981-82 तक की अवधि में, मुख्य श्रेणियों के अधीन, खरीदे गए और निपटाए गए

समान का कुल मूल्य तथा खरीद/निपटान का तरीका, अनुबन्ध एक और दो में दे दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 6343/83]

आयकर अदा न करने वाले पब्लिक स्कूल

6328. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में तथा साथ ही राज्यों में (प्राय: सभी महत्वपूर्ण नगरों में) कुछ पब्लिक स्कूल हैं और जो दान लेकर चलाए जा रहे हैं और उनकी वार्षिक आय लाखों रुपयों की है लेकिन वे सरकार को आयकर नहीं अदा कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (22), केवल शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए हो न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, विद्यमान विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था की किसी भी आय को आयकर से मुक्त करती है। कोई भी संस्था, जो अधिनियम धारा 10(22) की अपेक्षाओं को पूरा करती है, स्वयं आय की विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, इस प्रकार के मामले में कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा आय की विवरणी मंगवा कर, अधिनियम की धारा 139(2) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है तथा अपेक्षित छान-बीन करके छूट प्रदान की जा सकती है। यदि पब्लिक स्कूल, धारा 10(22) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तो सभी स्रोतों से प्राप्त उनकी आय पर कर से छूट दी जाएगी।

चाय का उत्पादन और निर्यात

6329. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 के दौरान चाय का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा है लेकिन उसके निर्यात में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और चाय के निर्यात में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि चाय के निर्यात में कमी का एक कारण चाय की किस्म है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी बाजार में स्थान पाने हेतु चाय की किस्म में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) 1978 से 1982 के वर्षों के लिए चाय के उत्पादन तथा निर्यात के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं:

वर्ष	उत्पादन (मात्रा मी. टन में)	निर्यात (मात्रा मि. किग्रा.)
1978	571.33	176.05
1989	547.60	199.64
1980	571.66	224.03
1981	560.72	240.18
1982	564.00	185.39

जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है, चाय के उत्पादन तथा निर्यातों में उतार-चढ़ाव रहा है। यह मुख्यतः इस कारण है क्योंकि चाय की पत्ती का उत्पादन कृषि प्रक्रिया है तथा मौसम की परिस्थितियों का उस पर जलदी असर पड़ता है। 1982 की शुरू की अवधि में सूखे की स्थिति से निर्यात योग्य चाय की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा और दिसम्बर, 1982 में माण्डागार कामगारों की हड़ताल के कारण निर्यात पर और प्रभाव पड़ा।

(ग) जी नहीं।

यद्यपि एक विशेष वर्ष में उपलब्ध निर्यात योग्य चाय की मात्रा में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन भारतीय चाय की क्वालिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों पर तस्करी का पता चलाना

6330. **श्री नवीन रावणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वर्षों में पकड़े गये तस्करी के मामलों की कुल संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल कितने मूल्य की तस्करी का सामान जब्त किया गया और कितने व्यक्ति, भारतीय तथा विदेशी गिरफ्तार किये गये; और

(ग) जब्त की गई इन वस्तुओं का किस तरह निपटान किया गया और प्रत्येक वर्ष उनकी बिक्री करके कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, पर पकड़े गये तस्करी के मामलों की कुल संख्या, पकड़े गये निषिद्ध माल का कुल मूल्य तथा गिरफ्तार किये गये भारतीयों और विदेशियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	मामलो की संख्या	पकड़े गये निषिद्ध माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या भारतीय	विदेशी
1980	1209	4.23	238	154
1981	800	6.24	187	122
1982	786	11.59	217	171

(ग) विभिन्न वर्गों के अभिगृहीत/जब्तशुदा माल के निपटान के तरीकों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान जिस अभिगृहीत/जब्तशुदा माल, जिसमें पूर्वोक्त चार हवाई अड्डों पर अभिगृहीत/जब्तशुदा माल भी शामिल है, का निपटान किया गया था उसका कुल मूल्य निम्नानुसार है: —

वर्ष	निपटाये गये माल का मूल्य
1980	17.76 करोड़ रुपये
1981	20.50 करोड़ रुपये
1982	24 90 करोड़ रुपये

विभिन्न वर्गों के माल के निपटान का तरीका

विवरण	निपटान का तरीका
1. व्यापारिक माल	रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे, मोटर गाड़ियों के पुर्जे आदि जैसे व्यापारिक माल का निपटान सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है।
2. यान	जलयान और वाहन जैसे यान सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं। सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त जलयानों और गाड़ियों को विभागीय इस्तेमाल के लिये रख लिया जाता है।
3. सोना और चांदी	सोना और चांदी सरकारी टकसालों में जमा करा दिया जाता है।
4. भारतीय और विदेशी मुद्रा	भारतीय और विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में सरकार के खाते में जमा करा दी जाती है।
5. हथियार और गोला बारूद	38. और 32· बोर के रिवालवरों/पिस्तौलों से भिन्न हथियारों और उनके गोलाबारूद का निपटान नीचे दिये गये तरीके के अनुसार किया जाता है:— (क) स्टेनगनें गृह मंत्रालय को लेने के लिए कहा जाता है और जिनकी उसे जरूरत नहीं होती, वे रक्षा मंत्रालय को बेची जाती हैं। (ख) निषिद्ध बोर के सभी हथियारों और उनके गोला बारूद का निपटान आयुध निर्माण कारखानों (रक्षा मंत्रालय) को किया जाता है। (ग) देशी मेक के क्रूड हथियार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, उसके संग्रालय में प्रदर्शन के लिए, दिये जाते हैं।

1	2
	(घ) अन्य सभी हथियारों का निपटान, जिनके लायसेंस जनता को जारी किये जाते हैं, सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाता है। (ङ) 1.12 बोर के हथियार और उनके बारूद की बिक्री राज्य बन सचिवों/मुख्य बन संरक्षकों/मुख्य बन्य जीव वार्डनों को सरकारी इस्तेमाल के लिए की जाती है। 38 और .32 बोर के रिवाल्वर/पिस्तौलें और उनका बारूद विभागीय उपयोग के लिए रख लिया जाता है।
6. प्राचीन वस्तुएं	प्राचीर वस्तुएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मुफ्त दे दी जाती हैं, जिससे वह उनको विभिन्न संग्रालयों अथवा संस्थाओं को उपहार के रूप में दे दे अथवा यदि आवश्यक समझे तो उनका अन्य तौरके से निपटान कर दे।
7. बन्य जीव-उत्पाद	ये शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं, संग्रहालयों आदि को नाममात्र मूल्य पर बेचे जाते हैं अथवा वन्यजीव प्राधिकरणों को उन अन्य देशों के साथ विनिमय के प्रयोजनार्थ मुफ्त दे दिये जाते हैं, जिन देशों ने सी. आई.-टी. ई. एस. पर हस्ताक्षेप किये हैं। सर्प चर्म, निर्यात हेतु उत्पादों के निर्माण के लिए भारत चमड़ा निगम को बेच दिये जाते हैं।
8. (क) संश्लिष्ट और धातु धागा	संश्लिष्ट और धातु धागा बुनकर सहकारी समितियों/संघों और वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचे जाते हैं।
(ख) नायलॉन के मत्स्य-जाल	नायलॉन के मत्स्य जालों को राष्ट्रीय मछुआ सहकारी महासंघ लि. तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित मछुआ सहकारी समितियों को बेच दिया जाता है यदि वे नहीं खरीदतें हैं तो सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दिया जाता है।
9· शराब	शराब, भारत पर्यटन विकास निगम को, उनके आयात कोटे के प्रति अथवा उसे उसके अन्य हकदार होटलों के कोटे के प्रति, सामान्य शर्तों पर बेची जाती हैं और कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) को राज्य व्यापार निगम के जरिये बेची जाती हैं।
10. हीरे	बिना पालिश किये और बिना तराशे हीरे आयात लइसेंस धारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा बेचे जाते हैं और उनके लाइसेंसों में मुजरे किये जाते हैं। तराशे हुए और पालिश किये हीरे केवल निर्यात के लिए ही बेचे जाते हैं।
11. हीरों से भिन्न रत्न और उपरत्न	बिना पालिश किए और बिना तराशे रत्नों और उपरत्नों की बिक्री देशी बाजार में आयात लाइसेंसधारियों को नीलामी अथाव निविदा द्वारा उनके लाईसेंसों में मुजरे करके की जाती है। हीरों से भिन्न तराशे

1	2
	और पालिश किए रत्न और उपरत्न नीलामी अथवा निविदा द्वारादेश में ही बेचे जाते हैं।
12. घड़ियां	एच. एम. टी. को सौंपी जाती हैं। यदि एच. एम. टी. उन्हें उठाने में अपनी अनिच्छा प्रकट करे अथवा उसे तीन माह की अवधि में नहीं उठा सके तो उनकी बिक्री की पेशकश निम्नलिखित को जाती है:— (क) सैनिक और अर्ध-सैनिक सगठनों को उनके कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए; और (ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपरबाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के जरिए वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को। (ग) इलैक्ट्रानिक घड़ियों की पेशकश राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ, सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों तथा पुलिस कॅंटीनों को की जाती है।
13. इलैक्ट्रोनिक सामान जिसमें विडयों केसेट रिकार्डर भी शामिल है।	गणित्रों और टेपरिकार्डरों आदि जैसी इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं और टाइपरइटर तथा फोटोग्राफी का सामान सरकारी विभाग को सरकारी प्रयोग के लिए बेचा जाता है। और साथ ही शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को, एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सांस्कृतिक और संगठन, सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल हैं, तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकरारी महासंघ को बेचा जाता है।
14. फीचर फल्में	फीचर फिल्में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को बेची जानी होती हैं।
15. लौंग और अन्य मसाले	पहले इनकी पेशकश राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महा संघ को करनी होती है यदि उक्त महासंघ उन्हें नहीं उठा पाता तो उनकी बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है।
16. औषध द्रव्य और औषधियों	सरणीबद्ध औषद द्रव्यों की बिक्री की पेशकश माध्यम एजेंसियों को ऐसे मूल्य पर, जो लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य तथा सीमाशुल्क शामिल करके और उस पर 15 प्रतिशत का बट्टा देकर निकलता है; की जानी होती है। परन्तु यदि माध्यम ऐजसियां माल नहीं उठाती तो उसका निपटान नीलामी द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को किया जा सकता है। औषध निर्मिति निर्मितियों का निपटान/मोचन, मानक स्तर की पायी जाने पर केवल अस्पतालों के उपभो के लिए किया जाता है। जिन अन्य श्रेणियों की औषधि निर्मितयों पर औषध द्रव्य और औषधि द्रव्य और औषधि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार के लेबल नहीं लगे होते उनको और उनके बनाये गये माल को नष्ट किया जाना होता है।

1	2
17. घड़ियों को छोड़कर संश्लिष्ट टैक्सटाइल और अन्य उपभोक्ता माल	संश्लिष्ट टैक्सटाइलों का निर्यात किया जाना होता है ।

अतिरिक्त उपाय :

संश्लिष्ट टैक्सटाइल और इलेक्ट्रानिक सामान जैसी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का निपटान, जिनमें अन्य फुटकर चीजें भी शामिल हैं, निम्नानुसार किया जाता है:—

(i) छोटी-छोटी मात्रा में पकड़ी गई विविध वस्तुओं (घड़ियों को छोड़कर) का निपटान सीमा शुल्क गृहों द्वारा खुदरा बिक्री के जरिए किया जाता है।

(ii) सैनिकों और अर्द्ध-सैनिक संगठनों तथा पुलिस कैंटीनो को उनके कार्मिक के प्रयोग के लिए, बेचा जाता है; तथा

(iii) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकरी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविकता उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लि. को बेची जाती है।

छिड़काव सिंचाई उपकरण में प्रयुक्त एल्यूमिनियम पाइप पर छूट

6331. **श्री डूंगर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है छिड़काव सिंचाई उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम पाइप पर उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है जबकि निर्माताओं द्वारा पिण्डों के लिए दिये गये उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में ऋण प्रपत्र (प्रोफार्मा) नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ऋण प्रपत्र के अभाव में निर्माताओं को अपने मूल्य तदनुसार बढ़ाने होते हैं, इस प्रकार किसानों को कोई लाभ नहीं मिला जबकि सरकार ने उस अलाभकारी छूट के बारे में बहुत अधिक प्रचार किया है; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के प्ररिप्रेक्ष में सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे वास्तविक लाभ किसानों को मिल सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) वर्ष 1983 के बजट से पूर्व, छिड़काव उपकरण के लिए अभिप्रेत एल्यूमीनियम के पाइपों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार 28·6 प्रतिशत की सामान्य दर की अपेक्षा मूल्यानुसार 17·6 प्रतिशत की घटी दर

से लगता है जिन मामलों में ऐसे पाइपों का निर्माण सीधा ऐल्युमीनियम के पिण्डों/बिलेटों से किया जाता था, उनमें उक्त पाइपों पर शुल्क अदा करने के मामले में ऐसे पिण्डों/बिलेटों पर अदा किए गये शुल्क का प्रोफार्मा क्रेडिट किया जाता रहा था। 1983 के बजट के अंग रूप में, ऐसे पाइपों को उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है। जिसके परिणामतः केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली के अधीन पिण्डों/बिलेटों पर अदा किये गये शुल्क का कोई प्रोफार्मा क्रेडिट नहीं मिलता/फिर भी, ऐसे पाइपों पर उद्ग्रहणीय शुल्क, पिण्डों/बिलेटों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की अपेक्षा अधिक था, इसलिए पाइपों को शुल्क से पूर्ण छूट दिये जाने से पिण्डों/बिलेटों पर अदा किए गये शुल्क का प्रोफार्मा क्रेडिट नहीं मिलने की दशा में भी निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा।

विशेष सिक्के जारी करना

6332. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ विशेष सिक्के जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक सिक्का किस विषय के बारे में और वे कितने-कितने मूल्य के होंगे; और

(ग) 1982-83 में जारी किये गये विशेष सिक्कों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) "मीन उद्योग" विषय को लेकर विशेष सिक्के जारी करने का प्रस्ताव है। इन सिक्कों के मूल्य-वर्गों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है।

(ग) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

विषय	सिक्कों की किस्म	मूल्य-वर्ग
1. विश्व खाद्य दिवस	परिचालित सिक्के	20 पैसे और 10 पैसे
2. नवम एशियाई खेल दिल्ली, 1982 परिचालित सिक्के	प्रूफ सिक्के	100 रुपए, 10 रुपए 25 पैसे और 10 पैसे
	अपरिचालित सिक्के	100 रुपये और 10 रु. 2 रुपये, 25 पैसे और 10 पैसे
3. राष्ट्रीय एकता	प्रूफ सिक्के	100 रुपये, 10 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे
	अपरिचालित परिचालित सिक्के	100 रुपये और 10 रु. 2 रुपये और 50 पैसे

रक्षा सेवाओं में नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

6333. **श्री शिबू सोरेन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेवाओं में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं; और

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण व्यवस्था करने के बारे में सरकार कब विचार करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की भरती के मामले में इस समय आरक्षण सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अफसरों की भरती में वृद्धि करने के विचार से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि देश के विभिन्न भागों में स्थित 18 सैनिक स्कूलों और धौलपुर, चैल, बंगलौर बेलगांव तथा अजमेर स्थित 5 मिलिटरी स्कूलों में जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के लिए विशेष तैयारी कराई जाती है, उन्हें दाखिला मिल सके :—

(1) सैनिक स्कूलों में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए $7\frac{1}{2}\%$ आरक्षण किया गया है बशर्ते कि वे प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करें और स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त पाये जाएं चाहे योग्यता सूची में उनकी स्थिति कुछ भी रही हो।

(2) मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी लड़कों को, जो प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं, इन स्कूलों में दाखिला दिया जाता है चाहे समग्र योग्यता-क्रम में उनकी स्थिति कुछ भी रही हो।

2. रैंकों में भरती के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) सभी भारती अफसरों को आदेश जारी किए गये हैं कि अन्य बातों के समान होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए।

(2) भरती अफसरों को आदेश दिये गये हैं कि वे भरती और प्रचार से सम्बन्धित दौरे केवल नगर और कस्बों में ही न लगाएं बल्कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाएं जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है।

(3) फौज में इन वर्गों की अधिक संख्या में भरती के लिए रेजिमेंटल सेंटरों के समय समय पर भरती दल भेजे जाते हैं।

3. सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भरती के लिए इस समय आरक्षण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है। सेनाओं में उच्चतम स्तर की दक्षता बनाए रखने के लिए शारीरिक स्वास्थता का कड़ा स्तर, निम्नतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हता सम्बन्धी स्तर का कड़ाई से पालन किया जाता है और कार्य के अनुरूप मानसिक अभिरुचि परीक्षा निर्धारित की गई हैं। इन मापदण्डों के अन्तर्गत भरती पूर्णतः योग्यता के आधार पर की जाती है। इन स्तरों में किसी तरह की छूट देने से सेनाओं की सामरिक क्षमता को हानि पहुंच सकती है।

श्रमिक सहकारी संस्थाओं और बेरोजगार युवकों को बैंक ऋण

6334. **श्री ए. के. राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए बेरोजगार युवकों की श्रमिक सहकारी संस्थाओं, विशेषकर हरिजन और आदिवासियों की, को बैंक ऋण देने हेतु कोई प्रावधान/निदेश है; यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बी. सी./एल. के अधीन काम करने वाली सुदामडीह धनबाद स्थित श्रमिक सहकारी संस्था ने 1982 में धनबाद में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों को ऋण हेतु आवेदन किया गया था लेकिन इसके आवेदनपत्र को नामजूर कर दिया गया; जिससे कि उसके कार्यकलापों में काफी बाधा पड़ी है, और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्तमान मानदंडों के अनुसार पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियों के रूप में संगठित बेरोजगार युवक अपनी लाभप्रद गतिविधियों के वास्ते वित्त के पात्र हैं।

(ख) और (ग) बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि मई 1982 में कामगार श्रमिक सहयोग समिति लि. नामक एक संस्थान ने वित्तीय सहायता के वास्ते उसके अचल कार्यालय से सम्पर्क किया था और उसे सलाह दी गई कि वे आवश्यक कागजातों/सूचना के साथ, बैंक की भोजुडीह शाखा से सम्पर्क करें जिससे कि उनके अनुरोध पर विचार किया जा सके। इस समिति ने अपेक्षित विवरणों के साथ न तो बैंक शाखा से सम्पर्क किया है और न ही अंचल कार्यालय से।

बैंकिंग सेवा बोर्ड द्वारा लिपिकों, टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों आदि के लिए चयन

6335. **श्री आर. एन. राकेश :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड लिपिकों, टाइपिस्टों, स्टेनोग्राफरों आदि के पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन करता है;

(ख) यदि हां, तो चयन की प्रतिक्रिया का निर्णय कैसे किया जाता है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड चयन की प्रक्रिया को समय-समय पर बदल सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया कितनी बार बदली गई और गत तीन वर्षों के दौरान किए गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा भारत सरकार के परामर्श से तैयार की गई चयन प्रक्रिया के अनुसार उन सभी पात्र उम्मीदवारों को जिन्होंने समय पर आवेदन किया हो और विहित शुल्क भेजा हो, लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा में वस्तुपरक (आब्जेक्टिव) तथा वर्णनात्मक किस्म की परीक्षाएं शामिल होती हैं। उम्मीदवारों को वर्णनात्मक किस्म की परीक्षा में केवल सफलता अंक (पास मार्कस) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तथा इसमें प्राप्तांकों पर योग्यता रैंकिंग (मैरिट रैंकिंग) के प्रयोजन के वास्ते विचार नहीं किया जाता। लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। टंककों, आशुलिपिकों आदि के मामले में, साक्षात्कार से पहले उनकी दक्षता-परीक्षा भी ली जाती है। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की महत्ता का अनुपात 2:1 होता है। तत्पश्चात योग्यता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की जाती है जो कि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर निर्भर होती है।

यदि पात्रता-मानदण्डों में कुछ मामूली रियायतें दी गई हैं, किसी भी बैंकिंग भर्ती बोर्ड द्वारा उपर्युक्त वर्णित मूल प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

पर्यटन-मानचित्र में दर्शाए गए उड़ीसा के पर्यटन स्थल

6336. **श्री ब्रजमोहन मोहन्ती** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटक उड़ीसा की यात्रा पर आए; और

(ख) उड़ीसा के कौन-कौन से पर्यटन-स्थल भारत के पर्यटन-मानचित्र में दर्शाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) विदेशी पर्यटकों के पर्यटक आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि राज्यवार आधार पर।

(ख) भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, चिल्का झील, "गोपालपुर आन-सी" उड़ीसा के कुछ लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से हैं। पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार से परामर्श करके केन्द्र, राज्य और प्राइवेट क्षेत्रों के मिश्रित संसाधनों के माध्यम से एकीकृत विकास के लिए 20 केन्द्रों को निर्धारित किया है।

सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में अध्ययन

6337. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में हाल ही में एक अध्ययन आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के निराशाजनक और अकुशल कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन और कार्यकुशलता में सुधार के लिए क्या कदम सुझाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय कोयला, इस्पात, नौवहन, इन्जीनियरी तथा अन्य क्षेत्रों में चुनिन्दा सरकारी उद्यमों के कार्यचालन की जांच करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (उद्योग), श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में अगस्त, 1980 में सरकार द्वारा स्थापित सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए अध्ययन से है।

(ख) पिछले 2 वर्ष के दौरान सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि ऐसे अनेक उद्यम हैं जिनका कार्य निष्पादन अच्छा है तथापि, अन्य उद्यमों का कार्य निष्पादन विभिन्न कारणों से संतोषजनक नहीं है। उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें प्रबन्धकीय ढांचा, उत्पाद मिश्र, विभिन्न कार्य क्षेत्रों जैसे उत्पादन, आयोजन एवं नियन्त्रण, सामग्री, वित्तीय कार्मिक एवं विपणन प्रबन्ध तथा कुछ बाहरी कारण जैसे अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की अपर्याप्तता तथा अन्य विषय शामिल हैं।

(ग) सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुपालन के अलावा निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैं :—

(I) सरकार सरकारी उद्यमों में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अवस्थापना संबंधी सुविधाओं जैसे परिवहन, बिजली, आधारभूत कच्चे माल आदि की व्यवस्था करके उनके कार्य-निष्पादन का सर्वोच्च स्तर पर परिवीक्षण करती है।

(II) अलग-अलग उद्यमों के बारे में यथावश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तिमाही कार्य-निष्पादन सम्बन्धी समीक्षात्मक बैठकों में उनके कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना।

(III) शीर्ष प्रबन्धकीय कार्मिकों के चयन एवं मूल्यांकन को बेहतर बनाना तथा शीर्ष रिक्त पदों को यथा समय भरना।

(IV) औद्योगिक सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए औद्योगिक विवादों को शीघ्रता से निपटाना।

(V) यथावश्यक संतोलक सुविधाओं तथा निजी उपयोगार्थ बिजली संयन्त्रों में अतिरिक्त पूंजी लगाने की मंजूरी देना।

लेखा महानियन्त्रक द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में रोस्टर रखा जाना

6338. **श्री एम. अरुणाचलम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार लेखा महानियन्त्रक, वित्त मन्त्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में रोस्टर रखा जाता है;

(ख) लेखा महानियन्त्रक संगठन के गठन के बाद से, मेसेंजर के पद से अवर लिपिक से कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार से वरिष्ठ लेखाकार और वरिष्ठ लेखाकार से जे. ए. ओ. और जे. ए. ओ से पी. ए. ओ. और पी. ए. ओ. से डी, सी. ए. और डी. सी. ए. से नियन्त्रक आदि के पद पर पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 15 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी, खासतौर पर वित्त मन्त्रालय के लेखा नियंत्रक कार्यालय में पदोन्नति नहीं दी गई।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : (क) महालेखा नियन्त्रक द्वारा ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में रोस्टर रखा जाता है। जहाँ तक अराजपत्रित कर्मचारियों का सम्बन्ध है, संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी मन्त्रालय/विभाग है तथा रोस्टर मन्त्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है जहां वे काम कर रहे हैं।

(ख) मेसेंजर के अवर श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक से कनिष्ठ लेखाकार के रूप में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि इन श्रेणियों में पदोन्नति की प्रतिशतता क्रमशः 15% और 25% है। अन्य सभी श्रेणियों में पदोन्नतियां भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अनूचित जनजाति के इस प्रकार पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :—

श्रेणी	पदोन्नति की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कनिष्ठ लेखाकार से वरिष्ठ लेखाकार	74	7
वरिष्ठ लेखाकार से कनिष्ठ लेखा अधिकारी	6	1
कनिष्ठ लेखा अधिकारी से प्रधान लेखा अधिकारी	34	2

1	2	3
प्रधान लेखा अधिकारी से उप लेखा नियन्त्रक	1	—
उप लेखा नियन्त्रक से नियन्त्रक	5	1

(ग) वित्त मंत्रालय के लेखा नियन्त्रक (अब मुख्य नियन्त्रक) के कार्यालय में केवल एक कनिष्ठ लेखाकार (अनुसूचित जाति) है जिसने सितम्बर, 1982 में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। 1.4.1982 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता के रेंज के संदर्भ में उनकी वरिष्ठ लेखाकार के रूप में पदोन्नति का मामला, अन्य व्यक्तियों के साथ जो उस तारीख को पदोन्नति के पात्र हो गए हैं, विचाराधीन है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विमान चालकों की भर्ती

6339. **श्री सूरज भान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में 1.1.1983 को विमान चालकों की कुल संख्या, अलग-अलग, कितनी थी;

(ख) 1.1.1983 को उपरोक्त दोनों विमान सेवाओं में, अलग-अलग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विमान चालकों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) उपरोक्त दोनों विमान सेवाओं में गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने विमान चालकों की भर्ती की गई और उपरोक्त अवधि के दौरान अलग-अलग भर्ती किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विमान चालकों की संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुपए की क्रयशक्ति

6340. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या वित्त मंत्री रुपये की क्रयशक्ति के के बारे में 9 जुलाई के 1982, अतारांकित प्रश्न संख्या 327 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1960-100 को आधार मानते हुए जनवरी 1973, 1974, 1976, 1977, 1978 और दिसम्बर 1978, 1979, 1980 और जून 19 2 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए रुपए की पैसों में क्रयशक्ति की स्थिति क्या थी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : रुपए की क्रय शक्ति, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) के व्युत्क्रम के रूप में मापी जाती है, के संबंध में मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :

जनवरी	1973	47.62 पैसे
,,	1974	37.88 पैसे
,,	1975	30.67 पैसे
,,	1976	33.56 पैसे
,,	1977	32.57 पैसे
,,	1978	30.77 पैसे
दिसम्बर	1978	29.85 पैसे
,,	1979	26.76 पैसे
,,	1980	24.51 पैसे
,,	1981	21.74 पैसे
जून	1982	21.28 पैसे

हिन्दी के पदों का दर्जा बढ़ाने के लिए वित्तीय मंजूरी

6341. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1982 से आज तक राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिन्दी के पद बनाने उनका दर्जा बढ़ाने के लिए वित्तीय स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग वार प्राप्त हुए और प्रत्येक मामले में वित्तीय स्वीकृति देने में कितना समय लगा; और

(ख) इस समय मंत्रालय/विभागवार कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और वे कब से विचाराधीन हैं और उन पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : (क) और (ख) आयोजना-भिन्न पक्ष में अतिरिक्त पदों के सृजन पर इस समय प्रतिबन्ध है। लेकिन राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पदों को प्रतिबन्ध के आदेशों से छूट दी गई है। तदनुसार, विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार वास्तविक और उचित आवश्यकता के आधार पर हिन्दी पदों के सृजन संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते हैं। सभी हिन्दी पदों के ग्रेड को बढ़ाने और समूह "क" के पदों का सृजन करने संबंधी प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय का अनुमोदन लेना होता है। क्योंकि ऐसे सन्दर्भों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है, इसलिए प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, इस समय हिन्दी पदों के ग्रेड को बढ़ाने/उनका सृजन करने से सम्बन्धी कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास अनिर्णीत नहीं पड़ा हुआ है।

आयुध कारखाना महा निदेशालय के कर्मचारियों को चार्जमैन ग्रेड-दो के रूप में पदोन्नति

6342. **श्री कृष्णदत्त सुल्तान पुरी** : क्या **रक्षा मंत्री** आयुध कारखाना महानिदेशालय के कर्मचारियों को चार्जमैन ग्रेड दो के रूप में पदोन्नति के बारे में 9 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 की अपील संख्या 441 (वीरेन्द्र कुमार और अन्य बनाम भारत सरकार) में उच्चतम न्यायालय के 2 फरवरी, 1981 के फैसले और न्यायालय दिनांक 5 मार्च, 1982 के तत्संबंधी स्पष्टीकरण आदेशों को इस बीच सरकार ने लागू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम के फैसले को लागू करने के पश्चात पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इस बीच वेतन और भत्तों की अवशेष बकाया धनराशि का भुगतान हो गया है ; और

(ग) सरकार ने कर्मचारियों को उन पिछली तारीखों से पदोन्नति देने के बारे में क्या कार्यवाही की है जिन तारीखों से उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

घटाई गई दरों पर टी. वी. सैटों का आयात

6343. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1982 से 31 मार्च, 1983 के दौरान अनेक टी. वी. सैट आयात शुल्क की घटी दरों पर भारत में प्राप्त किये गये हैं ;

(ख) खुले सामान्य लायसेंस के अधीन आयात किये टी. वी. सैटों की तुलना में घटी दरों के आयात शुल्क पर आयात किये गये टीव. वीड. सैटों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(ग) प्रत्येक देश से प्राप्त रंगीन टी. वी. सैटों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) दिनांक 11.10.1982 के आयात व्यापार निमन्त्रण आदेश संख्या 29/82 के द्वारा रंगीन टी. वी. सेटों के आयात की इजाजत निर्बन्धित सामान्य लाइसेंस पर 11.10.1982 से 4.12.1982 की अवधि के दौरान दी गई थी। इन आयातों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन निर्धारित मूल्यानुसार 190 375% की सांविधिक दर से सीमाशुल्क उदग्रहणीय था। जिस अवधि में निर्बन्धित सामान्य लाइसेंस उपहार योजना लागू था, उसके दौरान कुल 62,360 रंगीन टी. वी. सेट आयात किये गये थे।

(ख) निर्बन्धित सामान्य लाइसेंस उपहार योजना के अधीन रंगीन टी. वी. सेटों के आयात हेतु कोई विदेशी मुद्रा नहीं की गई थी।

(ग) यह देखा गया कि निर्बन्धित सामान्य संयुक्त लाइसेंस उपहार योजना के अधीन रंगीन टी. वी. सेटों का आयात अरब अमीरात, सिंगापुर, हांगकांग, साउदी अरेबिया, जापान, पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरीका, ब्रिटेन, कुवैत, और थाइलैण्ड जैसे देशों से किया गया था। देशवार आयात का विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क गृहों में इसका रिकार्ड नहीं रखा जाता।

निरीक्षण महानिदेशालय में स्थानान्तरण के बाबत नीति निर्धारण

6344. **श्री सी. चिन्नास्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में ऐसी नीति निधारित की गई है कि यदि एक स्थान पर एक अधिकारी का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसका स्थानान्तरण हो जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो (एक) निरीक्षण महानिदेशालय मुख्यालय (दो) रक्षा उत्पादन के प्लानिंग और कोआर्डिनेशन विभाग (तीन) मानकी निदेशालय के कितने सिविलियन और निरीक्षण महानिदेशालय के स्थायी रूप से सेकण्डेड अधिकारियों ने अप्रैल, 1983 तक 5 वर्ष का कार्य काल पूरा कर लिया है;

(ग) जिन अधिकारियों ने दिल्ली में पाँच वर्ष पूरे कर लिये हैं अथवा अप्रैल, 1983 तक पाँच वर्ष पूरे करने वाले हों उनके स्थानान्तरण के बाबत क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या निरीक्षण महानिदेशालय मुख्यालय के कुछ स्थायी सेकेण्डेड सेवा अधिकारियों को स्थानान्तरण नीति में रोक लगाने को रक्षा उत्पादन में प्लानिंग एण्ड को आर्डिनेशन विभाग में स्थानान्तरित किया गया है; और

(घ) क्या निरीक्षण महानिदेशालय में मुख्यालय के कुछ स्थायी सेकेन्डेड सेवा अधिकारियों को स्थानान्तरण नीति में रोक लगाने को रक्षा उत्पादन में प्लानिंग एण्ड को आर्डिनेशन विभाग में स्थानान्तरित किया गया है; और

(ङ) निरीक्षण महानिदेशालय में 5 वर्ष का कार्य काल पूरा करने से पहले कितनी स्थायी सेकेण्डेड सर्विस अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां। सरकार की नीति यह है कि जहां तक संभव हो कोई भी अफसर एक स्टेशन में पांच वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिए।

(क) जिन अफसरों ने अप्रैल, 1983 तक पांच वर्ष की अवधि पूरी कर ली है करने वाले हैं उनकी संख्या इस प्रकार है

	सिविलियन अफसर	सेना अफसर
निरीक्षण महानिदेशालय संगठन	19	10
योजना और समन्वय निदेशालय	—	2
मानकीकरण निदेशालय	1	1

(ग) इन अफसरों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही क्रमिक आधार पर की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सेना के नौ अफसरों का पांच वर्ष पूरे होने से पहले स्थानान्तरण किया गया। इनमें से 6 का स्थानान्तरण उनकी पदोन्नति होने पर अथवा पदोन्नति की संभावना होने पर और 3 का प्रशासनिक जरूरतों की वजह से किया गया। सिविलियन अधिकारियों में से 3 का

स्थानान्तरण पांच वर्ष पूरे होने से पहले किया गया। इनमें से एक का अनुकम्पा के आधार पर और दो का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया।

पाकिस्तान द्वारा आणविक परीक्षण योजना को स्थगित करना

6345. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव के कारण आणविक परीक्षण योजना स्थगित कर दी है;

(ख) यदि हां. इस मामले में तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इससे भारत की ओर कोई ढील न हो ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण की योजना अमेरिकी दबाव के अन्तर्गत स्थगित कर दिए जाने के समाचार सरकार ने देखे हैं परन्तु इस बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है।

देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार बराबर नजर रखती है और हर समय पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

विदेशियों द्वारा गांजे का व्यापार

6346. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वन्य जीव अभयारन्य देखने जाने वाले कई विदेशी गांजे और अन्य दवाओं के गैर कानूनी व्यापार के कारण वहां जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस धोखाधड़ी के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, सबंधित विधि प्रवर्तन अभिकारण सतर्क रहते हैं और समय-समय पर यथावश्यक/समुचित निवारक एवं अन्य उपाय. करते रहते हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मिनी सीमेंट संयंत्रों को वित्तीय सहायता

6347. **श्री वी. वी. देसाई** :

श्री पी. एम. सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मिनी सीमेंट संयंत्रों को दिये गये ऋणों के लिये राज्य वित्तीय निगमों को धन देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या लघु क्षेत्र के सीमेंट उत्पादकों को इस रियायत से लघु एककों में उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी;

(ग) क्या राज्य निगमों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमें अब तक लघु क्षेत्र में छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने के विरुद्ध रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सभी लघु सीमेंट संयंत्रों की वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ङ) क्या लघु एककों की उत्पादन क्षमता के बारे में रिपोर्ट उत्साहजनक है और इस को देखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु सीमेंट संयंत्रों को अधिकतम ऋण देने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो इस निर्णय से कितने लघु सीमेंट संयंत्रों को लाभ पहुंचा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आई. डी. बी. आई. ने फरवरी 1983 में, देशी रूप से विकसित डिजाइन तथा तकनीक पर आधारित कुछ टायनी सीमेंट संयंत्रों को दिये गये ऋणों के बारे में, चयनात्मक आधार पर, पुनर्वित सहायता प्रदान करने पर विचार करने का निर्णय किया था।

(ख) जिस सीमा तक टाइनी सीमेंट एकक अर्थक्षमता के साथ चलने और सीमेंट का उत्पादन करने में समर्थ हों वहां तक सीमेंट के समग्र उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

(ग) राज्य वित्तीय निगमों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों सहित वित्तीय संस्थाएं, टाइनी सीमेंट सयंत्रों की स्थापना के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करने में चयनात्मकता अपनाते रहे हैं क्योंकि वे ऐसे एककों तथा उनकी अर्थक्षमता के वास्ते तकनीक की प्रामाणिकता व अर्थक्षमता के बारे में पूर्णतः सतुष्ट नहीं थे।

(घ) से (च) आई. डी. बी. आई. अपनी प्रत्यक्ष परियोजना वित्त स्कीम के अधीन रोटेरी किलन तकनीक पर आधारित लघु सीमेंट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा विकसित तकनीक पर आधारित लघु सीमेंट संयंत्रों के साथ-साथ अन्य सफलता प्राप्त नये तरीकों के आधार पर टाइनी एककों को आई. डी. बी. आई ने हाल में, चयनात्मक आधार सहायता प्रदान करने पर विचार करने का निर्णय किया है। ऐसे टाइनी सीमेंट एककों को और अधिक सहायता देने से पूर्व कुछ समय तक उनके कार्यनिष्पादन पर नजर रखनी होगी। अब तक आई. डी. बी. आई. ने प्रत्यक्ष परियोजना वित्त स्कीम के अधीन 16 लघु सीमेंट परियोजनाओं को तथा पुनर्वित्त सहायता स्कीम के अन्तर्गत 7 एककों को सहायता स्वीकृत की है।

आणविक बम का निर्माण करना

6348. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में आणविक बम बनाने के अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार आणविक ऊर्जा का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करने की नीति का अनुपालन करने में बचन-बद्ध है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एयर क्राफ्ट इन्जन और उससे संबंधित कल पुर्जों को बनाना और उनके विकास की योजना

6349. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'हाल' में अनेक विमानों, इन्जनों और उनसे संबंधित कल-पुर्जों के डिजायन और विकास हेतु, आगामी पन्द्रह वर्षों के लिए एक सम्भावित योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार हमारे सुरक्षा उत्पादन के देशी विकास के इन प्रयासों पर समुचित ध्यान देने का है; और

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों को मंजूर किया है कि यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के संबंध में अगले दस से पन्द्रह वर्षों के लिए विज्ञान, इन्जन और संबधित उपकरणों के डिजाइन तथा विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) सरकार की नीति है कि यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में देशी विकास कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए।

आजम जाही मिल्स, वारांगल (आन्ध्र प्रदेश) को अपने नियन्त्रण में लेना

6350. **श्री कमालुद्दीन अहमद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने आन्ध्र प्रदेश में आजम जाही मिल्स, बारांगल को अपने नियन्त्रण में कब लिया था;

(ख) जिस दिन मिल को अपने नियन्त्रण में लिया गया था; उस दिन कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) इस समय कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मिल का प्रबन्ध ग्रहण 30 अप्रैल, 1971 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत किया गया था तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम को "प्राधिकृत व्यक्ति" के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ख) मिल में, अधिग्रहण करते समय, 6,150 कर्मचारी थे।

(ग) मिल में इस समय 4,678 कर्मचारी हैं।

हवा से हवा में मार करने वाला मेट्रा प्रक्षेपास्त्र

6351. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा विशेषज्ञों ने हवा से हवा में मार करने वाले मेट्रा आर 550 प्रक्षेपास्त्र को पाकिस्तान के एफ-16 के खतरे के प्रति भारत का प्रत्युत्तर माना है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त हथियार को पर्याप्त संख्या में प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पाकिस्तान को अमेरिका से मिले अन्य नए हथियारों की हाल के खतरे का मुकाबला करने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) आर-550 एयर टु एयर क्लोज कम्बेट मिसाइल विभिन्न शस्त्रों में एक ऐसा शस्त्र है जिसे हवाई आक्रमण से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एफ-16 श्रेणी के विमानों के खतरे से निपटने के लिए अनेक उपाय किये जाते हैं जैसे-खतरे का जल्दी पता लगाना, भूमि पर विमान भेदी शस्त्रों की व्यवस्था और उच्च क्षमता वाले हवाई आक्रमण विमानों का उपयोग।

पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए हमारे खतरे के परिवेश में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार समुचित उपाय करती है। आक्रमण का सामना करने के उपायों का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है।

आयात किये गये रद्दी कागज में धार्मिक ग्रन्थों का पाया जाना

6352. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कलकत्ता के सिदेर गोदी में रद्दी कागज की आयातित प्रेषिती में पवित्र कुरान और अन्य धार्मिक ग्रन्थों की अनेक प्रतिलिपियां पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन परिस्थितियों में अपवित्रीकरण करने वाले उपरोक्त आयात की मंजूरी दी गई थी, और

(ग) इस प्रकार की प्रेषिती के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) हाल ही में एक्स एम. बी. "तामुरा एवरेट" से कलकत्ता में रद्दी कागजों के 215 व 366 बोरों की दो खेपों का आयात किया गया, जिनमें, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों के खुले पन्ने थे।

(ख) सुपरिम पेपर मिल्स, कलकत्ता तथा ओरियंट पेपर एंड इन्डस्ट्रीज, उड़ीसा द्वारा सिंगापुर से रद्दी कागजों की खेपों का आयात किया गया था। एक खेप में कुरान शरीफ की 53 प्रतियां मिलीं। दूसरी खेप में कुरान शरीफ व अन्य धार्मिक ग्रन्थों के खुले पन्ने मिले। इन खेपों को रोक लिया गया है।

(ग) यद्यपि आयातकों ने रद्दी कागजों के भीतर की अंतर्वस्तु की जानकारी होने से इन्कार किया है, तथापि राज्य सरकार के साथ मिलकर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। इस जांच के पूरा होने तक माल को पोर्ट ट्रस्ट की अभिरक्षा में रख दिया गया है। इस बीच आयातकों से अनुरोध किया गया है कि वे भविष्य में रद्दी कागजों की खेपों के

साथ धार्मिक ग्रन्थों तथा धार्मिक साहित्य न भेजना सुनिश्चित करने के लिए, अपने विदेशस्थ सप्लायरों से कहें। जिससे भावी निर्यातों के मामले में उपर्युक्त प्रतिबंधक कार्रवाई की जा सके यह मामला मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की जानकारी में भी ला दिया गया है।

प्राइवेट कंपनियों द्वारा करों का भुगतान न करना

6353. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष गैर सरकारी क्षेत्र की अनेक बड़ी कंपनियों ने उनको हुए लाभ पर करों का भुगतान नहीं किया था;

(ख) क्या सरकार को ऐसे एक सौ से अधिक कंपनियों की सूची पेश की गई थी जिन्होंने पिछले वर्ष उनको हुए लाभ पर करों का भुगतान नहीं किया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार ने एफ आई सी सी आई के अनुरोध के अनुसार पूंजी निवेश भत्ते को बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) यह सच है कि बहुत अधिक लाभ कमाने वाली कुछ कंपनियों ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञात कतिपय कर रियायतों के कारण, कुछ निर्धारण वर्षों के लिए, कोई आय-कर अदा नहीं किया है। अथवा तुलनात्मक दृष्टि से अपने लाभों का एक अल्प भाग ही आय-कर के रूप में अदा किया है। कंपनियों की एक सूची जिसमें कर निर्धारण वर्ष 1981-82 के दौरान उनके लेखागत लाभ तथा उनकी कर देयता को दर्शाया गया है, संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 6344/83]

(ग) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि आय-कर अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञेय कर-रियायतों के संबंध में विभिन्न कटौतियों के परिणामतः कंपनियों की कर लगने योग्य आय इस सीमा तक कम न हो जाय कि लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा कोई कर ही न अदा किया जाय अथवा केवल नाममात्र का कर ही अदा किया जाय, वित्त विधेयक 1983 में, आयकर अधिनियम में इस आशय का एक उपबंध बनाने का प्रस्ताव है कि जहां किसी कंपनी के मामले में आय-कर अधिनियम के कतिपय विनिर्दिष्ट उपबंधों के अंतर्गत अनुदेय कटौतियों की सकल राशि, ऐसी कटौतियां करने से पूर्व संगणित कुल आय की राशि के 70 प्रतिशत से बढ़ जाती है, वहां उन उपबंधों के अंतर्गत काटी जाने वाली राशि को, इस प्रकार की कटौतियां करने से पूर्व यथा संगणित आय के 70 प्र. श. तक सीमित कर दिया जाय।

(घ) विधेयक, 1983 द्वारा निवेश-छूट संबंधी उपबंधों में संशोधन किया जाना प्रास्तावित है ताकि यह छूट ऐसी नई मशीनरी तथा संयंत्र के मामले में भी दी जा सके जो समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्ति चालित यानों की मरम्मत करने के कारबार के प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 1983 के पश्चात किन्तु 1 अप्रैल, 1988 के पहले प्रतिष्ठापित किया गया है। तब जब वह कारबार किसी भारतीय कंपनी द्वारा चलाया जाता है और इस प्रकार चलाया गया कारबार केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्समय अनुमोदित है। इसके अलावा एक अन्य संशोधन के अंतर्गत इस

विधेयक द्वारा ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के 35 प्रतिशत की दर से निवेश-छूट की व्यवस्था करना भी अप्रायिप्त है जो प्रदूषण नियंत्रण, अथवा पर्यावरण के संरक्षण में सहायता करता है और सरकार द्वारा अधिसूचित है बशर्ते करदाता द्वारा उक्त मशीनरी अथवा संयंत्र की प्रतिष्ठापना, औद्योगिक उपक्रमों में, 31 मार्च, 1983 के पश्चात की गई हो।

कृषि सम्बन्धी कच्चे माल का निर्यात

6354. **श्री हरीह कुमार गंगवार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अरंडी का तेल, रुई, मूंगफली सार, 'एच पी एस' ग्राउन्डनट और तिल जैसे कृषि सम्बन्धी कच्चे माल के निर्यात की अनुमति दे रही है;

(ख) क्या ऐसे निर्यात की बजाय, जिससे, यद्यपि निर्यात कम मात्रा में किया जाता है देश में इनके अत्यधिक मूल्य बढ़ रहे हैं, तैयार और अन्तिम रूप से निर्मित उत्पादों का निर्यात राष्ट्रीय हित में नहीं होगा; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पशुओं के अहार के निर्यात से दुग्ध उत्पादन में कमी हो गई है जिसके परिणामस्वरूप दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और विदेशी पशुओं पर निर्भर होना पड़ रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अन्य सम्बन्ध मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके तथा घरेलू आवश्यकताओं तथा घरेलू कीमतों को ध्यान में रखकर संवेदनशील प्रकृति की मदों में, जैसे मूंगफली निस्सारण, एच. पी. एस. मूंगफली, तिल आदि की सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी जाती है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए चुने हुए लाभार्थियों हेतु वांछित ऋण सुविधाएं

6355. **श्री जायनल अबेदीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए चुने हुए लाभार्थियों को वांछित ऋण सुविधाओं का विस्तार करने में हिचकिचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही अपनाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन निर्धारित हिताधिकारियों के अर्थक्षम उत्पादक प्रस्तावों की अपेक्षाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे निर्धारित हिताधिकारी परिवारों के आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाए जहां कहीं आवश्यक है हिताधिकारियों के निर्धारण, प्रस्तावों की अर्थक्षमता पूंजीगत परिसम्पतियों की अनुपलब्धता आदि के सम्बन्ध में निम्न स्तर पर पर्याप्त समन्वय की कमी के

कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए राज्यस्तरीय बैठकों के माध्यम से भी विशेष प्रयास किये जा रहें हैं।

अभ्रक के निर्यात के बारे में भारत और रूस के बीच समझौता

6356. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच अभ्रक निर्यात के बारे में एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य का अभ्रक निर्यात किया जायेगा और भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाये अथवा डालरों में;

(ग) क्या सरकार अन्य दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को भी अभ्रक का निर्यात करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) भारत का दौरा करने वाले सोवियत प्रतिनिधि मंडल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम उनका रुतबा क्या था तथा उसके समकक्ष भारतीय प्रतिनिधि मंडल का तदनुरूप ब्योरा क्या है ;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच कुछ और समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(च) क्या रूस विदेशी मुद्रा के विनियम पर अन्य देशों को अभ्रक का निर्यात कर रहा है और इस प्रकार भारत को विदेशी मुद्रा से वंचित कर रहा है ; और

(छ) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) 10.1 करोड़ रु. मूल्य के अभ्रक के निर्यात के लिये सोवियत व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे। भुगतान भारतीय मुद्रा में होगा।

(ग) भारत दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को पहले ही अभ्रक का निर्यात कर रहा है। उदाहरण के तौर पर 1981-82 में मुख्य आयात निम्नोक्त प्रकार थे ;

	देश का नाम	मूल्य लाख रु. में
1.	सं. रा. अमरीका	187.96
2.	जापान	155.53
3.	फ्रांस	79.66
4.	ब्रिटेन	39.94
5.	स्विटजरलैंड	36.30
6.	पश्चिम जर्मनी	20.58
7.	बुलगारिया	30.42
8.	कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य	24.50

(घ) सोवियत प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता स्त्रोजमेटीरियल-इन्दोर्ग, मास्को के उपमहानिदेशक मि. एम. ए. चिस्तिकोव ने की और इनके साथ उक्त खरीद अभिकरण के उपनिदेशक मि. एन्जीबेरियन भी थे। भारतीय पक्ष की अध्यक्षता अभ्रक व्यापार निगम के कार्यकारी अध्यक्ष श्री बी. बी. एल. मधुकर थे और इनके साथ मिटकों के मुख्य प्रबन्धक (वाणिज्यिक) श्री एन. श्रीनिवासन थे।

(ङ) वार्ताओं के दौरान सोवियत पक्ष ने चालू वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान अन्य खरीद सम्बन्धी व बार्ताओं में अपनी रुचि दिखाई थी।

(च) तथा (छ) सरकार को ऐसे सौदों की जानकारी नहीं है।

उड़ीसा में कपड़ा मिलों का कार्य निष्पादन

6357. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी कपड़ा मिलें चल रही हैं ;

(ख) उन कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं ;

(ग) पिछले दो वर्षों में उनमें से प्रत्येक कपड़ा मिल के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) उड़ीसा में पांच सूती वस्त्र मिलों, जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पंजीकृत हैं, में से चार मिलें इस समय कार्य कर रही हैं :

(1) उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स, चावदार

(2) उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर

(3) उड़ीसा वीवर्स को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, टोडा

(4) कालिंग वीवर्स को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स घेनकनल

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मिल का नाम	वर्ष		मात्रा
उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स चावदार (29-4-81 से 28-11-81 तक बन्द पड़ी थी)।	1981	804	यार्न
		5012	कपड़ा
	1982	3499	यार्न
	1981	36853	कपड़ा

1	2		
+उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर (स्पिनिंग मिल्स)	1981	720	यार्न
++उड़ीसा वीवर्स को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, टोडा	1980-81	1873	यार्न
	1981-82	1791	कपड़ा
++कालिंग वीवर्स को-आपरेटिव	1980-81	2211	यार्न
स्पिनिंग मिल्स, धेनकनल	1981-82	2583	कपड़ा

+मार्च, 81 से उड़ीसा काटन मिल्स के अन्तिम उत्पादन आंकड़े अभी वस्त्र आयुक्त के पास उपलब्ध नहीं हैं।

++को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स के उत्पादन आंकड़े को-आपरेटिव वर्षवार (जुलाई से जून) हैं।

पाकिस्तान को गायों की तस्करी

6358. **श्री बिरधाराम फुलवारिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर, बाडमेर, कच्छ और के भुज सीमान्त क्षेत्रों से पाकिस्तान को गायों की तस्करी को जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि राजस्थान क्षेत्र में भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान को गायों की तस्करी किए जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को इस क्षेत्र में सुदृढ़ बना दिया गया है। सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ समान्वय स्थापित करके उपयुक्त तस्करी निवारण उपाय भी अपनाए गये हैं और इस मामले की बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

बिजली के अवैध करघों का पता लगाना

6359. **श्री शान्तु भाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत बड़ी संख्या में बिजली के अवैध करघे चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनकी अनुमानित संख्या कितनी है और बिजली के वैध करघे कितने हैं ;

(ग) क्या हथकरघा क्षेत्र पर इन अवैध बिजली के करघों का प्रतिकूल असर पड़ रहा है ; और

(घ) बिजली के अवैध करघों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) सरकार को देश में अनधिकृत शक्तिचालित करघों की संभाव्यता के बारे में पता है। चूंकि ये अनधिकृत शक्तिचालित करघे हैं, राज्यवार व्यौरे नहीं दिये जा सकते। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकृत शक्तिचालित करघों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इस संभाव्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बढ़ते हुए शक्तिचालित क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(घ) अनधिकृत शक्तिचालित करघों का पता लगाने और ऐसे करघे रखने के लिये जिम्मेदार व्यक्तिओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में राज्य सरकारों के पास आवश्यक शक्तियां हैं। वस्त्र आयुक्त के पास सीमित स्टाफ को देखते हुए, वास्तव में इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

विवरण

1-3-82 को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्राधिकृत शक्तिचालित करघे दर्शाने वाला विवरण

आन्ध्र प्रदेश	15,008
असम	1,576
बिहार	7,650
चण्डीगढ़	56
दादर नगर हवेली	250
दिल्ली	1,908
गोवा, दमन तथा दीव	100
गुजरात	89,282
हरियाणा	1,838
हिमाचल प्रदेश	614
जम्मू तथा कश्मीर	572
कांडला मुक्त जोन	68
कर्नाटक	32,848
केरल	6,498

	2
मध्य प्रदेश	14,997
महाराष्ट्र	2,09,943
मणिपुर	32
नागालैंड	6
उड़ीसा	3,688
पांडिचेरी	1,120
पंजाब	23 287
राजस्थान	7,826
तमिलनाडु	92,643
त्रिपुरा	24
उत्तर प्रदेश	24,126
पश्चिम बंगाल	14,662
	5,50,622

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे के बढ़ाए हुए मूल्य

श्री भीम सिंह :

6360. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री बापू साहिब पारुलेकर : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने हाल में तांबे के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि की है और इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि से लघु उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, ।

(ख) तांबे की कीमत मार्च 1983 में 36,500 रु. प्रति मे. टन से बढ़ाकर 41,000 रु. प्रति मै. टन की गई।

उपरोक्त वृद्धि के मुख्य कारण निम्नोक्त प्रकार हैं;

(क) सीमाशुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि;

(ख) सीमाशुल्क के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत सहायक शुल्क लगाना; तथा

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत में वृद्धि ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल

6361. **श्री जी नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में बम्बई के कपड़ा मिलों के उन कामगारों को जो ड्यूटी पर आ सकते हैं कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) कितने मजदूरों ने लाभ लेने की कोशिश की है और ड्यूटी पर उपस्थित हो गये हैं; और

(घ) हड़ताल समाप्त कराने की बातचीत में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ख) बम्बई के सूती वस्त्र मिल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के भुगतान के बारे में वस्त्र उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशें, जो सरकार द्वारा मान ली गई, के अनुसरण में मिल मालिकों को 1-4-83 से निम्नलिखित दरों पर मकान किराये भत्ते का भुगतान करना है :

(1) 750 रु. मासिक से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को प्रतिमास 32 रु. ।

(2) 751 रु. मासिक से 1250 रु. मासिक पाने वाले कर्मचारियों को प्रतिमास 45 रु. ।

(3) 1250 से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को प्रतिमास 65 रु. ।

(ग) यद्यपि इन फायदों का लाभ उठाने के लिये जिन कर्मचारियों ने कार्यग्रहण कर लिया है उन की कुल संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तथापि जिन कामगारों ने 4-4-83 को कार्यग्रहण कर लिया था उनकी संख्या 103535 थी ।

(घ) कामगारों की मांगे वस्त्र उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति को भेज दी गई है और सरकार की आशा है कि हड़ताल का शीघ्र ही समाधान हो जायेगा ।

हिन्द-रूस मानव अन्तरिक्ष उड़ान

6362. **डा. वसंत कुमार पंडित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "इन्डो-सोवियत मैन्ड स्पेस फ्लाइट इन मिड 84" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या दिनांक 8 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 996 के उत्तर में बताये गये दो भारतीय विमान चालकों के अतिरिक्त और विमान-चालकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहे हैं और क्या भारत का विचार भारतीय अन्तरिक्ष उड़ान करने का है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी हां, 1984 में अन्तरिक्ष उड़ान की एक भारत-सोवियत संयुक्त योजना बनाई गई है।

(ख) जी नहीं।

रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक सहायता

6363. **श्री वी. एस. विजयराघवन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिए सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो सहायता की राशि कितनी है;

(ग) क्या इस प्रयोजना से विश्व बैंक के एक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है; और

(घ) विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता से किस सेक्शन का विद्युतीकरण किया जा रहा है ?

(**वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी**) (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) विश्व बैंक के एक पर्यवेक्षी शिष्टमंडल ने विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने और विश्व बैंक की संभावित सहायता से चलाई जाने वाली विद्युतीकरण परियोजना सहित भावी परियोजनाओं की जांच करने के लिए फरवरी, 1983 के दौरान भारत की यात्रा की थी। रेलवे विद्युतीकरण के सम्बन्ध में बातचीत अभी भी चल रही है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तम्बाकू उत्पादकों द्वारा कच्ची तम्बाकू न बेचने का निर्णय

6364. **श्री गदाधर साहा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तम्बाकू उत्पादकों द्वारा अपने कच्ची तम्बाकू की बिक्री पर रोक लगाने के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बिक्री का बहिष्कार करने के संदर्भ में उनकी क्या मांग है; इस मामले में तम्बाकू बोर्ड का निर्णय अथवा सुझाव क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं। 76 मिलियन कि. ग्रा. तम्बाकू का विपणन पहले ही किया जा चुका है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू उपजकर्त्ताओं ने बेहतर कीमतों और कीमतों को एक लाभकारी स्तर पर स्थिर करने के लिए सरकारी अभिकरणों द्वारा बाजार हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया है। तम्बाकू बोर्ड ने एक कीमत समर्थन कार्यवाही के रूप में

राज्य व्यापार निगम द्वारा निम्न तथा मध्यम ग्रेडों के 30,000 मे. टन तम्बाकू की खरीद की सिफारिश की।

(ग) राज्य व्यापार निगम को न-लाभ न-हानि आधार पर वाणिज्यिक खाते में निर्यात योग्य ग्रेडों के तम्बाकू की खरीद के लिए कहा गया है। सिगरेट विनिर्माताओं, आन्ध्र प्रदेश के वर्जीनिया तम्बाकू उपजकर्ताओं, आन्ध्र प्रदेश सरकार और तम्बाकू बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ 24 मार्च, 1983 को वाणिज्य मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में उन कीमतों के संबंध में, जिन पर विनिर्माता उपजकर्ताओं से निम्न ग्रेडों के वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करेंगे, सिगरेट विनिर्माताओं और उपजकर्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच एक करार किया गया। राज्य व्यापार निगम भी वर्जीनिया फल्यू क्योर्ड तम्बाकू के निम्न ग्रेडों की खरीद के लिए बाजार में प्रवेश करेगा।

पश्चिम बंगाल में रेशम-उत्पादन का विकास

6365. **श्री रेणुपद दास : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक पश्चिम बंगाल में रेशम उत्पादन के सुनियोजित विकास का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार की इसमें अब तक क्या भूमिका रही है; और

(ख) उस राज्य के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं पर अब तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) रेशम उद्योग का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की थी। पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रम शुरू किये हैं, रेशम उद्योग संबंधी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया है, सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किये और तकनीकी सलाह दी है।

बोर्ड ने राज्य के प्रयासों को पूरा करने के लिए सीधे कुछ विकास कार्यक्रम क्रियान्वित भी किये हैं और शहतूती रेशम के लिए तीन रेशम कीट पालन उत्पादन केन्द्र, एक टसर बेसिक सीड स्टेशन, रेशत रोलिंग के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र, एक क्षेत्रीय विकास कार्यालय, निर्यातों के लिए रेशम के माल के निरीक्षण के लिए एक प्रमाणन केन्द्र स्थापित किये हैं और राज्य में अन्तःराज्य टसर विकास परियोजना क्रियान्वित भी कर रहा है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों में राज्य के लिए विभिन्न योजना पर अभी तक खर्च की गई सही राशि इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय (लाख रु. में)
1980-81	129·62
1981-82	162.23
1982-83.	52.50 (सितम्बर 82 तक)
1983-84	201.05 (आबंटन)

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्यों की कृषि परियोजनाएं

6366. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की कितनी कृषि परियोजनाएं विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जा रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक को विश्व बैंक की कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) उड़ीसा के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें वे परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विश्व बैंक समूह की वित्तीय सहायता से विभिन्न राज्यों में इस समय 34 कृषि परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) इन परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पांच परियोजनाओ में से एक परियोजना अनन्यरूप से उड़ीसा राज्य में ही क्रियान्वित की जा रही है जबकि अन्य चार परियोजनाएं बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं जो अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा में चल रही इन पांच परियोजनाओं के नाम और उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

परियोजना	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण राशि (करोड़ डालर)	परियोजना के अन्तर्गत जिले
(i) उड़ीसा कृषि विकास परियोजना	2·00	समस्त राज्य
(ii) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम परियोजना	3·00	समस्त राज्य
(iii) दूसरी राष्ट्रीय बीज परियोजना	1·60	समस्त राज्य
(iv) अन्तर्देशीय मीन उद्योग परियोजना	2·00	बालेश्वर, कटक, पुरी, गंजम, बोलांगीर, सम्बलपुर और फूलबनी (बोध खोंडमाला)
(v) काजू परियोजना	2·20	बालेश्वर, कटक, ढेंकानाल, गंजम, क्योंझर, मयूरभंज तथा पुरी।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूरों का भाग लेना

6367. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां "प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लेने" की व्यवस्था की गई है;

(ख) उन मजदूरों ने प्रबन्ध में क्या भूमिका निभाई गई है और उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी उपक्रमों में इस प्रकार की व्यवस्था कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) अब तक 124 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने यह सूचित किया है कि उनके संगठनों के प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी की कुछ व्यवस्था की गई है। इन संगठनों के नाम विवरण एक में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी.** 6345/83]

(ख) और (ग) इनमें से अधिकांश संगठन विभिन्न भागीदारी मंचों अर्थात् निर्माण शाखा/संयन्त्र परिषदों एवं एकक/संयुक्त परिषदों तथा अन्य कल्याण समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर रहे हैं। इन बैठकों में उत्पादन, उत्पादकता, सामग्री की आपूर्ति, अनुशासन अनुपस्थिति तथा कैंटीन' खेलों, परिवहन आदि सम्बन्धी मामलों के विषय में विचार विमर्श किया जाता है। इन बैठकों के बारे में यह सूचित किया गया है कि इनका सम्बन्ध उपक्रमों से समग्र औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति पर अनुकूल असर पड़ा है। उन उपक्रमों के नाम जिन्होंने या तो ऐसी व्यवस्था नहीं की है और उनके कारणों अथवा जिनसे इस विषय में सूचना नहीं प्राप्त हुई है, का ब्यौरा विवरण दो में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.** 6345/83]

सरकारी उपक्रमों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त

6368. **श्री सुशीला गोपालन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे सरकारी उपक्रमों को रियायती वित्त उपलब्ध करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को अनुदेश देगी, ताकि वे पेशकश को बोली लगाने में रियायती ऋण सुविधाएं दे सकें और इस प्रकार ये संस्थान बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्वदेशी तथा विदेशी बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) वाणिज्यिक बैंक और भारत का निर्यात-आयात बैंक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों समेत निर्यातक एककों की निर्यात ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वाणिज्यिक बैंक और एक्सिम बैंक द्वारा दिया गया निर्यात वित्त, घरेलू ऋण दरों के मुकाबले सुलभ शर्तों पर दिया जाता है। ये दरें, अन्य देशों द्वारा, निर्यात ऋणों पर ली जा रही दरों की तुलना में काफी सन्तोषजनक हैं।

अफगानिस्तान को निर्यात और उससे आयात

6369. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान को निर्यात की जाने वाली और भारत में वहां से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में उनका वर्षवार तथा वस्तुवार, रुपयों में मूल्य कितना रहा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारत से अफगानिस्तान को निर्यात होने वाली मुख्य मदें हैं : चाय, कच्चा वनस्पति माल, वस्त्र, वस्त्रों की तैयार चीजें तथा सम्बन्धित उत्पाद, मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर, धातु की बनी चीजें। अफगानिस्तान से आयात की मुख्य मदें हैं : फल (ताजे तथा सुखाये हुए), कच्चा वनस्पति माल, मसाले आदि, आदि।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय कलकत्ता)

1979-80 से भारत का अफगानिस्तान के साथ व्यापार

प्रमुख वस्तुएं	1979-80 (मूल्य)	1980-81 (मूल्य)	1981-82 (अप्रैल-सितम्बर) मूल्य
	(मूल्य लाख रुपयों में)		
निर्यात			
गेहूं	1,35	—	—
चाय	13,00	15,22	10,68
मसाले	23	20	3
कच्चा वनस्पति माल	46	1,06	59
रसायन तथा सम्बन्धित उत्पाद	49	27	4
टैक्सटाइल यार्न की तैयार वस्तुएं आदि	44	66	36
गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	73	—	—
लोहा तथा इस्पात	20	—	—
धातु की बनी वस्तुएं	49	21	17
मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	1,69	60	27
विविध विनिर्मित वस्तुएं	44	28	13
अन्य वस्तुएं	76	73	32
कुल निर्यात	20,28	19,23	12,54

1	2	3	4
आयात			
फल (ताजे और सुखाए हुए)	15.47	7,80	32
कच्चा वनस्पति माल	1,45	33	9
मसाले	—	32	3
अन्य वस्तुएं	2	2	1
कुल आयात	16,94	8,47	45

उद्योगों को विकास छूट

6370. **श्री अजित बाग : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों को विकास छूट देने के लिए क्या मुख्य सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं;

(ख) किन-किन चीजों पर इस संचित धनराशि का उपाय किया जायेगा; और

(ग) क्या संचित धनराशि के निवेश का एक काम विशिष्ट उद्योगों के लिए समुचित तकनीकी का विकास है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1954 की धारा 33 तथा 34 में यह व्यवस्था है कि यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों तो नए पोत या नई मशीनरी या संयन्त्र (कार्यालय साधिवों या सड़क परिवहन यानों से भिन्न) के संबंध में विकास रिबेट अनुज्ञात की जा सकती है :—

(क) पोत, मशीनरी या संयंत्र, कर निर्धारिती के स्वामित्व में है;

(ख) इसे पूर्णतः कर निर्धारिती द्वारा किए जा रहे कारबार के प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जाता है;

(ग) उस पूर्व वर्ष की बाबत, जिसमें वह पोत अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था या यदि पोत, मशीनरी या संयंत्र तत्काल परवर्ती पूर्व वर्ष में प्रथमतः उपयोग में लाया गया है तब उस पूर्व वर्ष की बाबत, अनुज्ञात की जाती है;

(घ) यदि लाभों की अपर्याप्तता के कारण निर्धारित दरों के अनुसार परिकलित विकास रिबेट अनुज्ञात नहीं की जा सकती हो तो उसे परवर्ती 8 वर्षों में आगे ले जाया जा सकता है;

(ङ) किसी कार्यालय परिसरों अथवा किसी रिहायशी आवास में, जिसमें अतिथि गृह स्वरूप का कोई आवास भी शामिल है, 31-3-1965 के अतिथि के बाद प्रतिष्ठापित किसी मशीनरी अथवा संयंत्र पर विकास रिबेट अनुज्ञात नहीं की जाती;

(च) विकास रिबेट तब तक अनुज्ञात नहीं की जाती जब तक वस्तुतः अनुज्ञात किए जाने वाले विकास रिबेट 7 प्रतिशत के बराबर रकम, संगत पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखे में नामे नहीं डाल दी जाती और कर-निर्धारिती द्वारा उपयोग किए जाने वाले रिजर्व खाते में जमा नहीं कर दी जाती;

(छ) कर-निर्धारिती द्वारा ऊपर उल्लिखित रिजर्व खाते का उपयोग, अगले आठ वर्षों की अवधि में, निम्नलिखित प्रयोजनों से भिन्न, अर्थात्

(i) लाभांश या लाभों के तौर पर वितरण के लिए; अथवा

(ii) लाभों के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी परिसम्पत्ति के सृजन के लिए, उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया हो।

(ज) रिजर्व का सृजन किए जाने सम्बन्धी उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होता जब करनिर्धारिती कोई ऐसी कम्पनी है जो विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अर्थ में अनुज्ञाप्तिधारी है अथवा यदि पोत का अर्जन या मशीनरी या संयंत्र का प्रतिष्ठापन जनवरी 1958 के प्रथम दिन के पूर्व किया गया हो।

(झ) जिन मामलों में पोत का अर्जन फरवरी, 1966 के 28वें दिन के पश्चात् किया गया हो, उनमें करनिर्धारिती को 75 प्रतिशत के बजाए 50 प्रतिशत के रिजर्व का सृजन करना होगा;

(ञ) यदि पोत, मशीनरी या संयंत्र उस पूर्ववर्ष की समाप्ति से जिसमें वह अर्जित या प्रतिष्ठापित किया गया था, 8 वर्ष पूरे होने से पूर्व करनिर्धारिती द्वारा विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है तो निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, उस परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में विकास रिबेट को वापस ले लिया जाता है :—

(i) जहां उस पोत का अर्जन या मशीनरी अथवा संयंत्र का प्रतिष्ठापन 1-1-1958 से पूर्व किया गया है, या

(ii) जहां वह पोत, मशीनरी या संयंत्र, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को या केन्द्र, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम को, या किसी सरकारी कम्पनी को विक्रीत या अन्तरित किया जाता हैं।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33(5) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वह शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना के जरिए विकास रिबेट को, यदि वह आवश्यक अथवा समयोचित समझती हो, वापस ले सकती है। ऐसी एक अधिसूचना जिसकी संख्या का. आ. 2167 थी, 28 मई 1971 को जारी की गई थी तथा मई 1974 के 31वें दिन के पश्चात् अर्जित पोत अथवा प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयन्त्र के सम्बन्ध में विकास रिबेट वापस ले ली गई थी।

3. तथापि, वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 16 द्वारा उक्त अधिसूचना की प्रयोज्यता को केवल निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में कुछ सीमित प्रयोजन के लिए रोक लिया गया था :

(क) मई 1974 के 31 वें दिन के पश्चात् परन्तु जनवरी, 1977 के पहले दिन से पूर्व अर्जित कोई पोत. बशर्ते करनिर्धारिती यह साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि उसने दिसम्बर, 1973 के पहले दिन से पूर्व ऐसे पोत की खरीद के लिए करार कर लिया था;

(ख) कोई भी मशीनरी अथवा संयंत्र, जो कोयला-चालित उपस्कर अथवा तेल-चालित उपस्कर से कोयला-चालित उपस्कर में बदलने के लिए कोई मशीनरी अथवा संयन्त्र हो, जिसे करनिर्धारिती द्वारा मई, 1974 के 31वें दिन के पश्चात्, परन्तु जून 1977 के पहले दिन से पूर्व प्रतिष्ठापित किया गया हो।

4. अत: 1977 के पश्चात् किसी भी पोत, मशीनरी अथवा संयन्त्र पर विकास-रिबेट स्वीकार्य नहीं है।

विदेशी ट्रेड मार्क का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

6371, **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्तरिक उपयोग के लिए विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग किए जाने पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ अथवा हानि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : विदेशी ट्रेड मार्क के प्रयोग से एक लाभ यह हो सकता है कि इससे नए उत्पादों तथा नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत हो सकेगी। इसके कारण हानि यह हो सकती है कि इससे विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी जो अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाले लाभों के अनुरूप नहीं है; इससे प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की प्रक्रिया में भी रुकावट आ सकती है क्योंकि पेटेंट और व्यापार सम्बन्धी करारों में सामान्यतः प्रतिबन्धात्मक खंड होते हैं; और इससे स्वदेशी एककों की वृद्धि भी रुक सकती है यदि किसी मद या मदों का बाजार ऐसी कम्पनियों ने घेर लिया हो जिनकी सुप्रसिद्ध ट्रेड मार्क तक पहुंच हो।

"मल्टी नेशनल्स क्विटिंग इण्डिया" शीर्षक समाचार

6372. **श्री एस. रामगोपाल रेड्डी** :

श्री सुभाष यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'मल्टी नैशनल्स क्विटिंग इण्डिया' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं जो भारत में अपने उद्योग बंद कर रही है;

(ग) देश में उनके उत्पादों की मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या तत्संबंधी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी क से घ) : हालांकि कुछ भारतीय कंपनियों में विदेशी इक्विटी पूंजी के विनिवेश के कुछ उदाहरण सामने आए हैं लेकिन वे विदेशी शेयरधारकों की निगम नीतियों के कारण पैदा हुए हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने उद्योग बंदकर रही हैं और भारत छोड़ रही हैं। दूसरी ओर कई नए विदेशी निवेशक सरकार की घोषित नीतियों द्वारा अनुमत पद्धतियों पर भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

विदेशियों से जब्त किए गए तस्करी के माल का मूल्य

6373. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 और 1982-83 के दौरान पृथकत:, विदेशियों द्वारा भारत से तस्करी द्वारा बाहर ले जाते हुए जब्त किए गए सोने, नशीली वस्तुओं और अन्य सामान की मात्रा और मूल्य कितना था और तस्करी रोकने में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मांगी गयी सांख्यिकार सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा। तस्करी को रोकने में सरकार के असफल होने का प्रश्न नहीं उठता। तस्करी को रोकने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्न करती रहती है तथा देश के अंदर और देश से बाहर माल की तस्करी की हर कोशिश को विफल बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी हर समय सतर्क रहते हैं। सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके तस्करी निवारण के उचित उपाय अपनाए गए हैं।

इण्डियन ओवरसीज बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिक

6374. **श्री हीरा लाल आर. परमार** : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ओवरसीज बैंक के दिल्ली/नई दिल्ली तथा अन्य शहरों/जोन में स्थित कार्यालयों में ग्रेड/वेतनमान में कार्य कर रहे लिपिकों तथा अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों की, शहर/जोनवार अलग-अलग कुल कितनी संख्या है।

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की, (अलग-अलग) कितनी संख्या है;

(ग) पहले तीन वर्षों के दौरान लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति करने के लिए, (वर्षवार) कितनी बार परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा ली गई;

(घ) उन परीक्षाओं और साक्षात्कार परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया तथा कितने उम्मीदवारों को अधिकारी के ग्रेड में अन्तिम रूप से पदोन्नति किया गया और उनमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के, (अलग-अलग) कितने कार्मिक थे;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूर्णतया भर लिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो 1982 में हुई पिछली परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर आरक्षित कोटे को न भरने के क्या कारण हैं; और

(छ) आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या विशिष्ट और प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से छ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा विदेशी ऋण लेने की अनुमति

6375, **श्री बाबू साहिब परुलेकर**
श्री भीमसिंह
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय राज्यों ने अपनी विकास योजनाओं के लिये विदेशों से ऋण लेने हेतु केन्द्र से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क से ग) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों स्रोतों से मिलने वाली विदेशी सहायता राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के ढांचे के अन्तर्गत ही राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन कुछ राज्यों ने आयोजना के ढांचे के बाहर की विशिष्ट विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए विदेशी सहायता मांगी है। इस सम्बन्ध में बिहार, पंजाब राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है। विदेशी ऋणों को प्रबंध-योग्य सीमाओं के अन्दर रखने की आवश्यकता को देखते हुए इन अनुरोधों को स्वीकाक किया जा सकता है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रति दृष्टिकोण

6376. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा व्यक्त किए गए स्पष्ट विचारों (देखिए टाइम्स आफ इण्डिया, दिनांक 9 मार्च, 1983) की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर विचार करने को कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का गला न घुट जाए और जानबूझकर 'रुग्णता' के कारण पैदा न किए जाएं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) सरकार का ध्यान टाइम्स आफ

इण्डिया के 9 मार्च, 1983 के नयी दिल्ली संस्करण में छपे 'रिजर्व बैंक आफ इण्डिया गवर्नर फार पोलिसी रिव्यू आफ सिक यूनिट्स' शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार उन रुग्ण औद्योगिक एककों का, जिनमें कि अर्थक्षमता की संभावना नहीं होती, न तो अधिग्रहण किया जाता और न ही उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। रुग्ण औद्योगिक एककों के पोषण के वास्ते, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं सहायता एवं अन्य सुविधाओं सहित उपायों की श्रृंखला आरम्भ करती है। किसी अन्य स्वस्थ एकक के साथ इस एकक के समामेलन प्रबन्ध में परिवर्तन, चलते हुए प्रतिष्ठान की तरह उसकी बिक्री आदि जैसे वैकल्पिक प्रबन्धों का भी सहारा लिया जाता है, जो कि प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर होता है। सरकार की वर्तमान नीति से समाचार में उल्लिखित समस्या का समुचित रूप से समाधान हो सकता है।

रुपयों में अदायगी करने वाले तेल निर्यातक देशों, औद्योगिक रुप से विकसित और विकासशील देशों के साथ व्यापार

6377. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री रुपयों में अदायगी करने वाले, तेल निर्यातक औद्योगिक रूप से विकसित और विकासशील देशों से आयात और निर्यात के बारे में 4 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2290 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपयों में अदायगी करने वाले तेल निर्यातक औद्योगिक रूप से विकसित और विकासशील कौन-कौन से देशों के साथ भारत का काफी मात्रा में आयात-निर्यात व्यापार हो रहा है;

(ख) क्या रुपयों में अदायगी करने वाले तथा विकासशील देशों के साथ व्यापार में वृद्धि करने और उन सभी देशों से आयातों में कमी करने का विचार है जिनको आयात की तुलना में हमारे निर्यात कम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) वे देश जिनके साथ भारत का काफी बड़ा व्यापार है (1981-82 में 100 करोड़ रु. से अधिक का निर्यात अथवा आयात) निम्नोक्त प्रकार है :—

रुपया भुगतान : सोवियत संघ तथा रूमानिया।

ओ. पी. इ. सी. : ईरान, यू. ए. ई., इराक, सऊदी अरब तथा कुवैत।

औद्योगिक रूप से विकसित: सं. रा. अमरीका, जापान, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, बैल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्वीटजरलैंड तथा आस्ट्रेलिया।

विकासशील देश : (ओ.पी.इ.सी. को छोड़ कर) हांगकांग. मलयेशिया तथा सिंगापुर।

(ख) से (घ) सरकार की नीति, निर्यातों में अधिकाधिक वृद्धि करना और जहां कहीं संभव हो घरेलू उत्पादन बढ़ाकर विशिष्ट अत्यावश्यक क्षेत्रों में आयातों का प्रतिस्थापन करना

है। तथापि, यह अभिज्ञात है कि औद्योगिक तथा ओ.पी.इ.सी. देशों के सम्बन्ध में, जिनके साथ भारत निरन्तर भारी घाटे में है, तीव्र निर्यात प्रयासों की आवश्तकता है। ओ. पी. इ. सी सहित रुपया भुगतान देशों तथा विकासशील देशों को भारत के निर्यातों में 1982-83 के दौरान काफी अच्छी वृद्धि दिखाई दी है।

बैंक आफ इण्डिया में अधिकारियों की वरियता

6378. **श्री बाबूलाल सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के बारे में 25 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5532 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ इण्डिया में उन हिन्दी अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी वरियता भर्ती के समय उन्हें दिए गए बैंक की बजाय उनके सेवा में आने की तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह स्थिति उक्त प्रश्न के उत्तर तथा बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनिमय, 1979 के विनिमय 18 (3) के विपरीत है; और

(ग) सरकार द्वारा वरियता सूची में संशोधन करने और ऐसे अधिकारियों का तदनुसार वेतन निर्धारित करने के लिए बैंक आफ इण्डिया को मार्ग निदेश जारी करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर दी जाएगी।

भारत-जर्मन व्यापार

6379. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जर्मन व्यापार जोकि 1981 में तब तक का सर्वाधिक था 1982 में 4.5 प्रतिशत घटकर 3.369 बिलियन डी. एम. रह गया;

(ख) यदि हां, तो क्या 1983 में यह और भी कम होगा;

(ग) यदि हां, तो कितना; और

(घ) इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1982 के दौरान 3369 मि. डी. एम. का भारत-जर्मन व्यापार 1981 के व्यापार की तुलना में 4.5 प्रतिशत कम था।

(ख) तथा (ग) जर्मन संघीय गणराज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना से जर्मन संघीय गणराज्य के साथ व्यापार में सुधार होने की आशा है।

(घ) जर्मन संघीय गणराज्य में 1982 में सामान्य मंदी बनी रही। पिछले आयातों के भारी स्टाक के कारण आयातक नये आर्डर देने के इच्छुक नहीं थे।

केन्द्रीय सीमा शुल्क द्वारा मोचेमाड, महाराष्ट्र में तस्करी के माल का पकड़ा जाना

6380. **प्रो. मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 फरवरी, 1983 को आधी रात के समय केन्द्रीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, रेड्डी बेंगरुला मार्ग पर एक मोटर ट्रक का पीछा करके मोचेमाड में इससे एक करोड़ रुपये का तस्करी का माल पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तस्करी का क्या माल पकड़ा गया था;

(ग) क्या संबधित तस्करों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया है और तत्संबंधी जांच कार्य पूरा हो गया है और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इस क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) पुणे समाहर्तालय के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 28.2.1983/1.3.1983 की रात को सिंधुदुर्ग जिले में मोचेमाड के नजदीक एक ट्रक से और समुद्र-तट से निषिद्ध माल, जैसे टैक्सटाइल, कार स्टीरिओ, रेडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसेट घड़ियां, घड़ियों के पुर्जे आदि पकड़े, जिनका मूल्य लगभग एक करोड़ रुपए है ।

(ग) और (घ) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है जिसमें अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित पहलू भी शामिल हैं ।

इस क्षेत्र में स्थिति सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को और तेज कर दिया गया है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ भली-भांति तालमेल करके समुचित तस्करी निवारक उपाय भी किए गए हैं और मामले की संतत पुनरीक्षा की जाती है ।

गैर वेतन भोगी लोगों को मूल्यों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति

6381. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के कर्मचारियों को समय-समय पर मंहगाई भत्ता देकर मूल्यों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैर-वेतन भोगी लोगों विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों, छोटे किसानों, खेतीहर और औद्योगिक श्रमिकों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अन्य लोगों को भी मूल्यों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए अब तक कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इस मामले में गैर-वेतन भोगियों को और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ पक्षपात करने के क्या कारण हैं जबकि वे भी इस के नागरिक हैं और समाज के सम्पन्न वर्ग के लोगों के साथ महंगाई की तकलीफ उन्हें भी झेलनी पड़ती है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/प्रशासनों को सलाह दी है कि वे उन श्रमिकों को जो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं मूल्य वृद्धि के आधार पर समय-समय पर मजदूरी में संशोधन करके या परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का फार्मूला प्रयोग कर के उनकी प्रतिपूर्ति करें। कई राज्यों/प्रकाशनों ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के फार्मूले को किसी न किसी रूप में प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। इस प्रकार, खेतिहर श्रमिकों और सेवा क्षेत्र सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वास्तविक वेतनों को भी संरक्षण दिया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रकाशित की गई, खरीदी गई और वितरित की गई प्रोत्साहक विज्ञापन सामिग्री

6382. **मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में, प्रकाशित की गई, खरीदी गई और वितरित की गई कैलेंडर, डायरी आदि जैसी विभिन्न किस्म की प्रोत्साहक विज्ञापन सामग्री का ब्यौरा क्या है (वर्षवार, बैंकवार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार);

(ख) यह सामग्री किन श्रेणियों के व्यक्तियों (व्यक्तियों, संगठनों और एसोसिएशनों) को सप्लाई की गई और किस आधार पर सप्लाई की गई (वर्ष-वार) और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सामग्री का (श्रेणी-वार वितरित) का मूल्य (वर्ष-वार) कितना है;

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित वाणिज्यिक संगठनों की यह सामान्य प्रक्रिया है कि वे कलैंडर, डायरियां आदि जैसी विज्ञापन और प्रचार की सामग्री को अपने ग्राहकों एवं दूसरों के बीच वितरित करते हैं जिनके माध्यम से उनके कारबार में बढोतरी होती है। ये वस्तुएं अनेकों किस्म की होती हैं और इनकी कीमतों में भी भिन्नता होती है। अधिकांश मामलों में ये वस्तुएं क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत रूप से तैयार कराई अथवा खरीदी जाती हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के समस्त कार्यालयों से इन वस्तुओं की प्रत्येक किस्म के बारे में सूचना एकत्र करना बहुत समय साध्य होगा और इसके लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा जो कि अभीप्सित उद्देश्य के समनुरूप नहीं होगा। सामान्त: इन वितरणों की व्याप्ति बहुत अधिक, छिट-फुट तथा अलग-अलग समय पर अलग-अलग होनेकी वजह से उन व्यक्तियों, ग्राहकों अथवा संगठनों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है जिनमें कि ये वस्तुएं वितरित की गई थीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऐसी वस्तुओं पर किये गए खर्चे के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा कम्पनियां

6383. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की जीवन बीमा कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक की 1982-83 की जमा धनराशि कितनी है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक कम्पनी की प्रत्येक वर्ष कुल जमा धनराशि कितनी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम को, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित एक निगम है, भारत में जीवन बीमा कारबार करने का अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त है। सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो भारत के जीवन बीमा कारबार करती हो।

जीवन बीमा निगम जमा के रूप में कोई धनराशि स्वीकार नहीं करता। दूसरी ओर, जीवन बीमा कारबार करते हुए निगम पालिसीधारकों से प्रीमियम प्राप्त करता है। गत पांच वर्षों में निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम आय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रीमियम आय
	(करोड़ रुपए)
1977-78	709
1978-79	775
1979-80	875
1980-81	965
1981-82	1093

होटल प्राधिकारियों द्वारा व्यवस्थित "सेफ डिपाजिट लाकर" की सुरक्षा

6384. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न पांच स्टार होटलों में होटल प्राधिकारियों द्वारा जिन सेफ डिपाजिट लाकरों की व्यवस्था की गई है उनकी सुरक्षा के लिये तत्संबंधी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान 5-स्टार होटलों के लाकरों से गुम हुई नकद धनराशि, आभूषण या अन्य दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 5-स्टार होटलों से बहुमूल्य वस्तुएं कुप्रबन्ध और प्राधिकारियों की लापरवाही से गुम हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार होटल प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) 21 पांच-स्टार होटलों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि लगभग 50,000 रुपये के आभूषणों के गुम हो जाने से संबंधित केवल एक मामले की ही रिपोर्ट मिली थी। इस मामले में पुलिस-द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गये परिवारों को राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किया जाना

6385. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गये कितने परिवारों को वर्ष 1981-82 और 1982-83 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण मंजूर नहीं किया गया है;

(ख) ऋण मंजूर न करने के क्या कारण हैं और प्रत्येक खण्ड में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और बैंकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ऋण मंजूर नहीं किया;

(ग) कितने मामलों में, यदि कोई मामला है तो मंजूर किया गया ऋण इन परिवारों को नहीं दिया गया और मंजूर की गई धनराशि को रोकने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) विभिन्न जिलों में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित उन परिवारों की संख्या के बारे में, जिन्हें ऋण मंजूर नहीं किए गए हैं; जिस रूप में सूचना मांगी गई है उस रूप में वह उपलब्ध नहीं है। बैंकों की शाखाओं द्वारा प्राप्त, स्वीकृत, लौटाये गए/अस्वीकृत तथा राजसहायता प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या आदि के सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास अधिकारियों को सूचना भेजने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए फार्म नीचे के स्तर पर कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने के लिए हैं और सहायता प्राप्त हिताधिकारियों से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर अन्य आंकड़े समेकित नहीं किये जाते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि वे पात्र व्यक्तियों के अर्थक्षम कार्यों/योजनाओं के वास्ते सभी ऋण आवेदनों को मंजूरी प्रदान करें। परन्तु, प्रस्तावित कार्यों का अर्थक्षम न होना अथवा पिछली अतिदेय रकमों की वजह से ऋणकर्ता आवेदकों की अपात्रता या दोषपूर्ण निर्धारण आदि के कारण प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रकार, यद्यपि मंजूरी के तुरन्त बाद ऋणों के संवितरण करने के लिए बैंकों से कहा गया है, तथापि सावधि ऋणों में से वित्त पोषित पूंजीगत परिसम्पत्तियों की अनुपलब्धता राजसहायता प्राप्त न होने आदि के कारण ऋणों की मंजूरी तथा उनके संवितरण के बीच कुछ समय-अन्तराल आ सकता है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों द्वारा की जाती है। इस समिति की स्थायी समिति से भी अपेक्षा की जाती है कि वह महीने में एक बार अपनी बैठक आयोजित करें। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति कुछ धीमी होने की रिपोर्टों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। बैंकों तथा राज्य सरकारों की एजेंसियों से कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति तेज करें। बैंकों से कहा गया है कि वे राज्य की विकास एजेंसियों के साथ घनिष्ट संबध स्थापित करके इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी में वृद्धि करें।

"दिल्ली की बात" शीर्षक समाचार

6386. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "दिल्ली की बात" शीर्षक से 14 दिसम्बर, 1982 के गुजरात समाचार के अहमदाबाद संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार देश में पोलिस्टर फिलामेंट का उत्पादन करने वाले कुछ स्वार्थी लोग इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं कि पोलिस्टर फिलामेंट यार्न पर भारी सीमा शुल्क लगाया जाय, यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्ति की है, यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) "गुजरात समाचार" (अहमदाबाद संस्करण) के 14 दिसम्बर, 1982 के अंक में प्रकाशित, पोलिएस्टर फिलामेंट धागे पर आयात शुल्क बढ़ाने से संबधित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। यह सही है कि 23 नवंबर, 1982 को पोलिएस्टर फिलामेंट धागे पर 15 रु. प्रति कि. ग्राम का आयात शुल्क बढ़ाया गया था। तथापि, सरकार ने विशेष रूप से पोलिएस्टर फिलामेंट धागे पर आयात शुल्क की मात्रा की जांच करने के प्रयोजन से उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त नहीं की थी। अलबता, यह प्रश्न कई अवसरों पर अंत मंत्रालयी तथा सामुहिक बैठकों में विचार करने के लिए उठाया गया तथा समय-समय पर विभिन्न मत व्यक्त किए गए। तथापि, धागे की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट का तथ्य राजस्व प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ही पोलिएस्टर फिलामेंट धागे पर आयात शुल्क 15 रु. प्रति कि. ग्रा. की दर से बढ़ाया गया था।

बैंक कर्मचारियों का स्थानान्तरण

6387. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसरण में बैंकवार कितने कर्मचारियों का स्थानातरण किया गया;

(ख) इन स्थानान्तरणों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितना अतिरिक्त खर्च किया है, क्योंकि वे कर्मचारी के स्थानातरण पर तत्संबंधी सारा खर्च वहन करने को बाध्य है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्थानान्तरणों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों में रोष है, जिसकी वजह से बैंकों की सार्वजनिक सेवा बिगड़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सेवा विनियमों के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भारत अथवा भारत से बाहर बैंक की किसी भी शाखा/कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। शास्त्री एवार्ड के अनुसार लिपिकीय कर्मचारियों को सामान्यत: केवल उस राज्य अथवा भाषा क्षेत्र के भीतर स्थानान्तरित किया जाता है, जिसमें वे कार्यरत हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि यदि कर्मचारियों को बहुत लम्बी अवधि के वास्ते एक शाखा में ही बनाए रखा जाए तो इससे उनमें निहित स्वार्थ विकसित होने की संभावन रहती है; सरकार ने जनवरी, 1982 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी थी कि वे अपने अधिकारियों और लिपिकीय कर्मचारियों को क्रमश: 3 और 5 वर्षों के पश्चात् तब्दील करते रहें। बैंक क्रमबद्ध रुप से ऐसे स्थानान्तरणों को प्रभावी बना रहे हैं जिससे कि कर्मचारियों को कामकाज में कोई अव्यवस्था तथा व्यर्थ की परेशानी न उठानी पड़े अथवा ग्राहकों को कोई असुविधा न हो। यह कहना सही नहीं है कि कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किया गया है और इस प्रकार के स्थानान्तरणों के कारण सार्वजनिक सेवा में बिगाड़ आया है। इसके विपरीत, ऐसे स्थानन्तरणों के परिणामस्वरूप ग्रहाक सेवा में सुधार होने की आशा है। सामान्यत: बैंक अपने कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर होने वाले खर्च का अलग से हिसाब नहीं रखते और इस प्रकार इससे संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग तथा रेलवे लेखा विभाग में लेखा परीक्षकों को लाभ

6388. **श्री जार्ज फर्नांडिज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के जिन लेखा परीक्षकों तथा रेलवे लेखा विभाग के ग्रेड- III के जिन क्लर्कों ने जनवरी, 1973 और 31 मई, 1981 के बीच विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और जिन्हें अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है उन्हें उन लाभों से वंचित रखा गया है जो उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ग्रेड-II ही में रहने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) की बैठक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में जिन लेखा-परीक्षकों ने और रेलवे लेखा विभाग में जिन श्रेणी II लिपिकों ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें 15/-रुपये का योग्यता वेतन देने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे। ये अनुदेश 1.6.1981 से प्रभावी हो गए थे। जिन अधिकारियों ने 1.1.1973 और 31.5.1981 के बीच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जिन्हें 1.6.1981 से पहले अनुभाग अधिकारी/लिपिक श्रेणी I के उच्चतर पद पर पदोन्नत कर

दिया गया था, वे यह लाभ प्राप्त नहीं कर सके। तथापि, यदि उच्चतर ग्रेड में किसी अधिकारी का वेतन ऐसे कनिष्ठ अधिकारी के वेतन से कम है जिसे 15/- रुपये का योग्यता वेतन का लाभ मिलने के बाद पदोन्नत कर दिया गया था, तो उसके वेतन में विसंगति को दूर करने के प्रश्न पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

'लीड बैंक' योजना के अन्तर्गत ऋण देने वाली संस्थाओं और विकास अधिकरणों के बीच समन्वय

6389. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मत्रालय ने 'लीड बैंक' योजना के अन्तर्गत जिला ऋण योजनाओं और जिला परामर्शदात्री समितियों की सहायता से ऋण देने वाली संस्थाओं और विकास अभिकरणों के बीच प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए क्या प्रयास तथा उपाय किए हैं;

(ख) सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों तथा इन कार्यक्रमों को जिला ऋण योजनाओं में शामिल करने के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा 'लीड बकों' को जारी किए गये मार्ग-निर्देशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) तकनीकी रूप से व्यवहार्य तथा बैंक ग्राह्य योजनाओं का पता लगाने के लिए और एजेंसियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी ठहराने और उस पर निगरानी रखने के लिए जिला परामर्शदात्री समितियों ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या राज्यों ने इस बात का पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वे विभिन्न पूंजी निवेश कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के लिये अमुक-अमुक आधारभूत संरचना तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से घ) 1970 के प्रारंभ से कार्यान्वित की जा रही लीड बैंक स्कीम के ढांचे में अनिवार्यतः बैंकिंग विस्तार के कार्य की 'क्षेत्रोन्मुखता' की अवधारणा तथा जिला स्तर पर अर्थव्यवस्था के विकास में वाणिज्यिक बैंकों के बढ़ते हुए जटिल प्रबन्धों का समावेश है। आर्थिक रूप से सक्षम उत्पादक गतिविधि में सहायता देने के वास्ते ऋण के प्रवाह में बढ़ोतरी लाने के विकासोन्मुख कार्यक्रमों में सम्बन्धित राज्य एजेंसियों के साथ-साथ जिले में कार्यरत सभी बैंकों की ओर से संगठित कारवाई, इस स्कीम का सार है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिला-स्तर पर समन्वय मंचों की स्थापना की गई है। लीड बैंकों ने अपने-अपने लीड जिलों में अपने प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर लिया है। अन्य बैंकों ने भी सम्पर्क करने के लिए जिला समन्वयकर्ताओं को नामित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को आवंटित विशिष्ट जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने के वास्ते विशिष्ट अधिकारियों (लीड जिला अधिकारियों) को नामित किया है। ऋणों में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से लीड बैंकों द्वारा जिला ऋण आयोजनाएं तैयार की गई हैं और इन्हें वाणिज्यिक बैंकों तथा सरकारी बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे दौर की ऋण आयोजनाओं को तैयार करते समय जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में, पिछली आयोजनाओं को तैयार करते समय प्राप्त अनुभवों तथा, साथ ही, बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन सभी प्रखंडों की व्याप्ति और 20-सूत्री

आर्थिक कार्यक्रम में संशोधनों को देखते हुए संशोधन एवं सुधार किये गये थे। उनका उद्देश्य ऋण-आयोजन की तकनीक में और अधिक परिष्कार लाना भी है।

जिला ऋण आयोजनाओं के तीसरे दौर की तैयारी के वास्ते बैंकों से कहा गया था कि एक ओर तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों और दूसरी ओर सरकारी राजसहायता कार्यक्रमों के बीच तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए सरकार के राजसहायता कार्यक्रम से स्वतंत्र बैंकों के ऋणों और साथ ही एक ओर आधारभूत सहायता सुलभ कराने के वास्ते सरकार के कार्यक्रमों और दूसरी ओर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के बीच समन्वय करें। आशा है कि जिला ऋण आयोजनाओं के खंडवार आधारपर होंगी और उनमें ही से प्रत्येक में विशिष्ट योजनाएं होंगी जो संभाव्यता के सर्वेक्षण पर आधारित होंगी। साथ इनमें प्रत्येक योजना के लिए वार्षिक कार्य योजना का संकेत होगा और ये कार्य योजनाएं समग्रत: जिला ऋण योजना की वार्षिक कार्य योजना का रूप ले लेंगी।

कार्यप्रणाली के समन्वय में सुदृढ़ीकरण, संयुक्त प्रयास की अवक्षरता की ओर कार्मियों के व्यवहार में उन्मुखता, ऋण आयोजना की किस्म में सुधार लाने, जिला ऋण आयोजना तथा कार्य निष्पादन के बजट के बीच संयोजन स्थापित करने और निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रभावी प्रणाली तैयार करने के माध्यम से लीड बैंक योजना की संभावनाओं को साकार करने के वास्ते प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत-बलगारिया संयुक्त निर्यात उद्यम

6390, **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने भारत-बालगारिया संयुक्त निर्यात उद्यम 'इण्डो-पिरीनगूव्ज' पर काम करना शुरू कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो राज्य-व्यापार निगम को चमड़े के दस्तानों के दो लाख जोड़ों के वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी सफलता मिली है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना में अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि

6391, **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यों में विभिन्न परिस्थितियों के लिए विश्व बैंक से राजवार कितनी धन राशि प्राप्त हुई है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित कर दी गई हैं और शेष परियोजनाओं की क्या स्थिति है;

(ग) विश्व बैंक के ऋण से राज्यों को आवंटित धनराशि पर राज्यों से लिए जाने वाले ब्याज की दर क्या है; और

(घ) क्या सकल धनराशि राज्य सरकारों को दे दी गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क और ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 6346/83**)

(ग और घ) : किसी ऋण उधार के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा संवितरित राशि का 70 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दे दिया जाता है। यह राशि राज्यों की आयोजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के लिए निर्धारित ऋणों और अनुदानों के अनुपात तथा शर्तों के अधीन की जाती है। ऐसी सहायता के ऋण भाग पर, मूलधन और ब्याज की समय पर वापसी अदायगी करने पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की छूट के साथ, ब्याज की मौजूदा दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक है।

जाली नोट छापना

6392. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर जाली नोट छपने की सूचना मिली है; और

(ख) इस सम्बन्ध में देश में राज्यवार कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं और छापों के दौरान कितने मूल्य के नोट पकड़े गये बरामद हुए ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश के विभिन्न भागों में, समय-समय पर, जाली करेंसी नोटों के मामलों का पता चलता है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जाली करेंसी बनाने से सम्बन्धित अपराधों के लिए कानून में कठोर दण्ड की व्यवस्था है। इस प्रकार के गैर कानूनी और राष्ट्र-विरोधी कार्यकलापों में लगे अपराधियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। जाली करेंसी बनाने के मामले की जांच राज्यों के पुलिस विभागों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) के आर्थिक अपराध स्कंध में भी एक 'कक्ष' है जो जाली करेंसी बनाने के अपराधों की जांच करता है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1. 1. 1980 से 31. 12. 1982 की अवधि के लिए निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	बरामद हुए पकड़े गये जाली करेंसी नोटों का मूल्य	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	बरामद हुए पकड़े गये जाली करेंसी नोटों का मूल्य	गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की संख्या	बरामद हुए पकड़े गये जाली करेंसी नोटों का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	2	20,061 रु.	—	1,634 रु.	—	2,260 रु.
पंजाब	8	580,405	—	—	—	200

1	2	3	4	5	6	7
गोआ	—	100	—	250	—	210
गुजरात	—	230	—	420	—	519,430
महाराष्ट्र	—	1,341	—	5,059	—	257,960
राजस्थान	—	430	—	460	—	720
उत्तर प्रदेश	6	4,594	—	4,058	—	2,102
मध्य प्रदेश	2	3,056	—	1,421	—	3,440
बिहार	5	910	—	1,911	—	2,215
मणिपुर	4	3,700	1	157,200	1	200
मिजोरम	—	30	3	14,200	—	31,600
उड़ीसा	2	355	2	910	—	470
पश्चिमी बंगाल	2	2,533	—	9,260	—	101,825
आंध्र प्रदेश	13	14,222	2	23,092	1	5,050
केरल	12	58,764	11	70,752	—	16,001
कर्नाटक	3	25,875	20	87,237	11	105,111
पांडीचेरी	—	100	—	—	—	2,710
तमिलनाडु	27	472,660	13	521 078	—	15,987
आसाम	—	—	—	150	—	210
जम्मू व कश्मीर	—	—	—	720	—	100
नागालैंड	—	—	—	28,600	—	—
सिक्किम	—	—	2	220	—	—
हरियाणा	9*	—	—	—	—	220

*इन गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में, पकड़े गये नोटों के पूर्ण ब्यौरे हरियाणा राज्य पुलिस द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यौरों को सूचित नहीं किये गये हैं।

टिप्पणी : 1981 के लिए ऊपर दिये गये आंकड़े सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण आंकड़ों और स्पष्टीकरण की प्राप्ति के पश्चात दिये गये हैं। 1982 के लिए ऊपर दिये गये आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि ये आंकड़े राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और बैंकों से प्राप्त मासिक विवरणों पर आधारित हैं। उनसे वार्षिक समस्याएं प्राप्त होने पर इन आंकड़ों में संशोधन करना आवश्यक हो सकता है।

तथापि, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण को इक्विटी में बदलना

6393. **श्री के. रामामूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के पास ऋण को इक्विटी में बदलने का विकल्प देश में नियमित विकास के लिए प्रमुख बाधक सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो देश में निगमित विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा विकास निगमों का कार्यकरण

6394. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने हेतु विभिन्न हथकरघा विकास निगमों के कार्यकरण की व्यापक परीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं की भी सुदृढ़ कार्यकरण और उनके निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) अखिल भारतीय पावरलूम बोर्ड पावरलूमों की स्थापना को रोकने और पावरलूम और हथकरघा क्षेत्रों के बीच अवांछित प्रतियोगिता को हटाने में कहां तक सफल रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क से घ) जी नहीं, राज्य हथकरघा विकास निगम जो निर्यात अभिमुख परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अभिकरण भी हैं, सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन हैं।

(ङ) हथकरघों तथा बिजली करघा के बीच अवांछित प्रतियोगिता को समाप्त करना अखिलभ ारतीय पावरलूम बोर्ड के निर्देश पदों में से एक है। यह आशा की जाती है कि बोर्ड यथासमय इस मामले के बारे में उपयुक्त सिफारिशें करेगा। यह बोर्ड एक सलाहकार संस्था है।

कस्टम क्लीयरिंग एजेंटों के रूप में नियुक्ति

6395. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्टम क्लीयरिंग एजेंटों के रूप में नियुक्ति हेतु एक लिखित परीक्षा अक्तूबर 198- में उत्पादन एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय द्वारा ली गई थी;

(ख) क्या वर्तमान मौजूदा नियमों का लल्लंघन करते हुए दो सहयोगी फर्मों के चार कर्मचारियों को परीक्षा लेने की अस्थाई तौर पर अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या लिखित परीक्षा के परिणाम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित उम्मीदवारों ने साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिये परीक्षा पास कर ली है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) दो सहयोगी फर्मों के चार कर्मचारियों को सीमाशुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1965 के नियम 9 के अधीन उक्त फर्मों द्वारा किये गये इस आशय के अभिवेदन के आधार पर अन्तिम रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी कि उक्त कर्मचारियों को वास्तव में सीमाशुल्क निकासी का कार्य सौंपा जायेगा। जिन व्यक्तियों द्वारा फर्म अथवा कंपनी की तरफ से सीमाशुल्क गृह में वस्तुतः यह कार्य किया जायेगा, सीमाशुल्क समाहर्ता इस अधिनियम के अधीन उन व्यक्तियों की परीक्षा किये जाने की अनुमति दे सकता है ताकि सीमाशुल्क कानून और कार्य विधि के बारे में उनके ज्ञान और आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं को उचित सेवा उपलब्ध करवाने के मामले में उनकी सक्षमता का पता लगाया जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं :

'इण्डो-चैक थर्ड कन्ट्रीज यूनिट्स' शीर्षक समाचार

6396. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2-2-83 के 'टेलीग्राफ' में 'इण्डो-चैक थर्ड कन्ट्री यूनिट्स' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत का दौरा करने वाले चैक प्रतिनिधिमंडल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम तथा पद क्या हैं और भारतीय प्रतिनिधियों से उनकी बातचीत का क्या परिणाम रहा तथा भारतीय प्रतिनिधियों के नाम तथा पद क्या हैं;

(ग) तृतीय विश्व के देशों और परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(घ) भारत से निर्यात-आयात की जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है और अदायगी रुपये या डालर में किस प्रकार की जायेगी; और

(ङ) यदि अदायगी रुपये में प्राप्त की जानी है, तो यह डालरों में क्यों नहीं प्राप्त की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) चेकोस्लेवाकिया तथा भारत प्रतिनिधि मंडलों के गठन का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। चेकोस्लोवाकिया प्रतिनिधि मंडल ने द्विपक्षीय आर्थिक तथा वाणिज्यिक सम्बन्धों के विस्तार तथा विविधीकरण पर अपने भारतीय प्रतिपक्ष के साथ सामान्य विचार विमर्श किया।

(ग) भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त व्यापार परिषद की दिल्ली में जनवरी 1983 में हुई दूसरी बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि भारत-चेकोस्लोवाकिया उद्यम तीसरे देश के उद्यमों

में सहयोग देने का प्रयत्न करें। तीसरे देश के सहयोग के लिए पता लगाए गये क्षेत्रों में शामिल हैं : सिविल तथा औद्योगिक निर्माण कार्य, सड़कों, बांधों, हवाई अड्डों, पावर गृह, रेलवे आदि का निर्माण इस बात पर सहमति हुई कि विशिष्ट संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए उद्यम स्तर पर एक कार्यकारी दल गठित किया जाए।

(घ तथा ङ) 1982 में भारत से निर्यात की जाने वाली तथा चेकोस्लोवाकिया से आयात की जाने वाली मदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल. टी. 6347/83]

भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच वर्तमान व्यापार दोनों देशों के बीच 3 दिसम्बर 1979 को सम्पन्न व्यापार तथा भुगतान करार द्वारा शासित होता है जिसमें आयात तथा निर्यात दोनों के लिए गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपये में भुगतान के साथ द्विपक्षीय संतुलित व्यापार की व्यवस्था है।

चाय, काफी और पटसन का उत्पादन और निर्यात

6397. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय, काफी और पटसन की उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से यदि कोई उपलब्धि हुई है, तो वह क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने निर्यातक देशों के माध्यम से करार करने हेतु कोशिश की है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क से ग) चाय, काफी और जूट के बारे में क्रमशः तीन विवरण संलग्न हैं (1, 2 और 3)। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या** एल. टी. 6348/83]

भारत द्वारा घटिया किस्म के सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए सोवियत संघ की शिकायत

6398. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत व्यापार प्राधिकारियों ने भारत से सोवियत संघ को निर्यात किये जाने वाले सूती वस्त्रों की किस्म बहुत असंतोषजनक होने की शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य निरीक्षण अधिकारी के दिनांक 1-1-83 के आदेशानुसार मिल के बने सूती कपड़े के जहाजी प्रेषण-पूर्व अनिवार्य निरीक्षण में छूट क्यों दी गई है;

(ग) क्या यह कुल मिल मालिकों जो कि घटिया स्तर और दोषपूर्ण वस्त्रों के निर्यात के इच्छुक हैं, के दबाव में आकर किया गया है; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क से घ) एक विवरण संलग्न है।

सरकार को सोवियत व्यापार प्राधिकरण से सोवियत संघ को भारत से निर्यात किये गये सूती वस्त्रों की क्वालिटी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 16 नवम्बर 1982 को हुई बैठक में सोवियत क्रेता संगठन के एक प्रतिनिधि द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) को कुछ निष्कर्ष बताये गये थे जो सरकार के ध्यान में लाये गये हैं, टेक्सप्रोसिल को यह सुझाव दिया गया था कि इस क्षेत्र में भारत-सोवियत व्यापार में विस्तार करने के हित में भारत से सोवियत संघ को निर्यात किये जा रहे सूती कपड़ों की क्वालिटी में सुधार करने हेतु तत्कालीन उपाय किए जायें।

मिल निर्मित सूती कपड़े का निर्यात से पूर्व निरीक्षण, मिल निर्मित सूती कपड़ा निरीक्षण विनियम, 1966 के अनुसार वस्त्र समिति द्वारा किया जा रहा है। विनियम 4 (ग) में यह व्यवस्था है कि पोतलदान पूर्व माल का निरीक्षण करने हेतु विदेशी क्रेता यदि किसी अन्य अभिकरण को मनोनीत करता है तो उस माल का समिति द्वारा पुनः निरीक्षण नहीं किया जाएगा बशर्ते उसमें उल्लिखित निर्धारित शर्तें पूरी हों। वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की संयुक्त समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि सोवियत संघ को निर्यात किये जाने वाले सूती वस्त्रों को वस्त्र समिति द्वारा रिरीक्षण किया जाना समाप्त किया जाये क्योंकि सोवियत क्रेता संगठन की ओर से रूसी निरीक्षकों द्वारा किए जा रहे निरीक्षक को देखते हुए यह अनावश्यक प्रतीत होता है। वस्त्र समिति ने 10-12-1982 को आयोजित अपनी बैठक में इस सुझाव पर विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि 1-1-1983 से वस्त्र समिति, समिति द्वारा द्वितीय निरीक्षण की आवश्यकता के बिना रूसी निरीक्षकों द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्रों के आधार पर सोवियत संघ को मिल निर्मित सूती कपड़े के निर्यात के लिये प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

इस निर्णय को वस्त्र समिति द्वारा सरकार को पूर्व संदर्भ के बताये बिना ही क्रियान्वित किया गया। जब यह सरकार के ध्यान में आया तो ऐसा महसूस हुआ कि वस्त्र समिति ने सरकार की पूर्व अनुमति न लेकर अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ जाने का कार्य किया है। सरकार ने दिनांक 20-2-1983 के अपने आदेश से वस्त्र समिति के उक्त निर्णय के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है।

निजी सचिव, विशेष वैयक्तिक सचिवों और वैक्तियक सचिवों के संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

6399. **श्री बनवारी लाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में जनवरी, 1983 को रोस्टर सहित निजी सचिवों, विशेष वैयक्तिक सचिवों के सभी ग्रेडों और केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के व्यक्तिगत सचिवों के कुल कितने पद हैं;

(ख) उपर्युक्त (क) में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री द्वारा जारी किये गये निदेशों के अन्तर्गत पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उसके क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ) जनवरी 1983 को रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक और वैयक्तिक सहायकों (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "क", "ख" और "ग") के 102 पद थे। इनमें से 3 पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य कार्य कर रहे थे। इन पदों पर भर्ती गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा की जाती है इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में कमी के बारे में उपयुक्त कारवाई के लिए समय-समय पर उस मंत्रालय को लिखा जाता है। इस बारे में उस मंत्रालय से जारी किए गए निदेशों (उद्धारणार्थ रोस्टर के रख रखाव से सम्बन्धित अनुवर्ती वर्षों के लिए रिक्त स्थानों को आगे ले जाना आदि) का पालन किया जा रहा है।

जापान, आस्ट्रेलिया और 'इस्केप' देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन

6400. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान, आस्ट्रेलिया और 'इस्केप' देशों से भारत का आयात बढ़ रहा है और व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों और 'इस्केप' देशों में आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापार संतुलन के सुधारने और उन देशों के साथ व्यापार का अन्तर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां। कुछ एस्केप देशों से आयात बढ़े हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का एस्कैप देशों को निर्यात तथा उनसे आयात निम्नांकित प्रकार रहा था :—

(मूल्य करोड़ रु. में)

	निर्यात	आयात
1979-80	1558·12	1989·82
1980-81	1455·.2	3451·84
1981-82	1574·27	3559·49

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय। आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान आदि जैसे विभिन्न व्यापार संवर्धन उपाय किए जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की अदायगी

6401. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों की जो कि अगले दो वर्षों में देय हो जाएंगे अदायगी के लिए समय अनुसूची पद्धति और प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या इस वर्ष के बजट में कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की विस्तारित सुविधा व्यवस्था के अन्तर्गत कोष से जो निकासियां की जाती हैं वे साधारण साधनों और उधार लिए गए साधनों की मिली जुली राशि में से 1:1 के अनुपात में की जाती हैं। कोष के साधारण साधनों से की जाने वाली निकासियों की वापसी अदायगी प्रत्येक निकासी के 4½ वर्ष पूरे होने के बाद शुरू करके 12 छमाही किश्तों में दस वर्षों के अन्दर-अन्दर की जाती है जबकि कोष के उधार लिए हुए साधनों से की गई निकासी की वापसी अदायगी प्रत्येक निकासी के 3½ वर्ष पूरे होने के बाद शुरू करके 8 छमाही किस्तों में 7 वर्षों के अन्दर-अन्दर की जाती है।

वापसी अदायगियां प्रत्येक अवसर पर की गई निकासियों के अनुरूप कोष को अदा किए गए रुपयों की पुनः खरीद के द्वारा की जाएंगी और पुनः खरीद विदेशी मुद्रा या एस. डी. आर. से की जा सकती है।

(ख) चूंकि कोष की विस्तारित सुविधा के अन्तर्गत लिए गए उधारों की वापसी अदायगी 1983-84 में देय नहीं है इसलिए इस लेखे इस वर्ष के बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सेवा निवृत्त युवा सैनिक कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

6402. **श्री उत्तम भाई एच. पटेल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युवावस्था में सेवानिवृत्त होने वाले अनेक सैनिक कर्मचारी अपनी पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण सैनिक या असैनिक नौकरियों में पुनर्नियुक्ति चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें नौकरी दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है;

(ग) 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1983 की अवधि के दौरान कितने सैनिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए;

(घ) उनमें से कितने कर्मचारियों ने नौकरी और पुनर्नियुक्ति के लिए सरकार से, रक्षा विभाग या देश के रोजगार कार्यालयों से निवेदन किया है;

(ङ) गुजरात में तथा अन्य राज्यों में ऐसे कितने व्यक्तियों को नौकरी दिलायी गई;

(च) शेष को कब तक नौकरी दिलायी जाएगी;

(छ) क्या सरकार का विचार उन युवा तथा सक्षम लोगों की सेवावधि को बढ़ाने के लिए नियमावली विनियमों तथा नीति को उदार बनाने का है;

(ज) यदि, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों/सेवानिवृत्त होने वाले सेना कार्मिकों को सिविल पदों पर पुनर्नियुक्त करने के लिए कई कदम उठाए गये हैं। ये कदम हैं—केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पदों का आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट, शैक्षणिक, अर्हताओं में छूट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर उनके नाम भेजने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय/राज्य/जिला सैनिक बोर्डों को अधिकार देना, पुनर्नियोजित होने पर उनका वेतन निर्धारण करते समय उनकी पूरी पेंशन को हिसाब में न लेना ताकि अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिक सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए आकर्षित हो सकें, भूतपूर्व सैनिकों/सेवानिवृत्त होने वाले सेना कार्मिकों को दौबारा नोकरी पर लगने में सहायता करने के लिए विभिन्न ट्रेडों में उन्हें प्रशिक्षण देना, सेना सुरक्षा कोर में सेवा की शर्तों में सुधार लाना, भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित आरक्षण के आदेशों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करना और बिहार में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशेष शांति सेना स्थापित करना तथा उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय विकास के लिए पारिस्थितिकी की कार्यदल गठित करना, भूतपूर्व सैनिकों को निजी रोजगार शुरू करने में प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में "पेक्सेम" (भूतपूर्व सैनिकों को निजी रोजगार चलाने के लिए तैयार करना) नामक योजना चलाना।

(ग) संख्या नीचे दी गई है :—

1977-78	35,590
1978-79	49,557
1979-80	37,050
1980-81	41,485
1981-82	28,477
1982-83 (दिसम्बर 1982 तक)	21,344

(घ) 1977 से 1983 तक सेवानिवृत्त ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या, जिन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालयों से सम्पर्क किया, ज्ञात नहीं है। परन्तु उक्त अवधि में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या नीचे दी गई है :—

1977	132900
1978	149689
1979	159824

1980	168379
1981	174975
1982 (मार्च तक)	178358

(ङ) गुजरात और अन्य राज्यों में पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	नियुक्तियां		जोड़
	गुजरात	अन्य राज्य	
1977	239	13166	13405
1978	220	13768	14038
1979	182	16195	16377
1980	176	15555	15731
1981	160	16480	16640
1982	37	2880	2907

(मार्च तक)

(च) भूतपूर्व सैनिकों का पुन: नियोजन एक संतत प्रक्रिया है।

(छ) से (झ) सेना कार्मिकों की नियुक्ति और सेवा अवधि बढ़ाने से सम्बन्धित नीति की, सेवा के कार्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

सहारा डिपोजिट एण्ड एनवेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड द्वारा राशि संग्रह किया जाना

6403. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारा डिपोजिट एण्ड इनवेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड अनेक राज्यों में चल रही है और जनता से राशि संग्रह कर रही है;

(ख) क्या भारत सरकार पर यह देखने की जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के साथ धोखाधड़ी न की जाये और उनका धन सुरक्षित रहे; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है और कम्पनी ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास कितना आरक्षित धन रखा हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कम्पनी का दिल्ली में एक रजिस्टर्ड कार्यालय और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली के संघ शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं। इस कम्पनी द्वारा जमा योजनाएं संचालित करने की सूचना मिली है जोकि रिजर्व बैंक के अनुसार, इनामी चिटें और धन

परिचालन स्कीमें (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत आती प्रतीत होती हैं। इस अधिनियम के उपबन्धों को सम्बन्धित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। रिजर्व बैंक ने इस मामले में दिल्ली प्रशासन को सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक ऐसी कम्पनियों को रिजर्व बैंक के पास कोई राशि/प्रारक्षितियां जमा रखना अपेक्षित नहीं होता।

राजस्थान में आयकर विभाग द्वारा छापे

6404. **श्री जय नारायण रोत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से अब तक राजस्थान राज्य में आयकर प्राधिकारियों द्वारा जिन पार्टियों पर छापे मारे गए उनका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ख) गैर कानूनी और अघोषित लेखे की कितनी वस्तुएं और नकदी पाई गई और जब्त की गई;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इस प्रकार गैरकानूनी क्रियाकलापों को रोकने के लिए क्या कड़ी कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) 1-1-1980 से 31-3-1983 तक की अवधि में आयकर विभाग ने राजस्थान राज्य में 273 तलाशियां ली। इन तलाशियों के दौरान कुल लगभग 208·82 लाख रुपये की प्रथम दृष्ट्या लेखाबाह्य नकदी तथा अन्य कीमती सामान पकड़ा गया था। अपराधारोपणीय लेखा पुस्तकें/दस्तावेज भी पकड़े गये थे। मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले/पार्टी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहते हों, तो वह प्रस्तुत की जा सकती है। इन मामलों में, विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत, उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में वायुदूत सेवा

6405. **श्री चित्त महाटा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चल रही वायुदूत सेवा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में और अधिक वायुदूत सेवाएं प्रारम्भ करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें किन स्थानों को शामिल करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) वायुदूत इस समय कलकत्ता से जमसेदपुर, राउरकेला, रांची, पटना और गया के लिए तथा वापसी सेवाओं का प्रचालन कर रहा है।

(ख) और (ग) आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने तथा पर्याप्त यातायात उपलब्ध होने पर वायुदूत की पश्चिम बंगाल में कूचबिहार का विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं। तथापि यह उल्लेखनीय है कि वायुदूत सेवाओं का विस्तार करने पर विकास क्षमता के आधार पर विचार किया जाएगा।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देश

6406. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई मार्ग-निर्देशी सिद्धांत जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न वाणिज्यक बैंकों को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए वाणिज्यिक बैंकों ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास की गति तीव्र करने और लोगों को लाभकारी स्वनियोजन के अवसर प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के छोटे ऋणकर्त्ताओं को ऋण दिलाने के उद्देश्य से समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता रहा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ये शामिल हैं : कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, सड़क और जल परिवहन परिचालक, व्यवसायी और स्वनियोजित, खुदरा व्यापार तथा छोटे कारोबार, शिक्षा कमजोर वर्गों के लिए आवासन और कुछ प्रकार के उपभोग ऋण। सरकारी क्षेत्र से कहा गया है कि वे अपने कुल ऋण में इन क्षेत्रों को दिये गये ऋण के भाग को मार्च, 1985 तक 40% तक पहुंचा दें। कृषि और सम्बन्ध गतिविधियों के लिए जो अनुपात तय किये गये हैं वे हैं मार्च 1985 तक कुल ऋण का 15% और मार्च 1987 तक 16 प्रतिशत। नये 20 सूत्री कार्यक्रम के की घोषणा के परिणाम-स्वरूप विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कमजोर वर्गों के हिताधिकारियों का निर्धारण किया जा चुका है और बैंकों से कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल की गयी विभिन्न योजनाओं को पूरा योगदान दें। कमजोर वर्गों की एक व्यापक अवधारणा विकसित की गयी है जिसमें छोटे और सीमान्तिम किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बटाइन्दार, कारीगर ग्रामीण और कुटीर उद्योग, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति और विभेदी ब्याज दर योजना के हिताधिकारी शामिल हैं। यह प्रावधान किया गया है कि मार्च, 1985 तक इस वर्ग को, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिये गये ऋणों का 25 प्रतिशत अथवा कुल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत मिलने लगे।

(ग) उक्त प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के भीतर ऋण सहायता, अर्थक्षम योजनाएं तैयार करने और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे राजसहायता-आधारित कार्यक्रमों में सहायता

एवं उनसे सम्बन्धन के माध्यम से बैंक अपने समक्ष रखे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहें हैं।

देश में नियन्त्रित कपड़े की बिक्री

6407. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में अधिक से अधिक दूकानों में नियंत्रित कपड़ों की बिक्री को बढ़ाने के लिये प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में गरीब लोगों को नियन्त्रित कपड़े के वितरण एवं बिक्री का तरीका क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) कंट्रोल का कपड़ा विशिष्ट मास के दौरान जनसख्या एवं ऐसे कपड़े की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नियत कोटों के अनुसार आबंटित किया जाता है। राज्य के भीतर कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री के लिए, उस राज्य की सरकार, अपनी वितरण नीति के अनुसार प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। देश में कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री में कार्यरत 57,561 खुदरा बिक्री केन्द्रों में से 46,438 ऐसे देहाती क्षेत्रों में हैं जहां मुख्यतः समाज के गरीब वर्गों के लोग रहते हैं।

सिगरेट कम्पनियों द्वारा धोखा धड़ी

6408. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22-3-83 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में सिगरेट कम्पनियों द्वारा उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में सरकार को धोखा देने और सिगरेट की दुकानों के साथ मिल कर काला धन पैदा करने की कार्य पद्धति पर प्रकाश डालने वाले समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) दिनांक 22 मार्च, 1983 के इन्डियन एक्सप्रैस में "सिगरेट कम्पनियों द्वारा सरकार को धोखा देना" नामक शीर्षक से छपी एक प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है। पक किए हुए असबाब को पैकेट पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना बाट और माप मानक (संवेष्टित जिंसों) नियम, 1977 का उल्लंघन करना है। राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों को, पैकटों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर सिगरेट बेचेने की रिपोर्ट से अवगत करा दिया गया है और उनसे उपयुक्त कार्यवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। किन्तु, यथापेक्षित कार्य-वाही करने के लिए मामले की समीक्षा की जाती रहेगी।

"सिल्वर स्मगलिंग ट्राइएंगल" शीर्षक से समाचार

6409. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च 1983 के टाइम्स आफ इन्डियन में मध्य

प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के चांदी के तस्करों के काम करने के तरीके के लिए जानने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां,।

(ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, चांदी भारत से चोरी-छिपे बाहर भेजे जाने के लिए एक आकर्षक वस्तु बनी रही है। सरकार इस स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IV-ख के उपबन्धों को, जिनमें चांदी के भंडारण, उसे लाने-ले-जाने और बेचने, आदि से सम्बन्धित विनियामक उपबन्ध भी निहित हैं, पश्चिमी समुद्र-तट के साथ-साथ की 50 किलोमीटर की पट्टी पर. तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के समुद्र-तटों और पाकिस्तान तथा नेपाल की भू-सीमाओं पर लागू किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को खासकर महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्र-तटों के साथ-साथ स्थित कार्यालयों को जागरूक रहने के अनुदेश दे दिए गए हैं। सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को और तेज कर दिया गया है और केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ भली-भांति तालमेल करके समुचित तस्करी निवारक उपाय किए गए हैं। मामले की सतत समीक्षा भी की जाती है।

बम्बई में एयर इंडिया" बोइंग विमान दुर्घटना में मरे लोगों को मुआवजे की अदायगी :

64.0. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 जून, 1982 को बम्बई हवाई अड्डे पर "एयर इण्डिया" के दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 707 विमान की टी. डी. जे. जे. में मरे व्यक्तियों के नाम क्या है;

(ख) प्रत्येक मृतक के संबंध में मुआवजे की कितनी राशि की अदायगी की गई;

(ग) अब तक जिन मृतकों के संबंध में मुआवजे की अदायगी नहीं की गई है उनके नाम क्या हैं; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शिद आलम खां): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) कुमारी एम. डब्यू. गैटोनी।

(घ) एयर इण्डिया ने स्वर्गीय कुमारी एम. डब्यू. गेटोनी के कानूनी उत्तराधिकारियों को उसकी मृत्यु तथा सामान के नुकसान के लिए पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में 35,480 अमरीकी डालर का मुआवजा देने की पेशकश की है। एयर इण्डिया इस संबंध में कुमारी गेटानी के कानूनी उत्तराधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

विवरण

22 जून, 1982 को बम्बई हवाई अड्डे पर हुई एयर इण्डिया के बोइंग 707 विमान वी. टी.- डी. जे. जे. की दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के नामों तथा उन्हें दिए गए मुआवजे की राशि का विवरण।

क्र. सं.	मारे गए यात्रियों के नाम	मृत्यु तथा सामान के नुकसान के लिए बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे की राशि
1.	श्री आर. चन्द्रन	2,04,201
2.	श्री एस. जी. कवाडे	2,06,600
3.	श्रीमती काजा सीता सुमुखी	3,26,020
4.	श्री एम. वी. दबीर	4,10,830
5.	श्री एम. वी कामत	3,07,980
6.	श्री पी. वी. कामत	3,07,980
7.	श्री एल. डी. केतियान	3,07,980 और अपने से 58,90 अलग रखे गए सामान के नुकसान के लिए मुकाबला
8.	श्री एम. बी. पाठक	7,20.480
9.	श्री जयरामराज अर्स	4,07,600
10.	श्रीमती रूपा जे. अर्स	3,07,600
11.	श्री एस. एस. चितले	4,57,980
12.	श्री डी. सी. जोशी	3,07,980
13.	श्री एस. सराने	4,27,980
14.	श्री आर. के. भल्ला	7,21,050
15.	कुमारी एम. डब्लु. गेटोनी	अभी तक भुगानान नहीं किया गया
	मारे गए केबिन कर्मी का नाम	मृत्यु तथा सामान के नुकसान के लिए एयर इण्डिया द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे की राशि रुपये
1.	कुमारी ई. जेब (विमान परिचारिका	1,52,880
2.	श्री सम्पत कुमार (फ्लाइट पर्सर)	1,66,200

1 जून से 31 मई तक को वित्तीय वर्ष मानना

6411. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र की 1 जून से 31 मई तक वित्तीय वर्ष मानने के लिए लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछले अगस्त से केवल एक मुख्य मंत्री ने इस मंत्रालय को इस बारे में लिखा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि वित्तीय वर्ष जुलाई से जून तक होना चाहिए। कराधान कानूनों, नियमों और सहिताओं, आयोजना-अवधियों, वित्त आयोग के न्यागमन (डिवोल्यूशन) आदि में इसके परिणाम स्वरूप किए जाने वाले परिवर्तनों को तथा ऐसे वैकल्पिक वित्तीय वर्ष को ढूंढने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए, जो केन्द्र और सभी राज्यों के लिए सुविधाजनक हो, उन्हें सूचित कर दिया गया था कि मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रहने दिया जाए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए कदम

6412. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुव्यवस्थित करने और गेस्ट हाउस के रख रखाव कार बेड़ा जिनका अधिकांश में दुरुपयोग होता है, विदेशी यात्रा, राजधानी का यदा-कदा दौरा जैसे व्यर्थ के व्यय में कटौती करके, प्रबन्ध सम्बन्धी अकार्यकुशलता को दूर करके, मानव तथा सामग्री संसाधनों का बेहतर उपयोग करके उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने के सरकार के हाल के निर्णय के अनुकरण में क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या सभी तरह के व्यर्थ के व्यय को समाप्त करने और उत्पादन में सुधार करने में सम्बन्ध में निदेशों को लागू करने के काम पर निगरानी रखने के लिए उनके मंत्रालय में कोई निगरानी सेल की स्थापना की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की वित्तीय एवं उत्पादन लक्ष्यों के रूप में आवधिक समीक्षा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जाती है। इसमें वित मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों को सरकार द्वारा जारी किये गये विभिन्न कार्यकारी अनुदेशों/मार्गनिर्देशों के प्रवर्तन एवं कार्यान्वियन की भी समीक्षा करनी पड़ती है।

सरकार ने सरकारी उद्यमों में प्रबंधकीय कारगरता बढ़ाने तथा मानव एवं सामग्री का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने/पुनर्नियुक्ति के सभी मामलों की समीक्षा करने, व्यर्थ के व्यय में कटौती करने, अतिथि गृहों (गेस्ट हाउस) के रख रखाव के मामले में किफायत बरतने तथा स्टाफ कार की आवश्यकता की जांच करने की सलाह दी है। निदेश मंडल स्तरीय पदाधिकारियों की विदेश यात्रा के बारे

में सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने में यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार की विदेश यात्राएं आवश्यकता के आधार पर की जाती हैं।

स्टेप्स अफूट टू बूस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6413. **श्री एम. राजशेखर मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी 1983 के "इकानामिक टाइम्स" में 'स्टेप्स अफूट टू बूस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों अथवा उठाये जाने वाले कदमों का पूरा ब्यौरा सभापटल पर रखेगी; और

(ग) क्या मशीनों का निःशुल्क आयात करने की अनुमति दी जायेगी जैसा कि सिले-सिलाए वस्त्र निर्यातक संघ ने अनुरोध किया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) सिले सिलाये परिधानों के निर्यात के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्राएं 1 जनवरी, 1983 से कोटा देशों में उपयोग के लिए उपलब्ध है। उपयोग की गति और मांग के रुख को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों/श्रेणियों में सिले सिलाये परिधानों के बारे में मात्राओं का खण्डवार अन्तरण किया गया है। कुछ श्रेणियों के बारे में निम्नतम कीमतों को सुव्यवस्थित किया गया है। 1.1.1983 से लागू नकद मुआवजा सहायता की दरें घोषित की गई हैं। निर्यात के लिए परिधान बनाने के लिए 100% निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत अनेक एककों को मजूरी दी गई है। इसके अलावा, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करने, बाजार सर्वेक्षण करने आदि जैसे निर्यात संवर्धन उपायों पर अधिक बल दिया जा रहा है।

(ग) परिधान बनाने के लिए मशीनरी की अनेक मदों का शुल्क की रियायती दर पर आयात किये जाने की पहले ही अनुमति है।

गैर कोटा देशों को काफी की बिक्री

6414. **श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर कोटा देशों को काफी बेचने सम्बन्धी नीति में तैयार करने में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ख) क्या इस विलम्ब से काफी के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, और

(ग) यदि हां, तो इस नीति को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ग) गैर-कोटा देशों को काफी के हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य से काफी के सम्बन्ध में दो

बिक्री सह-अध्ययन दल पश्चिम एशिया तथा पूर्व यूरोप को भेजे गए हैं। दो और दल दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तर अफ्रीका को भेजे जाने का प्रस्ताव है। काफी बोर्ड इन दलों से रिपोर्टें प्राप्त करने के बाद, इन बाजारों को बिक्रियां करने के लिए एक नीति बनाएगा।

(ख) काफी के निर्यात 1981-82 में 81·270 मे. टन मूल्य 162.20 करोड़ रु. से बढ़कर 1982-83 के दौरान 82,497 मे. टन मूल्य 199.45 करोड़ रु. (अनन्तिम) के हो गए हैं।

खनन और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं में धन लगाने के लिए योरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक से दीर्घकालीन ऋण

6415. **श्री दीनबन्धु वर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनन और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक से दीर्घकालीन ऋण लेने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग से कहा है कि वे भारत द्वारा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, सक्षम विकास परियोजनाओं के लिए ऋण लिए जाने की संभावनाओं का पता लगाएं। बैंक ने भारत के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से धनराशि उपलब्ध कराने की अनुमति देने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है। कानून के अनुसार भारत, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से सभी धनराशियाँ प्राप्त कर कर सकता है जबकि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के गवर्नर बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस संबंध में संकल्प पारित कर दिया हो।

आयकर विभाग में पदोन्नति

6416. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में वर्ष वार और पद वार ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयकर निरीक्षक पद पर पदोन्नति होने की प्रतीक्षा में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा की अधिकतम 5 वर्ष की अवधि को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

अगरतला हवाई अड्डे की नई हवाई पट्टी का निर्माण पूरा होना

6417. **श्री अजय विश्वास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला हवाई अड्डे की निर्माणाधीन नई हवाई पट्टी का निर्माण कार्य पूरा होने की लक्षित तारीख क्या थी;

(ख) उक्त नए हवाई पट्टी के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) नियमित उड़ानों के लिए उक्त पट्टी को संभवतः कब तक खोल दिया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) लक्ष्यित तारीख जुलाई 1979 थी।

(ख) अगरतला में नए धावनपथ का निर्माण पूरा होने में विलम्ब के लिए निम्नलिखित कारण थे :—

(i) गोहाटी से पत्थर की रोड़ियों के वहन के लिए मालगाड़ी के डिब्बों की कमी।

(ii) सड़क परिवहन के लिए डीजल की कमी।

(iii) गोहाटी में चट्टानों में विस्फोट करने के लिए डायनामाइट प्राप्त करने में कठिनाइयां।

(ग) निविदाएं पुनः आमन्त्रित की गई हैं। इस समय नए धावनपथ को नियमित उड़ानों के लिए खोलने की कोई निश्चित तारीख बताना कठिन है। तथापि मामलों को निपटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जे. सी. बी. की बाइन्डिंग शाखा के वेतनमान बढ़ाना

6418. **श्री केशवराव पारधी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे. सी. बी. की बाईंडिंग शाखा के कुछ कर्मचारियों ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उनके वेतनमानों को भारत सरकार के मुद्रणालयों में कार्य कर रहे उनके समकक्ष कर्मचारियों के वेतनमानों के समान बढ़ाया जाए जैसा कि पी/एल सेक्शन के लिए भर्ती नियम भारत सरकार के मुद्राणलयों के भर्ती नियमों के ढंग पर बनाए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अप्रैल, 1978 में जे. सी. बी. के रीडर ग्रेड-I और काफी होल्डर के वेतनमान भारत सरकार के मुद्रणालयों में कार्य कर रहे उनके समकक्ष कर्मचारियों के वेतनमान के समान बढ़ाये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वेतनमानों की इस विसंगति को उसी भावना से दूर करने का है जो जे. सी. बी. के रीडर ग्रेड-I और काफी होल्डरों के प्रति दिखाई गई थी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इसके औचित्य के आधार पर इस मामले की जांच की जाएगी।

उत्पादन शुल्क में रियायत देने सम्बन्धी योजना

6419. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** :

श्री के. लकप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन शुल्क में रियायत देने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रियायतों के क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए 1983-84 के बजट में घोषित उत्पादन शुल्क में रियायत देने सम्बन्धी योजना दिनांक 1 मार्च 1983 की अधिसूचना सं. 80/83 के उ. शु. (सा. का. नि. 164-ङ) में दी गई है जिसकी एक प्रति 14 मार्च, 1983 को सदन पटल पर रख दी गई थी। इस योजना के अधीन विनिर्दिष्ट आधारी निकासियों से अधिक की गई निकासियों पर अदा किये गये उत्पादन शुल्क की जमा के रूप में प्रोत्साहन अधिसूचना में दी गई दरों तथा शर्तों के अध्यधीन प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(ग) चूंकि यह राहत एक 1 मार्च 1983 से 29 फरवरी, 1984 तक की अवधि में अतिरिक्त निकासियों पर लागू की गई है, इसलिए इस योजना से प्राप्त हुए परिणामों को जानना अभी संभव नहीं है।

आय-कर वसूली संबंधी प्राक्कलन

6420. **श्री एडुआर्डो फैलेरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान आयकर के प्राक्कलन क्या थे और वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान वास्तव में आयकर की कितनी वसूली हुई और चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी वसूली होने की आशा है,

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान उक्त वसूली अपेक्षाओं के अनुरूप हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) वर्ष 1980-81 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान आयकर वसूलियों (जिसमें निगम कर भी शामिल है) के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक वसूलियों के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक वसूलियां	बजट अनुमानों और वास्तविक वसूलियों के बीच अन्तर वृद्धि (+) कमी (—)	संशोधित अनुमानों और वास्तविक वसूलियों के बीच अंतर वृद्धि (+) कमी (—)
1980-81	2941·00	2980·00	2817.39	(—) 123·61	(—) 162·61
1981-82	3134·00	3482·00	3445·46	(+) 311.46	(+) 36·54
1982-83	3944·75	3902·00	3902·00	—	—

(प्रत्याशित वसूलियां)

उपर्युक्त विवरण-पत्र में, वित्तीय वर्ष 1980-81 के संबंध में यथानिर्दिष्ट कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(I) कुछेक शीर्षस्थ कर निर्धारितियों द्वारा अग्रिम करके निम्नतर अनुमान दाखिल करना;

(II) वर्ष की अन्तिम तिमाही में गुजरात राज्य में उपद्रव।

वित्तीय वर्ष 1981-82 में, बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वसूलियां 311·46 करोड़ रु. अधिक थी। संशोधित अनुमानों के मुकाबले वास्तविक वसूलियों में 36·54 करोड़ रु. की कमी का पता चलता है जो संशोधित अनुमानों का केवल 1·05 प्रतिशत बैठती है। यह कमी मुख्यतः कुछेक शीर्षस्थ कर-निर्धारितियों द्वारा अग्रिम कर के निम्नतर अनुमान दाखिल करने के कारण थी।

वर्ष 1982-83 के संबंध में वास्तविक वसूलियों के आंकड़े अभी अपूर्ण हैं।

सेना द्वारा माऊन्ट एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान

6421. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना का विचार वर्ष 1984 में माऊन्ट एवेरेस्ट पर अपना एक अभियान दल भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी नहीं। परन्तु 1985 में सेना के एक अभियान दल को माऊन्ट एवरेस्ट भेजने का एक प्रस्ताव है जिस पर थलसेना मुख्यालय में अभी प्रारम्भिक स्तर पर विचार किया जा रहा है।

विदिशा जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

6422. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश के जिला विदिशा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए तत्परता से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय सहायता के लिए चाय बागानों से प्राप्त आवेदनों के निपटाने में परेशान

6423. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टी बोर्ड का 'टी डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट' बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पुनःरोपण तथा पुनःबदलाई आदि पर किराया खरीद सहायता के लिए वित्तीय सहायता हेतु चाय बागानों से प्राप्त आवेदनों को निपटाने में अत्यधिक परेशान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि ऐसा कोई विचार नहीं है तो उसका क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निजी व्यापार द्वारा कृषि पदार्थों का निर्यात

6424. **श्री नारायण चौबे** :

श्री बी. एस. विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी व्यापार को निर्यात में वृद्धि के लिए प्याज, अरण्ड का तेल कपास आदि जैसे कुछ कृषि पदार्थों के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पदार्थ के निर्यात की कुल मात्रा सहित उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि देशी बाजारों में तब से इन पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) तथा (ख) वित्तीय वर्ष 1982-83 के शेष दो महीनों में निर्यातों को बढ़ाने के लिए यह निर्णय किया गया कि कृषि वस्तुओं का निर्यात करने के लिए निजी व्यापार को अनुमति दी जाए। निम्नोक्त की अनुमति देते हुए आदेश जारी किए गए :—

1. सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को 31.3.83 तक बिना किसी मात्रा संबंधी प्रतिबंध के अरंडी के तेल के निर्यात के लिए निजी व्यापार।

2. किसी भी स्थान को मुक्त रूप से अपरिवर्तनीय 100% साख पत्र के आधार पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर नफेड के साथ उपलब्ध शेष मात्रा के आधार पर नफेड के एसोशिएट के रूप में एच. पी. एस. मूंगफली के निर्यात की अनुमति भी निजी पार्टियों को दी गई है।

3. निजी पार्टियों को नफेड के एसोसिएट के रूप में 31.3.83 तक पोतलदान के लिए 100% अपरिवर्तनीय साख पत्र के आधार पर पहले आओ पहले पाओ संबंधी उद्देश्य के अलावा निर्धारित मात्रा के भीतर निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

4. चालू लाइसेंसिग वर्ष में निर्यात लिए तिल की 15000 मे. टन की अतिरिक्त मात्रा रिलीज की गई है, जिसमें से 7500 मे. टन 100% अपरिवर्तनीय साख पत्र के आधार पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर नफेड के एसोशिएट द्वारा निर्यात करने के लिए मार्गीकृत की गई है।

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात से घरेलू बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि देश में कुल उपलब्धता की तुलना में निर्यात की गई कुल मात्रा कम थी।

गुजरात कपास निगम द्वारा कपास निर्यात करने के लिए किया गया अनुरोधक

6425. **श्री छोतूभाई गामित : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात खाद्य निगम ने कपास का निर्यात करने की अनुमति देने के लिए कहा है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गुजरात कपास निगम को कितनी मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी और निगम को अनुमति कब तक दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया की उड़ानों में दिल के दौरे पड़ने के मामले में चिकित्सा और अन्य सहायता

6426. **श्री उत्तम राव पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया की उड़ानों में दिल के दौरे पड़ने के मामलों में चिकित्सा और अन्य सहायता तथा मुआवजा देने की कोई व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में यात्रियों के लिए दिल का दौरा पड़ने सहित आपाती चिकित्सा के मामलों में सहायता देने की व्यवस्था है। परन्तु ऐसे मामलों में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

(ख) दोनों एयरलाइनों में सभी उड़ानों पर उपयुक्त सुविधायुक्त चिकित्सा किटें रखी जाती हैं। इन किटों में मरीजों की, जिसमें दिल के मरीज भी सम्मिलित हैं, जांच करने के लिए न्यूनतम आवश्यक उपकरण होते हैं। केबिन कार्मिकों (विमान परिचारिकाओं तथा फ्लाइट पर्सरों) को प्राथमिक उपचार प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें मुंह से मुंह

मिलाकर सांस दिलाना तथा बाहर से दिल के उपरी भाग की मालिश करना भी सम्मिलित है यदि कोई डाक्टर यात्री उस उड़ान पर यात्रा कर रहा हो तो उसकी भी सहायता ली जाती है।

पश्चिम बंगाल में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

6427. **प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने हमारे और अपने देश के बीच व्यापार सुविधाओं के लिए पश्चिम बंगाल में किसी स्थान पर निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि ली है;

(ख) यदि हां, तो इसमें रुचि लेने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में निर्णय क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) किसी भी विदेश द्वारा ऐसी कोई दिलचस्पी दिखाये जाने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने देश में और अधिक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

खाद्यान्न के आयात के लिए धन दिया जाना

6428. **श्री अमल दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन में रुकावट आने के कारण आगामी 2-3 वर्षों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना अनिवार्य हो जायेगा और यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण पूरी तरह से कब निकाला जाएगा, खाद्यान्न के आयात के लिए सरकार क्या माध्यम अपनाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी : (क) तथा (ख) कृषि उत्पादन में, विशेष रूप से 1966-67 से, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि, मौसम में परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि प्रतिवर्ष कभी कम और कभी अधिक हुई है फिर भी कृषि में प्रगति की रफतार को बनाए रखा गया है और आगामी वर्षों में लगातार प्रगति किए जाने की प्रत्याशा है।

1979-80 और 1982-83 में सूखे को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डारों को बनाए रखा जा सके। भविष्य में खाद्यान्नों का आयात करने के संबंध में सरकार की नीति मूल रूप में प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन की गति विधियों पर निर्भर करेगी। सरकार द्वारा ढांचे में समायोजन करने के विषय में कार्यान्वित की जा रही नीतियों से कुछ समय के पश्चात् भुगतान शेष की स्थिति में काफी सुधार होगा और इससे कर्ज के विवेकपूर्ण प्रबन्ध के अनुरूप बाह्य वित्त के उपलब्ध स्तर के अन्दर ही पर्याप्त रूप में सभी आवश्यक आयात किए जा सकेंगे।

पटसन उद्योग

6429. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन उद्योग के पास स्वदेशी बाजार में मांग में गिरावट आने और निर्यात मांग में गिरावट आने के कारण इस समय कितना और कितने मूल्य का तैयार माल का स्टाक पड़ा है; और

(ख) पटसन उद्योग को आसन्न संकट से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत स्थित जूट मिलों के पास फरवरी, 1983 के अन्त में लगभग 62.52 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 119500 मे. टन की कुल मात्रा के तैयार माल के स्टाक थे। स्टाकों की मात्रा अनावश्यक रूप से अधिक प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह पटसन माल के एक महीने से कुछ अधिक का उत्पादन दर्शाते हैं जो कि मिलों द्वारा रखे जाने वाले माल के स्टाक का सामान्य स्तर है। तथापि, यह सत्य है कि जूट मिलें कुछ समय से कठिन स्थिति का सामना कर रही है जिसका मुख्य कारण सप्लाई तथा मांग के बीच असंतुलन की वजह से तैयार जूट माल की अलाभकारी बाजार की कीमतों का होना है। बिक्री ने हुई अपर्याप्त आय से बहुत सी मिलों के लिए नकदी की समस्या उत्पन्न हो गई।

2. सरकार ने घरेलू तथा विदेशी बाजारों दोनों में मांग बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं ताकि जूट उद्योग की स्थिति में सुधार लाया जा सके। इन कदमों में ये शामिल हैं :—

(क) जूट माल की प्रायः सभी निर्यात योग्य मदों के सम्बन्ध में नकद मुआवजा सहायता देना तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बिक्री के लिए बल्क निविदाओं के आधार पर नकद उपदान देना।

(ख) संश्लिष्ट प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं तथा बंगला देश की प्रतियोगिता में हानि सहभागिता आधार पर जूट माल के निर्यात क्रयादेश प्राप्त करने हेतु राज्य व्यापार निगम तथा निर्यातकर्ता मिलों के बीच एक सार्थ संघ का गठन।

(ग) जे एम डी सी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना तथा मध्यपूर्व/अफ्रीका में चुनिन्दा देशों को बाजार अभिमुख प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करना।

(घ) डी जी एस एंड डी के माध्यम से लागत जमा कीमतों जूट बैग्स की खरीद।

(ङ) सीमेंट पैक करने के लिए जूट के नये कट्टों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना।

(च) उर्वरकों, चीनी तथा अनाज की पैकिंग के लिए और अधिक जूट की बोरियां प्रयोग करने के लिए अन्य प्रयोक्ता-विभागों को राजी करना।

(छ) गहन अनुसंधान तथा विकस प्रयासों के माध्यम से उत्पाद क्षेत्र का विविधीकरण।

नियंत्रणों के बारे में सरकार के विचार परिवर्तन

6430. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रणों के बारे में सरकार के विचार में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नियोजित विकास के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में नियंत्रण प्रमुख बाधा है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए, मूल्य निर्धारण और वितरण नीतियों के लिए नियंत्रण तंत्र तैयार करने में सरकार व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाती है। इस सम्बन्ध में उपयुक्त नीतियां तैयार करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

काफी बागान रोपण योजना

6431, **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में काफी बागान रोपण योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट, और फूलबानी जिलों में काफी बागान रोपण की योजना सुचारु रूप से चल रही है;

(ग) उनमें निर्धारित लक्ष्यों की कहां तक प्राप्ति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) जी हां।

(ख) काफी बोर्ड ने बताया है कि उड़ीसा वन निगम का कोरापत में काफी की खेती के अन्तर्गत 1000 हेक्टेयर का क्षेत्र कवर करने का प्रस्ताव है।

(ग) तथा (घ) : अपने मिट्टी संरक्षण विभाग के अन्तर्गत उड़ीसा में काफी का 547.77 हेक्टार का क्षेत्र विकसित किया गया है जिसका जिलावार ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

1. कोरापत	429.55 हेक्टार
2. गंजम	37.24 ,,
3. कलहंडी	17.41 ,,
4. फूलबनी	63.57 ,,
	योग 547.77 हेक्टेयर

गुड़ के निर्यात के लिए अनुमति

6432. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष गुड़ के निर्यात के लिए अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो अनुमति कितना निर्यात करने की थी; और

(ग) अब तक इसका कितना निर्यात किया जा चुका है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क और ख) 1.4.82 से 14.4.83 की अवधि के दौरान 15,000 में टन गुड़ की अधिकतम सीमा तक निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(ग) 1982-83 के दौरान 40 लाख रुपये मूल्य का 920 मे. टन गुड़ निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा कंपनियों के शेयर लिया जाना

6433. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन में वित्तीय संस्थानों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों ने दस प्रतिशत से अधिक शेयर ले रखे हैं;

(ख) इन कम्पनियों के प्रबन्ध में यदि वे कोई रुचि लेती हैं तो किस रूप में;

(ग) क्या शेयरों को बड़े पैमाने पर बेचने से पहले जिसके कारण कम्पनियों पर प्रभाव पड़ता है सरकार से परामर्श किया जाता है;

(घ) क्या सरकार ने शेयरों के बारे में वोट देने या उन्हें किसी दूसरी गैर-सरकारी पार्टी को बेचने के लिए कोई निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं; और

(ङ) किन-किन कम्पनियों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अपने दस प्रतिशत से अधिक

शेयर बेचे हैं, खरीदने वालों के नाम क्या हैं किस दर पर बेचे गए हैं तथा बेचने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) जिन कम्पनियों में सरकारी वित्तीय संस्थाओं के 10 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं और सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिन कम्पनियों के 10 प्रतिशत से अधिक धारित शेयर पिछले चार वर्षों में बेचे गये हैं उनके नाम और सम्बद्ध ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं तथा जहां तक उपलब्ध होंगे उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

जहां कहीं संस्थागत सहायता एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की दी जाती है पाने संस्थाएं अपने प्रतिनिधियों को सहायता वाले प्रतिष्ठानों के बोर्डों पर नामित करती हैं। सहायता पाने वाले प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में निदेशकों द्वारा भागीदारी का उद्देश्य यह है कि उन सहायता पाने वाले प्रतिष्ठानों और संस्थाओं के हितों की रक्षा की जाए और साथ ही समुचित लोकनीति के हितों की भी रक्षा हो। उक्त प्रतिष्ठानों के दैनदिन प्रबन्ध में नामित निदेशकों की कोई भूमिका नहीं होती। वे महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय विशेषत: वित्तीय प्रबन्ध के क्षेत्र के निर्णय करने में प्रबन्ध वर्ग की सहायता करते हैं। उनसे यह भी अपेक्षित होता है कि वे स्वयं प्रतिष्ठानों के कार्यकलाप के बारे में संस्थाओं को पूर्णत: अवगत रखें।

अपने मताधिकार का प्रयोग करने अथवा बिक्री द्वारा शेयरों को निष्पादन करने के संबंध में संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे अपनी वाणिज्यिक निर्णायक बुद्धि का प्रयोग करे और हर मामले के गुणावगुण के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचेगें। उक्त संस्थाओं से कहा गया है कि शेयरों की बड़ी बिक्री या खरीद के सभी मामलों में उन्हें समुचित वाणिज्यिक और आर्थिक सिद्धान्तों तथा सम्बद्ध इकाई और स्वयं अपनी संस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ्य, समझदारीपूर्ण और वस्तुपरक रवैया अपनाना चाहिए तथा सरकार को उससे अवगत रखना चाहिए।

भारत और रुपयों में व्यापार करने वाले देशों के बीच रुपयों में व्यापार की मात्रा

6434. **श्री बापू राव परांजपे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और अन्य देशों के बीच जिन के साथ हमने रुपयों में व्यापार करने के करार किए हुए हैं देशवार, वर्षवार और वस्तुवार कितने रुपयों का व्यापार हुआ ;

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : एक विवरण सलग्न है जिसमें वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भारत तथा रुपये में व्यापार करने वाले देशों के बीच कुल व्यापार के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। मदवार व्यापार के ब्यौरे संकलित नहीं किए गए हैं।

विवरण

भारत तथा रुपये में व्यापार करने वाले देशों के बीच व्यापार।

(मूल्य करोड़ रुपये में)

देश	1979-80		1980-81 (अ)		1981-82 (अ)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1. पोलैंड	44.29	61.77	68.97	34.41	44.83	38.46
2. चकोस्लोवाकिया	42.59	49.67	55.30	39.01	85.67	50.92
3. जर्मनी संघीय गणराज्य	47.96	36.58	48.89	44.27	39.14	45.58
4. रुमानिया	45.47	45.30	58.39	97.20	79.93	111 05
5. सोवियत संघ	638.17	822.32	1226.29	013.71	1504.89	1156.26
6. नेपाल	63.42	15.01	77.98	23.61	85.96	76.74
रुपया भुगतान देशों का योग	881.90	030.65	1535.82	1252.21	1840.42	1479.11

(अ) अनन्तिम है और उनमें संशोधन किया जा सकता है।

स्रोत: मथली स्टेस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इन्डिया, डी. जी. पी. आई एण्ड एस., कलकत्ता।

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई का आयात

6436. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई निगम ने 19˝6-77 और 1977-78 के दौर लगभग 12 लाख रुई की गांठों का आयात किया था जिसका बहुत ही कम मूल्य पर पुनर्निय करना पड़ा क्योंकि बहुत सी मिलें उनकी ओर से आयात की गई रुई को उठाने में अपने ठेके देयता के पीछे हट गई है; जिसके परिणामस्वरूप निगम को लगभग 94 करोड़ रुपये की हा उठानी पड़ी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवा की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) ज हां । देश में रुई के अत्यधिक अभाव और परिणामत: रुई की कीमतों में असंतुलित वृद्धि क ध्यान में रखते हुए 1976-77 के दौरान विदेश से रुई के आयात का निर्णय लिया गया । भारती रुई निगम ने लगभग 11.61 लाख गांठ रुई का आयात करने की संविदा की । जबकि आया हो रहे थे, भारत में रुई की कीमतें गिरनी शुरू हुई । उन मिलों, जिन्होंने भारतीय रुई निग के पास मांग पत्र प्रस्तुत किये थे, में से कुछ संविदात्मक दायित्व से पीछे हट गई और गांठों क उठाने में विफल रही । अतः भारतीय रुई निगम को घरेलू बाजार में बिक्री तथा विदेशी बाजा में निर्यात के जरिये स्वयं गांठों का निपटान करना पड़ा । इसके परिणामस्वरूप निगम को भार हानियां हुई । भारतीय रुई निगम ने 93 दोषी मिलों के खिलाफ उनके द्वारा निगम को पहुंचा गई हानियों की वसूली के लिए बाद दायर किये हैं ।

प्राकृतिक रबड़ पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना

6437. **श्री स्कारिया थोमल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ पर उत्पादन शुल्क के प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है :

(ख) क्या सरकार को रबड़ पर उत्पादन शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर प्राकृतिक रबड़ प्रस्ताव पर प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों की चिन्ता के बारे में जानकारी है; और

(ग) रबड़ उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार को प्राकृतिक रबड़ पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । रबड़ पर उत्पादन शुल्क की छूट का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

वायु सेना द्वारा प्रयोग किए जा रहे रूसी विमानों के महत्वपूर्ण पुर्जों की उपलब्धता

6438. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना मुख्यालय ने रक्षा मंत्रालय को निरन्तर शिकायतें की हैं कि वायु सेना द्वारा प्रयोग किए जा रहे रूसी विमानों के लिए महत्वपूर्ण पुर्जों की उपलब्धता की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उन विमानों के फालतू पुर्जों उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) भारतीय वायु सेना द्वारा प्रयोग किए गए जा रहे विमानों के लिए तैयार रखे गए फालतू पुर्जों की आधार-भूत प्रतिशतता कितनी है;

(घ) इस समय फालतू पुर्जों सम्बन्धी वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का रूस को एक उच्च स्तरीय शिष्ट मण्डल भेजने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार फालतू पुर्जे रखे जाते हैं।

(घ) संतोषजनक।

(ङ) ऊपर (क) और (घ) को देखते हुए प्रश्न हीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के एककों पर लागू सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी निदेश

6439. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्धक्य निवृत कर्मचारियों के लिए प्रधान मंत्री के सेवा-निवृत्ति आदेश सरकारी क्षेत्र के एककों पर भी लागू होगे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों का ब्योरा और सूची क्या है जिन्हें इन अनुदेशों से छूट दी जा रही है, इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां, निदेशक मंडल स्तरीय नियुक्त व्यक्तियों के लिए मंत्रालयों/विभागों तथा निदेशक मंडल के स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों को अधिकारियों की सेवा अवधि बढाने/पुर्ननियुक्त सम्बन्धी मामलों की समीक्षा करनी है तथा उन्हें अपेक्षित न्यूनतम अवधि के नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त करने के आदेश जारी करने हैं।

(ख) यह आदेश 58 वर्ष की आयु तक पुर्ननियुक्त प्रतिरक्षा कार्मिकों और वैज्ञानिको की सेवा अवधि बढ़ाने/पुर्ननियुक्त करने पर लागू नहीं होता है। जहां किन्हीं कारणों जैसे परियोजना कार्य के पूरे होने में बिलम्ब होने अथवा नोटिस की अवधि बढ़ाई गई सेवा अवधि/पुर्ननियुक्ति की अवधि से बढ़ जाने से यह संभव है कि मौजूदा बढ़ाई गई सेवा अवधि/पुर्ननियुक्ति की अवधि पूरी होने तक की अनुमति दी गई हो।

कृत्रिम वस्त्र उद्योग का विकास

6440. **श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृत्रिम वस्त्र उद्योग के विकास में कुछ कठिनाइयां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृत्रिम वस्त्र उद्योग के विकास के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने तथा उसका आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से विकसित देशों से सहयोग लेने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) संश्लिष्ट वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग की तुलना में अपेक्षाकृत नया उद्योग है। वस्त्र नीति बनाते समय इसके विकास पर भी बाकी वस्त्र उद्योग के साथ साथ विचार किया गया था। मार्च, 81 के नीति विवरण में आयातों द्वारा बढ़ाए गए परिवर्धित तथा कार्यक्षम स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से संश्लिष्ट रेशों तथा धागे की पर्याप्त उपलब्धता पर बल दिया गया है।

अतः इसी तरह रेशों तथा धागे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

संश्लिष्ट रेशा/धागा उत्पादन तथा वस्त्र मशीन विनिर्माताओं को विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है ताकि वे ऐसे रेशें तथा धागे और आधुनिक मशीने कुशलता पूर्वक बना सकें।

आधुनिक करघों तथा ऐसे संश्लिष्यें धागों का आयात उदारतापूर्वक किया जाता है।

वार्धक्य आयु पार करने के बाद बढ़ाई गई सेवा-अवधि वाले अधिकारी

6441. **श्री निहाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वार्धक्य आयु पार करने के बाद भी बढ़ाई गई सेवा अवधि पर कार्यरत हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए निदेशों के अनुसार ऐसे अधिकारियों को पदोन्नत करने का है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

काला धन बनने के स्रोत

6442. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री एम. एस. के. सत्येन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वांचू समिति जिसने काले धन के कारणों की जांच की थी, ने काला धन बनने के 15 स्रोतों के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो वे 15 स्रोत कौन-कौन से हैं; और

(ग) वांचू समिति द्वारा सुझाये गए प्रस्तावों के संदर्भ में काले धन की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन पटलपर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 6349]

इन्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इन्डिया के कर्मचारियों की मंजूरी का पुनरीक्षण

6443. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों के लिए मंजूरी की समीक्षा करना मार्च, 1981 से बकाया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले को आज तक निलम्बित रखने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों के साथ किए गए पिछले वेतन समझौते दिनांक 30.9.1981 को समाप्त हो गए। इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के प्रबन्धक समझौते करने के लिए विभिन्न यूनियनों/एसोसिशनों के साथ यथाशीघ्र वेतन सम्बन्धी बातचीत कर रहे हैं।

वायुदूत सेवा को जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और गंगतोक तक बढ़ाना

6444. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय निकट भविष्य में वायुदूत सेवाओं को जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और गंगतोक तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह अपनी सेवाएं इन स्थानों के लिए कब तक बढ़ाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि यह निर्णय एक वर्ष पूर्व लिया गया था और इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास होने तथा प्रचालनों के आर्थिक विकासक्षम होने पर वायुदूत का अपनी सेवाओं का कूचबिहार और गंगतोक के लिए विस्तार करने का विचार है। परन्तु इस समय इन सेवाओं के चालू करने की कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती। जलपाईगुड़ी को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि वायुदूत सेवाओं के विस्तार के लिए प्रचालनात्मक विकासक्षमता मूल विचार होगा।

चौथे वेतन आयोग का गठन

6445. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों की देखभाल करने के लिये चौथे वेतन ग्रायोए के गठन की घोषणा की है;

(ख) इसकी नियुक्ति कब तक किये जाने की संभावना है और इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्टाफ यूनियन इसका विरोध कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और उक्त आयोग कब तक गठित किये जाने और कार्य आरम्भ दिए जाने की सम्भावना है और इसके प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) वित्त मंत्री ने अपने 1983-84 के बजट भाषण में 28-2-1983 को चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद यथा संभव शीघ्र तय कर दिया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुछ संस्थाओं/संघों से वेतन आयोग की स्थापना के विरोध में अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं लेकिन काफी अन्य संघों ने इसका विरोध नहीं किया है। वेतन आयोग यथा संभव शीघ्र कार्य करना शुरू कर देगा। किन्तु इस स्थिति में उस तारीख का संकेत देना संभव नहीं है जिस तक आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राज्य व्यापार निगम के कुल व्यापार में गिरावट

6446. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 के दौरान राज्य व्यापार निगम का कुल व्यापार कितना हुआ और 1982-83 में अनुमानतः कितना होगा;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त मूल व्यापार में वर्ष-प्रतिवर्ष गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और वर्ष 1983-84 के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान राज्य व्यापार निगम का कुल कारोबार निम्नलिखित है :

(करोड़ रु. में)

	1980-81 (वास्तविक)	1981-82 (वास्तविक)	1982-83 (अनन्तिम)
निर्यात	450	455	647
आयात	1315	1291	1162
घरेलू	15	21	12
योग	1780	1867	1821

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम का कारोबार का 1980-81 में 1780 करोड़ रु. था। बढ़कर 1981-82 में 1867 करोड़ रु. हो गया। तथापि, मुख्य रूप से सीमेन्ट, अखबारी कागज, व्हाइट प्रिंटिंग पेपर और प्राकृतिक रबड़ के कम आयात होने के कारण 1982-83 में कारोबार में लगभग 3% की मामूली सी गिरावट आई।

(घ) निर्यातों को बढ़ाने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(1) नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एक माडल शू ऊपर एकक स्थापित किया गया है।

(2) निर्यात के लिए फैशन परिधानों का डिजाइन तैयार करने के लिए नई दिल्ली में एक वस्त्र एवं परिधान डिजाइन केन्द्र स्थापित किया गया है।

(3) ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि बल्क मदों के आयातों को भारत से तैयार माल के निर्यातों के साथ जोड़ा जाये।

(4) निर्यातक प्रभागों को आपस में मिलाकर उनका समूह बना दिया गया है उन्हें पूरी तरह से कार्यकारी निदेशक (निर्यात) के अधीन कर दिया गया है।

(5) रुपया भुगतान देशों के साथ व्यापार की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

(6) विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि वे निर्यात संवर्धन सम्बन्धी कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करें।

(7) राज्य व्यापार निगम अनेक व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है।

1983-84 के लिए अस्थायी अनुमान इस प्रकार हैं :

(करोड़ रु. में)

निर्यात	726
आयात	1139
घरेलू	10
योग:	1866

निर्यात गृह

6447. **श्री के. प्रधानी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1983 को कौन-कौन से मानयता प्राप्त निर्यात गृह थे;

(ख) क्या इनमें वर्ष 1982 के दौरान कोई कमी या वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात कार्य-निष्पादन को देखते हुए इस सूची का प्रति वर्ष पुनर्विलोकन किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 31 जनवरी, 1983 को मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों के नामों की सूची दर्शाने वाली सूची तैयार की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां, ।

(ग) निर्यात सदनों को आमतौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी जाती है। आयात व निर्यात नीति में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्यात सदनों के निर्यात निष्पादन के आधार पर मान्यता की तारीख खत्म होने के बाद निर्यात सदन के प्रमाणपत्र नवीकृत किये जाते हैं। विद्यमान नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर यदि वे नवीकरण के पात्र नहीं होते है तो निर्यात सदन प्रमाण पत्र को नवीकृत नहीं किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल का दौरा

6448. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल, जिसने आर्टिकल चार परामर्श तथा भारत को 5 बिलियन डालर के ऋण के दूसरे वर्ष के कार्यक्रम की मध्यावधि समीक्षा के लिए भारत का दौरा किया था; ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) 18 फरवरी, 1983 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने विस्तारित व्यवस्था की मध्यावधिक समीक्षा पर विचार किया जो आर्टिकल छः परामर्श के साथ-साथ की गई थी और 60 करोड़ एस. डी. आर. की तीसरी किस्त की खरीद का प्राधिकार दे दिया।

गैर निवासी भारतीयों से प्राप्त शिकायतें/सुझाव

6449. **श्री ए. नीलालोहितदासन नाडार** :
श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर निवासी भारतीयों से कोई शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं जैसाकि गैर-निवासी भारतीयों द्वारा भारत में विशाल निवेश के संबंध में 3 मार्च, 1983 के 'इकनामिक टाइम्स' के सम्पादकीय में प्रकाशित हुआ था और यदि हां, तो कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ख) क्या कनाडा में बसे गैर-निवासी भारतीयों द्वारा अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन) के सम्बन्ध में कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो इस विषय पर सरकार के क्या विचार हैं और कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अनिवासी भारतीयों से प्राप्त सुझावों की जांच की गई थी और 1983 के वित्त विधेयक में विशेष उपबन्धों की व्यवस्था कर दी गई है।

इकानामिक टाइम्स के सम्पादकीय में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आमतौर पर प्रशंसा की गई है।

(ख) जी, हां। यू. के., कनाडा आदि में बसे व्यक्तियों से उनके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के संबंध में, जिसमें कृषि भूमि शामिल है, सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

दीव में हवाई अड्डे की मांग

6450. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में दीव में हवाई अड्डे की मांग की जानकारी है;

(ख) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस बारे में कोई प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) नागर विमानन विभाग का दीव में विमान क्षेत्र का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि न तो इण्डियन एयरलाइन्स की और न वायुदूत की ही दीव को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं हैं। तथापि भारतीय वायु सेवा की दीव में छोड़ी हुई हवाईपट्टी का नागर विमानन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। दोनों धावनपथ खराब हैं तथा इन पर फिर से फर्श बिछाने की आवश्यकता है। टैक्सीपथ पर भी फिर से फर्श बिछाने की आवश्यकता है। टर्मिनल भवन बहुत अधिक खराब है तथा इसमें बहुत अधिक मरम्मत करने की आवश्यकता होगी।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के नियम 68-बी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

6451. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, पी. एच. डी. चैम्बर आफ कामर्स, एम्पलायर्स फेडरेशन आफ इंडिया तथा कुछ अलग-अलग नियोक्ताओं ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का ध्यान छूट दिलाये गये नियोक्ताओं की कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के नियम 68-बी में व्याप्त विसंगतियों तथा छूट दिए गये नियोक्ताओं, भविष्य निधि न्यासों आदि के पास जमा अंशदाताओं की भविष्य निधि की राशियों में से वापस न लौटाये जाने वाले ऋण देने जैसे आयकर नियम, 1962 भाग बारह के संयत नियमों की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर नियमों की संगत धारा को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अनुरूप संशोधित करवाने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया था; और

(ग) इस विसंगत स्थिति में कब तक सुधार किए जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इस विषय पर विभिन्न वाणिज्य मण्डलों और कुछ कम्पनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) आयकर नियमों के संगत उपबन्धों में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है और इन उपबन्धों को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना के शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में दैनिक मंजूरी पर मस्टर रोल श्रमिक

6452. **श्री एन. ई. होरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में दैनिक मजूरी पर बड़ी संख्या में मस्टर रोल श्रमिक रखे जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रमिकों की सेवाओं को समय-समय पर जानबूझ कर समाप्त कर दिया जाता है जिससे वे नियमित पदों पर खपाये जाने के पात्र न बन पायें; और

(ग) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1983 को नई दिल्ली में, होटल-वार विशेषकर कनिष्ठ होटल में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों की ट्रांसपोर्ट कम्पनियां

6453. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के निदेशालय की पहल पर सेन्ट्रल कोल फील्ड्स में चलाने के लिए 1979 में भूतपूर्व सैनिकों की बहुत सी ट्रांसपोर्ट कंपनियां गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और परिचालन के लिए उनको कौन-कौन से क्षेत्र सौंपे गए हैं;

(ग) क्या उनमें से कुछ कम्पनियां विशेषकर भूतपूर्व सैनिकों की ब्लैक डायमंडल कैरियर्स (पी) लिमिटेड, रांची इस बीच वित्तीय कठिनाइयों में पड़ गई है क्योंकि ठेके की शर्तों के अनुसार जिन परिवहन दरों का 1 अप्रैल, 1982 को पुनरीक्षण किया जाना था वे अभी तक पुनरीक्षित नहीं की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों को परिसमापन से बचाने के लिए और इन कम्पनियों में लगे भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ) 1980 में ऊर्जा मन्त्रालय और रक्षा मन्त्रालय (पुनर्वास महानिदेशालय) द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई योजना के अन्तर्गत कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में कुछ भूतपूर्व सैनिक परिवहन कंपनियां कोयला ढोने के लिए स्थापित की गई हैं। ये परिवहन कंपनियां मुख्यतया भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए स्थापित की गई।

2. इस समय विभिन्न कोयला क्षेत्रों में निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिक परिवहन कपनियां काम कर रही हैं :—

(क) भारत कुकिंग कोल लिमिटेड

1. फौजी कोल कैरियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।
2. एक्स-फौजी ट्रांसपोर्टर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।
3. सैनिक गुड्स कैरियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।
4. फौजीदार गिल्सन ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड।

(ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

5. एक्स-सर्विसमैन ब्लैक डायमंड कैरियर्स, प्राइवेट लिमिटेड।
6. रेड बाल एक्सप्रेस कैरियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।
7. एक्स-सर्विसमैन यूनाइटेड कोल एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड।
8. एक्स-सर्विसमैन कोल कैरियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

(ग) वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

9. सर्वत्र रोड रनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।
10. केटिन ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड।

(घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

11. ब्लैक गोल्ड कैरियर्स एंड सर्विससेज (प्राइवेट) लिमिटेड।

(ङ) दामोदर वैली कोरपोरेशन

12. एक्स सर्विसमैन ब्लैक गोल्ड ट्रांसपोर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड।
13. सैनिक ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।

3. भूतपूर्व सैनिक परिवहन निगम कंपनियों की वित्तीय स्थिति का पता नहीं है लेकिन कोयला क्षेत्रों में काम कर रही ब्लैक डाइमंड कैरियर्स और अन्य भूतपूर्व सैनिक परिवहन कंपनियों ने पुनर्वास महानिदेशालय के सम्मुख आमतौर पर यह बताते हुए अपनी वित्तीय कठिनाइयों की समस्या रखी है कि सबंधित कोल कंपनियों के साथ किए गए करारों के अन्तर्गत जो दरें संशोधित की जानी थीं, वे समय-समय पर संशोधित नहीं की जा रही हैं। करार के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक परिवहन कंपनियां पेट्रोल/टायर की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप दरों में

संशोधन करने और कीमतों में वृद्धि आम होने के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में दरों की सामान्य समीक्षा करने की हकदार हैं। पुनर्वास महानिदेशालय ने दरों में संशोधन का मामला संबंधित कंपनियों को भेजा है।

हिमालय प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

6454. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के जिला-वार नाम क्या हैं जहां राज्य सरकार द्वारा कलैण्डर वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने की सिफारिश की गई है;

(ख) उनमें से ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने उन शाखाओं को खोलने हेतु लाइसेंस जारी किए हैं तथा संबंधित बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) शेष स्थानों के लिए लाइसेंस कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है; और

(घ) अब तक स्वीकृत शाखाओं में से प्रत्येक शाखा खोलना सुनिश्चित किये जाने की संभावित तारीख क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि के वास्ते शाखा विस्तार कार्यक्रम के अधीन हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शाखा खोलने के लिए 24 केन्द्रों की सिफारिश की थी। 23 केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को आवटन पत्र दिए गए हैं, जिनके जिलेवार, केन्द्रवार तथा बैंक-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। नीति-अवधि के दौरान आवंटित केन्द्रों पर बैंकों द्वारा क्रमबद्ध रूप से शाखाएं खोल दिए जाने की आशा है।

विवरण

जिला		केन्द्र का नाम	आवंटित बैंक
1.	हमीरपुर	1. भरेड़ी	पंजाब नेशनल बैंक
		2. बाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
2.	बिलासपुर	3. कदरौर	भारतीय स्टेट बैंक
		4. धाडोल	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक
3.	चम्बा	5. पारेल	भारतीय स्टेट बैंक
		6. होली	पंजाब नेशनल बैंक
		7. रामपुर	तदेव
4.	कांगडा	8. डागोह	हिमाचल ग्रामीण बैंक
5.	किन्नौर	9. स्पिलो	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक
6.	कुल्लू	10. निथेर	हिमाचल ग्रामीण बैंक

1		2	3
7.	मण्डी	11. बारोट	तदेव
		12. ट्रब्बल	तदेव
		13. महारी	तदेव
8.	शिमला	14. धर्मपुर	यूनाइटेड कार्माशियल बैंक
		15. किंगल	तदेव
		16. पूलबहल	पंजाब नेशनल बैंक
		17. शीलघाट	भारतीय स्टेट बैंक
9.	सिरमौर	18. काकोता	तदेव
		19. भगथान	यूनाइटेड कार्माशियल बैंक
10.	सोलन	20. मझौली	तदेव
		21. बाडी	स्टेट बैंक आफ पटियाला
11.	ऊना	22. मैरा	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
		23. कूंगराट	पंजाब नेशनल बैंक

निर्यात व आयात बैंक द्वारा नई योजना आरम्भ करना

6455. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निर्यात व आयात बैंक का एक नई योजना आरम्भ करने का विचार है जिसके अन्तर्गत उधार लेने वाले विदेशी मुद्रा में धनराशि चुकाएंगे: और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सभी निर्यात संविदाओं में जबकि आयातकर्ता हमेशा सामान्य बैंकिंग पद्धति के माध्यम से विदेशी मुद्रा में अदायगी करता है मौजूदा स्कीम के अन्तर्गत एक्सिम बैंक को अदायगियां (पूतिकर्ता ऋण के मामले में (पूतिकर्ता और क्रेता ऋण के मामले में) क्रेता से भारतीय रुपयों में की जाती है। ऋणकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा में वापसी अदायगी की नई स्कीम तैयार करने का कोई प्रस्ताव इस समय एक्सिम बैंक के पास नहीं है।

हवाला सौदे में शामिल उपक्रम

6456. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हवाला जैसे काले धन के व्यापार में शामिल हैं;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो इनमें शामिल हैं; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) जून-जुलाई 1981 में ली गई तलाशियों के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये दस्तावेजों की प्रारम्भिक छानबीन से अनेक ऐसे व्यक्तियों/फ़र्मों, जिनमें कुछ कंपनियां भी शामिल हैं, के नामों का पता चलता है जिन पर 'हवाला' से फायदा उठाने का संदेह है। जांच पड़ताल चल रही है तथा इसके ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे जांच-पड़ताल की प्रगति में बाधा आ सकती है।

कर अपवंचन रोकने हेतु कदम

6457. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर वसूली के लिए प्रशासनिक क्षेत्र को मजबूत करके, कर कानूनों में त्रुटियां दूर करके और कर नीति का युक्तियुक्त समायोजन करके कर अपवंचन रोकने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि कर अपवंचन का प्रोत्साहन और उसका क्षेत्र कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं और उनकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) सरकार का अधिकृत डीलरों के मार्फत नियंत्रित सामान, खाद्य तेल बेच करके धन की उत्पत्ति और कर अपवंचन रोकने हेतु क्या विचार है; और

(घ) गैर-योजना और अनुत्पादक व्यय पर क्या रोक लगाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) सरकार सभी सम्भव उपायों के माध्यम से कर अपवंचन को रोकने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है।

(ख) कर अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने नये कर निर्धारितियों का पता लगाने तथा विद्यमान कर निर्धारितियों के मामलों की जांच करने, दोनों के लिए उपयोगी सूचना का संग्रह, मिलान तथा प्रसार करने के लिए, तंत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। विभाग ने स्तत आधार पर सर्वेक्षण करने के लिये एक स्थायी सगठन बनाया है। आयकर विभाग के आसूना विग (स्कन्ध) को सुदृढ़ बनाया गया है। जहां कहीं उपयुक्त होता है आयकर अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों के लिये अभियोजन भी चलाये जाते हैं। इन उपायों के परिणामत: वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान 1·06 लाख नए मामलों में आयकर की कार्यवाहियां की गई थी; 1·92 लाख नए मामलों में स्वच्छया आयकर विवरणियां दाखिल की गई थी, 4282 तलाशियां ली गई थीं तथा 30·66 करोड़ रुपये की अघोषित परिसंपत्तियां पकड़ी गई थीं और 390 मुकदमें चलाये गये थे।

उत्पादन शुल्क अपवंचन के खिलाफ भी प्रभावशाली कदम उठाये गये थे। वर्ष 1982 के दौरान पता लगाये गये मामलों की कुल संख्या 7108 है जिनमें लगभग 59 करोड़ रुपये का शुल्क अपवंचन ग्रस्त था जबकि वर्ष 1981 में 52·57 मामलों की पता लगाया गया था जिनमें 50 करोड़ का शुल्क अपवचन ग्रस्त था।

जहां तक तस्करी रोधी प्रयासों का सम्बन्ध है, वर्ष 1982 के दौरान पकड़े गये निषिद्ध

माल का मूल्य लगभग 64·78 करोड़ रुपये है जो वर्ष 1981 की संगत अवधि के दौरान पकड़े गये माल के मूल्य (39·72 करोड़ रुपये) से लगभग 63 प्रतिशत अधिक है। वास्तव में यह गत दशाब्दि के दौरान पकड़े गये निषिद्ध माल का सबसे अधिक मूल्य है।

(ग) काले धन के खिलाफ अभियान एक सतत प्रक्रिया है। काले धन के प्रचलन को रोकने तथा उसकी और बृद्धि की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक वैधानिक तथा संस्थागत सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

(घ) सादगी बरतने और गैर विकासीय व्यय में कमी करने की आवश्यकता लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट किए हुए है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर अनुदेश जारी किये गए हैं। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ साथ टेलीफोन, पेपर के प्रयोग में सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरणों में मितव्यता, हवाई यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाना पेट्रोल की खपत में कमी करना, दिहाड़ी पर अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती में कमी करना पदों को भरने में किफायत बरतना स्टाफकार के प्रयोग को कम करना तथा विदेश यात्रा में कटौती करना आदि शामिल हैं। सभी मन्त्रालयों तथा विभागों से भ। यह अनुरोध किया गया है कि समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी अनुदेशों की स्वायत्त निकायों की जानकारी में भी लाया जाए।

वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध

6458. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी व्यापार में धीरे-धीरे कमी आने के बावजूद भारत 2000 करोड़ रुपये मूल्य की परिहार्य वस्तुओं का प्रतिवर्ष आयात करता है जब कि इन वस्तुओं का देश में उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में किया जा सकता है, सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने हेतु उन मदों का आयात करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) घरेलू उत्पादन एवं मांग तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए आयात नीति तैयार की जाती है। आयात नीति का मुख्य उद्देश्य, स्वदेशी उद्योग को इसके विकास के लिए समर्थन देना है।

आयात नीति में परिवर्तन करने के लिए प्राप्त सुझावों पर विचार करने हेतु एक स्थायी प्रबन्ध है। 1982-83 में, इस संबंध में दिये गये सुझावों पर विचार करने के बाद अनेक मदों के बारे में आयात नीति को अधिक प्रतिबंधित बना दिया गया था।

स्वर्ण शोधक कारखानों की स्थापना

6429. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री नवीन रावणि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई और स्वर्ण शोधक कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वे शोधक कारखाने कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) भारत में कितने स्वर्ण शोधक कारखाने चल रहे हैं और वे कहां-कहां हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कारखाने में कितने सोने का प्रतिवर्ष शोधन किया गया ?

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) तथा (ख) विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा चलाये जाने वाले संग्रहण एवं-वितरण केन्द्र (परिशोधन शालायें) स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ में, अहमदाबाद और मद्रास में ऐसे केन्द्रों को खोलने के बारे में सभी सम्बन्धितों के साथ परामर्श से ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) इस समय, बम्बई स्थिति भारत सरकार की टकसाल को सोने के परिष्करण और और मानक स्वर्ण कड़े बनाने के लिए स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स दिया गया है। कलकत्ता स्थित टकसाल संग्रहण-एवं- वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करती है। कलकत्ता में, एक प्राइवेट परिशोधनशाला कलकत्ता उच्च न्यायालय के व्यादेश के अन्तर्गत कर रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परिशोधनशालाओं द्वारा स्वर्ण व्यापारियों आदि को उनके द्वारा दिये गये सोने के बदले में जारी की गई मानक स्वर्ण छड़ों की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	बम्बई स्थित भारत सरकार का टकशाल	कलकत्ता स्थित प्राइवेट परिशोधनशाला
	(कि. ग्रा.)	(कि. ग्रा.)
1980	12,159	661
1981	9,274	679
1982	10,875	746

बैंक दर में वृद्धि/ गिरावट

6461. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कि पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक दर में कितनी बार वृद्धि हुई अथवा गिरावट आई है और हर बार-वृद्धि अथवा गिरावट के क्या कारण हैं ?

वित्त मत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 1982-83 के दौरान बैंक दर परिवर्तित नहीं हुई है।

राजभाषा अधिनियम का क्रियान्वयन

6462. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन होता है, यदि हां, तो पिछले एक साल में कितने सामान्य आदेश निर्गत किए और उनमें से कितने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में किए गए;

(ख) पिछले एक साल में कुल कितने हिन्दी पत्र प्राप्त हुए तथा उसमें से कितने पत्रों का जबाव हिन्दी में दिया गया;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं निकाली गई और उनमें से कितने हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए गए;

(घ) वर्ष 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए हैं और इनमें से कितनों को शुरू से ही भारतीय नाम दिए गए थे; और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ङ) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1982 के दौरान इस मंत्रालय ने 1322 सामान्य आदेश जारी किए और ये सभी हिन्दी और अंग्रेजी में थे। इसी वर्ष के दौरान 6615 पत्र हिंदी प्राप्त हुए और इनमें से 3761 पत्रों का उत्तर दिया गया। सभी उत्तर हिन्दी में दिए गए। मंत्रालय ने 7 प्रकाशन तैयार किए और ये सभी हिन्दी और अंग्रेजी में थे। विभिन्न कार्यालयों, स्थापनाओं/यूनिटों/पोतों को आमतौर पर भारतीय नाम दिए जाते हैं।

रक्षा मंत्रालय में अनुसूचितनु जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

6463. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षित कोटा प्रत्येक श्रेणी में पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति का बकाया कोटा पूरा करने हेतु क्या विशेष कार्यवाही कर रही है;

(ङ) क्या सरकार उन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करती है जो अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी जानबूझकर उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं; और

(च) यदि हां, तो अभी तक कितने अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के पी. सिंह देव) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय के विभागों में कर्मचारियों की संख्या और उसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत श्रेणीवार इस प्रकार है :—

कर्मचारियों की श्रेणी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	
		सं.	प्रतिशत
समूह "क"	147	20	13.6
समूह "ख"	438	46	10.5
समूह "ग"	433	52	12.0
समूह "घ"	281	88	31.3

(ग) से (च) हालांकि समूह "घ" के कर्मचारियों के लिए निर्धारित कोटा पूरे से भी अधिक है परन्तु समूह "क", 'ख" और "ग" के रिक्त पद मुख्यतया गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा भरे जाते हैं और उनसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि रिक्त पदों को भरते समय वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उक्त मंत्रालय द्वारा रोस्टर रखने, रिक्त पदों को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाने आदि से संबंधित समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद अनिश्चित अवधि तक खाली न रहें।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

6464. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रेणीवार, कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या प्रत्येक उपक्रम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति हेतु आरक्षण के आदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का आरक्षित कोटा पूरा किया गया है, यदि नहीं, तो कोटा पूरा करने के लिए, शीघ्रातिशीघ्र क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आरक्षित कोटे के कब तक पूरा होने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में 1 जनवरी, 1983 को कुल कर्मचारियों की संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या श्रेणी-वार विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां,।

(घ) सभी श्रेणीयों के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए रक्षा के क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें उपक्रमों में भविष्य में नौकरी देने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देना और नियोजन पूर्व प्रशिक्षण देना, अखबारों में विज्ञापन देना, आकाशवाणी से इस बारे में सूचना देना और अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों/संस्थाओं को सूचित करना शामिल हैं। परन्तु अपेक्षित अर्हता रखने वाले उम्मीदवार न मिलने के कारण सभी श्रेणियों-खासकर श्रेणी "क" और "ख" के पदों पर इनकी कम नियुक्ति अभी भी बनी हुई है।

विवरण

(1 जनवरी 1983 की स्थिति)

क्र सं.	उपक्रम का नाम	श्रेणी "क" कुल सं.	श्रेणी "क" अनु. जा.	श्रेणी "क" अनु. ज. जा.	श्रेणी "ख" कुल सं.	श्रेणी "ख" अनु. जा.	श्रेणी "ख" अनु. ज. जा.	श्रेणी "ग" कुल स.	श्रेणी "ग" अनु. जा.	श्रेणी "ग" अनु. ज. जा.	श्रेणी "घ" सफाइवालों को छोड़कर कुल सं.	श्रेणी "घ" सफाइवालों को छोड़कर अनु. जा.	श्रेणी "घ" सफाइवालों को छोड़कर अनु. ज. जा.	सफाई वाले कुल सं.	सफाई वाले अनु. जा.	सफाई वाले अनु. ज. जा.
1.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	3,910	251	38	2,759	174	41	31,454	3,861	686	2,089	542	156	225	147	11
2.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	1,125	57	6	860	47	4	13,440	2,010	29	1,281	301	6	468	453	शून्य
3.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	412	32	7	988	59	18	10,367	1,914	194	902	235	53	101	88	3
4.	माझगांव डाक लिमिटेड	742	32	7	106	1	3	1,128	84	10	11,696	933	256	69	63	शून्य
5.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इन्जीनियर्स लिमिटेड	756	20	4	362	15	3	9,507	1,154	426	·		...	158	152	6
6.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	80	3	शून्य	8	2	शून्य	1,090	41	शून्य	554	101	1	11	8	शून्य
7.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	40	2	1	117	9	शून्य	1,520	228	8	269	75	शून्य	23	15	1
8.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	97	13	शून्य	25	3	शून्य	961	145	16	103	40	7	18	14	4
9.	मिश्रधातु निगम लिमिटेड	127	5	2	103	15	3	756	101	11	232	64	23	शून्य	शून्य	शून्य

राजभाषा अधिनियम का क्रियान्वयन

6465. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन होता है, यदि हां, तो पिछले एक साल में कितने सामान्य आदेश निर्गत किये गये और उनमें से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में किए गये;

(ख) पिछले एक साल में कुल कितने हिन्दी पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने पत्रों का जवाब हिन्दी में किया गया;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन पत्रिकायें निकाली गई और उनमें से कितने हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए गये;

(घ) वर्ष 1968 के बाद कितने कार्यालय 1 संगठन स्थापित किये गये हैं और इनमें से कितनों को शुरू से ही भारतीय नाम दिये गये थे; और

(ङ) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां, ।

पिछले वर्ष में, 358 सामान्य आदेश जारी किए गए थे । वे सभी सामान्य आदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए थे।

(ख) पिछले वर्ष में, 1623 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे, जिनमें से 790 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए थे। शेष पत्र केवल सूचनार्थ थे और उनके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) मंत्रालय द्वारा दो प्रकाशन जारी किए गए थे, जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थे ।

(घ) शून्य ।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्टेनलेस स्टील के सिक्के आरम्भ करना

6466. **श्री केयूर भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय का विचार शुद्ध स्टेनलस स्टील के सिक्के आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई टकसाल के प्रबन्धक को इस प्रस्ताव पर तकनीकी दृष्टि से जांए करने के लिए कहा गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जर्नादन पुजारी): (क) और (ख) निकल स्टील शुद्ध स्टेनलेस स्टील के सिक्के निर्माण करने के प्रस्ताव पर अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में

विचार किया जा रहा है। इसलिए इस अवस्था में प्रस्ताव के और अधिक ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां,।

मध्य प्रदेश में रायपुर के लिए बोइंग विमान सेवा :

6467. **श्री केयूर भूषण : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों में बोइंग विमानन सेवा प्रारम्भ की गई है;

(ख) क्या रायपुर को भी बोइंग विमान सेवा से जोड़ा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो रायपुर को बोइंग विमान सेवा से कब तक जोड़ा जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क)
1. ग्वालियर

2. भोपाल

3. खजुराहो

4. इंदौर

(ख) और (ग) जी, नहीं। दिल्ली/रायपुर तथा भोपाल/रायपुर सैक्टरों पर यात्री यातायात बोइंग-737 सेवाएं प्रचालित करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

बड़े उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

6468. **श्री ए. के. राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उत्पादों जैसे कोयला, पेट्रोलियम उर्वरक और इस्पात की कीमतों में तथा डाक प्रभार में पिछले दस वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है और ऊपर-लिखित उत्पादों के लिए बढ़ी हुई कीमत और उसकी तारीख बताते हुए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें हुई वृद्धि से राजस्व की कितनी धनराशि बढ़ी है;

(ग) क्या अधिकांश मूल्य वृद्धियां बजट प्रस्तुत होने से पूर्व हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) कोयला, उर्वरक, इस्पात पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में कीमत वृद्धि की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल. टी. 6350/83] ऐसी मदों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, उर्वरक और इस्पात की कीमतों में वृद्धि सामान्यत: लागत वृद्धि के प्रभाव की द्योतक होती है ये संशोधन, जैसी जरूरत होती है, वाणिज्य/आर्थिक विचार के आधार पर किये जाते हैं। इस रूप में उन्हें बजट के लिए राजस्व जुटाने के उपाय नहीं समझा जा सकता। डाक-दरों में वृद्धि के राजस्व अनुमान और इन वृद्धियों के वर्ष भी संलग्न विवरण में दिये हैं।

स्टाक एक्सचेंज न्यूज सर्विस के लिए यू. एन. आई. का आवेदन पत्र

6469. **श्री भीखा भाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान युनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया, सरकारी अनुदान प्राप्तकर्ता एजेंसी के वित्तीय कार्यों के बारे में 1-15 फरवरी, 1983 की "सूर्या इण्डिया" पत्रिका में प्रकाशित समाचर रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या युनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया ने वित्त मंत्रालय की स्टाक ऐक्सचेंज डिवीजन से बम्बई स्टाक ब्रोकर फर्म के नाम पर स्टाक एक्सचेंज न्यूज सर्विश आरम्भ करने के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) देश के विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के लिए बम्बई की एक स्टाक ब्रोकर फर्म के नाम पर स्टाक ऐक्सचेंज न्यूज सर्विस आरम्भ करने के लिए युनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया से वित्त मंत्रालय के स्टाक एक्सचेंज डिवीजन के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसलिए इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विमान और उपकरणों की खरीद के नियम :

6470. **श्री भीखा भाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान और उपकरण खरीदने के लिए नियमों में क्या कमियां हैं;

(ख) क्रय समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है, यदि कोई हो;

(ग) विमान के ऐरो ब्रिजेज और अन्य आवश्यक हिस्सों की खरीद की प्रक्रिया और तरीका क्या है; और

(घ) तीन महीने का नोटिस देकर विश्व निविदाओं को न मंगाकर नियमों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) हवाई निगम कमियां न होने देने की दृष्टि से विमान तथा उपकरण खरीदने के लिए निर्धारित कार्यविधि का पूरी तरह से पालन करती हैं।

(ख) कोई स्थायी क्रय समितियां नहीं हैं। तथापि, जब कभी आवश्यकता साथ-साथ, अन्य होती है विमानों का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर समितियां बातों के गठित की जाती हैं।

(ग) आयातित वस्तु होने के कारण एयरो ब्रिजों की खरीद उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशक से स्वदेशी वस्तु की दृष्ट से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद तथा विदेशी मुद्रा

दिए जाने के संबंध में सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद की जाती है। ये स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद, विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित करने का नोटिस तैयार किया जाता है तथा समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार करने, दिल्ली स्थित उच्चायोगों तथा दूतावासों को सूचित करने और संभावित विनिर्माताओं को सूचित करने के बाद संभावित निविदाकर्माओं को भेज दिया जाता है। ऐसी निविदाएं प्राप्त करने के लिए दिया गया समय 90 दिन या अधिक दिन होता है।

अनिवार्य हिस्से.पुर्जे तथा उपकरण विमान के साथ ही खरीदे जाते हैं। बाद में की जाने वाली खरीदें, इन्जिनियरी, लेखा भंडार तथा भू-सेवाओं संबंधी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक प्रावधानकर्ता समिति द्वारा विस्तारपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद की जाती हैं। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, खरीददारी करने के लिए अगली कार्रवाही विभिन्न प्राधिकारियो को दी गई वित्तीय शक्तियों के अनुसार की जाती है।

(घ) विमानों की खरीद के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि विमानों के कुछ ही निर्माता हैं और उसी प्रकार के विमानों का विनिर्माण एक से अधिक कम्पनियों द्वारा नहीं किया जाता। इसलिए विमानों की खरीद उन विमान विनिर्माताओं से की जाती है जिस विमान का चयन एयरलाइन्स द्वारा सम्बन्धित निदेशक मंडल के विस्तृत अध्ययन तथा सिफारिशों के आधार पर और इस प्रयोजन के लिए निधारित कार्यविधि का अनुसरण करने के बाद किया जाता है।

बिना निदेशकों के वित्तीय संस्थान

6471. **श्री आर. एम. राकेश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान बिना निदेशकों के सरकारी वित्तीय संस्थानों के संबंध में प्रकाशित समाचार (7 फरवरी, 1983 का फाइनेंसियल एक्सप्रेस) की ओर दिलाया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों का पूरा ब्यौरा क्या है और वहां नियुक्तियों में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) "फाइनेंसियन बांडीज विदाउट डायरेक्टर्स" शीर्षक से, 7 फरवरी, 1983 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार सरकार ने देखा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों के गठन के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

(1) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल पिछले साल के शुरू में पुनर्गठित किए जा चुके थे।

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल में, तीन नए गैर-कर्मचारी निदेशक 15.3.83 को नियुक्त किए गए हैं।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, 18.3.83 को पुनर्गठित किया गया।

(4) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारत के निर्यात-आयात बैंक के निदेशक मंडल भी इस बीच गठित किए जा चुके हैं।

(5) इस समय, भारतीय स्टेट बैंक केन्द्रीय बोर्ड के पुनर्गठन का कार्य चल रहा है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था संबधी कार्यशाला

6472. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1983 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर एक कार्यशालाका आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कार्यशाला में भाग लेने वालों द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की बारी की से की गई समालोचना पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो कार्यशाला में की गई प्रमुख टिप्पणियां क्या थीं; और

(घ) मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य 'एसोशैम' द्वारा 12 जनवरी, 1983 को नई दिल्ली में 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था की संभावनाओं' के संबंध में आयोजित कार्य शालाका उल्लेख कर रहे हैं। उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों ने अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों जैसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि, कृषि और उद्योग के निष्पादन, कीमतों, भुगतान शेष आदि के कार्य-निष्पादन के संबंध में मंतव्य प्रकट किए थे।

(घ) संसद में प्रस्तुत की गई 1982-83 की आर्थिक समीक्षा और बजट भाषण में मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने, अर्थ-व्यवस्था में उत्पादक शक्तियों को सुदृढ़ करने तथा बाह्य भुगतान शेष की सक्षम स्थिति प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्यौरे दिए गए हैं।

चीन द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता

6473. **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को फरवरी, 1983 में चीन से, पूर्वनियोजित 18ए-5 ग्राउन्ड अटैक विमानो में से छः विमान प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो चीन में अब तक पाकिस्तान को कुल कितनी सहायता दी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी सैनिक कर्मचारियों को चीनियों द्वारा प्रतिक्षित किया जा रहा है;

(घ) चीनी ए-5 ग्राउंड-अटैक विमान भारतीय सुरक्षा के लिए किस हद तक खतरनाक होंगे; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा ऐसे विमान प्राप्त कर लिए जाने से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकट रामन) : (क) चीन द्वारा पाकिस्तान को ए-5 विमान सप्लाई किए जाने की प्रेस रिपोर्ट सरकार ने देखी हैं।

(ख) विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने इस बारे में रिपोर्टें देखी हैं।

(घ) और (ङ) हमारे सुरक्षा परिवेश में हो रही सभी गतिविधियों पर सरकार निगरानी रखती है और पूरी रक्षा तैयारी को बनाये रखने के लिए उपयुक्त उपाय करती है। आगे और ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

बिहार में ऐतिहासिक महत्व और लोक संस्कृति के स्थल

6474. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार राज्य में ऐतिहासिक महत्व और लोक संस्कृति के कितने स्थलों का पता लगाया गया है; और

(ख) पूर्वी चम्पारन जिला मोतिहारी में ऐसे स्थलों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विभाग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके बिहार में पर्यटन विकास के लिए निर्धारित किए गए स्थानों के नाम हैं :

पटना, नालन्दा, राजगीर, भीमबन्ध, गया, बोद्यगया, सासाराम, बक्सर, जगदीशपुर, मन्नर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, अरेराज, मोतीहारी, बरहरवा, बेतिया, लोरिया, नन्दनगढ़, बालमीकि नगर, रक्सौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पावापुरी, तिलैया बांध, पारसनाथ, हजारीबाग, बेतला, नेतरहाट और रांची।

(ख) बिहार में जिन स्थानों पर पर्यटन विकास किया जाना है उनमें पूर्वी चम्पारन जिले में मोतीहारी एक स्थान है। पूर्वी चम्पारन में राष्ट्रीय तौर पर संरक्षित स्थान हैं-लौरिया में अशोक स्तम्भ, केसरिया में अरेराज स्तूप और सागरदीह में बिना खुदा टीला।

भारत में यूरोपीय निवेश की सभावनाएं

6475. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1983 को समाचार पत्रों में प्रकाशित श्री फ्रांस एण्डरीसन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक सदस्य के हाल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि निकट भविष्य में अधिक यूरोपीय निवेश की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यूरोपीय देशों के साथ सहयोग के लिए कदम उठाए जाएंगे ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय प्रोद्योगिकी प्रबन्धों के संदर्भ में एक मुख्य भागीदार है। सरकार इस बात को मानती है कि भारतीय कम्पनियों के साथ ऐसे प्रबन्धों को बढ़ाने की अच्छी गुंजाइश है। भारतीय निवेश केन्द्र हमारी

नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रचार करने और विशिष्ट सहयोग प्रबन्धों को बढ़ाने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है और मेलों आदि, में भाग ले रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित योजना

6476. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों सेवानिवृत होने वाले सेना कार्मिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में निजी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में, 1 अप्रैल, 1983 से प्राथमिक आधार पर एक नई योजना 'पेक्सेम' (भूतपूर्व सैनिकों का निजी रोजगार चलाने के लिए तैयार करना) लागू की गई है। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के. जे. सी. ओ. और अन्य रैंकों के सेवानिवृत्त होने वाले सेना कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों को उनके गांव के समीप बसाने के लिए लागू की गई है।

(2) यह योजना प्राथमिक आधार पर दो वर्ष अर्थात 1983-84 और 1984-85 के लिए 6 जिलों-पंजाब. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु प्रत्येक में एक योजना के आधार पर चलाई जाएगी। पहले वर्ष में प्रत्येक जिले से 10.0 कार्मिक चुनकर 600 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में यह संख्या बढ़कर 900 कर दी जाएगी।

(3) इस योजना के कार्यान्वियन में पुनर्वास महानिदेशालय, जिला सैनिक बोर्ड. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिले के मुख्य बैंक और जिला उद्योग केन्द्र औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थान सहयोग करेंगे।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के मन्तव्य और रुचि को ध्यान में रखते हुए स्थान-विशेष के आधार पर प्रशिक्षण के ट्रेड रखे जाएंगे।

(5) प्रशिक्षण की अवधि तीन से चार महीने के बीच होगी।

(6) इस योजना के कार्यान्वियन पर विभिन्न उप-समितयां निगरानी रखेंगी। जिला-स्तर पर जिलाधीश समिति के अध्यक्ष होंगे, राज्य-स्तर पर मुख्य सचिव और

(7) प्रशिक्षण के दौरान आवास और भोजन के खर्च के रूप में भूतपूर्व सैनिक को 250 रुपये प्रतिमाह की वृत्ति दी जाएगी। प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा।

(8) प्रशिक्षण के बाद भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम 3,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस सहायता की वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि भूतपूर्व सैनिक किस

प्रकार की परियाक्षरण चलाना चाहता है, उस परियोजना की अर्थक्षमता और निजी रोजगार परियोजना को शुरू करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों द्वारा निवेश की जाने वाली रकम के लिए कितनी राशि उधार लेने की जरूरत पड़ेगी।

(9) भूतपूर्व सैनिकों को जिस सहकारी संख्या में कम से कम 10 व्यक्ति हों उसे परियोजना की लागत के 50% तक वित्तीय सहायता पाने का हक होगा परन्तु इसकी अधिकतम रकम सहकारी संख्या के प्रति सदस्य के हिसाब से 3.000 रु. तक सीमित होगी।

(10) इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षरण पाने के बाद जो भूतपूर्व सैनिक निजी रोजगार परियोजना चलाना चाहते हैं उन्हें केन्द्रीय सैनिक बोर्डों के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत बैंक ऋरण पर ब्याज में सहायता पाने का भी हक होगा।

यौन विशेषज्ञ कांड में सम्मिलित आय-कर कर्मचारी

6477. **श्री सुभाष यादव** :

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपराध शाखा ने अक्तूम्बर, 1982 में बड़ी संख्या में आय-कर कर्मचारियों को एक यौन-विशेषज्ञ कांड में सम्मिलित पाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कांड में सम्मिलित पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर 1982 को प्रकाशित उस कथित कांड की एक प्रैस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें नई दिल्ली में एक हकीम और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के निवास/क्लीनिक पर मारे गए छापे के कारण उत्पन्न मामले के निपटान के सम्बन्ध में आयकर विभाग के कुछ अधिकारी ग्रस्त हैं। मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि मामले का निर्णय उपयुक्त आयकर प्राधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया था।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पुराने पड़ते जा रहे एच. टी-2 प्रशिक्षण विमान के स्थान पर नया विमान प्रयोग में लाया जाना

6478. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा सेनाओं के लिए पुराने पड़ते जा रहे एच. टी-2 प्रशिक्षण विमान को बदलने के लिए एक नए प्रशिक्षण विमान का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो नए विमान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ऐसे विमान को प्राप्त करने और उसका विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो चयन में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री ग्रार. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) यह विमान ग्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त उपयोगी है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में इसका विकास ग्रन्तिम चरणों पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यौन-रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक से दस्तावेज जब्त किया जाना

6479. **प्रो. ग्रजित कुमार मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रायकर विभाग ने एक यौन रोग विशेषज्ञ क्लिनिक पर मारे गए छापे के दौरान कर ग्रपवंचन सम्बन्धी ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी प्रवर्तन निदेशालय को भी ग्रावश्यकता थी;

(ख) क्या ग्रायकर विभाग ने यह मामला एक ऐसे ग्रायुक्त श्री रणवीर सिंह को सौंप दिया था, जो कुछ सप्ताह बाद सेवा निवृत्त होने वाले थे ग्रौर जिन्होंने न केवल ग्रपनी सेवा-निवृत्ति से एक दिन पहले पूरा मामला निपटा कर क्लिनिक को बेदाग करार दे दिया था, बल्कि उक्त क्लिनिक को, प्रवर्तन निदेशालय की मांग की ग्रोर ध्यान दिए बिना सभी दस्तावेज वापिस कर दिए थे; ग्रौर

(ग) क्या ग्रायकर विभाग के इतिहास में यह पहला ग्रवसर था, जबकि एक मामले को इतनी शीघ्रता से उस ग्रधिकारी द्वारा निपटान कर दिया गया, जो ग्रगले दिन सेवा-निवृत्त हो रहा था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) यौन रोग विशेषज्ञ के क्लीनिक ग्रौर परिसरों की तलाशी लेने पर विदेशी मुद्रा के लेन-देन से सम्बन्धित कतिपय दस्तावेज भी बरामद किये गये थे। व्यवसायियों से सम्बन्धित मामले, ग्रायकर ग्रायुक्त, दिल्ली VIII के ग्रधिकार क्षेत्र में ग्राते हैं जिस पद पर तब श्री रणवीर चन्द्र तैनात थे, तदनुसार उन्होंने इस मामले का निपटान किया था। निपटाए गए मामलों में क्लिनिक को बेदाग करार नहीं दिया गया। सम्बन्धित व्यक्ति (व्यक्तियों) के विदेशी मुद्रा के लेन-देन से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विधिवत् रूप से जांच की गई ग्रौर फोटोस्टेट प्रतियां, जहां मांगी गयी मुहैया की गई थी। उपरोक्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां वापस नहीं दी गई हैं ग्रौर न ही प्रवतन निदेशालय की माग को नजरग्रन्दाज करते हुए कोई ग्रन्य दस्तावेज ही वापस किए गए हैं।

ग्रागरा छावनी में नकली पट्टे पर भूमि का ग्राबंटन

6480. **श्री निहाल सिंह** :

श्री राम सिंह शाक्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी सम्पदा कार्यालय, ग्रागरा ने 1980 के ग्रन्त में कुछ विशेष व्यक्तियों को दस-दस एकड़ भूमि नकली पट्टों पर ग्राबंटित की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह पट्टा इसलिए नकली था कि स्टाम पेपर 17 नवम्बर,

1980 को खरीदे गए थे जबकि उन पर अंकित पट्टे की तारीख 2० अक्तूबर, 1980 दर्शाई गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त मामले के विरुद्ध रक्षा मंत्रालय को शिकायत की गई थी लेकिन रक्षा सम्पदा, लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों ने न केवल इस मामले को दबाने की कोशिश की बल्कि संबंधित फाइल भी इधर-उधर कर दी; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इस मामले में आवश्यक जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड देने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ) सैनिक सम्पदा कार्यालय, आगरा सर्किल, आगरा ने 5.1.80 को 26.46 एकड़ रक्षा के दो प्लाट दो व्यक्तियों को पट्टे पर दिए।

2. आबंटित किए गए दो प्लाटो के लिए सैनिक सम्पदा कार्यालय, आगरा सर्किल ने 27.10.1980 को प्रति 10 रु. मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर पट्टा करार मूल रूप से तैयार किए। पट्टा करार प्रति 15 रु. मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर तैयार किए जाने थे इसलिए पजीकरण अधिकारियों ने उन्हें पंजीकरण करने से इन्कार कर दिया। इसलिए इन दो व्यक्तियों ने पांच-पांच रु. मूल्य के स्टाम्प पेपर 17 नवम्बर, 1980 को और खरीदे, उन पर पट्टा करार तैयार किया जिसमें करार के 27.10.80 को निष्पादित होने का उल्लेख किया गया और पिछले सैनिक सम्पदा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये जो तब तक आगरा से स्थानान्तरित हो चुका था। बाद में नए सैनिक सम्पदा अधिकारी, आगरा सर्किल ने दिसम्बर, 1980 में इन पट्टाधारियों को विधिवत् पंजीकृत पट्टे वापस लौटाने को कहा। तदनुसार पट्टाधारियों ने उक्त पट्टे सैनिक सम्पदा अधिकारी आगरा को लौटा दिए जिसने फरवरी 1981 में इन पट्टाधारियों को सूचित किया कि स्टाम्प पेपरों की खरीद की तारीख और पट्टे के निष्पादन की तारीख में विसंगति है इसलिए मामले की जांच की जा रही है और उक्त पट्टे उन्हें वापस नहीं किए जा सकते। ये पट्टे अब सैनिक सम्पदा अधिकारी आगरा के कार्यालय में नहीं हैं।

3. शिकायत की जांच की जा रही है।

झांसी छावनी की भूमि पर आवासीय एकक

6481. **श्री निहाल सिंह :**

श्री राम सिंह शाक्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1982 में कुछ लोगों ने झांसी छावनी प्राधिकरण को झांसी छावनी की भूमि सर्वे संख्या 47 जो जी. एल. आर. में कब्रिस्तान के रूप में दर्शाई गई है, पर आवासीय एककों के निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन किया था और क्या इन लोगों में से कुछ के आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए गए थे और यदि हां तो इन आवेदन पत्रों को स्वीकार करने का आधार क्या था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब छावनी सम्पत्ति मंडल के आगरा कार्यालय ने इस पर आपत्ति की, तो रक्षा भूमि निदेशालय और छावनी विभाग, लखनऊ के निदेशक ने उक्त

सम्पदा अधिकारी की आपत्ति को निराधार घोषित करते हुए रद्द कर दिया था और कब्रिस्तान में आवासीय एककों का निर्माण कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी. एल. आर, सर्वे संख्या 47 के एक भाग के मालिक द्वारा भवन निर्माण का नक्शा प्रस्तुत करने पर छावनी बोर्ड, झांसी ने दिसम्बर 1981 में भवन निर्माण की मंजूरी दी थी। यह भूमि निजी स्वामित्व के अधीन है इसमें अधिकतर निर्माण पहले ही हो चुका है और इस भूमि पर भवन निर्माण पर रोक लगाने की कोई योजना नहीं है इसलिए मंजूरी दे दी गई थी।

(ख) जी हां। क्योंकि भूमि निजी स्वामित्व के अधीन थी इसलिए ए. ई. ओ. आगरा की आपत्ति को रद्द करना सही था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में हेरोइन घोटाला

6482. **श्री जगपाल सिंह** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजधानी में एक हेरोइन घोटाले का पर्दाफाश किया गया है जिसमें एक विदेशी राजदूत भी सम्मिलित है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और तत्सम्बन्धी गिरोह का काम करने का तरीका क्या था और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) सरकार को मिली सूचना के अनुसार नई दिल्ली स्थित एक दूतावास में नियोजित एक विदेशी राष्ट्रिक को पेरिस में दिनांक 18.2.83 को गिरफ्तार किया गया था, जिसने अपने सामान में 15 किलोग्राम हीरोइन छिपाई हुई थी। उसने बताया कि जिस सूटकेस में निषिद्ध माल था, वह उसे नई दिल्ली में किसी व्यक्ति ने दिया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में यथोचित कार्रवाई कर रहा है।

एयर कन्डीशनिंग और रेफ्रिजेरेशन सम्बन्धी उद्योग को कर राहत

6483. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर कंडीशनिंग एण्ड रेफ्रिजेरेशन एसोसिएशन ने सरकार से कर प्रस्ताव और उद्योग हेतु अनुदान राहत की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उत्पादन शुल्क के भारी दबाव के कारण इस उद्योग में क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) "आल इण्डिया एअर कंडीशनिंग एण्ड रेफ्रीजेरेशन एसोसिएशन" ने सरकार को, वातानुकूलन और

प्रशीतन उद्योग के विषय में वर्तमान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क योजना की समीक्षा करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है परन्तु इन्हें स्वीकारने योग्य नहीं पाया गया है।

सरकारी क्षेत्र का कार्य निष्पादन

6484. **श्री बी. बी. देसाई :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र का कार्य निष्पादन 1982-83 की प्रथम छमाही में कुल बिक्री, सकल लाभ, निवल लाभ और वास्तव में उत्पादन के सम्बन्ध में कुल मिला कर सुधरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस्पात और कोयला सहित दो प्रमुख क्षेत्रों को धक्का पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो जुलाई-सितम्बर की तिमाही के बाद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति क्या है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि 1983-84 के दौरान इस्पात और कोयला सहित दो प्रमुख क्षेत्रों का सुधार हो, क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पट्टाभिराम राव**) : (क) 1982-83 के दौरान सरकारी उद्यमों के अनुमानित ताजा कार्यचालन परिणामों से अनेक क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल बिक्री एवं लाभकारिता एक उत्पादन के रूप में सुधार दिखायी पड़ता है।

(ख) 1982-83 की पहली छमाही के दौरान इस्पात पिंडों तथा बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 1981-82 की उसी छमाही के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में मामूली सी गिरावट दिखाई पड़ती है परन्तु वर्ष की दूसरी छमाही में यह कमी पूरी हो गई है। किन्तु, 1982-83 की पहली छमाही के दौरान कच्चे कोयले के उत्पादन में 1981-82 की उसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है।

(ग) 1982-83 के प्रथम 9 महीनों के दौरान उत्पादन आंकड़ों के समग्र विश्लेषण से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष इसी छमाही के दौरान हुये उत्पादन की तुलना में कच्चे कोयले, लिग्नाइट (तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा) कच्चे पेट्रोलियम और परिष्कृत कच्चे तेल (भारतीय सीमेंट निगम द्वारा) सीमेंट, तांबा और एल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ा है। भारी इंजीनियरी समूह के उद्योगों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उर्वरकों तथा खनिज एवं धातु के उत्पादन में गिरावट भी आई है।

(घ) इस्पात और कोयला क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार की निरन्तर समीक्षा की जाती है जिसमें निम्नलिखित सदुपाय शामिल हैं :

(I) सरकार, सरकारी उद्यमों में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं जैसे परिवहन, बिजली, आधारभूत कच्चे माल आदि की व्यवस्था करके उनके कार्य-निष्पादन का सर्वोच्च स्तर पर परिवीक्षण करती है।

(II) शीर्ष प्रबन्धकीय कार्मिकों के चयन एवं मूल्यांकन को बेहतर बनाना तथा शीर्ष रिक्त पदों को यथा समय भरना।

(III) मजूरी विवादों को शीघ्र तय करना।

(IV) प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करना।

(V) संयन्त्र और मशीनों की निवारक एवं पूर्वानुमानित अनुरक्षण पद्यति लागू करना।

(vI) यथावश्यक संतोलक सुविधाओं तथा निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों में अतिरिक्त पूंजी निवेश की स्वीकृति देना।

वर्तमान उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस प्रणाली का पुनरावलोकन करने के लिए समिति

6485. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस प्रणाली का पुनरावलोकन करने और अब तक इस बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों पर इसको लागू करने की संभाव्यता की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) इस समिति के सदस्य कौन-कोन हैं और इसके विचारणीय विषय क्या हैं; और

(ग) इस समिति के अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) एक विबरण-पत्र संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ पदों पर लागू उत्पादकता सम्बद्ध योजना के कार्य प्रचालन की सभी पहलुओं से जांच करने और सिफारिशें करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने "अधिकारियों के समूह" का गठन किया है। विभिन्न संगठनों में लागू की गई उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना के प्रचालन के दौरान अब तक जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वे तथा सामान्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना लागू करने के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संस्थाओं द्वारा की गई मांग भी इस "अधिकारियों के समूह" के विचार के लिए भेजी गयी हैं।

"अधिकारियों के समूह" में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. श्री वजले करीम ... अध्यक्ष
सचिव (समन्वय), मन्त्रिमण्डल सचिवालय

2. श्री के. वी. शेषाद्रि, ... सदस्य
अपर सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग

3. श्री आर. आर. सबूर, सदस्य
भूतपूर्व सदस्य (वित्त) डाकतार बोर्ड

श्री जी. एन. टंडन लेखा नियन्त्रक, वित्त मंत्रालय इस "अधिकारियों के समूह" के सचिव हैं।

ऐसी आशा है कि यह "अधिकारियों का समूह" 30 अप्रैल, 1983 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

1979 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर पेंशन नियम लागू करना

6486. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 से पूर्व केन्द्रीय सरकारी सेवा से निवृत्त उन व्यक्तियों की वर्तमान संख्या क्या है जिन पर नवीनतम सेवानिवृत्त नियम लागू नहीं होते हैं;

(ख) यदि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम विनिर्माण के अनुपालन में उन पर भी नवीनतम नियमों को लागू किया जाए, तो सरकार को कितना अनुमानित अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा; और

(ग) 1979 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए उन व्यक्तियों पर नवीनतम पेंशन नियम लागू न किये जाने का तर्क और औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) ऐसे व्यक्ति जो 1969 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुये तथा जो नवीनतम सेवा निवृत्ति नियमों के अन्तर्गत नहीं आते, लगभग 11 लाख हैं।

(ख) मोटे अनुमान के आधार पर इसमें वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक बकाया राशि के रूप में 204 करोड़ रुपये का अनुमानित अतिरिक्त व्यय और इसके अलावा 1983-84 से आगे 51 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस विषय से सम्बन्धीत निर्णय की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। मामले पर निर्णय हो जाने की सूचना मिली है परन्तु निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

टी. वी. सैटों के उत्पादन के लिए करों में रियायतें

6487. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी लोगों को टी. वी. सेट उपलब्ध कराने के लिये करों में रियायत आदि देने के लिए कौन से प्रस्ताव मन्त्रालय के विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : इस समय मन्त्रालय किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है जिसके अन्तर्गत सभी को टी. वी. सेट उपलब्ध कराने की दृष्टि से करों में छूट प्रदान की जा सके।

कोयला परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण

6488. **श्री पी. एम. सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत सरकार को यह सूचना दी है कि वह दो कोयला परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक के किसी उच्चधिकारी दल ने मार्च 1983 में भारत का दौरा किया था;

(ग) क्या विश्व बैंक ने यह कहा कि वह इस बारे में अन्तिम निर्णय जुलाई, 1983 में लेगा;

(घ) उन कोयला परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विश्व बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा; और

(ङ) उन परियोजनाओं को कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) सिंगरौली कोयला क्षेत्र स्थित दुदीचुआ खुली खान (ओपन कास्ट) और झरिया कोयला क्षेत्र स्थित ब्लाक II खुली खान परियोजनाओं को सहायता के लिये विश्व बैंक समूह के सामने प्रस्तुत किया गया है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक के एक शिष्टमंडल ने फरवरी/मार्च 1983 में भारत का दौरा किया था। बैंक की प्रतिक्रिया का इन्तजार किया जा रहा है।

परियोजना, और उपकरण निगम (प्रोजेक्ट एण्ड एक्युपमैण्ट कार्पोरेशन) द्वारा अल्जीरिया में एक मिल की स्थापना किया जाना

6489. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना और उपकरण निगम (प्रोजेक्टस एण्ड इक्युपमैण्ट कार्पोरेशन) का विचार अल्जीरिया में एक कपड़ा मिल की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो उस सयंत्र पर क्या लागत आयेगी;

(ग) अन्य भारतीय फर्मों ने समुद्र पार देशों में और कितनी कपड़ा परियोजनाओं की स्थापना की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) इस टर्नकी परियोजना संविदा का मूल्य 62.8 करोड़ रुपये है।

(ग) तथा (घ, एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशों में भारतीय संयुक्त परियोजनाओं के रूप में स्थापित कपड़ा मिलें

क्र. संख्या	भारतीय हिस्सेदारों के नाम	देश/सहयोग का क्षेत्र	भारतीय इक्वटी वितरण (लाख रुपये
1.	दी सैन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यू. कं. लि.	इन्डोनेशिया/यार्न	38.5
2.	भारत कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	इन्डोनेशिया/यार्न	69.1

1	2	3	
3.	शाहीबाग एन्टरप्रैन्यूअर्स प्रा. लि.	इन्डोनेशिया/पालिस्टर तथा ब्लोन्डिड यार्न	141.4
4.	गोकक पटेल वौल्कार्ट लि.	इन्डोनेशिया/कपड़ा मिल	226.0
5.	बोम्बे डाइंग एण्ड मैन्यू. कं. लि.	इन्डोनेशिया/कपड़ा मिल	147.9
6.	दी ग्वालियर रेजन सिल्क मैन्यू. (वीविंग) कं. लि.	इण्डोनेशिया/विसकोस स्टैपल फाइवर	160.0
7.	दि रेमंड वूलन मिल्स लि.	कीनिया/ऊनी वस्त्र	203.9
8.	जे. के. सिन्थेटिक्स लि	कीनिया/सिन्थेटिक फिलामैंट यार्न	346.9
9.	बिरला काटन स्पी. एण्ड वीविंग मिल्स	मलेशिया/सिन्थैटिक तथा ब्लैन्डिड फैब्रिक्स	83.3
10.	क्वालिटी टैक्सटाईल ऐसोसिऐट्स	मलेशिया/काटन तथा ब्लैन्डिड यार्न	53.8
11.	करम चंद थापर एण्ड ब्रार्दस लि.	नाइजीरिया वेस्ट काटन ब्लैंकैट्स	20.7
12.	इस्टर्न स्पीनिंग मिल्स लि.	फिलिपीन्स/यार्न	33.0
13.	बिरला ब्रदर्स प्रा. लि.	थाइडलैं/सिन्थैटिक एण्ड काटन यार्न	7.5
14.	ग्वालियर रेय्रन सिल्क मैन्यू. (वीविंग) कं. लि.	थाइलैंड/सिकौंस स्टैपल फाइवर	47.9

2. संयुक्त परियोजनाओं के रूप में विदेशों में स्थापित उपरोक्त वस्त्र मिलों के अतिरिक्त तंजानिया में एक स्पीनिंग मिल परियोजना, अर्थात उबांगो परियोजना, लक्ष्मी टैक्सटाइल्स एक्सपोर्टस प्रा. लि. के नेतृत्व में एक सार्थ संघ द्वारा कार्यान्वित हो रही है जिसका संविदाकार्य मूल्य 7.3 करोड़ रुपये है।

3. उपरोक्त के अलावा, भारतीय परियोजना और उपकरण निगम विदेशों की निम्नलिखित परियोजनाओं से भी संबद्ध रहा है;

परियोजना विवरण	देश	लागत (करोड़ रुपये में)
100,000 तकुए	मिस्र	19.40
50.000 तकुए	कोरिया गणराज्य	7.80
75,000 तकुए	बंगलादेश	12.30
15.000 तकुए	इन्डोनेशिया	2.74

पश्चिम जर्मनी को मोटर गाड़ियों के कल पुर्जों का निर्यात किया जाना

6490. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी से लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य के मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों के निर्यात का आर्डर मिलने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन भारतीय फर्मों ने फ्रांकफर्ट में हाल ही में हुए आटो मैकेनिक्स व्यार मेले में भाग लिया है;

(ग) भारतीय दल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम और पदवी क्या हैं जिन्होंने पश्चिम जर्मनी के समकक्षी व्यक्तियों के साथ निर्यात संबंधी करार किए तथा बातचीत में भाग लिया; और

(घ) जर्मनी को निर्यात किए जाने वाली मुख्य चीजों का ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिक आर्डर प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) व्यापार विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 से 19 सितम्बर, 1982 तक फ्रैंकफर्ट में आयोजित आटो मैकेनिका मेले में भाग लेने के फलस्वरूप पश्चिम जर्मनी को मोटर गाड़ियों के पुर्जों के निर्यात के लिए प्रचुर मात्रा से आर्डर प्राप्त होने की संभावना है तथापि, आर्डरों का सही मूल्य बताना संभव नहीं है। जिन भारतीय फर्मों ने व्यापार विकास प्राधिकरण के माध्यम से आटोमैकेनिका 82 व्यापार मेले में भाग लिया, उनके नाम इस प्रकार हैं;

1. आटोलाइट (इण्डिया) लि. जयपुर
2. आटोपर्लक्स प्रा. लि., लखनऊ
3. आटोपिन्स (इण्डिया) प्रा. लि., फरीदाबाद
4. कलच आटो लि., फरीदाबाद
5. इन्नौर फांऊड्रीज लि., इन्नौर (मद्रास)
6. चत्गे पाटिल इण्ड. लि., कोल्हापुर
7. इण्डिकेशन इन्सट्रूमेंट्स प्रा. लि., बल्लबगढ़
8. ल्यूमैक्स इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., नई दिल्ली
9. मैनी प्रिसीजन प्रोड्क्ट्स प्रा. लि., बगलौर
10. मैनसन्स आटो इन्टरनेशनल, बम्बई
11. प्रीमियर इन्सट्रूमेन्ट्स कोयम्बतूर लि., कोयम्बतूर
12. सिगमा रबड़ प्रा. लि., दिल्ली
13. सिरोक्को आटो प्रा. लि., फरीदाबाद
14. टॉरसन प्रोडक्ट्स लि., मद्रास

(ग) 5 दिवसीय मेले के दौरान अलग अलग फर्मों ने स्वतंत्र रूप से आर्डर तय किए।

(घ) पश्चिम जर्मनी को निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें हैं:—मोटर गाड़ियों के हैड लैम्प असेम्बली. सील किए हुए बीमा यूनिट, फॉग लैम्प, स्विच, फलैश, रीपलेक्टर्स, रीयर व्यू मिरर्स, रबड़ तथा रबड़ टु मैटल बांडिडपार्टस इन्जन मांउन्टिग्ज, एग्जास्ट ससपेंशन रबड़ पुर्जे गीयर बाक्स माउन्टिग्ज तथा बुश, रबड़ मैट, रबड़ के ढले हुए पुर्जे, ब्रेक ड्रम ग्रीस गन, होज क्लैम्प तथा क्लिप्स। उपर्युक्त मदों तथा साथ ही मोटर गाड़ियों के अनुषंगी सामान सह साधनों की नई मदों के लिए और आर्डर प्राप्त करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण सितम्बर, 1983 में फ्रैंकफर्ट में आयोजित होने वाले आटोमोबाइल आसटेलंग मेले में अठवीं बार भाग लेगा।

जून, 1983 में व्यापार विकास प्राधिकरण ब्रिटेन में मोटर गाड़ियों के भारतीय पुर्जों की बिक्री को बढ़ावा देने के हेतु 14 दिनों की अवधि के लिए ब्रिटेन को उद्योगों के पांच प्रतिनिधियों का एक पांच सदस्यीय बिपणन दल प्रायोजित कर रहा है।

हाल ही में व्यापार विकास प्राधिकरण ने संघीय जर्मन गणराज्य, ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली में उत्पाद विकास अध्ययन भी पूरा किया है। इन देशों में बिक्री हेतु अनेक नये क्रेता केन्द्रों तथा साथ ही नई मदों का पता लगाया गया है। उत्पाद संशोधन तथा सुधार के क्षेत्रों का भी पता लगाया है।

सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य

6491. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी वर्तमान संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य अथवा भूतपूर्व संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य को केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का पूर्णकालिक/अवैतनिक अध्यक्ष बनाया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या नीति के रूप में सरकार का विचार वेतन के आधार पर पूर्णकालिक व्यवसायिक अध्यक्ष नियुक्त करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में घाटा न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सार्वजनिक उद्योगों की स्थायी समन्वय समिति की बैठक

6492. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक संगठनों के कार्यकरण के पुनरावलोकन के लिए सार्वजनिक उद्योगों की स्थायी समन्वय समिति की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में लिए गए निर्णयों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सितम्बर, 1980 में

सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा आयोजित अधिकाधिक उत्पादन एवं उत्पादकता संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों के अनुसार स्थापित स्थायी समन्वय समिति की पिछली बैठक 6 दिसम्बर, 1982 को दी गई थी।

(ख) उस बैठक के महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सिफारिशों में से विशेषकर निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(i) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उत्पादन प्रोत्साहन योजनाओं, को लागू करना/उनकी समीक्षा करना आवश्क है

(ii) दीर्घ अवधि में पनपने वाली परियोजनाओं में पूंजी निवेश के बारे में काफी लम्बे अर्से तक की उपस्कर संबंघी आवश्यकताओं का अनुमान तैयार किया जाना।

(iii) निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं, जिसमें निर्तात बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार शामिल है, की समीक्षा करना।

(iv) सघन ऊर्जा बचत सदुपाय करना तथा यथावश्यक निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की संस्थापना के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू करना।

(v) उद्यमों में किये गये सफल प्रयोगों का अन्य उद्यमों को लाभ पहुंचाना।

(vi) बेहतर परिसज्जा एवं कार्य-चालन पर्यावरण की स्वच्छता।

नियंत्रित कपड़े का नियतन

6493. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हथकरघा क्षेत्र और मिलों के बीच नियंत्रित कपड़े के आंवटन के बारे में क्या नीति निर्धारित की गई थी और अगले वर्ष, कोटे के आंवटन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ख) नियंत्रित कपड़े के इतने विशाल स्टाक जमा हो जाने, उनकी बिक्री घट जाने तथा सरकारी उपक्रमों को हानि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए मिल क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र के लिए कंट्रोल के कपड़े का संशोधित आवंटन इस प्रकार है :—

मिल क्षेत्र	—310 मि. वर्ग मीटर
हथकरघा क्षेत्र	—340 मि. वर्ग मीटर

1983-84 के लिए आवंटन इस प्रकार हैं :—

मिल क्षेत्र	—300 मि. वर्ग मीटर
हथकरघा क्षेत्र	—350 मि. वर्ग मीटर

(ख) तथा (ग) लगभग 7 वर्षों के बाद जुलाई, 1981 में उपभोक्ता कीमत में काफी वृद्धि के परिणामस्वरूप कंट्रोल के कपड़े की कम बिक्री हुई जिसके फलस्वरूप स्टाक इकट्ठा हो गया। उपभोक्ताओं को दिये जाने हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ को $2\frac{1}{2}\%$ से $7\frac{1}{2}\%$ की छूट दिये जाने से इकट्ठा हुआ कपड़ा बिकना शुरू हो गया है। कंट्रोल के कपड़े के एकत्रित हो जाने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम को और हानि होने की संभावना नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यप्रणाली में परिवर्तन

6494. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन तथा उन उपक्रमों को बेहतर कार्य के लिए उनमें कार्यरत उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की बदली करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सरकार सरकारी उद्यमों में उत्पादकता एवं कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से समुचित उपाय करने के लिए उनके कार्य-निष्पादन की निरन्तर निगरानी करती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन में परिवर्तन करने के लिए कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। पूर्णकालिक निदेशक मंडल स्तरीय पदाधिकारियों, जिनकी संविदागत नियुक्ति शर्तों में किसी भी ओर से तीन माह के नोटिस की शर्त शामिल है, के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

6495. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने काफी लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य कारणों से यह सफलता मिली है; और

(ग) सरकार इस प्रगति को कायम रखने के लिए क्या उपाय करने जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वर्ष 1982-83 के लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 161 सरकारी उद्यमों से प्राप्त कार्यचालन परिणामों के ताजा अनुमान के आधार पर उन्होंने 1982-83 के दौरान लगभग 600 करोड़ रु. का अनंतिम निवल लाभ अर्जित किया, जबकि 1981-82 के दौरान 187 उद्यमों ने 484.58 करोड़ रु. का निवल लाभ अर्जित किया था।

(ख) 1982-83 के दौरान उद्यमों द्वारा मुख्यतः कुल मिलाकर, अधिकाधिक उत्पादन एवं कुल बिक्री के कारण यह सफलता प्राप्त हुई है।

(ग) सरकार सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उसकी निरन्तर समीक्षा करती है। इसके लिए अनेक सदुपाय किये गये हैं जैसे—

(i) प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा उद्यमों के कार्य-निष्पादन का गहन परिवीक्षण करना।

(ii) सरकार सरकारी उद्यमों में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अवस्थापना संबंधी आधारभूत सुविधाओं जैसे-परिवहन बिजली आदि की व्यवस्था करके उनके कार्य-निष्पादन का सर्वोच्च स्तर पर परिवीक्षण करती है।

(iii) शीर्ष प्रबंधकीय कार्मिकों के चयन एवं मूल्यांकन को बेहतर बनाना तथा शीर्ष रिक्त पदों को यथासमय भरना।

(iv) संतोलक सुविधाओं तथा जहां कहीं आवश्यक होने पर निजी उपयोगार्थ बिजली सयंत्रों में अतिरिक्त पूंजी लगाने की स्वीकृति देना।

(v) मंजूरी विवादों को शीघ्र तय करना।

(vi) संयंत्र एवं मशीनों की निवारक एवं पूर्वानुमानत अनुरक्षण पद्यति लागू करना तथा

(vii) व्यवहारिक मूल्य निर्धारण की नीतियां।

हरियाणा में हवाई अड्डे :

6496. **श्री रामलाल राही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में इस समय कितने हवाई अड्डे विमान के उतरने-चढ़ने के लिए उपयुक्त हैं;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान प्रत्येक हवाई अड्डे से कितने लोगों ने यात्रा की;

(ग) क्या इन हवाई अड्डों से ग्लाइडिंग के लिए अनुमति प्राप्त लोगों को ग्लाइडिंग करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1981-82 में चंडीगढ़ से पिंजोर तक कितने लोगों ने ग्लाइडिंग की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय हरियाणा में पांच सिविल हवाई अड्डे/हवाईपट्टियां हैं जो राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं तथा प्रचालनों के लिए उपयुक्त हैं। जींद में एक कच्ची हवाईपट्टी भी है परन्तु वह प्रचालनों के उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, राज्य में दो सैनिक हवाई अड्डे भी हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चंडीगढ़ से पिंजौर के लिए ग्लाइड करना संभव नहीं है। चंडीगढ़ में ग्लाइडिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़ी कंपनियों के लघु एककों को अपने नियंत्रण में लिया जाना

6497. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आम धारणा है कि वित्तीय संस्थानों ने अपने अधिकार में रक्षितगोपनीय सूचना को प्रेषित करके बड़ी कंपनियों द्वारा छोटे एककों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके नियंत्रण में करा दिया; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; गत दो वर्षों में ऐसी कितनी रिपोट मिली हैं और इस दिशा में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस तरह का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय आय-कर राजपत्रित कर्मचारी संघ की मांगे

6498. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आय-कर राजपत्रित कर्मचारी संघ को अपनी 1 मार्च, 1983 को होने वाली हड़ताल को स्थगित करने के लिए सहमत कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संघ की मुख्य मांगे क्या थीं तथा इस हड़ताल को स्थगित करने हेतु उसे सहमत करने के लिए उसे क्या आश्वासन दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) संघ की मांगे निम्न प्रकार थी :

(i) समूह 'ख' के 400 आयकर अधिकारियों को 28-2-83 तक समूह 'क' में पदोन्नति करना ।

(ii) 28-2-83 तक भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्टता का लाभ मंजूर किया जाए।

(iii) ऊपर (i) तथा (ii) पर कार्यवाही करने से पहले आयुक्त और सहायक आयुक्तों की पदोन्नति नहीं की जाये।

महासंघ को सूचित किया गया था कि ऊपर (i) पर उल्लिखित उनकी मांग के संबंध में समूह 'ख' से समूह 'क' में 258 पदों को भरने के प्रश्न को पहले से ही संघ लोक सेवा आयोग के साथ उठाया गया है। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि यह भर्ती तथा 142 अन्य पदों को भरने का कार्य 2-3 माह की अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। नम्बर (ii) पर उल्लिखित मांग के संबंध में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग को मामले का शीघ्र फैसला करने के लिए निवेदन किया जाएगा।

उपर्युक्त को देखते हुए, पदोन्नति को आस्थागित रखने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठा।

सरकारी खर्च को कम करने के लिये किये गये उपाय

6499. **श्री के. प्रधानी :**

श्री एम. एस. के. सत्येन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सरकारी खर्च को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक उपाय करने के लिए हाल ही में कुछ निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ख) क्या राज्यों को भी इस संबध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां। किफायत के सम्बन्ध में जो अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं, उन के अलावा सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को व्यय में किफायत करने के लिए हाल ही में मार्गदर्शी सिद्धांत/अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों का उल्लेख करते हुए एक विवरण सलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों को भी आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत करने, निष्फल व्यय तथा सभी प्रकार की बरबादी से बचने, किफायत बरतने और आयोजना-भिन्न गैर-विकासात्मक व्यय में कटौती करने के लिए अनुरोध किया गया है, ताकि आगे ओवरड्राफ्टों से बचा जा सके।

विवरण

मंत्रालयों/विभागों को व्यय में किफायत करने के लिये निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं :

(1) मंत्री और अधिकारीगण केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही विदेश यात्रा पर जाएं। ऐसे मामलों में भी प्रतिनिधिमंडलों का आकार और विदेश में उनके ठहरने की अवधि तथा सम्भव कम से कम हो।

(2) भविष्य में विदेश जाने वाले केवल मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों को ही अपने साथ अपना निजी सचिव ले जाने की अनुमति दी जाएगी। अन्य मंत्रीगण जिन देशों का दौरा करें वहां के मिशनों से निजी सहायकों/आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग करें।

(3) भविष्य में, निवास स्थानों पर 24 घन्टे सशस्त्र पुलिस गार्ड की व्यवस्था मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों और अन्य समान स्तर के व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी। अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों में जिन्हें पहले ऐसी सुविधा की अनुमति दी गई थी, केवल रात के समय ही गार्ड की व्यवस्था होगी।

(4) भारत में विदेशी दूतावासों को निरन्तर सशस्त्र गार्ड देने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। जहां कहीं आवश्यक हो विशिष्ट अवसरों पर दूतावासों के लिए सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाए, लेकिन यदि दूतावासों द्वारा अनुरोध किया जाए तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीर्घकालीन प्रबन्ध, भुगतान के आधार पर किया जाए।

2. इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वस्तु बोर्डों आदि, जिनके विदेश में कार्यालय हैं, से इन कार्यालयों की आवश्यकता और उपयोगिता की समीक्षा करने और व्यय में

किफायत करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय भी अपने अधीन ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जिनके एक जैसे कार्य हों, विदेश में संयुक्त कार्यालय रखने की सम्भाव्यता की जांच करें।

वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दी गई सहायता

6200. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता देते हैं;

(ख) क्या उन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की शाखाएं विभिन्न राज्यों की राजधानियों में हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उन भारतीय वित्तीय संस्थानों की शाखाएं खोली गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई. सी.आई.सी.आई.) वे अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाएं हैं जो औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई. सी.), भारतीय साधारण बीमा निगम (एल. आई. सी.) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू. टी. आई.) जैसी निवेश संस्थाएं भी, औद्योगिक क्षेत्र को एक सीमित रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई. आर. सी. आई.) तथा "भारत का निर्यात-आयात बैंक" जैसी विशिष्ट संस्थाएं अपने सम्बन्धित परिचालन क्षेत्र में, औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

(ख) से (घ) आई. डी. बी. आई., आई एफ. सी. आई. और आई. सी. आई. सी. आई. नामक अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं की अवस्थिति, दर्जा और कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आई. डी. बी. आई., आई. एफ. सी. आई. तथा आई. सी. आई. सी. आई. जैसी अखिल भारतीय ऋणदात्री सस्थाओं के कार्यालयों का ब्यौरा

1. आई. डी. बी. आई. अवस्थिति	कार्यालय का दर्जा	अधिकार क्षेत्र
1. बम्बई	निगमित कार्यालय (अखिल भारतीय)	महाराष्ट्र तथा संघ शासित क्षेत्र गोवा दमण और दीव
2. नयी दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय	उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राजस्थान तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और दिल्ली

1	2	3
3. कलकत्ता	क्षेत्रीय कार्यालय	पं. बंगाल, बिहार, उड़ीसा संघ शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
4. मद्रास	तदेव	तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी लक्षद्वीप तथा मिनिकाय आईलैंड
5. अहमदाबाद	तदेव	गुजरात, मध्य प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली
6. गौहाटी	तदेव	असम, मेघालय, नागालैंड त्रिपुरा मणिपुर तथा संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम
7. बंगलौर	शाखा कार्यालय	कर्नाटक
8. भोपाल	तदेव	मध्य प्रदेश
9. भुवनेश्वर	तदेव	उड़ीसा
10. चण्डीगढ़	तदेव	पंजाब तथा हरियाणा
11. कोचीन	तदेव	केरल
12. हैदराबाद	तदेव	आंध्र प्रदेश
13. जयपुर	तदेव	राजस्थान
14. जम्मू	तदेव	जम्मू तथा कश्मीर
15. कानपुर	तदेव	उत्तर प्रदेश
16. पटना	तदेव	बिहार
17. शिमला	तदेव	हिमाचल प्रदेश
2. आई. एफ. सी. आई		
1. नई दिल्ली	प्रधान कार्यालय	दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के निकट क्षेत्र, हरियाणा तथा राजस्थान
2. बम्बई	क्षेत्रीय कार्यालय	महाराष्ट्र तथा गोवा
3. कलकत्ता	तदेव	पं. बंगाल अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
4. कानपुर	तदेव	उत्तर प्रदेश
5. मद्रास	तदेव	तमिलनाडु तथा पांडिचेरी

1		2	3
6.	अहमदाबाद	शाखा कार्यालय	गुजरात
7.	हैदराबाद	तदेव	आंध्र प्रदेश
8.	बंगलौर	तदेव	कर्नाटक
9.	गौहाटी	तदेव	असम, मणिपुर मेघालय, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम
10.	भुवनेश्वर	तदेव	उड़ीसा
11.	जयपुर	तदेव	राजस्थान
12.	चण्डीगढ़	तदेव	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश
13.	भोपाल	तदेव	मध्य प्रदेश
14.	कोचीन	तदेव	केरल
15.	पटना	तदेव	बिहार
3. आई. सी. आई. सी. आई.			
1.	बम्बई	प्रधान कार्यालय	पश्चिमी क्षेत्र
2.	मद्रास	क्षेत्रीय कार्यालय	दक्षिणी क्षेत्र
3.	कलकत्ता	तदेव	पूर्वी क्षेत्र
4.	नई दिल्ली	तदेव	उत्तरी क्षेत्र
5.	गोहाटी	विकास कार्यालय	पूर्वोत्तर क्षेत्र

भारत को एशियाई विकास बैंक ऋण पर अमरीका का विरोध

6501. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री रशीद मसूद :

श्री के. मालन्ना :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन भारत को एशियाई विकास बैंक से किसी भी प्रकार की ऋण सहायता प्राप्त करने का अब भी विरोध करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 10 मार्च, 1983 को सेनेट एप्रोप्रियेन सब कमेटी के सामने अमरीकी खजाना सचिव ने उक्त विरोध को प्रकट भी कर दिया था;

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(घ) क्या भारत सरकार ने अपनी भुगतान की बकाया राशि सम्बन्धी कठिनाइयों को

रखते हुए एशियाई विकास बैंक से लगभग दो अरब अर्थात 1980 करोड़ रुपए का ऋण मांगा है; और

(ङ) क्या भारत को एशियाई विकास बैंक ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय भेजा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को मिली सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत द्वारा एशियाई विकास बैंक से किसी भी प्रकार का ऋण लिए जाने का अब कमेटी के सामने इस बात पुनःपुष्टि की गई थी।

(ग) बैंक एक बहुपक्षीय संस्था है जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रीय (भारत सहित) और गैर-क्षेत्रीय 44 अन्य देशों के साथ एक शेयरहोल्डर है। अतः भारत बैंक से कितना ऋण ले सकता है इस बात का निर्णय करना अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका का काम नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि की अवधि के दौरान ऋण लेना आरम्भ करने की अपनी इच्छा के संबंध में एशियाई विकास बैंक के प्रबन्धकों को सूचित-कर दिया है। भारत को वास्तव में कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी इसका निर्णय तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जाएगा।

सरकारी उपक्रमों में मजूरी की वृद्धि सम्बन्धी करार

6502. **श्री पी. एम. सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मजूरी वृद्धि को भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित न करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस संबंध में पत्र लिखा है;

(ग) क्या उन्होंने किसी सूत्र का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के एककों ने उनके मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों में मौजूदा समझौतों की अवधि समाप्त होने से पहले ही मजूरी समझौतों सम्बन्धी बातचीत की शुरूआत कर दी जाये ताकि संभावी रूप से नए समझौते किये किये जा सकें. हालांकि इसके लिए कोई सूत्र नहीं सुझाया गया है।

रक्षा मंत्रालय में खेलों के लिये अलग धन राशि का नियतन

6503. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार खेलों और तत्संबंधी विकास सुविधाओं के लिये एक अलग धनराशि का नियतन करने का है;

(ख) क्या विभिन्न खेलों के विकास संबंधी संस्थानों का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) खेलों के विकास के लिए संस्थानों का अभी चयन किया जाना है। सेना में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

व्यय आयोग

6504. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

श्री एस. बी. सिदनाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान वित्तीय प्रबन्ध और अनुसंधान संस्थान द्वारा गैर-विकासीय खर्च को घटाने के लिये एक व्यय आयोग के गठन हेतु की गई मांग की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मई, 1979 में सरकारी व्यय के सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त किया था। तथापि, पुन: जांच करने पर यह महसूस किया गया था कि व्यय में किफायत करने के लिए वास्तविक सुझाव केवल अन्दर से ही उत्पन्न हो सकते हैं और किसी बाहरी संगठन से योगदान का केवल आंशिक प्रभाव ही हो सकता है। इसलिए सरकार ने 31.1.1980 से आयोग समाप्त करने का निर्णय किया। फिर भी, सरकार अपने व्यय में, विशेष रूप से योजना-भिन्न गैर-विकासात्मक व्यय में किफायत के करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। सरकार ने समय-समय पर किफायत के विभिन्न उपाय लागू करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं। अनावश्यक व्यय सीमित करने और व्यय में अधिकाधिक किफायत करने में सहयोग करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का न्यायोचित ढंग से उपयोग किया जा सके। उपर्युक्त अनुदेशों के अलावा- व्यय में किफायत करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को अभी हाल ही में और आगे मार्गदर्शी सिद्धान्त/अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इन अनुदेशों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। 'सरकारी व्यय में किफायत' भी सरकार द्वारा गठित आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक है। इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार व्यय आयोग गठित करना आवश्यक नहीं समझती, जैसा कि वित्तीय प्रबन्ध तथा अनुसंधान संस्थान ने सुझाव दिया है।

विवरण

मंत्रालयों/विभागों को व्यय में किफायत करने के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं:

(1) मंत्री और अधिकारीगण केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही विदेश यात्रा

पर जाएं। ऐसे मामलों में भी प्रतिनिधिमन्डलों का आकार और विदेश में उनके ठहरने की अवधि यथा सम्भव कम से कम हो।

(2) भविष्य में विदेश जाने वाले केवल मंत्रिमन्डल स्तर के मंत्रियों को ही अपने साथ अपना निजी सचिव ले जाने की अनुमति दी जाएगी। अन्य मंत्रिगण जिन देशों का दौरा करें वहां के मिशनों से निजी सहायकों/आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग करें।

(3) भविष्य में, निवास स्थानों पर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस गार्डों की व्यवस्था मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों और अन्य समान स्तर के व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी। अन्य एसे सभी व्यक्तियों के मामलों में जिन्हें पहले ऐसी सुविधा की अनुमति दी गई थी, केवल रात के समय ही गार्ड की व्यवस्था होगी।

(4) भारत में विदेशी दूतावासों को निरन्तर सशस्त्र गार्ड देने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। जहां कहीं आवश्यक हो विशिष्ट अवसरों पर दूतावासों के लिए सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाए, लेकिन यदि दूतावासों द्वारा अनुरोध किया जाए तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीर्घकालीन प्रबन्ध, भुगतान के आधार पर किया जाए।

2. इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वस्तु बोर्डों आदि, जिनके विदेश में कार्यालय हैं, से इन कार्यालयों की आवश्यकता और उपयोगिता की समीक्षा करने और व्यय में किफायत करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय भी अपने अधीन ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जिनके एक जैसे कार्य हों, विदेश में संयुक्त कार्यालय रखने की सम्भाव्यता की जांच करें।

निर्यात संवर्धन परिषदों के लिए कार्यकारी दल

6505. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

डा. ए. यू. आजमी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार को अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल स्थापित किया है। कार्य दल ने अपने विचार विमर्श पूरे कर लिए हैं। परन्तु रिपोर्ट औपचारिक रूप से सरकार को अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

तमिलनाडु में पर्यटन केन्द्रों का विकास

6506. **श्री. सी. चिन्ना स्वामी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में तमिलनाडु में किन-किन स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रत्येक परियोजना किस वर्ष एकीकृत की गई थी;

(ग) इस सम्बन्ध में कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ था; और

(घ) परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन के विकास के लिये शुरू की गई/शुरू करने के लिये प्रस्तावित स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

(I) भारत पर्यटन विकास निगम की तमिलताडु पर्यटन विकास निगम के सहयोग से मद्रास में दो होटलों का निर्माण करने की योजनाएं हैं जिनमें से एक 3 स्टार होटल और एक इकानमि होटल होगा। इसमें भाग लेने के लिये राज्य से अभी हाल ही में सहमति प्राप्त हुई है। प्रवर्तकों के करार को तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लेने के बाद कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(II) मद्रास स्थित आई. टी. डी. सी. ट्रांसपोर्ट यूनिट में 4 एम्बैसेडर कारों, 6 मर्सिडीज कारों और 4 कोचों की वृद्धि करके इसका विस्तार किया गया है।

(III) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा महाबलीपुरम में टैम्पल वे का तंजापुर में यात्रा गृह का विस्तार।

(Iv) 1982-83 के दौरान राज्य सरकार को 0·50 लाख रुपये की एक राशि मेले और त्यौहारों का आयोजन करने के लिये रिलीज की गई।

विज्ञान और टैक्नोलाजी के विकास में एच. ए. एल. की उपलब्धियां

6507. **श्री रशीद मसूद :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच. ए. एल. की स्थाहना के बाद से यह जानने के लिये इसके कार्य निष्पादन का कोई बारीकी से विश्लेषण किया है कि डिजाइन और टैक्नोलाजी के विकास में इसकी उपलब्धियां क्या हैं यदि उत्पादन में कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं और

एच. ए. एल. भारतीय वायुसेना की आवश्यकयाओं को पूरा करने में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए आत्मनिर्भरता कहां तक प्राप्त कर सका है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। वैमानिकी पर 1967 में नियुक्त सुब्रह्मण्यम समिति और 1975 में नियुक्त राजाध्यक्ष समिति ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की कार्यप्रणाली समीक्षात्मक दृष्टि से जांच की। इन समितियों की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के वार्षिक कार्यों की भी सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। हाल में लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पिछले 15 वर्षों में स्वीकृत कुछ चुनी हुई विकास परियोजनाओं की बारीकी से समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने विभिन्न किस्म के विमान, हेलीकाप्टर और उनसे सम्बन्धित प्रणालियों का सफलतापूर्वक विकास और उत्पादन कर लिया है। इनमें ये शामिल हैं :—एच. टी. 2, पुष्पक, कृषक, वसन्त, किरण' बेसिक, जेट ट्रेनर, एच. एफ. 24 और अजीत ट्रांसोनिक जेट फाइटर का सफलतापूर्वक डिजाइन और विकास। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक वैमानिकी उपस्कर जैसे वी/यू. एच. एफ., वी. एच. एफ. और यू. एच. एफ. और एच. एफ. एस. एस. बी. संचार उपस्कर, आई. एफ. एफ. रेडियो अल्टीमीटर, रेडियो कम्पास आदि का देश में ही डिजाइन तैयार किया है। आत्मनिर्भर बनने के लिये हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड भरसक प्रयास कर रहा है। परन्तु सेनाओं की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने तथा इन अत्याधुनिक उपस्कर क्षेत्र में नवीनतम जानकारी रखने के लिये देसी डिजाइन और विदेशी जानकारी का औचित्यपूर्ण मिश्रण जरूरी है।

बिना अध्यक्ष वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6508. **श्री रशीद मसूद :**

श्री बी. डी. सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1982 के अन्त तक कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (नाम सहित) बिना अध्यक्ष के थे;

(ख) कितने रिक्त पदों को भरा गया है और शेष रिक्त पदों के न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) रिक्त पदों का इन उपक्रमों के सम्पूर्ण कार्यनिष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) 31.12.1982 को केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों में पूर्णकालिक मुख्यपालकों के 16 पद रिक्त थे जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इनमें से अब तक मुख्य कार्यपालकों के 10 पद भरे जा चुके हैं।

हालांकि, सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने शेष रिक्तियों को भरने के लिये सिफारिशें की हैं, फिर भी, इन नियुक्तियों सम्बन्धी कार्रवाई करने में समय लगने, व्यक्तियों द्वारा पद भार ग्रहण करने में विलम्ब होने चुनीदा व्यक्तियों में से या तो उनके तत्काल उपलब्ध न होने अथवा उनके इच्छुक न होने सम्बन्धी कुछ कारण हैं जिनसे ये पद रिक्त पड़े हैं। किन्तु इन सभी पदों पर यह सुनिश्चित करने के लिये अन्तरिम व्यवस्था की जाती है कि काम में कोई हानि न हो। सरकार यह चाहती है कि ऐसे पद रिक्त न रहने दिये जायें और वस्तुत: ऐसे रिक्त पदों पर अग्रिम नियुक्तियां करने की प्रणाली तैयार कर रही है ताकि सरलतापूर्वक पदारोहण सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

31.12.1982 को सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों की रिक्तियों का विवरण

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.।
2. प्रबंध निदेशक, नेशनल टैक्सटाइल कारपो.।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जेसप एण्ड कं. लि.।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ग्राम विद्युतीकरण निगम।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपो.।
6. प्रबंध निदेशक, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि.।
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रद्दी धातु व्यापार निगम।
8. प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तात लेटेक्स लि.।
9. प्रबंध निदेशक, होटल कारपो. आफ इण्डिया।
10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, चाय व्यापार निगम।
11. अध्यक्ष एवं महा प्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम।
12. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारी इन्जीनियरी निगम।
13. प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान केबल्स लि.।
14. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि.।
15. प्रबंध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्ट्रूमेंट्स लि.।
16. प्रबंध निदेशक, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि.।

सामान्य बीमा निगम द्वारा मामलों को निपटाया जाना

6509. **श्री भीखाभाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बीमा निगम द्वारा वर्ष 1977-1980 (वर्ष वार) के दौरान कितने मामले निपटाये गये हैं और कितने मूल्य की बीमाकृत वस्तुएं बिना समायोजन के पड़ी हैं; और

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों की कितने मूल्य की पालिसियां बिना समायोजन के पकड़ी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है लेकिन इस उद्योग की सामान्य रीति यह है कि दावों का निपटान करते समय इक्के दुक्के मामलों को छोड़कर, जिसमें निस्तारण (साल्वेज) मूल्य नगण्य होता है, विस्तारण मूल्य को सामान्यत: बीमाकृत के साथ बिना समायोजन नहीं छोड़ा जाता।

गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने और उनकी वसूली आदि में की गई अनियमितताएं

6510. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने/वसूली/बट्टे खाते में डालने के मामलों में अनेक अनियमिततायें बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी मार्ग-निर्देशक सिद्धांतों की प्रतियां उपलब्ध की जाएंगी;

(ग) क्या वर्गीकरण नियंत्रण/अपील नियम सम्बन्धी सरकारी नियम उन पर लागू होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यालयों के सम्बन्ध में जो भी अनियमितता जानकारी में आती है उसकी जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है और उसके बाद वह सम्बन्धित बैंक को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के वास्ते सलाह देता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में सामान्यत: अग्रिमों आदि की स्वीकृति में इन बैंकों द्वारा ऋणों की स्वीकृति और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों को बट्टे खाते डालने के निर्णयों के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले उचित तरीकों का उल्लेख होता है।

(ग) और (घ) सरकारी संस्थाओं के वास्ते निर्धारित वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होते।

पश्चिम बंगाल में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

6511. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी राज्यों तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में पिछले एक वर्ष के दौरान वहां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दंडित किया गया है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने मामलों में जांच अभी भी जारी है और जांच को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1982 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के संदिग्ध उल्लंघन के 757 मामलों को जांच के लिए दर्ज किया गया था। इन मामलों में से, 129 मामलों में जांच पूरी हो जाने के बाद, 41 मामलों में 'कारण बताओ नोटिस' जारी किये गये थे और 88 मामले बन्द कर दिए गए थे। 41 मामलों में से जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, 17 मामलों में न्यायनिर्णयन की कार्रवाईयां पूरी हो गई हैं, जिसके परिणामत: अर्थदंड लगाये गये और अन्य 24 मामलों में न्यायनिर्णयन किया जाना है। अत:, 652 मामले न्यायनिर्णयन/जांच के विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन पड़े हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्णयाधीन मामलों का यथाशीघ्र निपटान किया जाए उपयुक्त स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

मामलों की संख्या अधिक होने के कारण मामलेवार विवरण एकत्र करने और प्रस्तुत करने में लगने वाला समय और श्रम अपेक्षाकृत बहुत अधिक होगा यदि माननीय सदस्य ऐसे किसी विशेष मामले (मामलों) का उल्लेख करे जिनमें सूचना अपेक्षित है उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

रुपये में व्यापार करने वाले देशों को चमड़े, चमड़े से निर्मित वस्तुओं आदि का निर्यात

6512. **श्री तारिक अनवर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान रुपये में व्यापार करने वाले देशों को देश-वार, वर्ष-वार और मद-वार कितने मूल्य के चमड़े तथा चमड़े से निर्मित वस्तुओं, तैयार तथा अपरिष्कृत सहित खाल तथा अन्त सम्बद्ध उत्पादों/उप-उत्पादों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 की जानकारी संकलित नहीं की गई है।

विवरण

भारत से रुपये में व्यापार करने वाले देशों को चमड़े तथा चमड़े के माल का निर्यात

(मूल्य लाख रु. में)

क्रमांक	मद	वर्ष	सोवियत संघ	चैकोस्लेवाकिया	जर्मनी संघीय गणराज्य	पोलैण्ड	रुमानिया	नेपाल	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इ. आई. कमाई हुई खालें	1979-80	185	...	190	...	1	...	...
	तथा चमड़ियां	1980-81	352	3	89	...	...	...	...
2.	कमाया हुआ क्रोम	1979-80	842	97	20	...	235	...	...
		1980-81	373	15	...	...	21	...	...
3.	तैयार चमड़ा	1979-80	5402	331	1060	116	676	3	...
		1980-81	8272	171	1065	65	715	...	...
4.	चमड़ा निर्मित	1979-80	483	12	846	...	...	...	...
	अन्य माल	1980-81	1014	12	699	39	19	1	1
5.	चमड़े के जूते तथा संघटक	1979-80	120	...	38	1	...	35	1
	(जूते के ऊपरी हिस्सों सहित)	1980-81	52	...	25	...	...	10	1

स्रोत : मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया, डी. जी. सी. आई. एण्ड ई, कलकत्ता।

बैंकों में जालसाजी

6513. **श्री तारिक अनवर :**
श्री गुलशेर अहमद :
श्री के. लकप्पा :
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च 1983 के "हिन्दुस्तान" में 'जालसाजी के बाद बैंक शाखाएं सतर्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया की गांधी नगर शाखा में तीन करोड़ रुपये का जालसाजी में अपनाई गई प्रणाली की अन्य स्थानों पर पुनरावृत्ति रोकने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकार के ध्यान में बैंकों में (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) जालसाजी के कितने मामले आये हैं;

(घ) जालसाजी के इन मामलों में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये और उनमें बैंक कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार बैंकों में जालसाजियों की रोकथाम करने और दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) धोखाधड़ियों के विरुद्ध सुरक्षणों को विहित करने वाली सभी बैंकों की अपनी अनुदेश पुस्तिकाएं हैं। उनके अनुभवों के आधार पर समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है और इन्हें सुचारु बनाया जाता है। धोखाधड़ियों को रोकने और सुरक्षणों के विशिष्ट उपायों के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी बैंकों को आवधिक अनुदेश जारी किए जाते हैं। 25.2.83 को बुलाई गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं पर, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की गई गंभीर चिन्ता से, बैंकों को अवगत कराया। मुख्य कार्यपालकों को अपने यहां सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ बनाने की हिदायतें दी गई हैं। उनसे यह भी कहा गया है कि वे दोषी कर्मचारियों को कठोर दंड दें और बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं से बचने के लिए सभी संभव निरोधक उपाय करें। बैंक शाखाओं के कार्यकलापों पर अधिक नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से, बैंकों को अंतः शाखा खातों के शीघ्र समाशोधन, प्रभावी शाखा पर्यवेक्षण और नियमित निरीक्षणों की आवश्यकता के बारे में भी स्मरण कराया गया है।

वर्ष 1980, 1981 और 1982 (30 सितम्बर 1982 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में हुई धोखाधड़ियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1980	1594
1981	1891
1982 (30.9.82 तक)	1574

टिप्पणी : (I) "बैंक धोड़ाधड़ी" में सामान्यत: मिथ्या-निरुपण, विश्वास भंग, लेखा पुस्तकों में हेराफेरी, चैकों, ड्राफ्टों और विनियमन पत्रों जैसी लिखतों को धोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत लेन-देन, अपकरण, गबन, चोरी, राशियों का मिथ्या-निरूपण, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, कमियां, अनियमितताएं आदि शामिल हैं।

(II) बैंको द्वारा सूचित की गई सभी धोखाधड़ियां बिवरण में शामिल की गई हैं चाहे उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि कुछ भी क्यों न हो। इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त राशि अनिवार्यत: बैंकों को हुई हानि की राशि की द्योतक नहीं है।

1980, 1981 और 1992 के दौरान बैंकों में हुई धोखाधड़ियों में मामलों में दोषी पाये गए व्यक्तियों की संख्या और उनमें से बैंक कर्मचारियों की संख्या के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में हुई धोखाधड़ियों के जिन मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और जिनके संबंध में सूचना तैयार की गई है, कुल 315 कर्मचारी दोषी पाये गए।

जब कभी बैंक को किसी धोखाधड़ी का पता चलता है, बैंक तत्काल आन्तरिक जांच के आदेश देता है अथवा इस मामले को जांच के लिए स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देता है। आन्तरिक जांच अथवा स्थानीय पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों के आधार पर बैंक द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

वियतनाम को निर्यात तथा वहां से आयात

6514. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से वियतनाम को निर्यात की जा रही तथा वियतनाम से भारत में आयात की जा रही मुख्य-मुख्य वस्तुएं कौन सी हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और वस्तुवार उनका रुपयों में कितना मूल्य है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान प्रमुख मदवार वियतनाम को निर्यात/से आयात।

(मूल्य लाख रु. में)

निर्यात	1978-79	1979-80	1980-81
गेहूं	3649	2432	516
चावल	—	4224	1177

	1	2	3
गेहूं तथा मेसलिन का आटा	1102	357	—
सूत	134	253	110
परिवहन उपस्कर	3	1563	1502
पशुओं के लिए चारा	—	15	—
बुने हुए सूती कपड़े	—	16	20
कागज तथा गत्ता	—	—	2)
विविध विनिर्मित वस्तुएं	—	9	20
अन्य	13	3	69
	4901	8973	3394
	10	20	30
आयात			
सीमेंट	—	—	208
टिन	—	54	59
अन्य	—	—	46
	—	54	313

संस्थागत ऋणों का वितरण

6515. **श्री अर्जुन सेठी** : या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सरकार ने यह देखने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थन में संस्थागत ऋणों के वितरण में तेजी लाई जाये जिससे प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके;

(ख) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान कार्यक्रम की कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन निर्धारित हिताधिकारियों के अर्थक्षम उत्पादक प्रस्तावों की अपेक्षाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रहें हैं । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे निर्धारित हिताधिकारी परिवारों के आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाएं । जहां कहीं आवश्यक हो, हिताधिकारियों के निर्धारण, प्रस्तावों की अर्थक्षमता, पूंजीगत परि-सम्पत्तियों की अनुपलब्धता आदि के संबंध में निम्न स्तर पर पर्याप्त समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए राज्य स्तरीय बैठकों के माध्यम से भी विशेष प्रयास किये जा रहें हैं ।

(ख) और (ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति की ग्रामीण विकास मंत्रालय में स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1980-81 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन 27.83 लाख हिताधिकारियों को सहायता दी गयी। इनमें से 6.63 लाख परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के थे। इस वर्ष के दौरान जुटाई गयी कुल सावधिक ऋण की राशि 236.63 करोड़ रुपये थी।

परिचालन में जाली करेंसी नोट

6516. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के. मालन्ना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च 1983 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार में भारी संख्या सहित उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ के जाली करेंसी नोट परिचालन में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि यह जाली नोट अधिकांशतया एक सौ, पचास और बीस रुपये मूल्य के हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जांच आदि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार 11 मार्च, 1983 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'एक करोड़ रुपये के जाली नोट परिचालन में" शीर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार को देख चुकी है।

(ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में एक प्रोपर्टी डीलर के वहां आयकर का छापा मारा जाना

6517. **श्री गुलशेर अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आयकर विभाग ने दिल्ली में एक प्रोपर्टी ब्रोकर के प्रांगण पर छापा मारा था और यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रापर्टी डीलर के परिवार के एक सदस्य ने पिस्तौल निकालकर छापा मारने वाले दल को धमकी दी थी और यदि हां, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राजधानी में प्राइवेट भवन निर्माता बहुमंजिली भवनों में फ्लैटों की बिक्री के संबंध में अंतरण के अनुमति देने के पूर्व रसीद दिये बिना गैर सरकारी तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में धन वसूल करते हैं और यदि हां, तो इस तरीके को

रोकने के और उनके द्वारा जमा किये गये काले धन का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर काले धन के रूप में अपने कमिशन का एक बड़ा भाग लेते हैं और उसके लिये वे रसीद नहीं देते और यदि हां, तो ऐसे धन को आयकर के अधीन लाने के लिये क्या तरीके अपनाए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां, । आयकर प्राधिकारियों ने अगस्त, 1982 में मैसर्स महेन्द्र लैण्ड एण्ड फाइनैंस कारपोरेशन, दिल्ली और इसकी संबंद्ध फर्मों के व्यापारिक परिसरों की तथा संबंधित व्यक्तियों के रिहायशी परिसरों की तलाशियां लीं थीं। इन तलशियों के परिणामत: 4,47,780/-रुपये मूल्य की प्रथम-दृष्टया लेखावाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गई। इनके अतिरिक्त, 1,06,780 रुपये मूल्य के जवाहिरात प्रतिषेधात्मक आदेशों के अंतर्गत रखे गये हैं।

(ख) तलाशी के दौरान ग्रुप के एक सदस्य ने अपना रिवाल्वर निकालने की धमकी दी। फिर भी तलाशी जारी रही ।

(ग) और (घ) सरकार, अचल संपत्तियों के लेन-देनों में बड़े पैमाने पर कर अपवंचन की आम धारणा से काफी चिन्तित है। काले धन का पता लगाने के लिए उन मामलों में तलाशियां ली जाती हैं जिनमें, उपलब्ध सूचना के आधारपर तलाशी तथा अभिग्रहण का अधिकार देने वाले सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार की कार्यवाही आवश्यक है सर्वेक्षण हेतु वार्षिक कार्य योजना में बहु-मंजिला भवनों को विशेष रूप से सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

लोहिया मशीन्स द्वारा जारी किये गये ऋण पत्र

6518. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर ने सितम्बर 1982 में जनता को 100-100 रुपये मूल्य के ऋण पत्रों की पेशकश की थी;

(ख) क्या बड़ी संख्या में उन लोगों, जिन्होंने लोहिया मशीन्स लिमिटेड के ऋणपत्रों के लिये आवेदन पत्र किया था, को न तो ऋणपत्र जारी किए गए हैं और न ही आवेदन पत्र के साथ भेजी गई उनकी धनराशि को अब तक वापस किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी द्वारा अपनाए गए इस कदाचार की जांच करने का और निवेश करने वाली जनता के हितों की रक्षा के लिये कम्पनी के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के प्रबंधकों को दोहरे ऋणपत्र जारी करने उन लोगों को रिफंड वारन्ट जारी करने के लिए निदेश देने का भी है जिन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है और यदि हां, तो उसके लक्ष्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर ने दिनांक 28 जुलाई, 1982 के प्रोस्पेक्ट्स के माध्यम से 5.65 करोड़ रुपये के लिए 200 रुपए प्रति ऋण पत्र के हिसाब से, 2,82,500 ऋण पत्र जारी किए थे। इनमें से, 20000,3750,6250 और 5000 ऋण पत्र, तरजीही तौर पर, क्रमशः कम्पनी के इक्विटी शेयर धारकों के लिए, कंपनी के सावधि जमा धारकों के लिए, कंपनी के कर्मचारियों और कारबारी सहयोगियों आदि के लिए और प्रत्यावर्तन के आधार पर अनिवासी भारतीयों तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए थे। शेष 202, 500 ऋण पत्र निवासी भारतीयों को प्रस्तुत (आफर) किए गए थे, जिनके संबंध में अभिदान सूची 7 सितम्बर, 1982 को खोली गयी थी और 10 सितम्बर, 1982 को बन्द कर दी गई थी।

(ख) से (घ) कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निवासी भारतीयों को 2,02500 ऋण पत्रों की सार्वजनिक पेशकश (पब्लिक आफर) के उत्तर में कपनी को 33,53,334 ऋण पत्रों के लिए कुल 7,74,873 वैध आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और इस प्रकार ऋण-पत्रों का निर्गम 16.56 गुना अधिक अभिदत्त हुआ। कम्पनी ने निचली श्रेणियों के आवेदकों को समुचित महत्व देते हुए 1,96,597 आवेदकों को 2,02,500 ऋण-पत्र आबंटित किए। कंपनी ने 25 नवम्बर, 1982 को आबंटन धन वापसी पत्र आदेष (रिफंड आर्डर) मांग नोटिस जारी करने शुरू किए। इसने विभिन्न आवेदकों को कुल मिलाकर 7,48,275 धन वापसी आदेश जारी करने थे जिनमें वे आवेदक भी शामिल हैं जिन्होंने निवासी भारतीय को की गई सार्वजनिक पेशकश के उत्तर में आवेदन-पत्र दिए थे। चूंकि कंपनी धन वापसी आदेशों/आवंटन पत्रों/मांग नोटिसों के 25,000 अथवा 30,000 लिफाफों से अधिक लिफाफे प्रतिदिन डाक द्वारा नहीं भेज सकती थी इसलिए इन कागज पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया 18 दिसम्बर, 1982 तक ही पूरी हो सकी। धनवापसी आदेशों की वैधता अवधि जो पहले 17 फरवरी, 1983 तक नियम की गई थी उसे कंपनी ने बढ़ाकर 17 मार्च, 1983 तक कर दिया था क्योंकि धन वापसी आदेशों की संख्या बहुत अधिक थी। इन सभी धनराशियों की राशि भारतीय स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया की देश के विभिन्न भागों के 41 केन्द्रों में स्थित शाखाओं के माध्यम से ली जा सकती है। कंपनी का अनुमान है कि वह अपना मिलान विवरण (रीकंसीलिएशन स्टेटमेंट) तैयार करने का कार्य 18 अप्रैल, 1983 के इर्द गिर्द पूरा कर लेगी। इसके पश्चात् कंपनी उन सभी आवेदकों को रिफड आर्डरों की दूसरी प्रति जारी करेगी जिन्हें मूल रिफंड आर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं। कंपनी ने उन आवेदकों को मिलान विवरण का कार्य पूरा होने से पूर्व भी रिफड आर्डर की दूसरी प्रति जारी करने का प्रबंध किया है जिन्होंने अपने क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र निष्पादित करके कंपनी को रिफंड आर्डर के प्राप्त न होने के बारे में लिखा हो। कंपनी को लगभग 5000 आवेदकों से रिफंड आर्डर प्राप्त न होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कंपनी ने इस दौरान देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में एक विज्ञापन भी दिया है जिसमें उन आवेदकों से इस आशय का अनुरोध किया गया है कि जिन्हें डाक की देरी, पता बदलने आदि के कारण कंपनी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है वे नए सिरे से पत्र भेजें जिसमें आवेदक का नाम, आवेदन-पत्र की संख्या मांगे गए ऋण-पत्रों की संख्या तथा शिकायत के विशिष्ट स्वरूप का ब्यौरा दिया गया हो ताकि कंपनी उनकी शिकायतों पर अलग-अलग ध्यान दे सके।

चूंकि आवंटन पत्रों/रिफंड आर्डरों के जारी करने में जो देरी हुई है वह जनता की भारी मांग के कारण हुई है और कंपनी द्वारा अपनाए गए किसी प्रकार के कदाचार का पता नहीं चला है और चूंकि कंपनी ने उन आवेदकों को आवंटन पत्रों/रिफंड आर्डरों की दूसरी प्रतियां जारी करने के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठा लिए हैं जिन्हें ये प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए सरकार का इस मामले की जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोवियत रूस द्वारा कृषि मदों के आयात में कमी

6519. **श्री बी. बी. देसाई :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने चालू वर्ष में भारत के साथ व्यापार में भारी घाटे को कम करने की दृष्टि से 1983 में भारत से कुछ कृषि मदों के अपने आयात में भारी कटौती की है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में गंभीर चिंता अनुभव की गयी है क्योंकि सोवियत रूस ने इस बात का संकेत दिया है कि वह आगामी वर्ष भारत से काजू का आयात नहीं करेगा और वह 1983 के दौरान गैर बासमती चावल का भी आयात नहीं करेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सोवियत रूस भारत से लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य के काजू आयात करता रहा है;

(घ) इससे देश को किस सीमा तक हानि होगी; और

(ङ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) सोवियत संघ, रुपया स्रोतों के अभाव में केवल कृषि मदों की ही नहीं बल्कि अन्य मदों की भी भारत में खरीदारियां करने में धीमी गति से चलता रहा है। भारत सरकार इस बात पर चिन्तित है और दिसम्बर, 1982 में हस्ताक्षरित 1983 व्यापार आलेख में सहमति प्राप्त रूप में खरीदारियां करने के लिए सोवियत संघ को राजी करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

साथ ही इन मदों के लिए निर्यात बाजारों के विविधीकरण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

बड़ी कंपनियों की कर देनदारी

6520. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 करोड़ रुपये से अधिक लाभ अर्जित करने वाली अनेक बड़ी कंपनियों की कोई कर देनदारियां नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) कर प्रयोजनों के लिए उनकी आय को ठीक तरह से आंकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां। यह सच है कि बहुत अधिक लाभ कमाने वाली कुछ कंपनियों ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञात कतिपय कर रियायतों के कारण, कुछ कर निर्धारण वर्षों के लए, कोई आयकर अदा नहीं किया है अथवा, तुलनात्मक दृष्टि से, अपने लाभों का अल्प भाग ही आय-कर के रूप में अदा किया है।

(ख) 1977-78 से 1981-82 तक के कर निर्धारण वर्षों के दौरान। करोड़ रुपये से अधिक का लेखागत लाभ कमाने वाली और लेखागत लाभों के 10 प्रतिशत से कम की कर देयता वाली कंपनियों की एक सूची संलग्न विवरण-पत्र (अनुबंध) में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 6351/83]

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आय-कर अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञेय कर रियायतों के संबंध में विभिन्न कटौतियों के परिणामत: कंपनियों की कर लगने योग्य आय इस सीमा तक कम न हो जाय कि लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा कोई कर ही न अदा किया जाय अथवा नाममात्र का ही कर अदा किया जाय, वित्त विधेयक, 1983 में, आयकर अधिनियम में इस आशय का एक उपबंध बनाने का प्रस्ताव है कि जहां कंपनियों के मामले में, आयकर अधिनियम के कतिपय विनिर्दिष्ट उपबंधों के अंतर्गत अनुज्ञेय कटौतियों की कुल राशि, ऐसी कटौतियां करने से पूर्व संगणित कुल आय के 70 प्रतिशत से अधिक हो जाती हैं, वहां उन उपबंधों के अंतर्गत काटी जाने वाली राशि को, इस प्रकार की कटौतियां करने से पूर्व यथा संगणित कुल आय के 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाएगा।

केरल में रुग्ण चाय उद्योग के लिए पुन: सक्रिय कार्यक्रम

6521. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में रुग्ण चाय उद्योग के लिए पुन: सक्रिय कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यक्रम की द्रुत क्रियान्विति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) चाय बोर्ड की 26 जून, 1982 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दि यूनाइटिड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इण्डिया द्वारा केरल चाय उद्योग के लिए पुनरुद्धार तथा विकास योजना तैयार की गई है। चाय बोर्ड इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है तथा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है।

भारत मे विदेशी बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा

6522. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में विदेशी बैंकों के कार्यकरण तथा विशेषकर ऐसे बैंकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निभायी गई भूमिका के विशेष संदर्भ में समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा इधर किये जाने वाले बैंकिंग कारबार की मात्रा, तुलनात्मक रूप में, देश में होने वाले ऐसे कारबार की तुलना में अपेक्षया कम है। आमतौर पर, ये शाखाएं मुख्य विदेशी व्यापार, पर्यटन आदि जैसे विशिष्ट किस्म का कारबार करती हैं। भारत में उनका कार्यकरण भी, भारतीय रिजर्व बैंक के सांविधिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के अंतर्गत होता है।

सरकार को ऋण अदा न करने वाले स्वर्णकारों को नोटिस

6523. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 1963 में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू करने के बाद स्वर्णकारों को राहत देने के लिए 16 करोड़ रुपये के अग्रिम ऋण दिये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो स्वर्णकार आर्थिक कठिनाइयों के कारण उक्त ऋण की अदायगी नहीं कर पाए सरकार ने इनके ऋणों को माफ कर दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन स्वर्णकारों के ऋणों को माफ कर दिया गया था देश के विभिन्न भागों में या न्यायालयों द्वारा उन्हें ऋणों की अदायगी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं उदाहरण के लिए बिहार में सिवान जिले के अनेक स्वर्णकारों को ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वर्णकरों को ऋणों की अदायगी के लिए जारी किए गए ऐसे नोटिस शीघ्र वापस लेने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) स्वर्णकारों को राहत प्रदान करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1983 से मंजूर किए गए अग्रिम-धन की कुल रकम 1495.56 लाख रुपए है।

(ख) भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को 21 जून 1978 को पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं कि वे स्वर्णकारों की तरफ पुनर्वास ऋणों की बकाया रकमों को सामान्य रूप से बट्टे खाते डालने के आदेश जारी करें।

(ग) तथा (घ) ऐसी शिकायत प्राप्त हुई हैं कि बिहार के सिवान जिले में स्वर्णकारों से इन ऋणों की बकाया रकम की वसूली की जा रही है और इस मामले में बहुत से स्वर्णकारों को न्यायलयों से नोटिस मिले हैं। इस मामले में बिहार सरकार को लिखा गया है और उनको रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

पालियस्टर स्टैपल फाइबर का आयात

6524. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 2982-83 के दौरान कितना पालियस्टर का स्टैपल फाइबर का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि पालियस्टर फाइबर की देशी मांग को पूरा करने के लिए पालियस्टर की देशी क्षमता पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो स्वदेशी उद्योग को बचाने के लिए इसका आयात कम करने अथवा बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारो सिन्हा) : (क) अनुमानित आयात हैं :।

1981-82	1,770 मे. टन
1982-83 (अप्रैल=जनवरी)	4607,66 मे. टन

(ख) आई. सी. एम. एफ को 39,000 मे. टन की अनुमानित वर्तमान मांग की तुलना में 1982 के दौरान उत्पादन 28115 मे. टन था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय पत्ती का निर्यात

6525. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विदेशों में चाय पत्ती की बहुत अधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के दौरान कितनी चाय पत्ती का निर्यात किया गया है; और

(ग) देश के भीतर और विदेशों की चाय पत्ती (लीपटी) की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 में निर्यातित पत्ती चाय की मात्रा से संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं तथापि, पत्ती चाय निर्यातों के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	मात्रा मि. कि. ग्रा. में	मूल्य करोड़ रु. में
1979-80	170.7	306.43
1980-81	193.2	352.02

(ग) पत्ती तथा डस्ट अथवा उसके बारे में चाय के विभिन्न ग्रेडों की प्रतिशतता अनेक बातों पर निर्भर करती है जैसे कि तोड़ी गई पत्ती की क्वालिटी, मौसमी किस्में, प्रोसेसिंग की स्थितियां तथा तरीके। जबकि अभीष्ट स्थितियों में एक चाय फैक्टरी में चाय की ग्रेड प्रतिशतता में परिवर्तन की कम गुंजाइश होती है, तथापि निम्नलिखित से पत्ती प्रतिशतताओं में सुधार की संभावना रहती है :

(1) बेहतर तुड़ाई स्तर तथा उत्पादन स्थितियां।

(2) हरी पत्ती की बेहतर सुखाई।

(3) छंटाई कक्ष में चाय की न्यूनतम हैंडलिंग।

अधिक पत्ती चाय का उत्पादन चाय के विभिन्न ग्रेडों के लिए मांग को ध्यान में रखते हुए चाय उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

चाय बोर्ड अपनी विभिन्न स्कीमों के जरिये बेहतर समग्र क्वालिटी की चाय का उत्पादन करने के लिए चाय एस्टेटों को प्रोत्साहित करता है। बोर्ड चाय एस्टेटों के लिए जोन बार एक पुरस्कार स्कीम भी उनकी चाय के लिए उच्चतम कीमतें उपलब्ध कराने के लिए चलाता है।

सी. बी. डी. टी. चीफ टोल्ड टू गो आन लीव "शीर्षक" से समाचार

6526. **श्री गुलशेर अहमद :**

श्री के. ए. राजन :

श्री के. लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1983 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सी. बी. डी. टी. चीफ टोल्ड टू गो आन लीव शीर्षक से" प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 40 करोड़ रुपये के भारी कर अपवंचन के इस मामले के पूर्ण तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह मामला केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दिया गया है और यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) प्रश्न के पैरा (क) में उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। तथापि, सही स्थिति यह है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, के अध्यक्ष ने स्वास्थय ठीक नहीं होने के कारण 3 मार्च 1983 से 15 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया था जो उन्हें मंजूर की गई थी। तत्पश्चात उन्होंने छुट्टी को और 15 दिन बढ़ाने के आवेदन किया था, उसे भी मंजूर कर दिया गया था।

दिसम्बर 1981 में आयकर अधिकारियों द्वारा 'हवाला' रैकेट में कथित रूप से ग्रस्त बम्बई की कतिपय पार्टियों पर छापे मारे जाने के बाद, इसके परिणामतः पता लगाये गये 40 करोड़ रुपए के 'हवाला' रैकेट पर आयकर आयुक्त बम्बई/उपनिरीक्षण निदेशक (जांच) आयकर बिभाग, बम्बई द्वारा एक टिप्पणी तथा इस रैकेट में शामिल 20 पार्टियों की एक सूची तैयार की गई थी। इस टिप्पणी की तीन प्रतियां अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली और निरीक्षण निदेशक (जांच) आयकर विभाग नई दिल्ली के कार्यालय से गुम हैं। केन्द्रीय जांच ब्यौरों द्वारा 27 मई 1982 को दिल्ली में, एक औद्योगिक गृह के एक प्रतिनिधि के रिहायसी परिसरों की तलाशी के दौरान इस टिप्पणी की एक प्रति पायी गई थी। इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा और आगे जांच की जा रही है।

कृषि उत्पादों संबंधी निर्यात लक्ष्य

6527. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-बासमती चावल के निर्यात कोटा में भारी कटौती तथा

चीनी को लगभग बिल्कुल न भेजे जाने को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए कृषि उत्पादों संबंधी निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना नहीं है;

(ख) वर्ष 1982-83 की अप्रैल-सितम्बर की अवधि के दौरान कृषि मदों के निर्यात से कितनी आय अर्जित की गई थी;

(ग) क्या इसी अवधि में निर्यात सम्बन्धी आयकर 29.3% बढ़ गई थी; और

(घ) इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान कृषि निर्यात लक्ष्य किस हद तक प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे ?

वाणिज्य मंत्रायय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1982-83 के लिय निर्धारित निर्यात लक्ष्य के प्राप्त किये जाने की संभावना नहीं है।

(ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कृषि मदों (कच्ची रुई, समुद्री उत्पादों तथा चाय, काफी एवं इलायची, जैसी बागान फसलों को छोड़कर (के निर्यात अप्रैल-सितम्बर, 82-83 में 732.78 करोड़ रु मूल्य के थे।

(ग) जी हां, । 1981-82 की उसी अवधि के मुकाबले इसमें 29% की वृद्धि थी ।

(घ) 31 मार्च, 1983 तक के निर्यातों के अनन्तिम अनुमानों की प्रतीक्षा है।

सोवियत संघ को काजू की गिरी, मिर्च और नारियल जूटा के उत्पादों का निर्यात

6528. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्ष में सोवियत संघ को कितने काजू की गिरी, मिर्च और नारियल जूटा के उत्पादों का निर्यात किया गया था;

(ख) निर्यात की गई उन चीजों में से प्रत्येक का मूल्य क्या था।;

(ग) क्या सोवियत संघ ने इस साल उन चीजों को खरीदना विल्कुल बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(ङ) सोवितत संघ के मार्केट से हट जाने से केरल को कितनी हानि हुई; और

(च) जमा किए गए स्टाक को शीघ्र भेजने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) कैलेन्डर वर्ष 1983 के दौरान भारत से इन मदों की खरीद करने के लिए सोवियत संघ को राजी करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) यह अभी नहीं कहा जा सकता कि सोवियत संघ कैलेन्डर वर्ष 1983 में इन मदों की खरीद नहीं करेगा।

(च) इन मदों के लिए हमारे निर्यात बाजार का विविधीकरण करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

1978 से 1982 के दौरान सोवियत संघ को काजू गिरियों के निर्यात की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :

वर्ष	मात्रा (मे. टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1978	8,8:9	26.72
1979	12,255	30,86
1980	22,780	94.78
1981	21,183	124.94
1982	18,922	88.84

(स्रोत : काजू नि. सं. प.)

2. काली मिर्च तथा कयर उत्पादों के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है :

मूल्य करोड़ रु.

वर्ष	काली मिर्च		कयर उत्पाद	
	मात्रा (मे. टन)	मूल्य	मात्रा (मे. टन)	मूल्य
1976-77	1500	2.93	900	0.60
1977-78	950	18.96	1100	0.78
1978-79	770	13.77	900	0.63
1979-80	850	13.75	1000	0.23
1980-81 (अनन्तिम)	1600	23.74	400	0.35

(स्रोत : डी. जी., सी. आई. एण्ड एस)

इण्डियन एयरलाइन्स में महिला "केबिन कर्मचारियों की संख्या" में कमी :

6529. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स में नई भर्ती के लिए आयु सीमा तथा अन्य सेवाओं के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात नए भर्ती किए गए व्यक्तियों में महिला "केबिन कर्मचारियों की संख्या" में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले तथा बाद में महिला केबिन कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले तथा बाद में महिला केबिन कार्मिकों की कुल संख्या क्रमश: 511 तथा 515 है।

तट रक्षकों के मुख्यालय का दिल्ली से स्थानान्तरण

6530. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तट-रक्षकों के मुख्यालय को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तट रक्षकों के मुख्यालय को किस स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार है;

(ग) क्या तट रक्षकों के मुख्यालय को पूर्वी तट के केन्द्र भुवनेश्वर में स्थानांतरित करने पर विचार किए जाने की संभावना है, और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (घ) तट रक्षा संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

"ओल्ड स्पाइस" और "मैक्स फैक्टर नाम के ट्रेड मार्क

6531. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ओल्ड स्पाइस" और मैक्स फैक्टर ट्रेड मार्क के मालिकों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(1) (ग) के अधीन आवेदन किया था;

(ख) क्या इन ट्रेड मार्कों के इस्तेमाल करने वाले कुछ संघटकों को ट्रेड मार्क के मालिकों से सीधे खरीदते हैं या किसी दूसरे के माध्यम से खरीदते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी धनराशि की अदायगी अन्तर्गस्त है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) "ओल्ड स्पाइस" ट्रेड मार्क इस्तेमाल करने के लिए 1968 में करार किया था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(1) (ग) के उपबन्ध इस पर लागू नहीं होते क्योंकि इस ट्रेड मार्क के इस्तेमाल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी धनराशि की अदायगी अन्तर्ग्रस्त नहीं है। जहां तक "मैक्स फैक्टर" ट्रेड मार्क का संबंध है, मैक्स फैक्टर कम्पनी और अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइसिस प्रा. लि, के बीच 1978 में करार किया गया था जो कि ट्रेड मार्कस रजिस्ट्री के पास विचाराधीन है और विदेशी मुद्रा विनियन अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक को अभी तक कोई आवेदन पत्र नहीं भेजा गया है। जब तक कि कोई आवेदन-पत्र वस्तुतः प्राप्त नहीं हो जाता तब तक यह बताना संभव नहीं होगा कि इस में कितनी धनराशि की अदायगी अन्तर्ग्रस्त है।

शीतल पेयों जैसे मदों के विदेशी ब्रान्डों को चालू करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

6532. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीतल पेयों सौन्द्रर्य प्रसाधन आदि जैसे गैर-महत्व, गैर-जरूरी मदों में विदेशी ब्रांडों को चालू करने के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त कब जारी करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4471 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

बम्बई पत्तन न्यास द्वारा आयातित वस्तुओं के पोषण को जारी करना

6533. **श्री मोतीभाई आर. चौधरी** :
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
श्री रविन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित वस्तुओं की एक परेषण को हाल ही में बम्बई पत्तनन्यास द्वारा उस पर बिना कोई सीमा शुल्क लिए जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वस्तुओं का मूल्य कितना था और उन पर सीमा शुल्क न लेने के कारण क्या थे;

(ग) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) यद्यपि खेप का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है, तथापि, सम्भवता संकेत मैसर्स रणदीप शिपिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा अगस्त 1980 में आयात की गई 26,26,658 रुपये मूल्य की दो बिलोटी फार्क लिफ्टों की खेप की ओर है। हालांकि, सीमाशुल्क विभाग द्वारा इस खेप विशेष की निकासी की इजाजत नहीं दी गई थी, तो भी सीमाशुल्क अधिकारियों को सितम्बर, 1981 में यह पता चला कि इन फार्क लिफ्टों का इस्तेमाल गोदी क्षेत्र में आधान उठाने-रखने के लिए किया जा रहा है। इस लिए आयातकर्ताओं को शुल्क की अदायगी किये जाने तक, इन फार्क लिफ्टों का इस्तेमाल करने से रोका गया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने तथा उचित शुल्क की अदायगी के पश्चात् आयातकर्ताओं को उक्त माल की निकासी की इजाजत दे दी गई थी।

(ग) और (घ) बम्बई पत्तन न्यास से कहा गया है कि वह उन परिस्थितियों का पता लगाये जिनमें सीमाशुल्क विभाग द्वारा माल की निकासी किये जाने से पूर्व, गोदी क्षेत्र में माल का इस्तेमाल किये जाने की इजाजत दी गई। जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय से भी मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली-आगरा क्षेत्र में मांस-एवं-हड्डी के भोजन के लिये कारखानों की स्थापना

6534. **श्री अजित बाग :**

श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ भारतीय उद्यमियों ने दिल्ली-आगरा क्षेत्र में मांस एवं-हड्डी के भोजन के लिए कारखाने स्थापित करने हेतु अपनी रुचि प्रकट की है और इसके लिए जापानी फर्मों के साथ सहयोग में प्रवेश किया है :

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) "विदेशी मुद्रा अर्जन के इस नये स्रोत पर सरकार की क्या प्रक्रिया है" ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी नहीं

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

औद्योगिकीकरण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट

6535. **श्री अजय विश्वास :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण और उस क्षेत्र में पहले से विद्यमान उद्योगों के हित में उत्पादन शुल्क से छूट देना आवश्यक है और इससे उस क्षेत्र में धनराशि निवेश करने के लिये उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के लिये तत्काल कदम उठायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कारणों पर विचार करके, किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम संबंधी वर्तमान योजना में भौगोलिक एवं क्षेत्रीय कारणों को दृष्टिगत रखते हुए शुल्क में छूट देने के विषय में विचार नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में रेलवे परियोजना के लिए सऊदी ऋण

6536. **श्री अनादि चरण दास :** क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उसकी किसी एक रेलवे परियोजना के लिये सऊदी ऋण लेने हेतु हाल ही में कोई प्रस्ताव रखा गया था;

(ख) क्या मंत्रालय कोरापुट-रायगड़ा रेल लाईन के निर्माण के लिये भी सऊदी ऋण की आशा कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन उड़ीसा की परियोजनाओं के लिये कितने सऊदी ऋण लेने की आशा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सऊदी विकास निधि उड़ीसा में "कोरापुट रायगड़ा मीटर गेज परियोजना" के लिए 10.32 करोड़ सऊदी रियाल (3 करोड़ सं. रा. अमेरिकी

डालर) देने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है ऋण की विस्तृत शर्तों के बारे में सऊदी निधि के साथ अभी बातचीत की जानी है।

लोहिया मशीन्स द्वारा स्कूटरों के लिए ऋण पत्र जारी करना

6537. **श्री जेनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1982 में लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने स्कूटर सप्लाई करने हेतु जनता को ऋण पत्र जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ये ऋण-पत्र सभी व्यक्तियों को जारी किये गये हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं; जिन्हें ऋण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब तक ऋण-पत्र जारी कर दिये जाएंगे अथवा जमा धनराशि वापिस कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर ने दिनांक 28 जुलाई, 1982 के प्रोस्पेक्टस के माध्यम से 5.65 करोड़ रुपए के लिए 200-200 रुपए के ऋण-पत्र के हिसाब से 2,82,500 ऋण-पत्र जारी किए थे। इनमें से 20,000,3750,62500 और 5000 ऋण पत्र तरजीही तौर पर, क्रमश: कम्पनी के इक्विटी शेयर धारकों के लिए, कम्पनी के सावधि जमा धारकों के लिए, कम्पनी के कर्मचारियों और कारबारी सहयोगियों आदि के लिए और प्रत्यार्वतन के आधार पर अनिवासी भारतीयों तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए थे। शेष 2,02,500 ऋण-पत्र निवासी भारतीयों को प्रस्तुत (आफर) किए गए थे, जिनके सम्बन्ध में अभिदान सूची 7 सितम्बर, 1982 को खोली गई थी और 10 सितम्बर 1982 को बन्द कर दी गई थी।

आवंटितियों को स्कूटरों के तरजीही आवंटन के संबंध में प्रोस्पेक्टस में यह लिखा गया था :

"बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि कम्पनी द्वारा स्कूटरों के वार्षिक उत्पादन का 25 प्रतिशत भाग ऐसे सफल आवंटितियों को तरजीही तौर पर आवंटन करने के लिए आरक्षित किया जाए जिन्हें इस प्रोस्पेक्टस की शर्तों के अनुसार ऋण-पत्र आवंटित किए जाएंगे इनमें वे ऋण-पत्र शामिल नहीं होंगे जो अनिवासी भारतीयों को तथा विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को तरजीही तौर पर आवंटित किए गए हों।

(ख) से (घ) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्राप्त हुए सही आवेदन-पत्रों की संख्या और उन आवेदनकर्ताओं की संख्या जिन्हें उपर्युक्त विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण-पत्र आवंटित किए गए हैं, का ब्यौरा नीचे दिया गया है।"

श्रेणी	आवेदनकर्ताओं की संख्या	आवंटितियों की संख्या
इक्विटी शेयरधारक	14,238	14,238
सावधि जमा धारक	3,681	3,681
कर्मचारी और कारबारी सहयोगी आदि	4,172	4,172
अनिवासी भारतीय और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति	10	10
निवासी भारतीय	7.74,873	1,96,597
जोड़	7,96,974	2,18,698

जैसाकि ऊपर दी गई सारणी से पता चलता है, ऋण-पत्रों के लिए आवेदन पत्र देने वाले 7,96,974 व्यक्तियों में से कम्पनी 2,18,698 आवेदनकर्ताओं को ऋण-पत्र आवंटित कर सकी है। इस प्रकार, शेष 5,78,276 आवेदनकर्ताओं को कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किया गया है। हालांकि पहली चार श्रेणियों के सभी आवेदनकर्ताओं को ऋण-पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन अन्तिम श्रेणी यानी निवासी भारतीयों में से सभी आवेदनकर्ताओं को ऋण-पत्र नहीं दिए जा सके क्योंकि कम्पनी को 33,53,334 ऋण-पत्रों के लिए कुल 7,74,873 सही आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जबकि सार्वजनिक पेशकश (आफर) 2,02 500 ऋण-पत्रों की ही थी; इस प्रकार इन ऋण-पत्रों के लिए 16,56 गुना अधिक अभिदान हुआ। इस श्रेणी के 1,9:,597 आवेदनकर्ताओं को 2,02,500 ऋण-पत्र आवंटित करते समय कम्पनी ने सरकार द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार नीचे वाली श्रेणीयों के आवेदनकर्ताओं को महत्व दिया था।

कम्पनी ने आवंटन-पत्र और धन वापसी के आदेश जारी करने का काम 25 नवम्बर, 1982 को शुरू किया था और 18 दिसम्बर, 1982 तक ये पत्र जारी करने का काम पूरा कर दिया था। कम्पनी ने उन लोगों को आवंटन-पत्रों और धन वापसी आदेशों की दूसरी प्रतियां जारी करने के लिए भी समुचित व्यवस्था कर दी है जिन्हें मूल प्रतियां नहीं मिली थीं।

"ऐरोस्पेस" उद्योग का विकास

65:8. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय "एरोस्पेस" उद्योग में नए डिजाइन और विकास क्षमता बनाने के लिए लम्बी अवधि की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विमान, इन्जन और उन से संबंधित पुर्जों के डिजाइन और विकास के लिए अगले 10 से 15 वर्षों के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टाइपराइटरों का निर्यात

6539. **श्री एन. डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो अन्य देशों को टाइपराइटर निर्यात कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन्होंने किन देशों को टाइपराइटर निर्यात किए हैं;

(ग) कितने टाइपराइटर निर्यात किए गए; और

(घ) उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ई. ई. पी. सी.) से प्राप्त सूचना के अनुसार टाइपराइटरों के प्रमुख निर्यातक निम्नलिखित हैं :

1. गोदरेज एंड ब्वायस मैनु. क. प्रा. लि. बम्बई (महाराष्ट्र)
2. रैमिंगटन रैंड आफ इन्डिया लि. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
3. रायाला कारपोरेशन प्रा. लि. मद्रास (तमिलनाडु)
4. फैसिट एशिया लि. मद्रास (तमिलनाडु)

(ख) भारतीय टाइपराइटर लगभग 20 देशों को निर्यात किये गये जिनमें कि दक्षिण कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, बंगला देश और मलेशिया आदि प्रमुख हैं।

(ग) भारत से निर्यात किये गये टाइपराइटरों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	संख्या
1978-79	7070
1979-80	4170
1980-81	7195

(घ) टाइपराइटरों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1978-79	82.97
1979-80	48.19
1980-81	81.83

वर्ष 1983-84 के दौरान प्राकृतिक प्रकोपों के लिए नियत निधियां

6540. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्राकृतिक प्रकोपों की स्थिति में राहत देने के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी निधियां नियत की हैं; और

(ख) वर्ष 1983-84 के लिए यदि, राज्य वार, कोई नियतन किया गया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1983-84 के बजट में राज्य सरकारों के लिए सूखे के अलावा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के लिए सामान्य राहत के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता और सूखे से राहत के लिए 60 करोड़ रुपये की अग्रिम आयोजनागत सहायता की व्यवस्था की गई है।

(ख) 1983-84 के बजट में की गई निधियों की व्यवस्था का अभी तक राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से ऋण

6541. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** :

श्री मोती भाई आर. चौधरी :

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से परियोजना-वार कितनी राशि के ऋण प्राप्त किये जाने का विचार है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई. बी. आर. डी.) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई. डी. एन.) ने भारत की कई सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए सहायता दी है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 31 मार्च, 1983 तक हस्ताक्षरित परियोजनाओं का विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.** 6352/83]

सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए सहायता के वास्ते विश्व बैंक समूह के साथ विचार विमर्श चल रहा है और प्रत्येक मामले में परियोजना के दायरे तथा सहायता की मात्रा के सम्बन्ध में निर्णय औपचारिक बातचीत पूरी हो जाने के बाद ही किए जाएंगे।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3293 दिनांक 16 मार्च, 1983 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : लोक सभा में दिनांक 18 मार्च, 1983 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3293 के लिखित उत्तर में भूलवश कुछ सूचना शामिल करने से रह गई है।

2. इन परिस्थितियों में, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि 18 मार्च 1983 को पूछे गये प्रश्न के भाग (क) और (ख) के पहले दिए गए उत्तरों को दुरुस्त करने की कृपा करें, ताकि उसे निम्नानुसार पढ़ा जा सके :—

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा जिन निवेशी कंपनियों की तलाशी ली गई, उनके नाम तथा पकड़ी गई प्रथम दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसंपत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है :—

कंपनी का नाम	तलाशी की तारीख	पकड़ी गई प्रथम दृष्ट्या लेखा बाह्य परिसंपत्तियों का मूल्य
		(लाख रुपयों में)
(I) दी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आफ इण्डिया लि., मद्रास	11.8.1981	शून्य

1	2	3
(II) अण्डरराइटर्स एण्ड फाइनेंसियर्स (प्रा.) लि.. मद्रास	11.8.1981	शून्य
(III) प्लांटिंग एजेंसीज (प्रा.) लि., मद्रास	11.8.1981	शून्य
(IV) इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन (प्रा.) लि., मद्रास	11.8.1981	शून्य
(V) मेसर्स संचेती फाइनेंस (प्रा.) लि., मद्रास	22.2.1982	10·5
(VI) मेसर्स संचयनी सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि., कलकत्ता	8.2.1983	0·5
(VII) जनप्रिय फाइनेंस एण्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि., कलकत्ता		

(ख) मेसर्स अण्डर राइटर्सएण्ड फाइनेंसियर्स (प्रा.) लि., मद्रास मेसर्स प्लांटिंग एजेंसीज (प्रा.) लि. मद्रास और मेसर्स इन्वेस्टमेंट फाइनेन्स एण्ड कार्पोरेशन (प्रा.) लि. मद्रास के मामलों में मुकद्दमें दर्ज किये गये हैं। मेसर्स संचेती (प्रा.) लि· के मामले में पकड़ी गई तथा अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा रोक रखी गई परिसंपत्तियां, बैंक गारन्टी पर छोड़ दी गई हैं। सभी मामलों में पकड़े गये दस्तावेजों की, प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करने के लिए छानबीन की जा रही है।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे दल के एक विधायक की त्रिपुरा में हत्या कर दी गई है। अपने दल के लिये कार्य करते समय ··(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड चल रही है।

प्रो. के. के. तिवारी : त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकारों ने आतंक फैला रखा है और विधायकों की हत्या की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड चल रही है।

प्रो. के. के. तिवारी : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर गृह मंत्री को एक वक्तव्य देने का निर्देश दें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हम हिंसा के विरुद्ध हैं। परन्तु

वर्तमान मामले में जिस विधायक की हत्या की गई है उसने भी इससे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक की हत्या की थी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा नहीं होता है किसी का करना । (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मुल्क में सेफ्टी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप रशीद मसूद साहब यदि थोड़ा सा रुल्स पढ़कर आए होते तो यह आप यहां नहीं करते ।

श्री रशीद मसूद : रुल्स पढ़कर आया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : रुल्स पढ़कर नहीं आये हैं । होम मिनिस्ट्री की डिमांड चल रही है । (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : इसको एसेंशियल करना चाहते हैं । आपको एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है, उसको एक्सेप्ट कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल ही पैदा नहीं होता है । क्या कर रहे हैं आप । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय आप बिला-वजह क्यों वक्त जाया करते हैं । (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : हथियार लूट लिए गये ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, जगपाल जी आप इतने दिनों के बाद आते हैं । आप मेरी बात सुनिए । मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि आप पढ़ते क्यों नहीं हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप काफी अध्ययन करते हैं, हरिकेश जी । फिर आप यहां आकर भूल जाते हैं या कान के नीचे दे लेते हैं । आपको पता है होममिनिस्ट्री की डिमांड्स चल रही है, इसलिये इस पर नहीं दे सकता । फिर भी आप बात करते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छोड़िये आप । कोई मतलब की बात करिए ।

श्री रशीद मसूद : इससे ज्यादा मतलब की और क्या बात हो सकती है । (व्यवधान)

श्री के. मायातेवर (डिन्डिगल) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने सौतेली मां जैसा रवैया अपना रखा है। गेहूं के मूल्य की घोषणा कर दी गई । मैं मांग करता हूं कि इसी प्रकार धान का बढ़ा हुआ मूल्य भी घोषित किया जाये । मैं केवल तमिलनाडु की ओर से ही नहीं, बल्कि समस्त दक्षिण भारत की ओर से यह मांग कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और डिसक्शन मांगिये ।

श्री के. मायातेवर : धान का वसूली मूल्य बढ़ाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : गेहूं का मूल्य फसल कटने से पूर्व घोषित किया जाना चाहिए । इस बात पर आप कहिये ।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : फिरोजपुर में हथियार कारखाने पर छापा पड़ा है जो बहुत ही गम्भीर मामला है। गृह मन्त्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स चल रही है।

श्री रतनसिंह राजदा : इससे बड़ी ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। गृह मन्त्री महोदय को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। जब अनुदान की मांगें आ रही हैं तो आप वहां पर उल्लेख कर सकते है। (**व्यवधान**)

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, सर्वधर्म समभाव के सिद्धान्त पर मैं विश्वास करता हूं। किन्तु हमारे हिन्दी त्यौहार रामनौमी की छुट्टी की सरकारी घोषणा नहीं हुई है। मैं मांग करता हूं कि सारे लोगों ने इस बात पर कहा है कि रामनौमी की छुट्टी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप 377 दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री सी. टी. दण्डपाणि (पोल्लाची) : मद्रास नगर में जल संकट के दौरान रेल मन्त्री महोदय द्वारा प्रतिदिन 30,000 गैलन पानी भेजने का प्रबन्ध करने के लिए मैं उनका धन्यवादी हूं। परन्तु राज्य सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में लेकर जनता में जल वितरण का कार्य करने से इन्कार कर दिया है। अब चूंकि गृह मन्त्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकार से समझदारी से काम लेने के निर्देश दें। (**व्यवधान**)

श्री के. मायातेवर : महोदय, हमारे यहां मद्रास में पानी की समस्या है। राज्य सरकार इस बारे में न तो कुछ कर रही है और न ही वह बाहर से पानी लेने में समर्थ है (**व्यवधान**) अत: आपको राज्य सरकार की खिचाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

श्री के. मायातेवर : आप राज्य सरकार को बर्खास्त कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसका उल्लेख कर दिया है। मैं इतना ही कर सकता हूं।

श्री के. मायातेवर : आप वहां की सरकार को बर्खास्त कर दीजिये क्योंकि वे केन्द्रीय सहायता को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। (**व्यवधान**) राज्य सरकार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान मायातेवर जी कृपया बैठ जाइये।

श्री के. मायातेवर : रेलों से टेंकर भेजे जा रहें हैं परन्तु वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (**व्यवधान**).

अध्यक्ष महोदय : वह इसके बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। आप सदन का समय नष्ट करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं ?

श्री के. मायातेवर : आप गृह मंत्री महोदय को निर्देश दीजिए ·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1981-82 के और काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षाएं

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रतिं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6325/83]

(2) (एक) काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6326/83]

(व्यवधान)

इण्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3), (4), (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6327/83]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने हम लोगों को नहीं सुना।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनाना नहीं चाहते हैं। आप आपस में लड़ रहे हैं। आप तीनों पहले फैसला कर लीजिए कि कौन बोलेगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप जिसको कहेंगे, वह बोलेगा।

श्री रामविलास पासवान : कल मैं आपसे चेम्बर में मिला था। 14 अप्रैल को डा० अम्बेदकर के जन्म-दिवस की छुट्टी की घोषणा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : जटिया जी ने इसके बारे में कहा है। उनको 377 एलाउ किया था।

श्री रामविलास पासवान : 377 से क्या होता है। डा० अम्बेदकर हमारे संविधान रचयिता थे, संविधान के जनक थे। लेकिन उनके नाम पर ये छुट्टी नहीं करना चाहते हैं।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझा—यह बीमारी कैसे बढ़ रही है। क्यों कैन्सर रूप का धारण करती जा रही है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)** मैंने किसी को एलाउ नहीं किया है। सिर्फ शास्त्री जी को एलाउ किया है, वह चाहेंगे तो बोलेंगे। नहीं बोलें, उनकी मर्जी।

सिंचाई मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदान की विस्तृत मांगें

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं सिंचाई मंत्रालय की 1983-84 की अनुदान की विस्तृत मांगों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6328/83]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, आपने सुबह कहा था—चौधरी साहब वाले मामले में—कि भय से प्रजातन्त्र का नाश होता है। आपकी यह बात शतप्रतिशत सही है। जहां भय आ जाएगा···

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप सुन लीजिए। आज प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बनारस पहुंची हैं। बनारस में जनता उनका स्वागत कर रही है। किन्तु वहां डेढ़ लाख पी० ए० सी० और 35 हजार दूसरे…

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। यह असंगत है। अब श्रीमती रामदुलारी सिन्हा।

निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम 1983, चाय बोर्ड कलकत्ता को वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा चाय बोर्ड कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1551 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6329/83]

(2) (एक) चाय बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) चाय बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6330/83]

(व्यवधान)

कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, धनकर (दूसरा संशोधन) नियम 1983, आयकर (छठा संशोधन) नियम 1983 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा आयकर अधिनियम 1961 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24 कक की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 307 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो करारों के अधीन खनिज तेलों की खोज करने या उनको निकालने अथवा उनका उत्पादन करने के कारबार करने वाली विदेशी कम्पनियों को अतिकर की अदायगी से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6331/83]

(2) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 273 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6332/83]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 1983 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 274 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 293 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 306 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ किए गए करारों के अधीन, खनिज तेलों की खोज करने या उनको निकालने अथवा उनका उत्पादन करने के कारबार से प्राप्त लाभों और अधिलाभों की आय पर विदेशी कम्पनियों अथवा गैर-निगमित अनिवासी कर-दाताओं के मामले में लागू होने वाली आय-कर की दर 55 प्रतिशत तथा उस पर 2.5 प्रतिशत का अधिभार निर्धारित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6333/83]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 288 (अ), जो 31 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो चाय क्षेत्रों के पुनः वर्गीकरण के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 290 (अ), जो अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा ट्रेलरों सहित मोटरयानों और ट्रैक्टरों के ऐसे पुर्जों और उपसाधनों पर, जिनका प्रयोग ट्रेलरों सहित मोटरयानों और ट्रैक्टरों के निर्माताओं द्वारा संयोजित पुर्जों या मूल उपस्कर-पुर्जों के और निर्माण के लिए उसी कारखाने में, जिसमें उनका उत्पादन होता है, किया जाता है, 1 मार्च, 1979 से शुरू होकर 12 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अदायगी की माफी की गई है।

(तीन) सा० का० नि० 291, जो 2 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा विद्युत संचायक बैटरियों के ऐसे पुर्जों पर, जिनका

इस्तेमाल उन फैक्टरियों में किया जाता है, जहां वे उत्पादित होते हैं और विद्युत संचायक बैटरियां का आगे निर्माण करने के लिए होता है, 16 मार्च, 1976 से शुरू होकर 24 फरवरी, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अदायगी की माफी की गई है।

(चार) सा० का० नि० 312 (अ), जो 1 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 89/80-के० उ० शु० और 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 45/83-के० उ० शू० में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6334/83]

(6) निक्षेप बीमा और ऋण गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 की 32 की धारा उपधारा (2) के अन्तर्गत, निक्षेप बीमा और ऋण गारन्टी निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 63335/83]

(7) 30 मार्च, 1983 को जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणामों सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3336/83]

काफी बोर्ड बंलौर तथा भारतीय मध्यस्थता परिषद् नई दिल्ली व परिष्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षाएं और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संग्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6337/83]

(2) (एक) भारतीय मध्यस्थता परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मध्यस्थया परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6338/83]

(3) (एक) परिष्कृत संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिष्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6339/83]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
59वां प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 48 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का 59वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली के निकट भाट्टी खानों में तीन और मजदूरों की मृत्यु का समाचार

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे। श्री रामगोपाल रेड्डी—अनुपस्थित। श्री जी० एम० बनातवाला—अनुपस्थित। श्री रामविलास पासवान।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, काल-एटेन्शन के बारे में मुझे एक बात कहनी है। इसमें मेरा भी नाम है। हमारा नोटिस ऐसा था जिसमें दिल्ली की जो भाटी माइन्ज हैं वे भी शामिल हो जायें। लेकिन मेरे नोटिस में संशोधन कर दिया गया है। अब उन खदानों की बात होने वाली है जो दिल्ली में नहीं हैं, फरीदाबाद में हैं। मन्त्री महोदय का सारा वक्तव्य ऐसा है जो फरीदाबाद के बारे में है। दिल्ली की भाटी माइन्स में गत 45 दिनों में 15 लोग मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उन खानों में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उनको अगर कोई लेना चाहे तो दोबारा ले लेंगे। मैंने देखा है—इन दोनों में एक्सीडैन्ट हुआ है, इसलिए इनको लिया है। दूसरों को भी ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आयेगी, उसको भी करवा दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मंत्री महोदय भाटी माइन्ज के बारे में भी जवाब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त तो नहीं है, आपको दोबारा दिलवा दूंगा। उसमें जुडीशियल एन्कवायरी होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जुडीशियल एन्कवायरी के बाद लोग मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वहां अभी मरे हैं। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने हमेशा वाजपेयी जी आपको निमन्त्रण दिया है, कोई और सब्जैक्ट चाहें तो उस पर भी बहस करवा दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक ही दिन हो जाता, एक साथ हो जाता।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन नहीं हुआ। श्री रामविलास पासवान।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैंने डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे आकर पहले बात कर लें।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप मेरे मोशन पर कुछ···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गयी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय। मैं इस पर विचार करता हूं और यदि मैं उसे उचित समझूंगा तो इसकी अनुमति दे दूंगा अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : कौन-सा प्वाएंट आफ आर्डर है।

श्री हरिकेश बहादुर : हमारा प्वाएंट आफ आर्डर यह है कि दिल्ली की भाटी माइंस में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने एक नोटिस दिया था। उसके बारे में कहा गया था कि मंत्री जी आकर के सुओ मोटो स्टेटमेंट करेंगे। मंत्री जी के सुओ मोटो स्टेटमेंट के बाद भी एक्सीडेंट्स हुए। लेकिन आज जो कालिंग अटेंशन आया है उसमें उनको कंसीडर नहीं किया गया है, सिर्फ एक जगह की बात कही गयी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वाजपेयी जी से कह दिया है कि दुबारा करवा देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दुबारा करवा देंगे, इसमें कौन-सा तूफान उठ गया है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम और पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे मे एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली के निकट भट्टी खान क्षेत्र में एक खान के धंस जाने पर तीन और मजदूरों की मृत्यु हो जाने का समाचार।"

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो 4 अप्रैल, 1983 को भट्टी बजरी खानों में तीन व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा 5.4.1983 को की गई जांच-पड़तालों के अनुसार, यह दुर्घटना हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित मांगर खानों में हुई थी न कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की भट्टी खानों मे। मारे गए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या 2 है न कि तीन जैसा कि समाचार में छपा है।

फरीदाबाद जिले में तीन बजरी और सिलिका सैंड खानें (अनंगपुर, पाली और मांगर) हैं। इन खानों को वे निजी पार्टियां चला रही हैं जिन्हें राज्य सरकार ने पट्टा दे रखा है। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किए गए निरीक्षणों से यह प्रकट हुआ है कि इन सभी खानों में कार्य दशाएं संतोषजनक नहीं रही हैं। इन खानों में श्रमिकों के जीवन और सुरक्षा को तत्काल खतरे की आशंका के कारण खान सुरक्षा महानिदेशालय में खान अधिनियम की धारा-22 के अधीन मांगर खान के मामले में जुलाई, 1976 में और अनंगपुर तथा पाली खानों के मामलों में क्रमशः फरवरी/अप्रैल, 1979 में आदेश जारी करके इन खानों में व्यक्तियों के नियोजन को प्रतिषिद्ध कर रखा है। खानों को निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करके चलाने के आरोप में इन तीन भट्टी बजरी खानों के प्रबंध तंत्रों के विरुद्ध खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अभियोजन भी चलाए गए हैं। इस समय उनके विरुद्ध न्यायालयों में 9 मामले विचाराधीन हैं।

जुलाई, 1982 में राज्य सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया था कि फरीदाबाद जिले में खानों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई थी कि उन्हें संबंधित पट्टेदारों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि खानों में सुरक्षात्मक तथा सुव्यवस्थित ढंग से काम सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, इन खानों के पट्टे रद्द करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने सही स्थिति रखी है। इन्होंने बताया है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किए गए निरीक्षण से प्रकट हुआ है कि इन खानों की दशा संतोषजनक नहीं है। मंत्री महोदय ने अपने बयान में सारी चीजें रखने की कोशिश की है।

आपने कहा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय कहता है कि यहां सेफ्टी नहीं है, इल्लीगल है। लेकिन वहां क्या हो रहा है। अभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया है। दिल्ली और

हरियाणा का बार्डर लगा हुआ है और भाटी गांव दोनों के बीच में है। बीच में कोई दीवार नहीं है। 1980 में जगमोहन जी ने कहा था कि मैं सब बन्द कर रहा हूं। क्या हो रहा है ? खान बंद है लेकिन रात को लालटेन लेकर खान चालू करवाई जाती है। दूसरी तरफ हरियाणा के लिए भी एक ही डायरेक्टर है और दिल्ली के लिए भी वही डायरेक्टरेट है। दिल्ली में बन्द हैं लेकिन अधिकारियों और नेताओं की सांठगांठ से हरियाणा में खानें चालू हैं। पाटिल जी की सांठगांठ शायद इसमें नहीं होगी। आपने 1982 का हवाला दिया है, 1976, 1975 का हवाला दिया है कि केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि प्राइवेट माइनिंग बन्द कर दी जाएगी और सरकार इसको अपने हाथ में ले लेगी। इसके बावजूद चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई पावरफुल हाथ है।

मेरे पास इसके सम्बन्ध में दो रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट श्री एस० कुमार, डायरेक्टर आफ माइन सेफ्टी की है और दूसरी पी० यू० सी० एल० रिपोर्ट आन भाटी माइन्स है। मैं समझता हूं कि ये दोनों रिपोर्ट्स माननीय मंत्री महोदय तक पहुंच गई होंगी। यदि न पहुंची हों तो मैं उनको कापी दे सकता हूं। आपकी इजाजत से मैं सभापटल पर रख सकता हूं। मैं इन दोनों रिपोर्ट्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने अपने बयान में इस बात को कुबूल किया है।

12.17　　　　[माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं जानना चाहता हूं कि जब एक ही विभाग है खान सुरक्षा महानिदेशालय तब यह गलत काम कैसे हो रहा है। डी० एस० आई० डी० सी० बराबर कहता है कि यह गलत काम है, इल्लीगल है, सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। सारी की सारी रिपोर्ट खिलाफ जाती हैं इसके बावजूद यह गलत काम किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इल्लीगल माइन्स चल रही हैं। इनकी संख्या 300 है। निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक 10 फीट की सीढ़ी बनाकर नीचे-ऊपर जा सकते हैं। हो क्या रहा है कि 300 फीट, कहीं 200 फीट नीचे जाते हैं। एक तरफ दिल्ली माइन्स में भुखमरी की स्थिति चल रही है और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवर्ष एक करोड़ का घाटा इसमें हो रहा है। एक तरफ दिल्ली एरिया में बन्द की हुई हैं और उधर हरियाणा की तरफ खुली हुई हैं। दोनों को बन्द करके ठीक तरह से चलाने की कोशिश नहीं हो रही है।

1954 से ये खानें चल रही हैं। 1975 में इसको डी० एस० आई० डी० सी० ने एक्वायर किया। उसके पहले तक 200 मौतें हो चुकी थीं। एक्वायर करने के बावजूद भी बड़े लोगों और रूलिंग पार्टी के लोगों की सांठगांठ से प्राइवेट लोगों को ठेका दिया जाता रहा। 1980 में लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री जगमोहन ने कहा था कि इसको हम खुद चलाएंगे। इसमें 10-12 हजार मजदूर काम पर हैं।

मन्त्री महोदय को जानकारी होगी कि 10 जनवरी को राष्ट्रीय खान मजदूर संघ की ओर से मजदूरों की लाशों को लेकर हम श्रम मन्त्री के यहां पहुंचे थे। उस समय श्रम राज्य मंत्री मोहसिना किदवई थीं। उन्होंने घोषणा की थी, आश्वासन दिया था कि शीघ्र से शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेंगे और इस तरह से लोगों को मौत से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नतीजा यह हुआ कि 13 मौत

दुबारा हुई और इसी प्रकार 24 जनवरी को पांच मौतें और हुईं। उसके बाद प्रधान मंत्री जी के निवास स्थान पर लाश को ले जाया गया और पाटिल साहब भी वहां मौजूद थे। आपने कहा था कि जुडीशियल इन्क्वायरी होगी और इल्लीगल माइन्स बन्द कर दी जायेंगी। ऐसा एश्योरेंस आपने दिया था। 15 दिनों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री देश पाण्डे की अध्यक्षता में आपने एक कमेटी बनायी थी। लेकिन आपका डी० एस० आई० डी० सी० कोआपरेट नहीं कर रहा है। जनरल मैनेजर वोहरा और श्री टंडन जो वकील हैं, उन सबकी सांठ-गांठ है। वे कमीशन के सामने स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कमीशन अपना काम करने में लाचार है। देश के दूसरे भागों की समस्याएं अलग हैं। लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर हैं और जहां सारा का सारा प्रशासन कार्य कर रहा है, उसकी बगल में इस तरह का मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। मजदूरों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़कर सुनाता हूं।

यह भी उल्लेख किया गया था कि डी० एस० आई० डी० सी० का खनिज प्रभाग खरीददारों से वसूल किए गए प्रशुल्क के रूप में प्रति माह 15 लाख रुपये कमा रहा है। इसके एक भाग को श्रमिकों की सुरक्षा के हित में डी० एस० आई० डी० सी० के अधिक भार को हटने के लिए खर्च किया जा सकता है।

इस रिपोर्ट के आगे यह लिखा है :

क्योंकि प्रबन्धक निर्धारित समय से दोषों को दूर करने में असफल रहा इसलिए खान अधिनियम 1952 की धारा 22(1क) के अन्तर्गत पत्र संख्या 4648 दिनांक 1-10-82 के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसके द्वारा खानों में लोगों को सामान्य रूप से रोजगार दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

इस प्रकार से प्रतिबन्धात्मक आदेश तीनों खानों के लिए जारी किये गए थे।

इस सबके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : ठेकेदारों के खिलाफ भी बोलो।

श्री रामविलास पासवान : मैंने पहले भी कह दिया है और अब फिर कहा रहा हूं कि कोई प्राइवेट माइन्स नहीं चलती हैं। सरकार ने 1975 में अपने हाथ में ले ली थी, उसके बाद इल्लीगल करार दिया गया है। उसके बावजूद भी चल रही हैं और जहां दिल्ली के इलाके में बन्द हैं वहां लालटेन जलाकर काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि सरकार की नॉलेज में नहीं है ? सरकार की नॉलेज में है। मंत्री महोदय ने भी इन सब बातों को कबूल कर लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि आपका एक विंग कोई आर्डर निकालता है और दूसरा उसका खुल्लम-खुल्ला विरोध करता है। क्या सरकार इस बात को महसूस नहीं कर रही है और यदि हां तो सरकार इतनी कमजोर क्यों है ? जब सरकार कहती है कि कार्यवाही हो रही है तो क्या कार्यवाही हो रही है ? कोर्ट में मामला चला जाएगा तो सरकार खानों को अपने कब्जे में लेकर ठीक से क्यों नहीं चला पा रही है ? जब डेढ़ करोड़ से ज्यादा की इन्कम हो रही है, फिर भी आप ठीक से दोनों माइन्स को नहीं चला पा रहे हैं। फरीदाबाद के क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाली खान है, वहां हैल्थ के दृष्टिकोण से बहुत खराब हालत है। जो मजदूर

काम करते हैं उनको छोड़ दीजिए। लेकिन कोई आदमी वहां चार-पांच दिन तक रह जाएगा तो सब बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। मैं मंत्री महोदय से दो-तीन सवाल पूछना चाहूंगा। जब डी० एस० आई० डी० सी० ने 1975 में खानों को अपने हाथ में ले लिया था तो फिर क्यों मेटैलीफरस माइन्स रूल्स की धारा-106 और अन्य सुरक्षा प्रावधानों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। जो भी मौत हुई हैं इनको आप मौत समझते हैं या हत्या ? मैं समझता हूं कि ये मजदूरों की हत्या है। क्या डी० एस० आई० डी० सी० के अधिकारी या जो भी इसके लिए जिम्मेदार हों उनके खिलाफ धारा-302 का मुकदमा चलाया जा रहा है या नहीं ? अभी तक उनके खिलाफ कौन-कौन सा मुदकमा चला है। नहीं चलाया गया है तो भविष्य में अगर इस तरह की मौत होगी तो उनके खिलाफ़ क्या दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा ?

जिनकी मौत हुई है, उनमें से कितनों को कानूनी मुआवजा दिया गया है ? मेरी जानकारी के अनुसार जब हल्ला मचाया जाता है तो लैफ्टीनैन्ट गवर्नर अपने फंड से 5-5 हजार रुपया दे देते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनको कानूनी मुआवजा दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो उसका क्या कारण है ?

सारे देश में इस तरह की बात हो रही हैं। मंत्री महोदय बतायें कि पूरे देश में कितनी घटनाए हुई हैं ? पूरे देश में कितनी खानें हैं जो असुरक्षित और इल-लीगल हैं। जो इललीगल घोषित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वहां पर काम हो रहा है, उनके बारे में सरकार क्या पग उठा रही है ? क्या उनको इमीडिएट बन्द किया जाएगा ? क्या सरकार पूरी सेफ्टी के साथ, मजदूरों के जीवन को ध्यान में रखकर उन माइन्स को चलायेगी ? यदि नहीं चला पा रही है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? आज तक सरकार ने कितने अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्य द्वारा दिल्ली में भाट्टी-बजरी खदानों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है।

लेकिन इस समय जो चर्चा उठाई गई है वह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मांगर तथा अन्य खदानों में हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्य दिल्ली में भाट्टी खदानों के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय पहले ही निर्णय दे चुके हैं कि "यदि वे भट्टी खदानों में कार्य की शर्तों तथा उन खदानों को सुरक्षित बनाने के लिए की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं तो उन्हें प्रथक से प्रश्न पूछना चाहिए या प्रथक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने चाहिए।" और यदि अध्यक्ष महोदय इसे स्वीकार करते हैं तो मैं वक्तव्य देने के लिए तथा माननीय सदस्य जो भी सूचना चाहते हैं, देने के लिए तैयार हूं।

वास्तव में भाट्टी बजरी खदानों के सम्बन्ध में मैंने स्वयं ही इस सदन में एक वक्तव्य दिया है और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पुनः वक्तव्य देने को तैयार हूं।

लेकिन मांगर खदानों के बारे में कुछ जानने के लिए तथा यह जानने के लिए कि उनमें कोई दुर्घटना हुई है, माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर दूंगा।

यदि माननीय सदस्य भाट्टी खानों के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं तो आज मैं भाट्टी खदानों के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए तैयार होकर नहीं आया हूं क्योंकि वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : मैं गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा चिन्तित भी नहीं हूं, हमको स्टेटमेंट चाहिए भी नहीं। हमको तो यस चाहिए। आप स्टेटमेंट मत दीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। लगता है कि मंत्री महोदय कम हिन्दी समझते हैं। इन्होंने ट्रांस्लेटर को रखा नहीं है।

मैंने जानना चाहा कि हरियाणा के क्षेत्र में जो माइन्स हैं, वहां एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? वहां इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं कि दिल्ली एरिया में माइन्स बन्द हैं, उनको इल-लीगल करार दे दिया है। जो यहां के बेकार मजदूर हैं, वह वहां चले गए हैं और वहां रात में लालटेन जलाकर काम करते हैं इसलिए वहां रात को एक्सीडेंट्स होते हैं।

हरियाणा के क्षेत्र में इस तरह के 200 माइन्स हैं जिसके बारे में डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि 10,10 फीट सीढ़ी बनाकर नीचे जाओ, लेकिन वहां मजदूरों को 200 और 300 फीट नीचे जाकर काम करना पड़ता है। वहां रश हो जाता है, ओवरलोड होते ही एक्सीडेंट हो जाता है। हरियाणा में चल रही माइन्स अन-सेफ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा और फरीदाबाद में जो माइन्स चल रही हैं, क्या सेफ्टी के दृष्टिकोण से ठीक है? यदि ठीक नहीं हैं, तो मंत्री जी बैठकर सिर क्या हिला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिलाने के लिए सिर ही है और क्या करें?

श्री रामविलास पासवान : जब सेफ्टी की दृष्टि से वह ठीक नहीं है तो आप उनको बन्द कीजिए, सेफ्टी के दृष्टिकोण से बनाइए। जुडिशियल इन्क्वायरी ने क्या रोक रखा है कि सेफ्टी के तरीके से ठीक मत कीजिए? वह घटना की एनक्वायरी कर रहा है। मंत्री महोदय दिल्ली की माइन्ज में सुरक्षा-व्यवस्था को ठीक कराएं। मैंने पूछा है कि सरकार की जानकारी में पूरे देश में ऐसी कितनी माइन्ज हैं, जो सेफ्टी की दृष्टि से सही नहीं हैं और सरकार उनको ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार ने जिन माइन्ज को अनसेफ करार दिया है, यदि वहां पर मौतें होती हैं, तो उनके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वह क्या कार्यवाही करती है और आज तक सरकार ने कितने लोगों को कानूनी तरीके से मुआवजा दिला दिया है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य...

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : माननीय सदस्य ने हिन्दी में प्रश्न किया है। मंत्री महोदय उन्हें हिन्दी में उत्तर दें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने पहले तो पूछा भाट्टी माइन्ज के बारे में। अगर उन्होंने

भट्टी माइन्ज के बारे में पूछना था, तो वह भट्टी माइन्ज के बारे में दूसरा कालिंग एटेन्शन नोटिस भेजते या इसी कालिंग एटेन्शन नोटिस में भट्टी माइन्ज के बारे में पूछते। इस कालिंग एटेन्शन नोटिस में कहा गया है :—

"···कि दिल्ली के नजदीक भाट्टी खान क्षेत्र में तीन और मजदूरों की मृत्यु के समाचार की ओर श्रम तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना···"

ये डेथ्स भट्टी माइन्ज में नहीं हुई हैं। डायरेक्टर-जेनेरल ऑफ माइन्ज सेफ्टी ने कहा है कि ये डेथ्स फरीदाबाद की माइन्ज में हुई हैं। इसलिए मैंने उसीके बारे में माननीय सदस्य को इनफर्मेशन दी है। अगर माननीय सदस्य डेथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि भाट्टी माइन्ज बिल्कुल बन्द हैं, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कुछ उत्तर दीजिए क्योंकि उन्होंने करीब आधा घन्टा वक्तव्य दिया है। उन पर कुछ दया कीजिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य को भट्टी माइन्ज के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, वह मैं देने के लिये तैयार हूं, मगर वह मेहरबानी करके भट्टी माइन्ज के बारे में एक और कालिंग एटेन्शन नोटिस दें। जैसा कि मैंने बताया है, भट्टी माइन्ज बन्द हैं और वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। भट्टी माइन्ज में जो हजारों लोग काम करते थे, बेरोजगार होने की वजह से वे हरियाणा की तीन माइन्ज—अनंगपुर, पाली और मांगर—में काम कर रहे हैं, जहां पर माइन्ज का काम चालू है। भट्टी माइन्ज में डी० एस० आई० डी० सी० काम कर रही थी कंट्रैक्टर्ज के जरिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने इन तीन माइन्ज को लीज कर दिया है और वहां पर लीज-होल्डर्ज काम कर रहे हैं। डायरेक्टर जेनेरल ऑफ माइन्ज सेफ्टी की इन्सपैक्शन के बाद ट्टी माइन्ज और ये तीन माइन्ज डेंजरस करार दी गई हैं। मैंने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है कि डायरेक्टर जेनेरल आफ माइन्ज सेफ्टी के अनुसार ये तीनों माइन्ज अनसेफ माइंज हैं और इसलिए वहां पर कोई माइनिंग आरेशन नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर जेनेरल आफ माइन्ज सेफ्टी को माइन्ज एक्ट के सैक्शन 22 के तहत जो अख्यिारात हैं, उनके मुताबिक उन्होंने प्राहिबिटरी आर्डर्ज निकालने हैं और माइन-ओनर्ज को कहा है कि जब तक ये माइन्ज सेफ नहीं होतीं, तब तक आपको यह काम करना चाहिए। उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब उन्होंने कोई ऐक्शन नहीं लिया और वैसे ही माइन्स को आपरेट करते रहे तो माइन्स ऐक्ट की तहत डायरेक्टर जवनल, माइन्स सेफ्टी को उनका प्रोजीक्यूशन करने का अधिकार हो गया। उन्होंने प्राजीक्यूशन भी किया है। मैंने बताया है मांगर बजरी माइन्स में चार प्राजीक्यूशन्स अब तक हुए हैं। फरवरी, 1980 में माइन ओनर्स के खिलाफ प्राजीक्यूशन किया है। मई, 1980 में प्राजीक्यूशन हुआ है। जुलाई, 1982 में प्राजीक्यूशन हुआ है और फरवरी, 1983 में प्राजीक्यूशन हुआ है। पाली माइन्स के बारे में भी मेरे पास इंफार्मेशन है। आनन्दपुर बजरी माइन्स में भी प्राजीक्यूशन किया गया है। 15 प्राजीक्यूशन केसेज हमारे डायरेक्टर जनरल, माइन्स सेफ्टी ने किए हैं और 15 प्राजीक्यूशन्स में, मैं समझता हूं अभी 9 प्राजीक्यूशन्स पेंडिग हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। माइन्स ऐक्ट के सैक्शन (22) की तहत डायरेक्टर जनरल, माइन्स सेफ्टी

प्रोहिबिटरी आर्डर निकाल सकते हैं और सैक्शन (75) के अन्तर्गत प्राजीक्यूट कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वे फिजिकली पुलिस ले जाकर माइन्स को बन्द नहीं कर सकते हैं। माइन्स को बन्द करने के पूरे अख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, उन्हीं को माइन्स बन्द करनी चाहिए। जब भी डायरेक्टर जनरल ने इंस्पेक्शन करके प्रोहिबिटरी आर्डर्स निकाले हैं, उसकी कापी हरियाणा गवर्नमेंट के पास भी भेजी है लेकिन मिनरल कंसेशन रूल्स में एक लैकुना रह गया है और वह यह है कि माइन्स की सेफ्टी के लिए जो मेजर्स माइन ओनर्स को लेने चाहिए, वह अगर वे नहीं लेते हैं और माइन्स अनसेफ हो जाती हैं, तो माईनिंग लीज को कैंसिल करने का अधिकार उनके पास नहीं है। जो लैकुना है वह मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जिन कंडीशन्स पर कांट्रैक्ट दिया जाता है और जो मिनरल कंसेशन रूल्स हैं, जो सेन्ट्रल रूल्स हैं वह उन्होंने एडाप्ट किया है, उसमें यह नहीं है कि माइन्स अगर अनसेफ हैं तो उसकी बिना पर स्टेट गवर्नमेंट लीज को कैंसिल कर सकती है या टर्मिनेट कर सकती है। मैंने सुना है कि माइनिंग मिनिस्ट्री वाले इसको अमेन्ड करने की बात सोच रहे हैं। उनको हमने बार-बार लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी हमारे पास हैं। माइंस सेफ्टी आफिसर्स ने 21-2-79 को हरियाणा गवर्नमेंट को लिखा, 13-3-80 को लिखा, 11-9-80 को लिखा, 23-9-82 को लिखा, 30-9-82 को लिखा, 12-10-82 को लिखा, 11-2-83 को लिखा और 11-3-83 को लिखा। यह तो माइन्स सेफ्टी के आफिसर्स ने हरियाणा गवर्नमेंट को लिखा कि यह माइंस अनसेफ हैं, ऐक्शन लेकर इनको सेफ बनाया जाए और हमने जो प्रोहिबिटरी आर्डर निकाला है उसकी एक कापी आपके पास भेजी जा रही है। यह उन्होंने उसमें कहा।

इसी तरह से मेरे प्रेडेसेसर, श्री भागवत झा आजाद साहब ने 13 जुलाई, 1982 को चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा था जिसकी एक कापी मेरे पास है। उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। मजदूरों की सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा करके खदानों में काम करने के लिए दबाब डालना अनुचित होगा। कृपया आप सम्बन्धित पट्टों को रद्द करने पर विचार करें जिससे कि इनमें मानवीय सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा करके जो काम होता है वह न हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि नियम पट्टे रद्द करने की अनुमति नहीं देते, तो भूतपूर्व मंत्री यह सुझाव कैसे दे सकते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उसमें एक एबिग्यूटी है।

धारा 27 (1) (च) में कहा गया है :

> "जब तक राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति नहीं देती, तब तक पट्टाधारी पट्टा निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के अन्दर खनन कार्य प्रारम्भ कर सकेगा और उसके बाद ऐसे खनन कार्य उचित, कुशल और कुशल कर्मकार के कार्य की भांति करेगा।"

बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन्टरप्रेट किया है कि वर्कमेन लाइक मैनर का मतलब यह निकलता है कि माइन्स ओनर को जो मेथड्स मिनरल्स माइन्स सेफ्टी की तहत सेफ्टी के लिए लेने चाहिए वह इस तरह

से लेने चाहिए। उस तरह से लेना चाहिए। इस इंटरप्रिटेशन से हाईकोर्ट में जा कर चैलेंज किया है मुझे पता नहीं है, मालूम करना है, कुछ माइंस, माईनिंग मिनरल्स के तहत आती हैं। सिलिका सैंड मेजर मिनरल है। मेजर मिनरल को रूल्स के तहत लीज देनी पड़ती है। माइनर मिनरल्स के लिए उनके पास अलग रूल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट खुद माइनर मिनरल्स के रूल्स फ्रेम करती है, उनको यह अख्तियारात है। माइनर मिनरल्स के तहत सुना है कि एक क्लाज बढ़ी है। माइंस सेफ्टी प्रोवीजन को जो वायोलेट करता है, उस बेसिस पर लीज को कैंसिल कर सकते हैं, टरमिनेट कर सकते हैं। उस रूल्स के तहत उनको दो महीने का नोटिस देना पड़ेगा, टरमिनेशन के लिए। मैं साफ तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग लिखते जा रहे थे माइन्स एक्ट के तहत, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इंसपैक्शन होता है। उसके बाद जो डिफैक्ट्स हैं, उनको माइन ओनर की नजर में ला दिया जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि आप इन डिफैक्ट्स को सुधारें। यदि उनको दूर नहीं किया जाता है तो फिर सैक्शन 22 के तहत आर्डर निकलता है। डायरेक्टर जनरल ने अपने अख्तियार का इस्तेमाल किया है और उसके बाद भी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी भी वहां पर काम हो रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने लीज को कैन्सिल नहीं किया है। टरमिनेशन के लिए नोटिस दिया है। नोटिस देने के बाद भी कैंसिलेशन वगैरह के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। कैंसिल करने के बाद अगर लीज होल्डर कोर्ट में स्टे-आर्डर ले आता है, तो उस स्टे-आर्डर के बेसेस पर काम करना शुरू कर देगा। यह कानूनी मुश्किलात हैं। इनको दूर करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है। माइन्स में अभी भी काम होता है, पहले तो यह देखना चाहिए कि माइन्स की सेफ्टी होनी चाहिए। अगर कोई लीज होल्डर माइंस को अनसेफ बनाकर माइन्स को चलाना चाहता है, तो उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज के कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। रूल्स को इस तरह बदल दिया जाए कि पावर्स हासिल हो। इधर हमने माइन मिनिस्ट्री को कहा है और वह भी इस तरह की एम्बीग्यूटी को निकालने की कोशिश कर रही है और अमेंड करने की कोशिश कर रही है। जब यह अमेंड हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को पूरे अख्तियारात मिलेंगे और हम भी कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को अख्तियारात हैं कि वह इसके तहत लीज को कैंसिल कर सकती है। उसके बाद सुधार हो सकता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सैन्ट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी इसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रही है और यह विचाराधीन है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर): महोदय, मेरा एक व्यवस्था कि प्रश्न है। आपकी अनुमति से मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं जो मंत्री महोदय और साथ ही श्रमिकों के लिए सहायक होंगे। वास्तव में, डी० एम० आई० डी० सी० कर्मचारियों ने मंत्री महोदय को बहुत बुरी तरह गुमराह किया है। मैंने निजी तौर पर भाट्टी खदानों का दौरा किया है। डी० एस० आई० डी० सी० के० साथ कोई ठेका नहीं है। डी० सी० आई० डी० सी० खनन कार्य स्वयं नहीं कर रही है। वे केवल वहां से गुजरने वाले प्रत्येक ट्रक से 30 रुपए वसूल करते हैं। वे एक ट्रक की एक रसीद जारी कर देते हैं और फिर वह ट्रक वहां से जितनी बार चाहे आ-जा सकता है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर खनन शुरू कर सकता है। महोदय, आप भी भाट्टी खदानों में जाकर कल से खनन कार्य कर सकते हैं। वहां एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, डी० एस० आई० डी० सी० ने आपको सही सूचना नहीं दी है। वे खनन कार्य स्वयं नहीं कर रहे हैं। वह मात्र सड़क के किनारे खड़े

रहते हैं, और जितनी बार वहां से ट्रक गुजरता है वे 30 रुपए वसूल कर लेते हैं और रसीद देते हैं और वही रसीद चार बार या इससे अधिक बार दिखा दी जाती है। आपको उनसे पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने आपको गलत सूचना क्यों दी ? डी० सी० आई० डी० सी० खनन कार्य स्वयं नहीं कर रही हैं। सरकार को प्रति ट्रक 30 रुपए मिलते हैं और शेष राशि दूसरों की जेब में जाती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय ने बयान दिया है तथा उनका कहना है कि इस समय चर्चा केवल फरीदाबाद जिले की खदानों के बारे में होनी चाहिए, भट्टी खदानों के बारे में नहीं। लेकिन जहां तक खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हिफाजत का सवाल है, वह सवाल समान रूप का है। दिल्ली में जहां केन्द्रीय सरकार है, भट्टी माइन्ज में काम करने वाले मजदूरों की हिफाजत नहीं हो सकी। 45 दिनों में 15 से ज्यादा मजदूर मरे, खदान बन्द करनी पड़ी, जुडीशियल (अदालती) जांच हो रही है।

जैसा कि मेरे मित्र रामविलास पासवान जी ने कहा और मंत्री महोदय ने स्वीकार किया—बेकार मजदूर भट्टी माइन्ज बन्द होने के बाद कहां जायें ? वे पड़ौस की खदानों में पहुंच गए। वहां सुरक्षा का इन्तजाम नहीं है। खदानें 200-300 फुट गहरी हैं। मजदूर कैसे जाएंगे, उनके पास जूते नहीं हैं, सिर के लिए हैलमेट नहीं है, सीढ़ी 10 फुट तक है जो पर्याप्त नहीं है। क्या किसी कानून के अन्तर्गत ठेकेदारों को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे मजदूरों की हिफाजत का पूरा इन्तजाम करें ? कब तक लोग मरते रहेंगे, जिन्दा मिट्टी में दफन होते रहेंगे ? कब तक केन्द्र के मंत्री महोदय अपनी असहायता प्रकट करके हरियाणा सरकार के पापों पर परदा डालते रहेंगे ? कब तक दिल्ली में जो डवेलपमेन्ट कारपोरेशन है उसके अधिकारियों के निकम्मेपन को छिपाते रहेंगे ?

दिल्ली की भट्टी माइन्ज ले ली गई, मगर कारपोरेशन खुद खदानों में से सामान निकालने का काम नहीं कर रहा है। उसने लीज पर दे दिया, फिर से ठेकेदार तस्वीर में आ गए। ठेकेदार एक ओर मजदूर का शोषण करते हैं, दूसरी ओर रायल्टी बचाते हैं, सेल्सटैक्स बचाते हैं। सरकारी अफसर उनके अफसर उनके साथ मिले हुए हैं। मजदूर मर रहे हैं—यह सिलसिला कब तक चलेगा ?

मंत्री महोदय ने माना है—तीन नहीं मरे हैं दो मरे हैं। क्या दो का मरना काफी नहीं है ? इन दो को कितना कम्पेन्सेशन दिया गया ? क्या वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट में उनको 25 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक कम्पेन्सेशन देना आवश्यक नहीं है ? क्या यह सच है कि मजदूरों को 5 हजार रुपया कम्पेन्सेशन देकर छोड़ दिया जाता है ? मजदूरों के गधे भी मरते हैं। आजकल गधे की कीमत भी 5-6 हजार रुपए है...

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) यह गलत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आपको गधों के बारे में ज्यादा मालूम हो तो मैं अपने को सही करने के लिए तैयार हूं। मजदूर जब भूखा पेट काम करने के लिए आता है तो उसे ठेकेदारों से कर्जा लेना पड़ता है। उसे रहने के लिए मकान चाहिए, इसलिए झोंपड़ी बनानी पड़ती है। उसको औजारों की जरूरत होती है जिससे वह बजरी और सिलिका निकालता है, उसे खाने का इंतजाम करना पड़ता

इन सब कामों के लिए जो कर्जा वह लेता है उसे वहां की आमदनी से दे नहीं पाता है, जिसके कारण वह ठेकेदारों का गुलाम हो जाता है, बन्धुआ मजदूर हो जाता है और इस तरह वह अपनी जिन्दगी के साथ खेलता है।

मैं यह जानना चाहता हूं—क्या सेफ्टी के सवाल को आप अलग करके नहीं देख सकते। चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो खदानों की सेफ्टी का पूरा इन्तजाम किया जाना चाहिए। वहां मजदूरों का कोई रजिस्टर नहीं है। मजदूर नियमित नहीं किए जाते। एक साल के बाद मजदूर स्थायी होना चाहिए। मजदूरों के इलाज का प्रबन्ध होना चाहिए। डी० एस० आई० डी० सी० रुपया इकट्ठा कर रहा है, ठेकेदार लोग मजे उड़ा रहे हैं, लेकिन मजदूर एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं—क्या हरियाणा की सरकार को इस तरह से सस्ता छोड़ा जा सकता है? क्या हरियाणा के साथ आपने कोई उच्चस्तरीय वार्ता की है? अभी आपका कहना था कि दो महीने तक ये खदानें और चलेंगी, इसका मतलब है कि लोग इसी तरह से मरते जायेंगे। मंत्री महोदय ने रूल्ज की अभी जो व्याख्या दी है—उसके हिसाब के कैन्सिलेशन नहीं हो सकता। लोग अदालतों में जायेंगे। सरकार को अदालत में अपना पक्ष रखना पड़ेगा और अगर आवश्यकता हो तो नियम भी बदले जा सकते हैं। मगर मजदूरों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, भाटी माइन्स की अदालती जांच हो रही है, दुर्घटना की अदालती जांच हो रही है। क्या इसका मतलब यह है कि माइंस के बारे में सवाल नहीं उठ सकता, इसलिए कि जांच हो रही है। मगर भाटी माइंस में गोलमाल है। आप जरा पता लगाइए कि वहां कितने ट्रक जाते हैं। क्या इस बात की गारन्टी है कि 15 सौ ट्रक जाएं और लिखे जाएं 1 हजार ट्रक और जो रायल्टी है, जो सेल्स टेक्स है उसका बटवारा ठेकेदारों और अफसरों में हो जाए। देश के हर कोनों में होने वाली घटनाओं पर यह सदन गम्भीर चिंता प्रकट करता है। लेकिन दिल्ली और दिल्ली के पास यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। अब इस सिलसिले को खत्म करने का वक्त आ गया है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि केवल हरियाणा सरकार पर जिम्मेदारी डालने से आप अपने दायित्व से नहीं बच सकते। अगर आपको अधिक अधिकार चाहिएं तो यह सदन अधिक अधिकार देने को तैयार है। अगर खदानें सरकार ले लेती है तो फिर सरकार ठेकेदारों को क्यों लाती है? दिल्ली में ठेकेदारों को मैदान में क्यों लायी है? हरियाणा सरकार को क्या यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में वह कड़ी कार्यवाही करे? क्या हरियाणा सरकार के मंत्री भी ठेकेदारों से मिले हुए हैं और मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, सारा मामला बड़ा डिसगस्टिंग है। मेरे पास शब्द नहीं हैं कि किन शब्दों में मैं, जिस तरह से मजदूर मर रहे हैं, उनकी वेदना और व्यथा को प्रकट करूं।

मंत्री महोदय, केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की शब्दावली का सहारा लेकर हरियाणा तक चर्चा को सीमित न करें। यह मजदूरों की सुरक्षा का मामला है और श्रम मंत्री के नाते आप सुरक्षा के सवाल से गम्भीर रूप से, गहराई से जुड़े हुए हैं। आप क्या सदन को यह अश्वासन देंगे कि भविष्य

में किसी भी खदान में, किसी भी मजदूर को मरने नहीं दिया जाएगा । जिस तरह से भाटी माइन्स में मजदूर मरे हैं और अब फरीदाबाद की खदानों में मरे हैं, इस तरह से मरने नहीं दिया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, अभी माननीय वाजपेयी जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, उनसे मैं सहमत हूं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि इन माइंस में, इन खदानों में हालत अच्छी है, सब ठीक-ठाक है । मैंने यह कभी नहीं कहा । श्री रामविलास जी ने मुझे बधाई दी, इसलिए कि मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया था कि यहां की हालत अच्छी नहीं है । इसीलिए डायरेक्टर जनरल सेफ्टी ऑफ माइन्स एक्ट के तहत जो भी कार्यवाही कर सकते हैं, उसको उन्होंने किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, यह तो मैं नहीं कह सकता। उनको जो करना था, उसको उन्होंने किया है।

आज हम भाटी माइन्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य श्री वाजपेयी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर भाटी माइन्स के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं जुडीशियल इंक्वायरी की आड़ लेकर यह नहीं कहूंगा कि आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप जब चर्चा करना चाहते हैं, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सेफ्टी आस्पेक्ट इज कामन ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज वह विषय नहीं है । अगर आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं चर्चा कर सकता हूं।

माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी जी ने यह पूछा कि क्या यह सही है कि भाटी माइन्स में कांट्रैक्टर काम कर रहे हैं? यह सही है कि भाटी माइन्स में कांट्रैक्टर काम कर रहे हैं। यह मुझे मालूम है कि डी० एस० आई० डी० सी० लेस्सी है, माइन आनर है । लेकिन जो काम वहां हो रहा है, वह कांट्रैक्टर कर रहे हैं। डी० एस० आई० डी० सी० वहां पर रायल्टी कलेक्ट कर रही है यह मैं मानता हूं। इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की है, डिस्कशन किया है । जो नए चीफ एक्जीक्यूटिव काउंसर आए हैं उनके साथ हमने चर्चा की है। अगर भाटी माइंस के बारे में कोई चर्चा या डिस्कशन होता है तो मैं उसके लिए तैयार होकर आऊंगा और जो भी सवाल माननीय सदस्य पूछेंगे उनका जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कुछ बातें माननीय सदस्य ने मुझसे पूछी हैं । कंपंसेशन के बारे में मैं उनको बताना चाहता हूं कि कंपंसेशन तो देना ही पड़ेगा। मैं भट्टी माइन्स के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन मांगर माइन्स में दो लोग मरे हैं। इससे पहले भी लोग मरे हैं । उनको वर्कमैन कंपंसेशन एक्ट के तहत क्लेम डालना पड़ता है और उन्होंने डाला है। मेरे पास इसकी जानकारी है। 1982 में 10-15 क्लेम डाले गए थे जिसमें से 5 डिसपोज आफ हुए हैं और 5 बाकी हैं । जब भी कोई इंसीडेंस होता है तो वर्कमैन कंपंसेशन एक्ट के तहत कंपंसेशन देने की जवाबदारी फिक्स की गई है। यह जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट पर है । स्टेट गवर्नमेंट इसको देख रही है और जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्लेम्स डाले जा रहे हैं उन पर कार्यवाही हो रही है । मैं समझता हूं कि कंपंसेशन मिल भी रहा होगा, क्योंकि आज तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कंपंसेशन देने में देर होती है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने आपको पढ़कर सुनाया है कि कितने क्लेम्स डाले गए और कितने डिसपोज आफ हुए हैं। कंपंसेशन कितना देना चाहिए और किसको देना चाहिए इस बात की ज्यूडिशियल इन्क्वारी होती है। इसमें थोड़ी-बहुत देर होती होगी। हम ऐसा कोई आर्डर नहीं निकाल सकते या स्टेट गवर्नमेंट या क्लेम कंपंसेशन कमिश्नर ऐसा आर्डर नहीं निकाल सकता कि एक महीने या दो महीने में तय किया जाए। इस तरह के डायरेक्टिव नहीं निकाल सकते। अनअफिशियली बोल सकते हैं कि जितने क्लेम्स हैं उन पर जल्दी कार्यवाही की जाए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी पोजीशन साफ तौर पर बताई है। मैं मानता हूं कि रूल्स बीच में आ रहे हैं तो उनमें सुधार किया जाना चाहिए और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि भट्टी माइन्स फरीदाबाद में हरियाणा गवर्नमेंट के माइन्स हैं। वहां पर माइन्स की हालत अच्छी नहीं है यह मैंने कह दिया है। इसके बारे में डायरेक्टर जनरल माइन्स ने एक्शन लिया है और कार्यवाही हो रही है। लेकिन कैंसिल करने में कुछ कानूनी मजबूरियां हैं। हरियाणा गवर्नमेंट जो लीज देती है। इसमें कांट्रेक्टर अपाएंट करने का सवाल नहीं है। उनको मिनरल्स कंसेशन रूल्स के तहत लीज देनी चाहिए। मिनरल कंसेशन रूल्स में लिखा हुआ है कि जब मेजर मिनरल्स की लाज देनी होगी तो कितनी मुद्दत के लिए देनी होगी और माइनर मिनरल्स के लिए कितनी मुद्दत के लिए लीज देनी होगी। यह स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में लिखा हुआ है। उस कानून के तहत लीज पर दी जा रही है। कोई कांट्रेक्टर अपनी मर्जी के मुताबिक अपाएंट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जो भी वहां पर लीज होल्डर हैं या लीजी हैं उनके लिए यह नियम है कि एक मरतबा लीज दे दी गई है तो लीज कैंसिल करने के लिए जो कंडीशन हैं बदकिस्मती से उनमें एक एंबीग्विटी है। उसमें मिनरल कंसेशन रूल्स में, मिनरल कंसेशन एक्ट में, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि माइन ओनर माइन सेफ्टी प्रावीजन का पालन नहीं करता है तो उस बेसिस पर लीज कैंसिल कर सकते हैं। मैंने सुना है और मेरे पास आया है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में अमेंडमेंट किया है। उसमें उन्होंने एक क्लाज बढ़ाई है। ठेकेदार को खदान अधिनियम, 1982, अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों एवं केन्द्र तथा राज्य दोनों द्वारा बनाए गए अन्य कानूनों के उपबंधों, जो कि खानों तथा खदानों में काम करने वालों पर लागू हैं, का पालन करना होगा।' इसके तहत उन्होंने रूल्स को अमेंडमेंट कर लिया है और इसमें टरमीनेशन का नोटिस भी है। माइन्स एंड मिनरल्स में जो एम्बीग्युइटी है उसको दूर करने के लिए मिनिस्ट्री सोच रही है। जानकारी यह मिली है कि ये रूल्स जब अमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद लीज कैन्सिल करने की कार्यवाही एफेक्टिव तौर से हो सकती है। दुर्भाग्य से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वे रुक जायेंगे ऐसी मुझे आशा है।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह लिखित में तो ठीक है लेकिन स्पिरिट में उचित नहीं है। फिर भी यह संतोषप्रद दिखायी देता है यह सवाल खदानों तक ही नहीं बल्कि सुरक्षा से भी संबंध रखता है। यह हिन्दुस्तान के सारे मजदूरों का

प्रश्न है। जो ऑरगेनाइज्ड यानी इन्डस्ट्रीयल वर्कर्स हैं, वे अपनी आवाज को बुलन्द करके अपनी मांगों को मंजूर करवा लेते हैं। लेकिन जो अन-ऑरगेनाइज्ड यानी एग्रीकल्चरल और माइन्स में काम करने वाले हैं, वे अपने अधिकारों को किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकते। क्या मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि दुहरी व्यवस्था चल रही है। एक तरफ राज्य सरकार और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार की व्यवस्था चल रही है। अभी मंत्री जी ने कहा कि माइन्स एण्ड मिनरल्स कंनेशन रूल में एक प्रॉविजन है कि वे किसी भी लाईसेंस को रद्द नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जोधपुर में लगभग पांच हजार पट्टियों की माइन्स हैं। वहां पर कुल 50 हजार के करीब मजदूर काम करते हैं, उनमें लगभग 25 हजार आदिवासी और हरिजन हैं। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि एस० सी० एस० टी० के लोगों को रिजर्वेशन के आधार पर काम दिया जाए। लेकिन उसके पास अधिकार नहीं हैं इसलिए कैन्सिल करके उनको नहीं दिया जा सकता। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दुहरी नीति है।

मैं राजस्थान में लेबर मिनिस्टर रहा हूं। मुझे पता है जब भी कोई खानों की बात होती थी तो हमको यही कहना पड़ता था कि माइन्स कमीश्नर या इन्सपैक्टर जाकर देखेंगे। इसका मतलब है वे जाते ही नहीं हैं और ना ही जाकर देखते हैं। अटल जी और पासवान जी ने भी सेफ्टी मैजर्स इवाल्व करने के लिए कहा है। यह श्रमिकों की रक्षा और उनके हितों का तथा मानवीयता का सवाल है। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय और आई० एल० ओ० स्तर पर भी विचार किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक दुहरी नीति खत्म नहीं होगी तब तक मजदूरों का भला नहीं हो सकता। सरकार को आमदनी नहीं होगी और ना ही लोगों को मुआवजा मिलेगा। कम्पनसेशन एक्ट के मुताबिक भी कोई मुआवजा नहीं मिल पायेगा। मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए एक स्पेशल लेबर मिनिस्टर्स और माइन्स मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस बुलायी जाए। उसमें यह फैसला कर दिया जाए माइन्स एंड मिनरल्स रूल्स का अधिकार आपके पास रहेगा या उनके पास रहेगा। आपने कहा है कि कांसी जुडिशियल की कैपेसिटी में लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमीश्नर को मुआवजा देने का अधिकार होगा। लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि यह दुहरी नीति नहीं होनी चाहिए जैसी कि केरोसीन की थी। यह दोहरी नीति है, जैसे कैरासिन की है, इसको भी समाप्त किया जाना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिये। यह मेरा मुख्य सुझाव है।

मंत्री जी ने बताया कि 15 प्रासीक्यूशन हुए हैं। आपके प्रासीक्यूशन बेमायने हो जाते हैं जब उनका रिजल्ट नहीं आता है।

ये मुकदमे किस धारा के अन्तर्गत चलाए गए थे? क्या वे खदान सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चलाए गए थे अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत? क्या पुलिस को भी उन पर किसी अन्य धारा के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के अनुमति दी गई थी? अभी तक 9 मामले डिस्पोज आफ हुए हैं। 15 में क्या मिला, उसमें क्या सजा हुई? यह बात आनी चाहिए। मगरी, आलमपुर, पाली की खानों के बारे में विस्तारपूर्वक बतायें कि किसको कितनी सजा हुई? क्या इन खदानों को असुरक्षित घोषित किया गया था। यदि हां, तो हम बाद में इन खदानों को किसने शुरू किया? जैसे यहां अभी कहा गया

था कि सेफ्टी मेजर्स में हैलमेट लगना चाहिए, सीढ़ियां बनानी चाहिए, हैलमेट के साथ जो लाइट लगती है वह रहनी चाहिये, लेकिन क्या यह रखी जाती है ? उसको क्या कोई देखता है ?

क्या कोई इन्सपैक्टर या आफिसर्स इसके लिए रखे हैं, क्या कभी कैजुअल विजिट की जाती है ? इन गंभीर प्रश्नों पर जब तक कोई विचार नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं तो हार्ट-पेशेन्ट हूं, कल मर सकता हूं, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आने वाला है क्योंकि पूंजीवादी लोग इन खानों के मालिक बने बैठे हैं, चाहे सोना हो, लोहा हो, अभ्रक हो या कापर हो, सारे इस दबे हुए धन के वे मालिक बन जाते हैं और गरीबों का शोषण होता है। इस प्रश्न को गंभीरता से लिया जाना चाहिये ।

यहां माननीय सदस्यों को चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, उस पर दबाव डालना चाहिये कि इन कामों में जो श्रमिक लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये, उसमें उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए । श्रमिक अपने जीवन को हथेली पर रखकर अपने जीवन के साथ खेलता है और जमीन से धन निकालता है और उसमें उसका हिस्सा, साझेदारी न हो यह ठीक नहीं है। हमारे वृद्धिचन्द्र जैन बाड़मेर से आते हैं। ये जानते हैं कि जोधपुर में कितनी माइन्स चल रही हैं। जो इसके मालिक बने हुए हैं क्या यह धरती उनकी है ? एक तरफ आप जोत की जमीन दे रहे हैं, तो क्या आप इस जमीन का एलाटमैंट नहीं कर सकते। राजस्थान की सरकार ने एक कदम उठाया है लेकिन कमी यही है कि मिनरल कंसेशन रूल के अन्तर्गत है।

मैं जानना चाहता हूं कि कितना मुआवजा दिया गया है, और किस-किस धारा के अन्तर्गत दिया गया है ? किस-किस एक्ट के अन्तर्गत उनका चालान हुआ है और आगे के लिए किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को स्ट्रीम लाइन करेंगे और स्ट्रेन्दन करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य यह मालूम करना चाहते थे कि लीज होल्डर्स के बारे में कोर्ट में किस कानून और सैक्शन के तहत कार्यवाही हुई है ? फरीदाबाद के कोर्ट में जो प्रासीक्यूशन हुए हैं, वह लीज होल्डर्स के खिलाफ सैक्शन 75 माइन्स एक्ट के अन्तर्गत हुए हैं। ये प्रासीक्यूशन्ज पुलिस नहीं करती, बल्कि डायरेक्टर जेनरल आफ माइन्ज सेफ्टी करते हैं—पार्टी और कम्पलेंटेंट वह होते हैं, जो लोग माइन्ज में मरते हैं, चाहे वह जोधपुर में हो, भट्टी में हो या हरियाणा की माइन्ज में हो, उनको वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत मुआवजा देना पड़ता है। उसमें एक प्रोसीजर है कि कितना मुआवजा देना चाहिए। ये सब बातें उसमें हैं। उन सब लोगों को प्रोसीजर के मुताबिक क्लेम दाखिल करना पड़ता है और उन्हें मुआवजा मिलता है ।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अब तक कितना मुआवजा दिया गया है। उसके बारे में मुझे इस समय जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी खान के बारे में जानना चाहते हैं, जहां इस तरह के एक्सीडेंट में लोग मरे हैं, कि वहां पर कितने लोगों को मुआवजा मिला है और कितना मिला है, तो वह एक एपेसिफिक सवाल करें। मैं वह इनफर्मेशन कलेक्ट करके देने का प्रयत्न करूंगा ।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अब तक जितने प्रासीक्यूशन्ज हुए हैं, उनका नतीजा क्या

हुआ है। मांगर माइन के बारे में 4 प्रासीक्यूशन्ज हुए हैं, जिनमें से दो केसिज में लोअर कोर्ट से एक्विटल हो गया है। हमने इस बारे में हाई कोर्ट में अपील की है, जो कि चल रही है। पाली बजरी माइन्ज में 7 प्रासीक्यूशन हुए हैं, जिनमें से 2 प्रासीक्यूशन्ज में एक्विटल हो गया हो। हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की है, और वह चल रही है। अनंगपुर बजरी माइन्ज में 4 प्रासीक्यूशन हुए हैं, जिनमें से दो 2 में एक्विटल हुआ है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है। जितनी भी कार्य-वाहियां हुई हैं, उनमें से कुछ पेंडिंग हैं और कुछ में एक्विटल हो गया है, जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है और वे अपीलें पेंडिंग हैं।

श्री भीखा भाई : अगर इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, तो क्या सरकार वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट को एमेंड करने पर विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई है, तो वह मुझे बताएं कि क्या कठिनाई है। मैं वह कठि-नाई दूर करने की कोशिश करूंगा।

पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबन्ध के बारे में याचिका

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के बारे में श्री राजमल जैन और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राहत कार्य के लिए राजस्थान को सहायता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : इस वर्ष मध्य प्रदेश में 18 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। ब्यौरा इस प्रकार है :

जिलों की संख्या	18 जिलों में कुल गांवों की संख्या	प्रभावित हुए गांवों की संख्या	जिलों की कुल जनसंख्या	जिलों की प्रभावित जनसंख्या
18	35,218	15,897	241 लाख	88 लाख
इसकी तुलना में, राजस्थान के आंकड़े इस प्रकार हैं—				
26	36,069	23,372	324 लाख	177 लाख

तथापि 31.3.1983 तक इन दो राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मंजूर की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश	राजस्थान
27 करोड़	11.875 करोड़

इस तरह, जबकि मध्य प्रदेश में प्रभावित जनसंख्या राजस्थान से आधी है, वहां रोजगार के लिए राजस्थान की तुलना में 2.25 गुना राशि मंजूर की गई है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं।

राजस्थान को इस वर्ष मजदूरी के लिए 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी गई है तथा इस राशि का चौथाई हिस्सा सामान आदि के रूप में है। जबकि मध्य प्रदेश को मजदूरी के लिए 6 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी गई है तथा उसका 1/3 हिस्सा सामान आदि के रूप में दिया गया है।

केन्द्रीय दल ने, जिसने राज्य का दौरा किया, 60 : 40 के अनुपात से सामान देने की सिफारिश की थी, जैसा कि सभी एन० आर० ई० पी० कार्यों में दिया जा रहा है।

भारत सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए तथा अक्तूबर, 1982 से मार्च, 1983 तक राहत की राशि, जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा मांग की गई है, 50 करोड़ रुपए तक बढ़ानी चाहिए। एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही राजस्थान जाना चाहिए जो राज्य में जटिल सूखे की स्थिति का मौके पर अध्ययन करे तथा अप्रैल, 1983 से सितम्बर, 1983 के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राहत के सम्बन्ध में सिफारिशें करे।

(दो) अलवर को अहमदाबाद-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जोड़ा जाना

श्री रामसिंह यादव (अलवर): महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की मुख्य उद्देश्य निकटवर्ती नगरों को दिल्ली से सड़क से जोड़ना है ताकि भविष्य में दिल्ली की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। अलवर नगर, जो कि जिला मुख्यालय है, दिल्ली-अहमदाबाद की छोटी रेलवे लाइन पर बसा हुआ है। अलवर में रक्षा सेनाओं का मिलिट्री ब्रिगेड मुख्यालय है। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास की बहुत गुंजाइश है। यह खनिज सम्पत्ति में भी समृद्ध है।

अलवर का माटया औद्योगिक क्षेत्र देश के औद्योगिक मानचित्र में है। यहां कई महत्वपूर्ण गौरवशाली औद्योगिक इकाइयां है। प्राय: सभी औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। अलवर क्षेत्र राजस्थान राज्य का अन्न का भंडार है।

औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य आवश्यकताएं परिवहन सुविधा का उपलब्ध होना तथा इसका मंडियों के साथ जुड़ा होना हैं। अलवर अभी बड़ी रेलवे लाइन के साथ जुड़ा नहीं है। यहां तक कि अलवर नगर दिल्ली अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से भी सीधे नहीं जोड़ा गया है।

माटया औद्योगिक क्षेत्र, अलवर, खैरथाल औद्योगिक क्षेत्र तथा अलवर जिले के अन्य भागों में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही अलवर नगर को अहमदाबाद-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जोड़ने की अत्यधिक आवश्यकया है। अत: मैं निर्माण और आवास मन्त्री,

भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हरियाणा के जिला महेन्द्रगढ़ के गांव रूंड के निकट से अलवर नगर तक रेल लाइन के साथ-साथ सड़क बनाने की स्वीकृति दें तथा इस सड़क के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना से राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

(तीन) केन्द्र द्वारा कर्नाटक के पड़ौसी राज्यों को कर्नाटक को बिजली सप्लाई करने के लिए निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कर्नाटक राज्य में 3-4 महीनों से बिजली के संबंध में विद्यमान खतरनाक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

महोदय, प्रतिदिन 280 लाख यूनिट की मांग के मुकाबले केवल 200 लाख यूनिट उत्पादन हो रहा है । इस स्थिति में, कर्नाटक विद्युत बोर्ड के पास पूरे राज्य में बिजली की इतनी अधिक कटौती के अलावा कोई चारा नहीं था कि उपभोक्ता, पहले ही जिनकी 10 से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत बिजली की कटौती की जा रही थी, उन्हें और अधिक कटौती का सामना करना पड़ा । केवल इतना ही नहीं, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को इस समय हर रोज 6 घंटे बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है जबकि अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह कटौती सप्ताह में दो बार तीन-तीन घंटे के लिए की जाती है । बंगलौर नगर में सप्ताह में चार घंटे बिजली नहीं दी जाती और सरकारी क्षेत्रों के अनुसार, राज्य में बिजली की यह संकटपूर्ण स्थिति दो वर्षों तक और बने रहने की संभावना है, तब तक रायचूर थर्मल स्टेशन और काली पन-बिजली परियोजना भी पूरी हो जायेगी ।

महोदय, राज्य में ऐसी स्थिति पहले कभी भी पैदा नहीं हुई है और राज्य हमेशा ही बिजली के लिए केरल पर निर्भर रहा है । किन्तु पिछले वर्ष नवम्बर से, केरल ने अपने राज्य में बिजली की कमी के कारण बिजली की सप्लाई बन्द कर दी है । महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल आदि पड़ौसी राज्यों से कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर कर्नाटक सरकार के पास बिजली में कटौती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ।

महोदय, यदि राज्य मे बिजली की कमी इसी तरह बनी रही, तो राज्य में औद्योगिक रूप से खराब स्थिति में पहुंच जायेगा । अत: मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तुरन्त हस्तक्षेप करें और राज्य सरकारों को निदेश दें कि वे इस राज्यों की सहायया करें तथा जल्दी से जल्दी इसे बिजली दे, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा ।

(चार) सैदपुर क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उस क्षेत्र का उद्योगीकरण

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मन्त्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सैदपुर की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं । यह क्षेत्र धान एवं गेहूं उत्पादन का बहुत बड़ा केन्द्र है । ट्रांसपोर्ट की भी सभी सुविधायें इस स्थान पर मौजूद हैं, फिर भी इस क्षेत्र में इन दिनों अपराध बहुत तेज गति पर हो रहा है ।

मान्यवर, वहां अपराधों का एकमात्र कारण भुखमरी एवं बेरोजगारी है । यहां के 90 प्रतिशत

से अधिक लोग प्राय: खेती करते हैं । गाय भैंस पालते हैं । यहां की आबादी लगभग 30 लाख के करीब है । आबादी तुलना में कृषि योग्य भूमि कम है । लोग शहरों में जाकर रिक्शा चलाते हैं । अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं । परिणामत: यहां बहुत ज्यादा आर्थिक अव्यवस्था है ।

इस सदन में सैदपुर के संबंध में कई बार चर्चा हुई । उद्योग मंत्री एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांसदों ने भी इस बात को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया जनपद में यदि अपराधों को कम करना है तो वहां निश्चय ही बहुत बड़ी कोई एक औद्योगिक इकाई लगानी चाहिए । कागज का कारखाना भी यहां चल सकता है । खाद का कारखाना लगाने की बात चल रही थी, एल्युमिनियम का भी कारखाना यहां बनाने की बात प्रकाश में आई, किन्तु केवल लोक सभा में और लोक सभा के बाहर चर्चा ही चली, कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

ऐसी स्थिति में माननीय उद्योग मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र सैदपुर की बिगड़ी हुई स्थिति को देखें । वहां अविलम्ब कोई बड़ा उद्योग केन्द्र सरकार के बजट में स्थापित कराने की व्यवस्था करें । यदि शीघ्र कोई उद्योग लग सकता है तो पढ़े-लिखे एवं अनपढ़ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा । निश्चय ही लोग अपने यहां काम करेंगे बेकारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

(पांच) हिसार टैक्सटाइल मिल

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हिसार टैक्सटाइल मिल, हरियाणा के प्रबंधकों द्वारा 30 मार्च, 1983 को अनिश्चित काल के लिए मिल में तालाबन्दी की घोषणा कर देने के फलस्वरूप वहां 5000 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं । महोदय, इसके मालिक, जो कि देश में सबसे बड़े एकाधिकार गृह हैं, लम्बे समय से मजदूर-विरोधी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, जिसके कारण 1981 में मजदूरों को 108 दिन की लम्बी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था । उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 8 मई, 1981 को एक समझौता कराया था, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि मजदूरों के महंगाई भत्ते की रकम द्विपक्षी वार्ता के बाद तीन महीनों के अन्दर तय कर दी जायेगी । तथापि प्रबन्धकों ने, पिछले दो वर्षों में मामले को तय नहीं किया है । दूसरी तरफ, उन्होंने 30 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया है और अन्य 50 को निलंबित कर दिया है तथा सैकड़ों मजदूरों को तंग करने के लिए उनके विरुद्ध आरोप पत्र दिए हैं । मजदूरों ने समझौता करने के लिए हरियाणा के श्रम मन्त्रालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया । मन्त्रालय ने समझौते के लिए 4 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी । प्रबन्धकों ने समझौता करने की बजाय औद्योगिक विवाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करके यह तालाबन्दी लागू कर दी है ।

महोदय, विभिन्न उद्योगों के प्रबंधकों द्वारा श्रम कानूनों का अंधाधुंध उल्लंघन किया जाना रोजमर्रा की बात बन गई है । अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मिल को पुन: शुरू करने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करे और यदि प्रबंधक ऐसा करने से इन्कार करते हैं तो उनके विरुद्ध तुरन्त कानूनी कार्यवाही करे ।

(छ:) मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने का कार्य करने वाले श्रमिकों को सुविधाएं

श्री बाबूराम परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अकेले मध्य प्रदेश के लगभग पांच लाख मजदूर बीड़ी बनाने का काम करते हैं तथा प्रमुख रूप से यह जबलपुर, दमोह तथा सागर जिलों में अधिक होता है। लगभग 25 लाख जनता की रोजी रोटी इस बीड़ी मजदूरी से जुड़ी है।

इन मजदूरों का शोषण लगातार, बहुत बड़े प्रमाण में बीड़ी कारखानों के मालिक करते हैं। उदाहरणार्थ, बीड़ी बनवाई की दर प्रति हजार 7.8711 पैसा शासन द्वारा निर्धारित करने के पश्चात् भी मजदूर को पांच रुपए से अधिक नहीं मिलती, परन्तु खातों में पूरा रेट बताया जाता है।

केन्द्रीय कानून बीड़ी वर्क्स वैलफेयर फण्ड 1978 के नियम 41 के अन्तर्गत धरखाता व कारखाना खाता, बीड़ी श्रमिक को परिचय पत्र (आइडेंटिटी कार्ड) देने का प्रावधान है, परन्तु बीड़ी कारखाना मालिक इस पर अमल नहीं कर रहे हैं।

प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 के अन्तर्गत महिला बीड़ी श्रमिकों को प्रसूति लाभ न देने पड़ें, इसलिए महिला बीड़ी श्रमिकों के नाम बीड़ी कारखाने के मालिक नहीं लिखाते। लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं बीड़ी का काम करती हैं। लगातार कई वर्षों से बीड़ी बनाने के बाद भी इन श्रमिक महिलाओं नाम खाते बदल दिए जाते हैं। जिसके द्वारा शासन संचालित कल्याणकारी योजनाओं व अन्य कानूनी अधिकारों का लाभ उन्हें न मिल सके।

बीड़ी बनाने के लिए जो तम्बाकू श्रमिकों को दी जाती है, उस पर केन्द्रीय आबकारी विभाग की दखल रहती है। लगभग दस रुपए किलो वाली तम्बाकू इन श्रमिकों द्वारा यदि बीड़ी बनाने में घटती है, तो 50 से 90 किलो तक इसकी कीमत श्रमिकों से वसूल की जाती है तथा यह राशि पूर्ण-रूपेण बीड़ी कारखानेदार हड़प जाते हैं।

अत: केन्द्र शासन से मांग की जाती है कि बीड़ी कारखानेदारों से निम्नलिखित बातों पर बीड़ी श्रमिक को राहत दिलवाई जाए :

1. बीड़ी मजदूरों को प्रति हजार 7.8711 रेट मिले।
2. बीड़ी मजदूर को परिचय पत्र (आईडेंटिटी कार्ड) दिया जाए।
3. बीड़ी महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ अधिनियम का लाभ दिया जाए।
4. बीड़ी श्रमिकों से जो तम्बाकू की कीमत नाजायज ढंग से वसूल की जाती है, वह बन्द की जाए।

(सात) तमिलनाडु में सिंचाई समस्या का समाधान करने के लिए गंगा-कावेरी नदियों को मिलाया जाना

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टू) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी वृद्धि वर्ष में होने वाली वर्षा पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्य से, हम देश में बाढ़ और सूखे के समय प्राकृतिक आपदाओं का सामान करने के लिए कोई स्थायी दीर्घ-कालीन परियोजनाएं नहीं बना सके हैं, हम जानते हैं कि इस समय तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं।

मैं भारत की प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तमिलनाडु में सूखे की स्थिति का स्वयं स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिए राज्य की अचानक यात्रा की और उन्होंने मेहरबानी कर 10 करोड़ रुपए की धनराशि तथा खाद्यान्न अन्तरिम सूखा राहत के रूप में उपलब्ध की।

केन्द्रीय बजट में भी इस प्रयोजन के लिए 750 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह केवल अस्थायी राहत है जिसमें से अधिकांश तो जरूरतमन्द लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। इन वार्षिक आपदाओं से स्थायी राहत देने के लिए गंगा-काबेरी नदियों को मिलाने की दीर्घकालीन भावी योजना इस समस्या का उपयुक्त समाधान है। भारत सहकार इस वृहत परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक धनराशि विश्व बैंक से ले सकती है। भारत सरकार इसके लिए रक्षा बलों को भी लगा सकती है।

गंगा और कावेरी नदियों को मिला देने से उत्तर और दक्षिण की जनता के बीच एक सेतु बन जाएगा जिससे सांस्कृतिक सम्बन्धों और सम्पर्क, सह-अस्तित्व, व्यापार तथा वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित हो जाएंगे, ये सम्बन्ध गंगा के मीठे और पवित्र जल के जरिए स्थापित होंगे नमकीन जल के परिणामस्वरूप नहीं।

इस परियोजना से राष्ट्रीय स्तर पर सिंचाई, बिजली उत्पादन और पीने के पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। यदि यह परियोजना बन जाती है तो उतर की भाषा और संस्कृति की लहर दक्षिण में धारा बन कर बहेगी तो दक्षिण की भाषा और संस्कृति उत्तर में आयेगी, यह सब गंगा के मीठे और पवित्र जल का प्रभाव होगा।

अत: मैं कृषि और सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इन बात की ओर दिलाता हूं कि वे इस परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाएं, इसे उच्च प्राथमिकता दे और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट इस सभा में प्रस्तुत करें। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस परियोजना को कम से कम सिद्धांत रूप से स्वीकार करें।

(आठ) मजखाली में एक फोटो-फिल्म इकाई स्थापित करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जो ढाई-दो हजार फुट से अधिक की ऊंचाई में पर्वतीय भू-भाग कहा जा सकता है, वहां बड़े एवं मध्यम और लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग भी न होने से वहां लोगों को रोजगार की तलाश में मैदानों में बसे शहरों की ओर भागना पड़ता है और इस श्रेणी के उद्योग न होने के कारण यहां सरकार द्वारा घोषित अपेक्षित औद्योगिक वातावरण भी नहीं बन पा रहा है। स्थानीय लोगों को यह प्रतीत

होता जा रहा है कि सरकार मात्र यहां के कच्चे माल का शोषण करती है, लेकिन उद्योग लगाने में कम दिलचस्पी लेती है।

अत: केन्द्रीय सरकार व उद्योग मंत्रालय का दायित्व है कि यहां औद्योगिक यूनिट्स की स्थापना करे। विशेषकर वे यूनिट्स जो यहां के पर्यावरण के अनुरूप हैं। रक्षा मंत्रालय की भी बी० ई० एल० तथा एच० एल० की यूनिट्स यहां लगानी चाहिए।

विगत दिनों उद्योग मंत्रालय द्वारा यहां एक फोटो फिल्म यूनिट मुजखाली नामक स्थान में लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इन स्थानों पर इस उद्योग हेतु पर्यावरण व अन्य आवश्यक सुविधायें प्राप्त हैं। यह यूनिट यहां शीघ्र स्थापित होवे, इस हेतु उद्योग मंत्रालय को कद ा उठाने चाहिए।

अनुदानों की मांगें 1983-84

गृह मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर चर्चा करेंगे—गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान होगा। श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री कुसम कृष्ण मूर्ति (अमा ापुरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं पूर्वोत्तर परिषद् के बारे में बोल रहा था। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और छठी योजना में इसके लिए 340 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। मैं यह अनुरोध करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों के वर्तमान पिछड़ेपन को देखते हुए इस धनराशि को बढ़ा दिया जाना चाहिए। आवंटित धनराशि में केवल वृद्धि करना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सरकार द्वारा वहां की विकास योजना पर निगरानी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि वहां पर पैदा होने वाली अधिकांश समस्याओं का कारण बेरोजगारी है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण मामले पर अर्थात् असम मामले पर अपने विचार व्यक्त करूंगा, इस मामले पर विभिन्न अवसरों पर इस सदन में विचार-विमर्श हुआ है। मैं इसके बारे में केवल एक बात कहना चाहूंगा। पिछले $3\frac{1}{2}$ वर्षों में, सरकार ने संविधान के ढांचे के अन्तर्गत असम समस्या के समाधान के लिए हर सम्भव प्रयास किया है। किसी भी क्षेत्र अथवा किसी भी वर्ग विशेष की समस्याओं का समाधान करते समय हमें संविधान, देश के कानून, अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व, मानवीय आधार तथा अन्य अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब एक क्षेत्र विशेष की समस्या का समाधान कर रहे हों तो उसके परिणामस्वरूप दूसरे क्षेत्र में कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे हमारी सरकार को पंजाब अथवा असम जैसे किसी भी क्षेत्र की किसी समस्या का समाधान करते समय अपने दिमाग में रखना होगा।

वास्तव में, विपक्षी दलों में एक विचित्र विरोधाभास आप देखेंगे उन्होंने चर्चा में भाग लिया, लेकिन साथ ही चुनावों का बाहिष्कार किया। यद्यपि उनमें से कुछ ने आन्दोलन को प्रोत्साहन भी दिया है उन्होंने साथ ही सरकार पर भी आरोप लगाया है। हम उनके रवैये को समझ नहीं स ते हैं। असम में हाल की हिंसा के परिणामस्वरूप, समाज के सभी वर्गों को पीड़ित होना पड़ा और आज भी 2,38,688 व्यक्ति राहत के शिवरों में रह रहे हैं। सरकार ने उन्हें राहत देने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। किन्तु पुनर्वास कार्यक्रम का सही संचालन होना चाहिए और उसे मानसून से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए क्योंकि इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के डर बने हुए हैं।

जब सरकार असम अथवा पंजाब की समस्याओं के बारे में कोई समाधान प्रस्तुत करती है तो उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें समाधान संविधान के ढांचें, देश के कानून, राष्ट्रीय वचबद्धता, अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों और मानवीय आधारों के अन्तर्गत करना होगा। तभी सरकार देश की समूची जनता, सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकेगी।

अब मैं इस मंत्रालय के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं। यह पहलू अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का है। समचार अनेक हैं और बहुत जटिल हैं और किसी समस्या विशेष के लिए एक प्रकार का समाधान प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होता। कल, मेरे माननीय मित्र, श्री रामविलास पासवान सरकार पर उंगली उठा रहे थे विशेष रूप मे जाति प्रथा और छुआछूत के कायम रहने तथा वृत्ति में कार्यात्मक गतिशीलता के अभाव के बारे में आरोप लगा रहे थे। दूसरी ओर के कुछ माननीय सदस्य तथा नेतागण हंस भी रहे थे। जैसा कि यह दायित्व केवल सरकार अथवा किसी व्यक्ति विशेष कर ही हो। महोदय इस स्थिति के लिए हमें प्रत्येक दल को समान रूप से दोषी ठहराना होगा कि अभी भी जातपात अथवा छुआछूत का बोलबाला है अथवा पेशों में कार्यात्मक गतिशीलता का अभाव है। मेरे विचार से श्री पासवान इस सम्बन्ध में किसी भ्रान्ति के शिकार नहीं हैं कि जो लोग हंस रहे हैं वे कोई निर्दोष देवभूत हैं जो एक ही दल अथवा व्यक्ति को दोष दे रहे हैं। वे निरन्तर जारी रहे छुआछूत के कलंक से कैसे बच सकते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो एक दल, सरकार अथवा व्यक्ति ने पैदा नहीं की है बल्कि यह देश में 2000 वर्षों से चली आ रही है और अभी भी जारी है। इसे दूर करने के लिए समूचे समाज के रवैये में परिवर्तन अनिवार्य है।

मैं यह आशा कर रहा था कि श्री पासवान सरकार से विशेष रूप मे यह पूछेंगे कि क्या सरकार ने इस समस्या के शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता महसूस की है और अगर हां तो, उसने क्या विशेष कदम उठाए हैं। वास्तव में पहली बार सरकार ने इस देश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता महसूस की है। उसने एक विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने विभिन्न राज्यों को विशेष आवंटनों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों के अन्तर्गत योजनाएं बनाने के लिए मार्ग दर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक वृद्धि से विकास हो सकेगा। केन्द्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में यह सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति बन गई है।

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन/जातियों की तीव्र गति से प्रगति विशेष संघटक योजनाओं और जनजाति योजनाओं के अन्तर्गत उनके लिए लाभकारी योजनाएं बना कर और केन्द्रीय सहायता से उनको प्रभावी कार्यान्वयन करके ही सुनिश्चित की जा सकती है और यही इस समस्या का स्थायी समाधान है।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर इस बात पर बल दिया गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 50 परिवारों को छठी योजना की अवधि के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना होगा। अत: मूल विकास योजनाओं को विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री के नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी है। इस पहलू को 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र संख्या 7 सम्मिलित कर महत्व दिया गया है। जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तीव्र गति से आर्थिक विकास की बात कही गई है। सरकार ने इस आवश्यकता को समझा है क्योंकि इन योजनाओं के माध्यम से हमने सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत हजारों करोड़ों रुपए व्यय कर दिए हैं। किन्तु उस विकास का लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नहीं पहुंचा है। हमने सरकार को यह बताने का भरसक प्रयास किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए पृथक योजना बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने इस आवश्यकता को समझा है और प्रधान मंत्री ने विभिन्न राज्यों को, मुख्य मंत्रियों को बार-बार लिखा है और उन्होंने सरकार के उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। प्रधान मंत्री की इस सम्बन्ध में प्रशंसा की जानी चाहिए।

इस योजना का महत्वपूर्ण पत्र उसका कार्यान्वयन है। जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विशेष संघटक योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गयी है, इसमें से 1980-81 के दौरान 100 करोड़ रुपया दिया गया; 1981-82 तथा 1982-83 में क्रमशः 110 करोड़ तथा 122 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

वास्तव में उन्होंने एक कार्य दल नियुक्त किया है। उन्होंने सितम्बर, 1980 में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था जिसमें यह कहा गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता सहित विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट परिव्यय का उपयोग केवल अनुसूजित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आय देने वाली योजनाओं पर किया जाना चाहिए न कि बुनियादी ढांचे पर। अत: राज्यों को उनकी विशेष संघटन योजनाओं के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली 600 करोड़ रुपए की राशि पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि यदि आप 600 करोड़ रुपए की राशि गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए जाने वाले 1.5 करोड़ परिवारों में विभाजित करें तो यह राशि इस अवधि में लगभग 400 रुपए प्रति परिवार बैठती है और यदि राज्य इसमें लगभग दोगुनी राशि जोड़ें तो यह राशि 1000 रुपए हो सकती है। इसका उद्देश्य ऐसी योजना आरम्भ करना है जिससे

उन्हें आय हो। इस थोड़ी-सी राशि से यह बिल्कुल असम्भव है और वस्तुतः यदि हम घोषित नीति के अन्तर्गत हल की जाने वाली इस समस्या की तुलना में वास्तविक आवंटन नहीं करते तो मजाक होगा।

कार्य दल की नियुक्ति के समय यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गयी थी कि विशेष संघटक योजना की व्यवहार्यता का अनुमान लगाया जाए। कार्यदल द्वारा की गई टिप्पणियों को यहां नोट करना आवश्यक है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की व्यवहार्यता के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया। यह बात भी नोट की गई कि समेकित ग्रामीण विकास परियोजना का विस्तार देश के सभी विकास राज्यों तक करने का और प्रत्येक विकास खण्ड में प्रतिवर्ष 600 परिवारों के विकास हेतु सहायता देने का फैसला किया जा रहा है। इस हिसाब से इस योजना अवधि में परिवारों की संख्या 1.5 करोड़ बैठती है।"

और मैं अपनी बात के समर्थन में पुनः उसी दस्तावेज मे उद्धृत करता हूं :

> "इसे संभव बनाने हेतु यह आवश्यक होगा कि राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजनाओं को सुदृढ़ बनाया जाए और विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए तथा राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं को प्रतिवेदन के विभिन्न भागों में उल्लिखित तरीके से पुनः बनाया जाए।"

अतः उद्देश्य तो बहुत सराहनीय है परन्तु आबंटन बहुत कम है और कार्यदल द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह स्पष्ट कहा गया है कि कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए इसकी लगातार निगरानी की जाए। जब तक हम कार्यक्रम की निरन्तर निगरानी नहीं करते हम कार्य निष्पादन का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए हमें इसे नैत्यक विभागों को नहीं सौंपना चाहिए। कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए एक पृथक संगठन बनाया जाना चाहिए। तत्पश्चात् वे हमें इसका हल सुझा सकेंगे जिससे हम निर्धारित लक्ष्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों में परिवर्तन कर सकेंगे।

इसी प्रकार जनजाति उप-योजना भी बनाई जानी चाहिए और इसे वास्तव में व्यावहारिक तथा आदिवासियों के लिए लाभकारी बनाने हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाना चाहिए।

जहां तक इस प्रतिवेदन में उल्लिखित अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों का सम्बन्ध है, माननीय गृह मंत्री ने 10 मार्च, 1980 के अपने जी० ओ० पत्र में समाज के इस असुरक्षित वर्ग के साथ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। गृह मंत्री ने विभिन्न एहतियाती, निरोधात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वास सम्बन्धी उपाय सुझाए हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने इसी पत्र में इस समस्या के हल के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाया है और वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में है। उसका यहां उल्लेख नहीं किया गया है। उस पत्र में गृह मंत्री जी ने यह बिल्कुल स्पष्ट

कर दिया है कि 'प्रारम्भिक स्तर' पर अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकाधिक नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए उनकी भर्ती की जानी चाहिए। थानाध्यक्ष, निरीक्षक और उपनिरीक्षक जैसे पदों को प्रारम्भिक स्तर के पद कहा जाता है। यदि उस स्तर पर इन वर्गों के लोगों को अवसर प्रदान किए जाएं तो वे अत्याचारों को रोक सकेंगे और यदि ऐसा होता है तो वह अपने साथ न्याय सुनिश्चित करने हेतु समुचित कदम उठा सकते हैं। यह सम्पूर्ण मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कल श्री मोहिसन इसी बात को कुछ और ढंग से कह रहे थे और हमारे पास ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें यदि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित एक अधिकारी उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है जहां अत्याचार होते हैं तो उसे तत्काल स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब हम मीनाक्षीपुरम गए तो मुझे पता चला कि वहां कार्य कर रहे पुलिस अधीक्षक को, जो संयोगवश मे निकट मित्र निकले, तत्काल स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति के थे। इस प्रकार के कार्यों से सुरक्षा की भावना या विश्वास की भावना, जिसकी अधिक आवश्यकता है, कभी नहीं आयेगी। हम इस समस्या को उनमें सुरक्षा की भावना अथवा विश्वास की भावना पैदा करके ही बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं।

गृह मंत्री जी ने इस बारे में विभिन्न मुख्यमंत्रियों को लिखा है परन्तु मैं नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ है और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं, जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हम सरकार से केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से निपटने के लिए एक पृथक मंत्रालय की स्थापना के लिए अनुरोध करते आ रहे हैं और एक बार सभा में उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे एक पृथक विभाग की स्थापना करेंगे। इन लोगों के हितों को देखने में और उनकी समस्याओं का समुचित और तत्काल हल ढूंढने में इससे निश्चय ही बहुत सहायता मिलेगी। और केवल तभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं से सम्बन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भर्ती का है। मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सुयोग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी मांगी थी। मैंने 4 मई, 1981 को जानकारी मांगी थी और मुझे 30 सितम्बर, 1982 को उत्तर मिला। मैंने निम्नलिखित जानकारी मांगी थी :

> "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित सेवाओं के लिए चुना गया और नियुक्त किया गया : (i) अखिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में और (ii) भारतीय रेलवे की श्रेणी I और कुछ श्रेणी दो की सेवाओं में ?

उत्तर बहुत ही दिलचस्प और गौर करने योग्य है। निम्नलिखित उत्तर दिया गया :

> "सूचना एकत्रित कर ली गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा,

केन्द्रीय सेवाओं और भारतीय वन सेवा में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कि ी भी उम्मीदवार को पिछले पांच वर्षों में न चुना गया है और न नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 1975 से 1979 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी भी अधिकारी को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-दो में अनारक्षित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। जहां तक भारतीय रेलवे की सेवाओं का सम्बन्ध है, रेल मंत्रालय ने बताया है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर, भारतीय रेलवे सेवाओं की इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया गया है। फिर भी···"

यह बहुत ही दिलचस्प और गौर करने योग्य है :

"···फिर भी 1977 में अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को अनारक्षित पद पर नजरअन्दाजी की वजह से, न कि योग्यता के आधार पर, नियुक्त किया गया था। भारतीय रेलवे की श्रेणी दो के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।"

संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में एक निश्चित भेद किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के सम्बन्ध में यह निश्चित भेद किया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम योग्य व्यक्तियों को अवसर न दें। जहां कहीं भी योग्यता हो, उसे नजरदाज नहीं करना चाहिए। गुजरात आन्दोलन के दौरान हमने इस प्रकार के कई वक्तव्य देखे कि हालांकि आरक्षण को कार्यान्वित किया जायेगा, लेकिन योग्यता को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। अगर यही बात है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। संविधान में यह स्पष्ट उपबन्ध है कि उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आप उस संविधान का, जिसके अन्तर्गत हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, मजाक नहीं बनने दें। योग्यता के अलावा, आपको प्रत्यक्ष भेद करना चाहिए।

(व्यवधान)

[इस समय दर्शक दीर्घा से सदन में कुछ पर्चे फेंके गए।]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण जारी रखें।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : इनके साथ यह सकारात्मक भेद इसलिए किया जाता है कि वे समाज के अन्य भागों के साथ बराबरी से बढ़ सकें। परन्तु जिस प्रकार संविधान के इन उपबंधों को कार्यान्वियन किया जा रहा है, उससे संविधान का शब्दश: या उसकी भावना का पालन नहीं होता है।

इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग जिस तरह से साक्षात्कार लेता है, वह खासकर दक्षिण के उम्मीदवारों के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए केवल दिल्ली में ही साक्षात्कार लेने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सभी उम्मीदवारों को एक समान असुविधायें सहनी चाहिए। खासकर दक्षिण के उम्मीदवारों को भाषा, भोजन और जलवायु आदि की

असुविधायों से जूझना पड़ता है और उनको दिल्ली आने के लिए काफी लम्बा रास्ता तय करना होता है और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। मैंने कई दफा यह कहा है कि केवल केन्द्रीय सेवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए साक्षात्कार भिन्न-भिन्न केन्द्रों जैसे उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के लिए अलग-अलग जगहों पर साक्षात्कार बोर्डों को भेजना चाहिए। इससे साक्षात्कार देने आये उम्मीदवारों में असुविधायें बराबर बंट जायेंगी। कई उम्मीदवारों ने केवल दिल्ली में ही साक्षात्कार लेने के लिए फैसले के प्रति रोष व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य से उम्मीदवारों की संख्या कम है, यदि इस राज्य का अखिल भारतीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व काफी कम है, तो, उन सभी को उस राज्य के लिए नियुक्त कर देना चाहिए, ताकि वे प्रशासन में भाग ले सकें और अपने राज्य के विकास के कार्यों में रुचि ले सकें। हमें इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए राज्यवार कोई कोटा निश्चित नहीं है। कम से कम, उन राज्यों में जहां कि उनकी संख्या बहुत कम है, उनको उसी राज्य में नियुक्त कर देना चाहिए, ताकि वे अपने राज्य के प्रशासन में हिस्सा ले सकें और अपने राज्य के विकास कार्यों में सहभागी बन सकें। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें और देखें कि यह सही प्रकार से कार्यान्वित हो।

भाषण समाप्त करने से पहले, मैं स्वतन्त्रता सैनानियों की समस्याओं पर बोलना चाहता हूं। हम उनके बारे में बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। मैंने इस बारे में मन्त्री महोदय को कई दफा पत्र लिखे हैं और अगर हम प्रक्रिया को तेजकर, समय रहते उनको सहायता नहीं देते तो उनको कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि स्वतन्त्रता सैनानियों के आवेदन पत्रों को जल्द निपटाने के लिए एक प्रक्रिया निश्चित करनी होगी, ताकि उनको समय पर सहायता मिल सके।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : आरम्भ में, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। वास्तव में मेरे कई माननीय मित्रों ने, जिनमें से कई इस ओर बैठे हुए हैं, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वास्तव में, पिछले वक्ता श्री कृष्ण मूर्ति ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि इन सबको नोट कर लिया गया है और हमें इन सुझावों से लाभ होगा।

मुझे इस बात का बहुत दुःख हुआ है कि दूसरी ओर बैठे हुए कुछ विपक्षी सदस्यों ने वाद-विवाद के दौरान ऐसा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि जैसे यह सरकार अनुसूचित जाति विरोधी, अनुसूचित जनजाति विरोधी, मुस्लिम विरोधी और कमजोर वर्ग विरोधी है। केवल सरकार को ही दोष देने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। मेरे मित्र श्री कृष्ण मूर्ति ने अभी इसी ओर इशारा किया है। वास्तव में, वे जो कुछ कह रहे हैं, वह समस्या के समाधान के प्रति बिल्कुल गलत दृष्टि कोण है।

सरकार की गतिविधियों का तथा प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है।

इसलिए यह कहना कि कुछ नहीं किया जा रहा एक बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन हम यह भी नहीं कहते कि हमने पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है। अभी काफी कुछ करना बाकी है। हमने हाल ही में जोरदार कार्मक्रम शुरू किए हैं। इनके परिणाम सामने आने में कुछ समय लगेगा। यह एक गम्भीर समस्या है। मैं चाहता हूं कि विपक्षी सदस्य इस बात को भी ध्यान में रखें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने और शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया गया है। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों और उनमें शिक्षा का विस्तार हो, ताकि वे अपनी देखभाल खुद कर सकें।

यह बचनबद्धता और चिन्ता स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय नीति का अंग रही है और हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर अधिकतम जोर दिया है।

इसका एक ज्वलंत उदाहरण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देना है। जब यह योजना शुरू की गई तो 114 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को और इससे भी कम अनुसूचित जनजातिओं के सदस्यों को, यानि कुल 200 लोगों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं। भारत सरकार ने इस पर लगातार अमल किया और इसमें वृद्धि होती चली गई। जिसके फलस्वरूप 1981-82 मे इन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़कर 6.55 लाख हो गई। और आशा है 1982-83 में यह बढ़कर 7.5 लाख हो जायेगी। इस योजना के कारण सरका ी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। इस मामले पर मेरे मित्र श्री बेंकट सुब्बय्या विस्तार से कहेंगे।

शुरू में सरकार यह आशा करती थी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को विकास की सामान्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ होगा। लेकिन जैसाकि अनुमान लगाया गया था, उनके विकास के लिए, सामान्य विकास की योजनाओं से बहुत कम पैसा लगाया गया। इसी कारण से हमने अब अनुसूचित जाति के लोगों के कुछ विशेष संघटित और त्वरित आर्थिक-सामाजिक विकास योजनाएं बनाई हैं। उनकी बस्तियों आदि में आर्थिक, शैक्षिक और जीने की अन्य आवश्यक वस्तुओं उपलब्ध करवाई हैं।

तीन प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं :—

(क) राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजनाए (एस० सी० पी०);

(ख) राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस० सी० ए०); और

(ग) निवेश हेतु राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम जिनमें केन्द्र राज्यों को 49 (केन्द्र) और 51 (राज्य) के अनुपात से सहायता प्रदान करता है।

इस प्रकार हम अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और विकास के उपकरण लागू करने, नीति की आवश्यकता को बनाए रखने तथा नीति को

नवीनतम रूप देते रहने में और विकास के उपकरणों के निरन्तर तेज करने और सुधार लाने में बहु-मुखी और अनुकूल रवैया अपनाए हुए है।

अब मैं एक अन्य पहलू अर्थात् छुआछूत पर आता हूं। हम चाहे कुछ भी कहें, हमारे देश के कुछ भागों मे यह अभी भी व्याप्त है। यह हम सभी के लिए ही, वास्तव में शर्म की बात है। हमारे समाज से इस घृणित बुराई को निकालने, दूर करने का एकमात्र मार्ग है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, विशेषकर अनुसूचित जातियों के लोगों के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाना। विशेष संघटक योजना का लक्ष्य यही है। इससे भी कहीं बड़ी बुराई है मैला ढ़ोना, हमारे देश में यह सर्वाधिक घृणित बात है और इसे शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। हम इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं और हमने शुरूआत कर दी है। हम सूखे शौचघरों को फ्लश शौचघरों में बदल कर इस प्रथा को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारो को सहायता पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त करने का यह एक तरीका है। यह कुप्रथा व्यापक रूप में व्याप्त है और हम इसका सही समाधान ढूंढ निकालने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के प्रारंभ में आदिवासी उपयोजना नीति के अपना लेने से अब तक स्पष्ट और सुनिश्चित परिवर्तन हुआ है। निर्धारित धन का आदिवासी क्षेत्रों में अधिक उपयोग करना, एक तरफ असन्तुलित की बजाय सन्तुलित और समेकित परियोजना दृष्टिकोण अपनाना सही प्रकार का प्रशासनिक ढांचा और सही आर्थिक नीतियां इस नीति की विशेषताएं हैं। हमारे देश में, अभी तक 17 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में 181 समेकित आदिवासी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं इनमें से प्रत्येक आदिवासी विकास परियोजना में हमने विभिन्न बातों के समन्वयन हेतु एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी रखा हुआ है।

आदिवासी उप-योजना नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में वित्तीय निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस नीति को अपनाने से पूर्व चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में, कुल निवेश केवल 7. करोड़ रुपए का था। 190 करोक रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता समेत पंचवर्षीय योजना अवधि में यह लगभग एक हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गयी। 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में हम आशा करते हैं कि परिव्यय, जिसमें राज्य योजनाओं से मिलने वाला धन 470 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संस्थानगत वित्त शामिल है 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इससे हमें आश्वासन मिलता है कि हम सही पथ पर हैं। वित्तीय निवेशों और नवीन नीति के फलस्वरूप हम देश की अधिकांश अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को, अर्थात 75 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहुंचाने में सफल रहे हैं। परन्तु हम जो कुछ कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है, अभी बहुत कुछ करना शेष है। भारत सरकार अनुभव करती है कि केवल वित्तीय निवेश पर्याप्त नहीं है? किसी कार्यक्रम की सच्ची परीक्षा इस बात में निहित है कि क्या इसके लाभ उन लोगों को मिले हैं। जिनके लिए ये बनाए गए हैं। अन्त में, हमने आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में योजना प्रक्रिया को नया रूप दिया है। पांचवी योजना अवधि में, आदिवासी उप-योजना

का मुख्यतया आधारभूत ढांचे के विकास हेतु कार्यान्वयन किया गया था। छठी योजना अवधि में इसे परिवार विकास मूलक बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, आदिवासी उप-योजना नीति अब आधारभूत ढांचे तथा आदिवासी परिवार के विकास के मध्य सन्तुलित रखती है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार यह देखने की बड़ी इच्छुक है कि लाभ उन लोगों को अवश्य मिलने चाहिए जिनके लिए इन योजनाओं को चालू किया गया था।

14.09　　　　　　　　**[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासन हुए]**

हम सबको यह देखना चाहिए कि हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं उनका लाभ उन लोगों को मिलवाना चाहिए जिनके लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं।

सरकार यह भलीभांति जानती है कि नीतियां बना लेने, साधन तैयार जुटा लेने तथा परिव्यव निर्धारित कर देने मात्र से लक्षित ग्रुपों को स्वयंमेव लाभ नहीं मिल जाते हैं। हम इस बात के प्रति पूरी तरह सजग हैं, कि यद्यपि योजनाओं और संकल्पों का बनाना अनिवार्य प्रथम कदम है, पर उनको लागू करना निर्णायक कदम है। प्रधान मंत्री महोदया ने इस बात पर 1980 में बल दिया था। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप ने निर्माण, कार्यान्वयन, प्रबोधन और विकास पर बल दिया है। महोदय, हम प्रबोधन को भी अधिक महत्व दे रहे हैं। केवल यही नहीं, कभी-कभी अपने स्तर पर भी मैं कुछ क्षेत्रों में जाता हूं और अधिकारियों तथा विभिन्न राज्यों के मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप में बातचीत करता हूं। हाल ही में, मैं आन्ध्र प्रदेश गया था। वहां एक स्थान पर भूमि विकसित की गई थी, कुआ खोदा जा चुका था तुरन्तु कुएं में पानी निकालने के लिए बिजली नहीं थी। अतः यह एक बेकार कार्य था। इसका लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नहीं मिल रहा था। परन्तु बातचीत करके हमने तुरन्त उन कुओं के लिए बिजली का प्रबन्ध किया। इसके परिणामस्वरूप अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ मिल रहा है। हम देखते हैं कि राजस्थान में भी वही कठिनाई है। यदि वहां पर भी यही मानदण्ड अपनाए जाएं तो लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अतः स्थिति से निपटने के लिए हमें परिवर्तन लाने होंगे।

प्रधान मंत्री महोदय द्वारा 14 जनवरी, 1982 को घोषित किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम के 7 वें सूत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास को गति प्रदान करने का आह्वान किया गया है। इससे अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना को और आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों को बड़ा भारी सहारा मिला है। 20-सूत्री कार्यक्रम में विकास के कुछ सर्वाधिक अनिवार्य एवं प्रमुख घटक सम्मिलित हैं, जो विशेषकर कमजोर वर्गों और उत्पादन से सम्बद्ध हैं। बहुत से सूत्र अनुसूचित जातियों तथा आदिवासी विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध हैं और उनका समर्थन करते हैं। अभी जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उसमें क्रमबद्ध प्रबोधन आरम्भ होने से अब अपेक्षाकृत स्पष्ट दृष्टिकोण बनना सम्भव हो सका है।

जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, योजना अभिमुखता छठी योजना अवधि में उन कार्यक्रमों और योजनाओं की ओर बदल गई है जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति परिवारों को तुरन्त आर्थिक बल प्रदान करते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम द्वारा किए गए परिवर्तन से

उन प्रबोधन परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सका है जो किसी अवधि में विशेष सहायता प्रदान किए गए परिवारों से सम्बद्ध है अन्ततः इसके फलस्वरूप ऐसे परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठाए जा सकेंगे 1982-83 के दौरान राज्य सरकारों से मिले प्रतिवेदनों में बताया गया है कि अभी तक लगभग 19 लाख अ० जा० परिवारों और 20 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाई गई है। मैं इस संख्या का उल्लेख कुछ हिचक के साथ कर रहा हूं क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि 1982-83 20-सूत्री कार्यक्रम की व्यवस्था करने का प्रथम वर्ष है, तो इसमें कुछ घट बढ़ भी हो सकती है और बढ़ा-चढ़ाकर भी गिनती हो सकती है। इस पर सफलता प्राप्त करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं।

कुछ अन्य प्रकार की भी कठिनाइयां हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक दर्जे को ऊंचा उठाने के प्रयास में स्वयं भागीदारों का भाग लेना महत्वपूर्ण है। जबकि अनुसूचित जातियों के मामले में तो यह कुछ सीमा तक मिल भी सकता है लेकिन अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी के मामले में कुछ समस्याएं हैं। फिर भी गठित की गई समितियों में और परिषदों में विभिन्न स्तरों पर उनको भागीदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम क बनाने और लागू करने में उनकी पूर्ण साझेदारी विकास प्रयासों की सफलता की सर्वोत्तम गारन्टी है। हम स्वैच्छिक संगठनों की सेवाएं भी मांगते आ. रहे हैं। वे आदिवासियों और विकासीय अभिकरणों के बीच पुल का काम कर सकते हैं। मेरी सदस्यों से अपील है कि वे इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करें।

मैं माननीय सदस्यों की इस आम भावना की भी कद्र करता हूं कि कार्यक्रम की कार्यान्विती की गुणवत्ता और परिमाण का स्तर ऊंचा उठाया जाए।

फिर भी, यह तो मानना ही पड़ेगा कि राज्य अपनी प्रशासनिक तंत्र को तेज करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और यह कि हमारे इस विशाल देश के हजारों गांवों में फैले हुए लाखों अ० जा० और अ० ज० जा० के परिवारों को समेटने वाली व्यापक योजना नीति असम में लाना वास्तव में एक बहुत कठिन काम है। विभिन्न स्तरों की सम्पूर्ण राज्य मशीनरी के लिए उद्देश्यों और साधनों को पूर्णतया समझने में और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में समय लगता है। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन कुछ राज्यों का मैंने दौरा किया है वहां का मेरा निजी अनुभव है। इसको समझने में उनको कुछ कठिनाई हो रही है।

परन्तु भारत सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों से सहायता और समर्थन प्राप्त करने में संलग्न रहे हैं।

हमें इस देश की अ० जा० और अ० ज० जा० में कुल सीमा तक व्याप्त असंतोष का पता है और मैं अनुभव करता हूं कि कुछ सीमा तक असंतोष अस्वस्थता का द्योतक नहीं है अपितु प्रगति तथा बढ़ती आकांक्षाओं का द्योतक है। फिर भी. असंतोष की अभिव्यक्ति बर्बरता द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इसकी अभिव्यक्ति प्रजातान्त्रिक माध्यमों से होनी चाहिए। मेरा यह निवेदन है। प्रजातन्त्रीय समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अद्वितीय महत्व के इस अभूतपूर्व कार्य में, सरकार

को यहां बैठे सदस्यों सहित हर किसी की मदद चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस महान समाज के प्रत्येक वर्ग को, विकास के परिणाम में, उनका उचित भाग मिलना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : 'समाज के प्रत्येक वर्ग' का क्या अर्थ है ? असमान लोगों में समानता नहीं हो सकती है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमें ये प्रयास न केवल इस योजना अवधि के दौरान बल्कि 7 वीं योजना अवधि व यदि जरूरत पड़ी तो आगे आने वाली योजना अवधियों में भी जारी रखने पड़ेंगे। हमें विश्वास है कि कमजोर वर्गों की प्रगति से मजबूत तथा संयुक्त भारत के निर्माण में काफी योगदान मिलेगा। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें समाज के सभी वर्गों तथा सभी राजनैतिक दलों को पूरे दिल से योगदान देना चाहिए।

इस अपील के साथ मैं अपने भाषण समाप्त करना चाहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं समझता हूं कि आज देश में बहुत ही गड़बड़ी चल रही हैं और यह देश भर में राष्ट्रभक्त लोगों के लिए चिन्ता का कारण बन रही है। देश की स्वतन्त्रता के 35 वर्ष बाद लोग इस बात के बारे में चिन्तित हैं कि हमारी राष्ट्रीय एकता को और अधिक खतरा होने जा रहा है। यह भारी चिन्ता का विषय है कि स्वतन्त्रता से 35 वर्षों बाद भी हम देखते हैं कि भारी संख्या में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। देश भर में साम्प्रदायिक दंगों में मरने वाले लोगों की संख्या तथा नष्ट होने वाली सम्पत्ति की मात्रा में और दंगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह राष्ट्र के लिए शर्म, घोर व्यथा तथा भारी चिन्ता का विषय है।

सरकार को इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। देश के सभी भागों में समाज में अराजकता तथा अपराधों में वृद्धि हो रही है। आजकल उग्रवादियों की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं यह हमारे समाज में एक नयी बात है जिससे चिन्ता पैदा हो रही है। हत्या तथा हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। हम प्रातः इस सभा में सुनते हैं कि एक के बाद एक परिवार की हत्या कर दी गयी परन्तु अपराधियों को सजा नहीं दी गयी।

विशेषतः यह सब हमारे समाज के उन वर्गों के साथ हो रहा है जो दुर्भाग्य से अब तक भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह सब अनुसूचित जाति/जनजाति के अल्पसंख्यक तथा हमारे समाज के अन्य पिछड़े हुए वर्ग के साथ हो रहा है।

क्षेत्रवाद की वृद्धि दूसरी नई घटना है। अब हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी स्वतन्त्रता के साढ़े तीन दशक बाद क्षेत्रीय शक्तियां अचानक ही लोकप्रिय हो गयीं और उनको जन समर्थन मिल रहा है। क्षेत्रीय शक्तियों की निन्दा करने का कोई लाभ नहीं है। क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के कारण ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। केवल निन्दा करने से हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा पृथकतावादी शक्तियां भी इस देश में अपना सिर उठा रही हैं। सभी देशभक्त लोग बहुत अधिक चिन्तित महसूस करेंगे कि इस प्रकार की शक्तियों

ने इस देश में उपयुक्त वातावरण क्यों पा लिया, सब बातों के लिए विपक्ष पर आरोप लगाना, कुछ निश्चित लोगों पर आरोप लगाना भारी गलती होगी। मैं इस बात में इन्कार नहीं करता कि इस देश में सांप्रदायिक शक्तियां हैं, प्रतिक्रियावाही शक्तियां हैं, प्रान्तवादी शक्तियां हैं और वे इस कठिन स्थिति से लाभ उठाने के लिए आगे आ गयी हैं। परन्तु इस कठिन स्थिति को विकसित क्यों होने दिया गया है।

विश्व के इतिहास मे पता चलता है कि जब कभी जनरोष होता है, जन असन्तुष्टि होती है और यह भावना हो जाती है कि आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है तो रोष और असन्तुष्टि बढ़ जाती है और इससे प्रतिक्रियावादी शक्तियां विकसित होती हैं और निहित स्वार्थ ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हैं।

भारत का इतिहास महान है। भारतीय नेताओं ने पूरे विश्व में अन्याय, दासता, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी है। अतः भारत अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल यही नहीं कि हमारी जनता असन्तुष्ट है, केवल आन्तरिक शक्तियां ही कठिन परिस्थिति का लाभ नहीं उठायेंगी बल्कि बाह्य शक्तियां भी यह नहीं चाहतीं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। भारत नई अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए साम्राज्य-वाद तथा उपनिवेशवादी शक्तियों के विरुद्ध अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। इसलिए वे शक्तियों भी भारत के विरुद्ध हैं जो इन विचारों को पसन्द नहीं करतीं।

मुझे नहीं मालूम कि आसाम में हुई सभी घटनाओं की वास्तविकता गृहमंत्री के ध्यान में ला दी गयी है या नहीं। हमें बहुत ही दुःख हो रहा है। आसाम हमारे देश का एक भाग है जहां पर बहुत निर्दोष, ईमानदार और देशभक्त लोग रहते हैं। परन्तु इस स्थिति के कारण वे आज इस विद्रोह करने की मनः स्थिति में हैं। कत्लेआम किया जा रहा है जिसको अन्तर्राष्ट्रीय जन सभाओं में मानव अधिकार के प्रश्न के रूप में उठाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि पिछले सप्ताह कुवैत की संसद में आसाम में मुसलमानों की हत्याओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। वे दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए। हमारा दूतावास क्या कर रहा था? वहां पर केवल हमारे मुस्लिम भाई बहनों की ही हत्या नहीं की गयी बल्कि अन्य लोगों की भी हुई। परन्तु कुछ शक्तियां विदेशों में हमारी छवि को बिगाड़ने तथा हमारा गलत चित्र प्रस्तुत करने में रुचि रखती हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है कुवैत शत्रु देश नहीं है। यह एक मित्र देश है। परन्तु मैं सोचता हूं कि कुवैत की संसद के सामने ठीक चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया था इसीलिए यह बात हुई है। इन बातों से भारत की बदनामी हो रही है। संयुक्त राज्य अमरीका की बहुत सी एजेंसियां अचानक ही सक्रिय हो गयी हैं। वे हमारे देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैं। वे मानव अधिकार के प्रश्न को उठाने का प्रयत्न कर रही हैं। वे हमारे लोगों को भड़का रहे हैं। कभी-कभी वे इस प्रश्न को प्रत्यक्ष रूप से उठा रहे हैं और अक्सर वे अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। इस संसद में मैंने यह प्रश्न उठाया है। मैं जानना चाहता था कि जब बी० बी० सी० ने जगत सिंह चौहान को आमंत्रित करके खालिस्तान के विषय पर दूरदर्शन पर 40 मिनट दिए थे, खालिस्तान का नक्शा दिखाया गया था, खालिस्तान का दर्शन प्रसारित किया था और खालिस्तान को एक गणतन्त्र के रूप में दिखाया गया था तब हमारी सरकार ने क्या किया था? परन्तु मुझे नहीं मालूम कि क्या··· (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : खालिस्तान पासपोर्ट भी दिखाया गया था।

श्री इन्द्रजीत यादव : हां खालिस्तान पासपोर्ट भी दिखलाया गया था। इससे गम्भीर चिन्ता हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गृह मंत्रालय अलग बैठा रहे और कहे कि यह विदेश मंत्रालय का कार्य है या यह किसी अन्य का कार्य है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय को क्या कहना है। गृह मंत्रालय को बहुत ही उच्च राजनैतिक मंत्रालय होना चाहिए, इसका कार्य है देश में राजनैतिक स्थिरता कायम रखना। इसका कार्य है राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना। इसका कार्य है राज्यों का मार्गदर्शन करना, मुख्यमंत्रियों का मार्गदर्शन करना उनको आदेश देना नहीं बल्कि उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समझना और यह देखना कि जो कुछ किया जा रहा है, अधिनियम नियम, नीतियां, कार्यक्रम इन सभी से राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले और वे लोगों की सहायता करें। अन्यथा गृह मंत्रालय द्वारा भूमि सुधारों की पुनरीक्षा क्यों की जा रही है ? गृह मंत्रालय अनुसूचित जाति/जनजाति की ध्यान क्यों रखता है ? गृह मंत्रालय ने मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गृह मंत्रालय राष्ट्रीय एकता परिषद की तथा अन्य कार्य क्यों करता है ? क्योंकि गृह मंत्रालय एक मुख्य राजनैतिक मंत्रालय माना गया है जिसका राष्ट्रीय दृष्टि-कोण होता है और राष्ट्र का उचित दिशा दर्शन कराता है। मुझे यह कहने में दुख होता है कि गृह मंत्रालय ने अपने महत्व को खो दिया है। मैं यह सब गहन मनोव्यथा के साथ कह रहा हूं। मैंने सब कुछ देखे हैं। मैं उनको यहां लाकर उद्धृत नहीं करना चाहता था। परन्तु पिछले तीन वर्षों के दौरान इस देश के गृह मंत्रियों ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कुछ मामलों में कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखे हैं। एक मामले में एक युवा महिला दहेज के मामले में जलायी गयी थी। मुख्य मंत्री को कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा गया था। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया यद्यपि एक वर्ष से अधिक बीत गया है। गृह मंत्री भी वहां गए परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरीके से इस मंत्रालय के साथ बर्ताव किया जा रहा है।

मैं वर्तमान गृह मंत्री को जानता हूं जो कि हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से हैं और हमारे राष्ट्रीय जीवन के वरिष्ठ लोगों में से हैं। मुझे नहीं मालूम अब उनके शब्दों को उन्हीं की पार्टी के मुख्य मंत्री कितना महत्व देते हैं। मुझे नहीं मालूम क्योंकि सारी व्यवस्था इस तरीके से चलायी जा रही है कि कोई दिशा ही प्रतीत नहीं होती। कौन निर्देशन कर रहा है ? इन सभी मामलों में मार्गदर्शन कौन कर रहा है ? और मुख्य घटक यह है कि गृह मंत्रालय समय पर कार्यवाही नहीं करता और इसीलिए बहुत सी बातें और अधिक गम्भीर हो जाती हैं।

मैं पंजाब की स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि पंजाब की स्थिति बिगड़ती जा रही है और लोगों को बहुत चिन्ता हो रही है। इसको गलत तरीके से संभाला गया है। यदि थोड़ी सी राजनैतिक दूरदृष्टि दिखायी गयी होती तो मामलों को सुलझाया जा सकता था। मैं वार्ताओं में सम्मिलित किया गया था और मुझे बड़ी आशा थी कि इन समस्याओं का हल निकाल लिया जायेगा पर एक नौकरशाही का रुख अपनाया गया। इस नौकरशाही रुख ने सारे मामले को बिगाड़ दिया। और आप हरेक बात से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह एक देश है, यह एक राष्ट्र है और प्रधान मंत्री स्वयं कहती रही हैं कि देश पार्टी से बड़ा है। परन्तु मुझे खेद है कि पंजाब की स्थिति में अब राजनीति सरकार के लिए मुख्य घटक

है। यह राजनैतिक रूप से प्रेरित किया जा रहा है। मसलों के समाधान की घोषणा हिस्सों में क्यों की गयी ? कुछ लोगों को अपनी आवाज पुनः उठाने के लिए क्यों उकसाया जा रहा था ?

जब कांग्रेस के विभिन्न मुख्य मंत्री प्रचार करते हैं तो उनके भाषणों में विरोधाभास होता है। यह दल कैसे कार्य करता है ? सरकार कैसे काम करती है ? गृह मंत्रालय इस पर कैसे सहमत हो सकता है ? कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन मुख्य विषयों पर, जिनका सम्बन्ध हमारे राष्ट्र से, हमारी राष्ट्रीय समस्याओं से है, कैसे विरोधी वक्तव्य दे सकते हैं ? मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा लेकिन आज ये सब हो रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए। दिशा, अनुशासन और न्याय की भावना होनी चाहिए।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में गृह मंत्री ने कहा, यदि सरकार को सहानुभूति नहीं होती तो वह मंडल कमीशन को समाप्त कर देती। उसके गठन का क्या लाभ है ? आपके मंत्रालय ने 1953 में काका कालेलकर आयोग नियुक्त किया था। और आपका मंत्रालय रिपोर्ट को चर्चा के लिए इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने में भी असफल रहा था। जनता सरकार ने यह आयोग नियुक्त किया था। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किए दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं। 52% जनसंख्या की शिकायतें हैं। वे महसूस करते हैं कि उनका देश के प्रशासन में कोई हाथ नहीं है। और आप उस रिपोर्ट पर अड़े हुए हैं। आपका कहना है कि आप कुछ कर रहे हैं। आपने सचिवों की समिति किसलिए नियुक्त की है ? यह समिति क्या करने जा रही है ? मंत्रिमंडल दो वर्षों में निर्णय नहीं ले सका। मंत्रिमण्डल दो वर्षों में मंत्रिमण्डल-उप-समिति नियुक्त नहीं कर सका। और गृह मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। धारा 340 के अन्तर्गत यह रिपोर्ट उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट और ज्ञापन सहित इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। यह रिपोर्ट ज्ञापन तथा इस पर की गई कार्यवाही के बिना ही प्रस्तुत की गई क्योंकि मुख्य मंत्रियों को गृह मंत्री या भारत सरकार की कोई परवाह नहीं है। क्या यह अच्छी हालत है ? आज नौकरशाही दमन का साधन बन गई है। इस देश में नौकरशाही ऊंची जाति के लोगों का प्रभुत्व है जो नये युग, नए परिवर्तनों, नई प्रवृत्तियों, तथा गरीब लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। यदि आप कहते हैं, कोई आरक्षण नहीं होगा, तब लोकतंत्र का महत्त्व समाप्त हो जाएगा। सब कुछ नौकरशाहों के हाथ में जा रहा है, जिन पर कि ऊंची जाति के लोगों और प्रमुख समुदायों का प्रभुत्व है, जो समाज के कमजोर वर्गों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अतः यह शिकायत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

मेरे सहयोगी, श्री लास्कर नीति और योजजा के सम्बन्ध में कह रह थे। आपकी नीति और योजना क्या है ? संविधान में कहा गया है कि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए होगा। प्रवर्तको ने सोचा कि 10 वर्षों में प्रभावी और गतिशील सरकार प्रभावी कदम उठायेगी और इस वर्गों के लोगों को उनका मुनासिब हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन स्वतन्त्रता के 35 वर्षों के बाद भी, उनका हिस्सा कितना है ? यह 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत है। आप कह रहे हैं कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप अपने ब्राह्मणत्व पहुंच को छोड़िए। ब्राह्मण कहा करते थे कि एक जाति शीर्ष है, दूसरी

छाती और तीसरी जाति पैर। अब आप कहना चाहते हैं कि आज कमजोर वर्गों के लिए कुछ कर रहे हैं। सरकार उनके लिए कुछ आरक्षण कर रही है, कुछ नौकरियां दे रही है, उन्हें 5000 रु० का ऋण दे रही है और इसलिए अन्य लोगों को अपने अधिकारों का फायदा उठाने दीजिए और कमजोर वर्ग आपकी उक्त मदद से संतुष्ट हो जाना चाहिए। आप इस देश में पूंजीवादी समाज बनाने में सहायता दे रहे हैं। आज की वास्तविकता यह है कि चाहे वह पंजाब हो या आसाम, लोगों को शिकायतें हैं। उन्हें आर्थिक रूप से उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है अथवा उनका दमन किया जा रहा है अथवा उनमें यह भावना पैदा हो रही है कि उनकी धार्मिक मांगें पूरी नहीं हो रही हैं अथवा सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये मुख्य कारण हैं। अतः ये शिकायतें पूरे देश में बढ़ रही हैं।

मुझे आशा है, गृह मंत्री जी किसी समय हमारे उच्चाधिकारियों, जो आज प्रमुख पदों पर हैं, की सूची सदन के समक्ष रखेंगे। आप उन्हें निर्णय करने के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं। कितने उच्चाधिकारियों ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बहुराष्ट्रीय संघों में गए हैं? कितने उच्चाधिकारियों के बेटे, बेटियां और सम्बन्धी बहुराष्ट्रीय निगमों में कार्य कर रहे हैं? उनमें से कितने लोग सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में गए हैं और उनमें से कितने अधिकारी उनके परामर्शदाता बने हैं। इस तरह उनमें से कई हमारी नीतियों में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अपनी सेवानिवृत्ति से 3-4 वर्ष पूर्व वे बहुराष्ट्रीय नियमों, व्यापार गृहों, और गैर-सरकारी क्षेत्रों के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं और सरकारी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना आरम्भ कर देते हैं। अतः मैं नौकरशाही की संरचना का पूर्ण पुनर्गठन करने और ग्रामीण पंचायत के स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सभी स्तरों पर जन प्रतिनिधि समितियां सीमित करने की मांग करता हूं। उन्हें कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। श्री रंगा यहां बैठे हैं। आज भूमि सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है? आज भूमि सुधारों की बात कोई नहीं करता। क्या इसमें कुछ औचित्य है कि इस देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के 500 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? अशिक्षा की बात ही छोड़िए। हमारे संविधान में निःशुल्क शिक्षा, आवश्यक रूप से शिक्षा के बारे में कहा गया है लेकिन गरीबी के कारण 6 से 14 साल की आयु के 500 लाख बच्चे, जो स्कूल जाने के अधिकारी हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : जी हां, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मैं अभी भी महसूस करता हूं कि गृह मंत्री को इसकी पहल करनी चाहिए। असम के आन्दोलनकर्ताओं ने भी अपना आन्दोलन स्थगित या समाप्त कर दिया है। कृपया पहल कीजिए और प्रो० रंगा जैसा या कि कोई अन्य वरिष्ठ व्यक्ति खोजिए; उन्हें इन युवकों से बातचीत करने दीजिए, उन्हें वार्ता के लिए बुलाइये, उनसे बातचीत कीजिए और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न कीजिए और कुछ प्रभावी उपाय कीजिए। कुछ आन्दोलनकर्ता कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हमें अपनी आंखें बन्द नहीं करनी चाहिए। यह बहुत खतरे की बात है कि इस देश में घुसपैठिए आ रहे हैं। हमें अपनी स्वतन्त्रता की, आजादी की रक्षा करनी है और इसीलिए कुछ किया जाना चाहिए। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, कृपया उन्हें पुनः

आमंत्रित कीजिए। यदि वे नहीं आते तो कुछ लोगों के माध्यम से उनके पास प्रस्ताव भेजें और समाधान खोजें। मुझे विश्वास है कि समाधान खोजा जा सकता है।

अंतिम बात में राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता परिषद बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच है। इसका गठन पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसे निष्क्रिय होने दिया गया। मैं समझता हूं इसे पुनः संगठित किए जाने की आवश्यकता और इसका आधार अधिक व्यापक होना चाहिए।

अंत में, जब मैं यह कहता हूं कि सरकार को समय पर कार्यवाही करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में केन्द्र राज्य के सम्बन्धों की बात है। सरकार इस सम्बन्ध में काफी समय तक अनावश्यक रूप से निष्क्रिय रही। लेकिन यह समाचार मिलने पर कि दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की, सरकार भयभीत हो गई। हो सकता है यह सच न हो। मैं जानता हूं, पहले सरकार का दृष्टिकोण रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी कम से कम यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे आतंक न फैलाए।

दक्षिण के मुख्य मंत्रियों की बैठक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे अनावश्यक रूप से इतना महत्व दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि यह पृथकतावादी कदम है, यह उत्तर और दक्षिण का प्रश्न करने जा रहा है, इससे यह खतरा है, वह खतरा है। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गलत वातावरण बनाया जा रहा था। अब सरकार ने सरकारिया आयोग की नियुक्ति की है इसकी घोषणा 10 या 12 दिन पहले की गयी थी। परन्तु निदेश पत्र की अभी तक घोषणा नहीं की गयी है। इस प्रकार का विलम्ब क्यों ? उसी समय निर्देश पत्र की भी घोषणा करना सम्भव क्यों नहीं था। मैं कहता हूं कृपया गम्भीरता से विचार कीजिए। स्थिति बदल रही है, समय बदल रहा है। राज्य सरकारें शरीर के दो हाथों के समान हैं यदि उनको ही लकवा मार जाए तो आपका मस्तिष्क व दिल बहुत अच्छे होने पर भी आप कार्य नहीं कर सकेंगे। इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। जो लोग साम्प्रदायिक दंगे करते हैं या जो साम्प्रदायिक दंगों के लिए षड़यंत्र रचते हैं उनके लिए यदि सरकार आवश्यक समझे तो कानून में संशोधन करने के लिए भी सोच सकती है ताकि उनके लिए जो साम्प्रदायिक हत्याओं में भाग लेते हैं और षड़यंत्र रचते हैं उनके लिए मृत्यु दण्ड की भी व्यवस्था की जा सके। केवल तभी आप साम्प्रदायिक दंगों को रोक सकेंगे अन्यथा नहीं।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर कुछ शब्द कहने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप लोक सभा के कार्यकरण पर नजर डालें तो पायेंगे कि लोक सभा का 90% समय विपक्ष द्वारा कानून और व्यवस्था के प्रश्न उठाने में लिया जाता है, जिसका सम्बन्ध गृह मंत्रालय से है। अब गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर पिछले दो दिन से चर्चा चल रही है और यह एक दो दिन और चलेगी परन्तु विपक्ष के तथाकथित नेता जैसे, श्री वाजपेयी, श्री चरण सिंह, श्री जगजीवन राम तथा चन्द्रशेखर ने इस चर्चा में भाग लेने के लिए आने की चिन्ता नहीं की। (व्यवधान) मैं बिल्कुल उसी की चर्चा कर रहा हूं जो कुछ हो रहा है। आप लोग ही इस

विषय को उठाकर अधिकांशत: सभा का समय लेते हो। परन्तु जब एक महत्वपूर्ण वाद विवाद चल रहा है तो आपके नेता यहां नहीं हैं। पिछले वर्ष वे यहां नहीं थे···(व्यवधान)···श्री चरण सिंह यहां नहीं थे··· (व्यवधान) सुझाव आपसे आना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये नेता यहां पर उपस्थित होने की भी परवाह नहीं करते। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : दूसरी तरफ के बारे में आपका क्या ख्याल है। मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं···(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : जहां तक इस तरफ का सम्बन्ध है यह आपको कहना है क्योंकि यह विपक्ष का उत्तरदायित्व है। यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं श्री टाईटलर से निवेदन करता हूं कि कि वे अध्यक्ष पीठ को सम्बोन्धित करें।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं असम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। कुछ परिवार जो असम से आए हैं और जिन्हें हम जानते हैं उन्होंने आसाम में हुई खून खराबी का स्पष्ट चित्रण किया है जो कि चुनावों की घोषणा होते ही शुरू हो गया था। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन चुनावों की घोषणा की गई थी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी गोहाटी गए और छिपे हुए छात्र नेताओं से मिले। एक पत्रिका 'सन्डे' में यह छपा है कि जिस तरीके से पत्रों को नष्ट किया गया और रेल पथों को नष्ट किया गया···(व्यवधान) इससे यह प्रतीत नहीं होता कि यह एक आदमी का कार्य है, जो अपना गुस्सा दिखा रहा है, बल्कि इससे ऐसा लगता है कि यह किसी विशेषज्ञ द्वारा किया गया सुनियोजित ढंग से किया गया तोड़ फोड़ का कार्य है। वे लोग कौन हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं? (व्यवधान) आपको उन्हें सजा देनी है। मैं चाहता हूं कि सरकार श्वेत पत्र प्रस्तुत करे जिसमें सभी विवरण दिए हों जिसमें विपक्षी नेताओं के वे भाषण भी सम्मिलित हों जिन्होंने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं तो ब्रह्मपुत्र नदी खून से कट जायेगी। यह बहुत ही अजीब लगता है कि जब उन्होंने 1977 में उन्हीं चुनाव सूचियों को स्वीकार कर लिया था तो अब वे उनको स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं।

इन दंगों के दौरान हजारों बच्चों ने अपने मां बाप खो दिए। यदि वे इन बच्चों तथा इन घटनाओं के बारे में वास्तव में ही चिन्तित हैं तो प्रत्येक सदस्य कम से कम एक बच्चे को गोद लेकर उसका पालन पोषण करें ताकि वह जिन्दगी भर याद रख सके कि उनके भाषणों तथा देश विरोधी कार्यों की वजह से ही इन बच्चों के मां बाप मारे गए थे परन्तु वे ऐसा कभी करेंगे। परन्तु यदि वे लोगों को वास्तव में प्यार करते हैं···

श्री ईरा अनबारासु (चेंगलपट्टु) : मैं एक को गोद लेने के लिए तैयार हूं।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं इस विषय पर और अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि पहले ही बहुत कहा जा चुका है। जैसा कि हमारी प्रधान मंत्री ने कहा है अब आसाम में आर्थिक विकास के लिए और विशेष रूप से समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परिवहन तथा संचार की बेहतर व्यवस्था के लिए अधिक धन खर्च किया जाना चाहिए ताकि वे अपने आपको देश का अभिन्न अंग महसूस कर सकें।

दूसरी बात मैं राष्ट्रीय अखण्डता के बारे में कहना चाहता हूं। असम पर पुनः चर्चा करते हुए मैं तब की एक घटना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब श्री वाजपेयी वहां गये और भाषण दिये,

महोदय, वे कौन से लोग हैं जो जनता में इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी भावनाओं का संचार करते हैं ? मैं कहता हूं कि गृह मन्त्रालय को इस प्रकार का नियम अथवा कानून बनाना चाहिये जिसके अन्तर्गत ऐसे लोगों को, उनके सम्बन्धियों को दण्ड दिया जा सके मैं 1947 से पूर्व की बात कर रहा हूं जिन्होंने देश की स्वतत्रता के लिये अंग्रेजों से लड़ रहे व्यक्तियों के विरूद्ध झूठी गवाहियां दी मेरे विचार से उन्हें इस सदन का हिस्सा बनने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें देश से सम्बद्ध किसी भी बात का हिस्सा बनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहां ** का उल्लेख कर रहा हूं। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें उनकी गवाही के आधार पर दो युवा व्यक्तियों को पांच साल का कारावास का दन्ड मिला था क्योंकि उन्होंने उनकी गवाही दी थी क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के विरूद्ध उस समय नारे लगाये थे। हम जिस समय अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे यह लोग हमारा विरोध कर रहे थे। मैं यह नहीं समझ सकता कि आज उन्हें संसद सदस्य के रूप में कैसे स्वीकार किया जा रहा है। और इन सब से अधिक असम के सम्बन्ध में वे वहां क्या कह रहे हैं इस सम्बन्ध में टेप प्रस्तुत किये गये हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। मेरे विचार से इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए और समूचा विपक्ष मेरा समर्थन करेगा......(**व्यवधान**) यदि आप राष्ट्रवादी हैं, आप मेरा समर्थन करेंगे...** उन्हें इस सदन का सदस्य होने का अधिकार नहीं है। उन्होंने गवाही दी थी और उनकी गवाही के आधार पर दो युवा लोगों को पांच वर्ष का कारावास का दण्ड दिया गया था। (**व्यवधान**)

श्री सूरज भान : आप श्री गनी खान के वक्तव्यों को पढे। (**व्यवधान**) उन्हें चार गवाह लाने चाहिए।

श्री जगदीश टाइटलर : जब हम अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे, तो वे अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे।

श्री सूरज भान : आप तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री सूरज भान, मैं आप को इसके बाद में बोलने के लिए कहूंगा, तब आप उसका उत्तर देना। (**व्यवधान**)

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, मैं एक बात पंजाब के बारे में कहना चाहता हूं हर व्यक्ति को अपना धर्म प्यारा है, हमें भी अपना धर्म प्यारा है, किन्तु हमारा राष्ट्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

एक माननीय सदस्य : हमारा राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री जगदीश टाइटलर : हां, हमारा राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण है। पंजाब के नेताओं से यह अपील करता हूं कि जब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो जाता कोई भी अपना धर्म मजबूत

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं कर सकता। इसलिये यदि आप अपने धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, यदि आपकी कुछ मांगे हैं तो मेरे विचार से उन्हें देश की स्वतन्त्रता और देश की मजबूती की कीमत पर पूरा नहीं किया जाना चाहिये। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : एकता

श्री जगदीश टाइटलर : हां, एकता।

महोदय, मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा नौकरशाही के बारे में कही गई बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं और मेरी निजी भावना यह है कि एक ऐसी नौकरशाही की जरूरत है जो कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये समान रूप से बचनबद्ध हो। मेरी राय में सरकार की आधी नीतियां तो कार्यान्वित हुये बिना रह गई हैं क्योंकि नौकरशाही की बड़ी लम्बी-चौड़ी मांगें होती हैं। इन नीतियों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिये मैं यह सुझाव दूंगा कि प्रशासनिक सुधार किये जायें, नीति बनाने वालों द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रति चेतना उत्पन्न की जाये तथा लोगों की आंकाक्षाओं को नौकरशाही में भी चेतना उत्पन्न की जाये।

प्रशासनिक सुधारों के लिये एक स्थायी समिति की स्थापना भी किया जाये जो वर्तमान ढांचे का अध्ययन करे और समस्याओं को सुलझाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये उपाय सुझाये और अभी तक चलती आ रही उपनिवेशावादी पद्धति को मिटाया जाये।

ब्रिटेन से एक भद्र व्यक्ति, एक राजनीतिज्ञ यहां आये थे। उन्होंने कहा "यदि आप हमारी उपनिवेशवादी पद्धति को देखना चाहते हैं जिसे पूरी तरह से चलाया जा रहा है तो आप भारत जाइये और अगर आप एक आधुनिक पद्धति को देखना चाहते हैं तो आप हमारे देश में आइये"। और मेरे विचार से हमें इस पद्धित से छुटकारा पाना चाहिये। हमें अपनी पद्धतियों का विकास करना चाहिये ताकि हम अपनी नीतियों को लागू कर सके जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके।

हमारे जहां हमेशा कभी सांप्रदायिक दंगा या कोई और बात होती रहती है इसके लिये पुलिस को तथा उनके तरीकों को दोष देना बहुत ही आसान बात है। यह कहना भी आसान है कि वे खराब लोग हैं, वे निर्दयी है और बिल्कुल सहायता नहीं करते। लेकिन यह तो तस्वीर का एक रूख हैं। अगर हम इस बात का अनुभव करें कि उनके पास अपराधों का पता लगाने के लिये परिवहन संबंधी सुविधाओं तथा अन्य आधुनिक मशीनरी का अभाव है, जबकि अपराधी लोगों के पास अपराध करने के लिये आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हों जबकि पुराने हथियार गोला बारुद, परिवाहन तथा संचार सुविधायें हैं। सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिये।

पिछले वर्ष भी मैंने यह कहा था कि यह सरकार को उन नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना चाहिये जहां पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं और उन क्षेत्रों में से एक कार्यकारी दल तैयार करना चाहिये जिसमें सभी जातियों के लोग हों ताकि जहां पर भी इस प्रकार की घटना हो हम उस से निपटने के लिये हमेशा तैयार रहें।

दिल्ली का विस्तार हो रहा है। भगवान ही जानता है कि इस विस्तार का अंत कहां होगा। जस तरह से इसका विस्तार हो रहा है उसी अनुपात से दिल्ली पुलिस को अनुदान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में 72 लाख लोग हैं। किन्तु दिल्ली पुलिस की संख्या और उनके उपकरण वही हैं जबकि दिल्ली की जनसंख्या 42 लाख थी। दिल्ली पुलिस की संख्या में, उपकरणों में, हथियारों तथा वाहनों में वृद्धि नहीं की गई है। इसलिये उनके पास उपलब्धता सीमित साधनों के साथ जो काम वे कर रहे हैं, वह प्रशंसनीय है। जिस प्रकार वह स्थिति को नियंत्रण में रख रहे हैं वह भी प्रशंसनीय है। इस बात का श्रेय भी दिल्ली पुलिस को जाता है कि 1980 से लेकर यहां पर कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिये हो सका है क्योंकि दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली की जनता राष्ट्र के हित के प्रति सचेत है।

इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं :

1. जेल सुधार: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कैदियों और विचाराधीन कैदियों को उचित सुविधायें उपलब्ध हो।

2. जेलों का आधुनिकीकरण : यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जेलों का आधुनिकीकरण हो।

3. पिछले वर्ष भी मैंने यह कहा था और इस वर्ष भी मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक पुलिस कल्याण कोष की स्थापना की जाये, जिसके अन्तर्गत उन पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की पूरी सहायता के लिए व्यवस्था हो जाये अपनी ड्यूटी के दौरान सही शक्तों-अशक्त होगा और जिनकी मृत्यु उनसे हो गई है।

4. पुलिस कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा के सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये।

5. दिल्ली में पुलिस के अधिकाश कर्मचारियों को आवासीय सुविधा नहीं मिली है, इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

6. पुलिस कार्मिकों को फारेन्सिक शिक्षा, कानूनी तथा अन्य पक्षों के संबंध में बिशेष *तथा* पद्धति-बद्ध सघन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति जी, मेरे पास समय बहुत थोड़ा है और मेरी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मंत्रालय की बहस में मेन-स्पीकर होंगे, इस लिये मैं चन्द मिनट ही बोलूंगा और अपनी बातों को केवल शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स तक ही लिमिटेड रखूंगा।

अभी श्री लास्कर जी ने कहा कि सरकार पर एलीगेशन लगाया गया है कि यह सरकार एन्टी-हरिजन और एन्टी-आदिवासी है, मैं इस बात को उन अलफाज में तो नहीं रख रहा हूं, लेकिन श्री लस्कर जी और श्री सेठी जी से यह कहूंगा-अगर वे यह साबित करना चाहें कि यह सरकार हरिजनों और आदिवासियों के लिये है तो चन्द सझाव देता हूं, जिन को यदि वे पूरा कर लें तो ऐसा कहा जा सकता है।

1947 में देश आजाद हुआ-लाखों शरणार्थी भाई बंगाल और पंजाब से आये, उन को बसाने के लिये केन्द्रीय सरकार में एक सप्रेट मिनिस्ट्री बनाई गई-रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री। लेकिन जो हजारों सालों से करोड़ों की संख्या में इस देश में रिफयूजी हैं, क्या उन के लिये कोई सैप्रेट मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है ? मैं मांग करता हूं-अगर आप इस बात को साबित करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम प्रो-हरिजन हैं, प्रो-आदिवासी हैं तो फौरन एक सैपरेट मिनिस्ट्री उनके लिये बना दीजिये ताकि हम उन को पिन-प्वाइंट कर सकें कि तुम ने यह काम क्यों नहीं किया।

दूसरा सुझाव-35 सालों की आजादी के बाद और कांस्टीचूशनल प्रावीजन के बाद भी क्या सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की कोई मिनिस्ट्री कह सकती है कि सर्विसिज में इन के कोटे को पूरा कर दिया है ? क्लास 1 और 2 को छोड़ दीजिये, क्लास 4 में भी आज पोस्टें डी-रिजर्व हो रही हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं आंकड़े देता। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप प्रो हरिजन और आदिवासी हैं तो सेन्ट्रल एक्ट बनाइये ताकि कांस्टीच्युशन के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक्ट बना चुकी है, उड़ीसा और मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट बना चुकी हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती है ? बी० जे. पी. इज दी ओनली पार्टी जिसने दो साल पहले रिजोल्युशन पास किया था कि सेन्ट्रल सर्विसिज में रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए केन्द्र एक्ट बनाये। नो अदर पोलिटिकल पार्टी हेज डन दिस। मैं आप से मांग करता हूं कि आप बनाएं। लेकिन आप करते नहीं हैं।

मैं तीसरा सुझाव आपको देना चाहता हूं। सेन्ट्रल शेड्युल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की एक यूनियन बनी है। दूसरी यूनियन जो मान्यता प्राप्त है, वह यूनियन उनके केसिज को टेक अप करने के बजाए उनके खिलाफ केसिज टेक-अप करती है। इसलिए मैं आप से मांग करता हूं कि आप इसको रिकगनाइज कीजिए।

एक माननीय सदस्य : हमने यह कहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम यूनियनों को जाति के आधार पर मान्यता नहीं देते।

श्री सूरज भान : अच्छी बात है कि आपने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अनुसूचित जाति एक जाति नहीं है बल्कि यह जातियों का समूह है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पढ़ लीजिए। अगर यह फैसला आपके सामने आता है तो आप उनकी यूनियन को रिकगनाइज कीजिए। आप इसको एग्जामिन कर लीजिए।

मैं आपको चौथा सुझाव देना चाहता हूं कि आपके स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल, सब प्लान बुरी तरह से फैल हुये हैं। पार्लियामेंट में मेरे क्वेश्चन के आन्सर में कहा गया था कि केन्द्र की केवल चार मिनिस्ट्रियों ने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है। बाकी औरों को तो पता ही नहीं है कि कोई स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट में यह हालत हो तो स्पेशल कम्पोनेट प्लान के बारे में स्टेट गवर्नमेंटस में क्या हालत होगी। इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने को-आपरेटिव एक्ट के लिए माडल

उप-नियम बना रखा है उसी तरह से इस स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का एक माडल बना लीजिए जिसे अपनी मिनिस्ट्रियों को भी दीजिए और स्टेट्स को भी दीजिए ताकि इसमें कुछ हो सके

हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर श्री सेठी जी पिछले अपने साथियों के नक्शे कदम पर चलते हुए कम से कम शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के मेम्बरों की एक मीटिंग तो बुला लीजिए आज तक नहीं बुलायी है। अगर एक नहीं तो अलग अलग बुला लीजिए। शेड्यूल्ड कास्ट्स की अलहिदा प्राब्लम्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अलहिदा प्राब्लम्स हैं। आप उनकी कोई तो मीटिंग बुला लीजिए।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। आपके बैंक टेक्सी के लिए कर्जा देते हैं और टेक्सी को अपने पास गिरवी रख लेते हैं। आप शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स को जमीन खरीदने के लिए कर्जा दिलवाइये और वही उनकी जमीन अपने पास गिरवी रख लीजिए। उनके पास और तो कोई जायदाद है नहीं। आप इसको इम्पलीमेंट कीजिए। पहले यह पंजाब में लेकिन पंजाब ने भी यह छोड़ दिया है। यह पूरे हिन्दुस्तान में लागू किया जा सकता है।

सभापति महोदय, मेरी मांग है कि आज कम से कम एक करोड़ हरिजन और आदिवासी ऐसे हैं जो कि जेन्यून हैं लेकिन शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में नहीं हैं। अण्डमान में मेरे भाई लेट्रीन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सड़कें साफ करते हैं। देश में ऐसे एक करोड़ आदमी हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्युल्ड ट्राइब्स की सूची में नहीं हैं। जनता शासन के समय में एक कमेटी बनी थी लेकिन उस पार्टी के टूटने और उस हुकूमत के टूटने के बाद वह कमेटी भी गयी। उसके बाद कमेटी बनती। लेकिन वह तो हुआ नहीं, आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिख दिया। अब पता नहीं वह कब जवाब देंगे। यह टालने वाली बात है। मैं आप से मांग करता हूं कि अगर आप कमेटी नहीं बनाना चाहते हैं तो स्टेट से जल्दी जवाब ले कर इस को जल्दी से जल्दी तय कीजिए।

मैं आखिरी बात कहता हूं। हम मांग करते आये हैं कि स्वर्गीय बाबा डा. अम्बेदकर, महर्षि वाल्मीकि और गुरू रविदास के जन्म दिनों की छुट्टी की जाए। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि हम छुट्टियां नहीं बढ़ा सकते अगर आप छुट्टियां नहीं पढ़ा सकते तो छुट्टियां घटा दीजिए। 26 जनवरी और 15 अगस्त की छुट्टियां रखिये, बाकी सब केंसिल कर दीजिए। अगर औरों के धर्मगुरूओं की छुट्टियां रहती हैं तो शेड्युल्ड कास्ट्स के गुरूओं की छुट्टियां क्यों न हों? इनके लिए सौतेली मां का व्यवहार मत कीजिए।

मैं 1967 से यह मांग कर रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेदकर का पोर्टेट सेन्ट्रल हाल में होना चाहिए। सरकार की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि सेन्ट्रल हाल में जगह नहीं है। मेरी इस मांग के बाद दो और फोटो वहां लगाये जा चुके हैं जो कि लगाये जाने चाहिए थे। एक आदरणीय सुभाषचन्द्र बोस का और दूसरा राज गोपालाचार्य का लगाया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब वहां दो फोटो रखे जा चुके है तो बाबा साहब का फोटो क्यों नहीं रखा जा सकता। अब भी वहां केन्द्रीय कक्ष में जगह है लेकिन दिल में जगह नहीं। इसके बारे में एक आर्गुमेंट

यह दिया जाता है कि बाबा साहब का स्टेच्यू बाहर है। लेकिन पं. मोतीलाल नेहरू का स्टेच्यू भी बाहर है फिर उनका पोर्ट्रेट सेन्ट्रल हाल में भी क्यों हो ? यह सौतेली मां का सा सुलूक नहीं होना चाहिए। इसको आपको मानना चाहिए। बल्कि बाबा साहब जिस मकान में रहे हैं, जो कलम और कुर्सी वे इस्तेमाल करते थे वे सभी देश के मोन्युमेंट होने चाहिए। सेपरेट मिनिस्ट्री बनाइए सेंट्रल एक्ट बनाइए। अनटचेबिलिटी एक्ट तो न होने के बराबर रह गया है। अब समय नहीं है। बाकी बातें फिर कभी कहूंगा।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। कमिश्नर की रिपोर्ट तीन साल से पड़ी है। उस पर डिसकशन नहीं हुआ है। उस पर डिसकशन करवाईए ताकि हम खुलकर अपनी बात कह सकें। धन्यवाद

श्री भाऊसाहिब थोरट (पंढ़रपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं।

मैं गृह मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के सन्दर्भ में। मैंने श्री सूरजभान का भाषण सुना है। उनका कहना है कि सरकार अनुसूचित जातियों के प्रति लापरवाह है। मैं उन्हें याद दिलाता हूं।...

श्री सूरजभान : ये वे ही के वे ही शब्द नहीं हैं। यदि आप ऐसा अनुभव करते हैं तो आप अपनी करनी से सिद्ध करके दिखाइये कि आप अनुसूचित जातियों का ध्यान रख रहे हैं।

श्री भाऊसाहिब थोरट : सभापति महोदय, जब यह सरकार 1980 में सत्ता में आई तो प्रधान मन्त्री महोदया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सभी मुख्य मन्त्रियों और केन्द्र के सभी मन्त्रियों को पत्र लिखे थे। केन्द्रीय मन्त्रियों को लिखे गये पत्र में उन्होंने कहा था :

"अनुसूचित जातियां भारी आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव के दोहरे अन्याय से पीड़ित हैं। देश की कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत चाहे 15 ही हों, परन्तु देश के गरीब वर्गों में उनका अनुपात कहीं अधिक है तथा अधिकांश अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा से नीचे हैं।"

वह आगे लिखती हैं :

"हम चाहते हैं कि व्यक्ति-विशेष, परिवार और ग्रुप-मूलक कार्यक्रमों द्वारा अनुसूचित-जातियों तक लाभ पहुंचना चाहिये। इसके लिए आवश्यकता पर आधारित नये कार्यक्रम चालू करने तथा चालू कार्यक्रमों को नया रूप देने की आवश्यकता है जो कि अनुसूचित जातियों के विभिन्न व्यावसायिक ग्रुपों की विशिष्ट विकासपरक आवश्यकताओं और बाधाओं के अनुरूप हों। ऐसा केवल तभी हो सकता है यदि सभी विभाग और मन्त्रालय अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में इन समुदायों के विकास हेतु पहल करें ... ।"

महोदय, हमें तो इस बात की सराहना करनी चाहिये कि प्रधान मन्त्री महोदया विशेष संघटक योजना को, जिसे कि उन्होंने देश की योजना प्रक्रिया में प्रथम बार अपनाया था, लागू

करने में बहुत रुचि ले रही हैं। मेरा श्री सूरजभान से यह निवेदन है कि वह यह माने कि योजनाओं को लागू करवाने के भार जिन लोगों पर हैं वे नौकरशाह हैं और क्रियान्विति अधिकांशत: उनके हाथ में है।

मैं ··· से पूर्णतया सहमत हूं।

श्री सूरजभान : मैं आपसे सहमत हूं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : वे दोनों ही सहमत हैं।

श्री भाऊसाहिब थोरट : मैं श्री चन्द्रजीत यादव की इस बात से सहमत हूं कि जो नौकरशाह इस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं उन्होने आंतक मचा रखा है। मैं महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं अपना निजी अनुभव सुना रहा हूं। मेरे क्षेत्र में, हमने समग्रत: अनुसूचित जाति के लोगों की उक सहकारी कताई मिल लगाई है। परियोजना सहकारी कताई मिलों के राष्ट्रीय संघ ने तैयार की है। राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की है। अब यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा. स. वि. नि.) के पास है। कृषि मन्त्रालय और योजना मन्त्रालय ने इस पर कार्यवाही करनी है और इस परियोजना के लिए धन प्रदान करना है। सरकार की नीति यह है कि इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाय। परन्तु नौकरशाह परियोजना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। योजना मन्त्रालय जब धनराशि उपलब्ध कराता है तो कृषि मत्रालय कहता है "हमें धन नहीं मिल रहा है" इसी कारण परियोजना में एक वर्ष का विलम्ब हुआ है। मैं यह ठोस उदाहरण दे रहा हूं यदि नौकरशाह पहल करें और हल ढूंढे तो सरकार की नीति को भली-भांति क्रियान्वित किया जा सकता है। यह नीति बनाने वालों का दोष नहीं है। यह दोष नीति क्रियान्वित करने वालों का है। अत: इस मामले में मैं श्री चन्द्रजीत यादव का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री सूरज भान : आप उन नौकरशाहों को बर्खास्त कर दीजिए।

श्री भाऊसाहिब थोरट : वे नौकरशाह कौन हैं? वे नौकरशाह आपकी पार्टी के हैं। राष्ट्रीय स्वय सेवक संध का तत्व आपकी पार्टी में है। आप उन्हें बताइये, उनका मार्ग दर्शन कीजिए जिससे वे उचित ढंग से काम कर सकें।

जहां तक विशेष संघटक योजना का संबंध है मुझे आपको यह बताना है कि विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि जनसंख्या के अनुपात में दी जाती है। मैं महाराष्ट्र से हूं। जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है महाराष्ट्र राज्य की एक विशेष समस्या है। मैंने जनसंख्या अनुपात और महाराष्ट्र को उपलब्ध कराए गए धन के अनुपात के बारे में एक प्रश्न पूछना था जो इस प्रकार है :

(क) क्या यह सच है कि वार्षिक योजनाओं में राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं के लिए धन राशि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) वर्ष 1982-83 में, महाराष्ट्र को इस योजना के अन्तर्गत कितना धन उपलब्ध कराया गया। और

(ग) क्या यह धनराशि महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुकूल है।

इस प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर दिया गया :

"विशेष संघटक योजना में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक विभाग क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए चल रही योजनाओं में से उन्हें धन उपलब्ध कराएगा। विशेष संघटक योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अनुसूचित जातियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। अन्य उद्देश्यों में, अनुसूचित जातियों की बस्तियों में पेयजल आदि जैसी जीवन के लिए अत्यन्त जरूरी आवश्यकताओं के लिए"...

इसमें आगे कहा गया है :

"...राज्यों में अनुसूचित जातियों, महाराष्ट्र में नव बौद्धों सहित अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 12.78 प्रतिशत है, की जनसख्या के अनुपात में प्रावधान करना था। योजना आयोग में चर्चा के पश्चात महाराष्ट्र की 1982-83 की विशेष संघटक योजना के लिए 31 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जो कि राज्य की योजना का 2.35 प्रतिशत है।"

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों और नव बौद्धो की कुल जनसंख्या 12.78 प्रतिशत है जबकि इस क्षेत्र की जनसंख्या के लिए कुल 2.35 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई गई जो कि बहुत ही कम है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस राशि में वृद्धि करने और जनसंख्या के अनुपात में अधिक राशि उपलब्ध कराएं।

वहां हम एक और जिस महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रहे हैं वह यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया है। तीन संसद और महाराष्ट्र विधान सभा के 18 सदस्य थे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महाराष्ट्र राज्य विधान सभा से 18 सदस्य थे।

हम महाराष्ट्र में जिस अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के कारण हम संसद की तीन सीटें और महाराष्ट्र बिधान सभा की 18 सीटें हार गए। संसद और विधान सभा में इन स्थानों से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से इन स्थानों को भरने के लिए अनुरोध करूंगा।

अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्य का नियन्त्रण गृह मंत्रालय द्वारा होता है और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रत्येक विभाग की अपनी-अपनी योजनाएं हैं। जहां तक कृषि विभाग का संबंध है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। परन्तु इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता है। राष्ट्रीकृत बैंकों के बारे में कोई समुचित समन्वय नहीं है क्योंकि बैंक कृषकों का वित्त पोषण नहीं करते। सरकार को अन्य निकायों के पास जाना पड़ता है ताकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू किया जा सके।

मैं गृह मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक मामला कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है। कृषि विज्ञान केन्द्र के सबंध में हमने एक प्रस्ताव रखा था और महाराष्ट्र सरकार ने उस कृषि विज्ञान केन्द्र को प्राथमिकता दी है। वह कृषि विज्ञान केन्द्र अनुसूचित जाति की घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पहले ही आरम्भ हो चुका है। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी मान्यता दी जानी है। हम इस कृषि विज्ञान केन्द्र को स्वीकृत देने के बारे में बार-बार अनुरोध करते रहे हैं। इस कृषि विज्ञान केन्द्र से अधिकांशतः अनुसूचित जाति के लोगों और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र शोलापुर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए स्वीकृति दिलाने हेतु कृषि मंत्री से कहें।

कताई मिल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों के अलग-अलग और सामूहिक विकास तथा उनके लाभ के लिए सहकारी क्षेत्र सर्वोत्तम है। जैसा कि मैंने बताया है कि अपने क्षेत्र में मैंने एक सहकारी कताई मिल की स्थापना की है। उस कताई मिल से शोलापुर जिले के 4000 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को लाभ मिलेगा। मेरा जिला अधिकांशतः सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अधिकांश क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। कताई मिल की स्वीकृति आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार अंश पूंजी में अपने योगदान के रूप में पहले ही 10 लाख रुपए दे चुकी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भी कहना चाहिए कि वह इस भागीदार शेयरों के साथ इस मिल में शामिल हो।

एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका कि कृषि मंत्री ने उत्तर दिया था। आपकी अनुमति से मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। प्रश्न श्री बी. एन. गाडगिल ने पूछा था, जो कि अब मंत्री हैं। यह इस प्रकार है :—

"क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सहकारी कताई मिलों के बारे में भेजे गये कुल प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्तावित जगदम्बा अनुसूचित जाति सहकारी सूत गिरिन, धागे, जिला शोलापुर ही देश में एक मात्र ऐसी सहकारी कताई मिल है, जिसके सारे शेयर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा खरीदे गये हैं; और

(ग) अगर हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी देते समय इसे उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया था :—

(क) "महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम (एन. सी. डी. सी.) को 24 प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें 20 सहकारी कताई मिलों के लगाये जाने के लिए और 4 वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए हैं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार यही एक ऐसी सोसाइटी है जिसके सारे शेयर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा खरीदे गये हैं।

(ग) एन. सी. डी. सी. कमजोर वर्गों द्वारा चलाई जाने वाली सोसाइटियों को प्राथमिकता देता है।

आपकी अनुमति से मैं कुछ समय और लूंगा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है...

उप सभापति महोदय : आप और कितना समय लेंगे ?

श्री भाऊसाहिब थोरट : पांच मिनट और।

उप सभापति महोदय : ठीक है।

श्री भाऊसाहिब थोरट : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 1980-81 की रिपोर्ट में यह कहा गया है, मैं उसमें से एक पैरा पढ़ता हूं उनके पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम हैं। मैं पृष्ठ 49 के पैरा (ई) को पढ़ रहा हूं, जोकि अनुसूचित जाति सहकारी संस्थाओं के बारे में हैं :—

"दिसम्बर 1976 में एन. सी. डी. सी. ने जिन सहकारी संस्थाओं के 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति के समुदाय के हैं, उनको सहायता देने के बारे में एक योजना शुरू की। इक योजना के अन्तर्गत शेयर पूंजी योगदान, परिवहन वाहनों की खरीद, गोदामों के निर्माण, परिष्करण यूनिटों की स्थापना, राज्य स्तर की फैडरेशनों में टी और पी सेलों की स्थापना आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनुसूचित जाति की सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए दिसम्बर, 1980 में एन. सी. डी. सी. ने आर्थिक सहायता देने के आपने ढांचे में और अधिक ठील दी, जिसके अन्तर्गत 100 प्रशिशत सहायता दी जाती है।"

जब एन. सी. डी. सी. के पास अनुसूचित जातियों से संबंधित सहकारी संस्थाओं को शत प्रतिशत सहायता देने की योजना है, तो मैं नहीं जानता कि सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत सहायता देने में क्या दिक्कत है। मैं इस बारे में पिछले एक वर्ष से मांग कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जो कि इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के धर्म पिता हैं, कृषि मंत्री को इस बारे में अवगत करवायेंगे और अनुरोध करेंगे कि इस कताई मिल के लिए यथा शीघ्र मंजूरी दी जाए।

जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, मैं एक उदाहरण देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह एक खुला उदाहरण है कि जो कारण मैंने अभी बताए उनकी वजह से आरक्षण और संविधानिक गांरटियों को लागू नहीं किया जा रहा है। श्री सूरज भान ने भी यह कहा है...

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : नौकरशाही।

श्री भाऊसाहिब थोरट : मैं आपके ध्यान में जीवन बीमा निगम से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। इस देश में जीवन बीमा निगम में बहुत बड़ा नियोजन है

और यह अपने कर्मचारियों पर काफी पैसा देता है। मैं विस्तृत ब्यौरा दे रहा हूं। श्रेणी I सेवाओं में कुल 4487 पद हैं। इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1010 पद आरक्षित हैं,लेकिन वास्तव में केवल 35 पद भरे गये हैं…

श्री सूरज भान : बहुत अच्छा काम हुआ है ।

श्री भाऊ साहिब थोरट : 975 पद भरे जाने हैं। इनका प्रतिशत 96.54 बैठता है। श्रेणी II में कुल 6382 पद हैं। जिनमें से 1436 पद आरक्षित हैं, इनमें से केवल 42 पद ही भरे गये हैं। 1394 पद भरे जाने हैं। इनका प्रतिशत 97.08 बैठता है। कुल भरे गये पद 1869 हैं बकाया पड़े हुये पद 6401 हैं, जिनका प्रतिशत 77.44% बैठता है।

श्री सूरज भान : केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए।

श्री भाऊ साहिब थोरट : श्रेणी-Iv में कुल 7719 पद हैं जिनमें से आरक्षित पद हैं 1753। इनमें से 1585 पद भरे गये हैं और 168 पद बकाया पड़े हैं। केवल इसी श्रेणी में हमारा प्रतिनिधित्व कुछ अच्छा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : लेकिन वे आपको वास्तविक स्थान पर नहीं जाने देंगे।

श्री भाऊ साहिब थोरट : मैं माननीय गृह मन्त्री से अपील करता हूं। जब तक कि… अध्यक्षता में एक उच्च-सत्ता प्राप्त समिति नहीं गठित की जाती…।

श्री चन्द्रजीत यादव : गृह मन्त्री की अध्यक्षता में।

श्री भाऊ साहिब थोरट : प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में। और समय-समय पर स्थिति का जायजा लिया जाना चाहिए। और जब तक इस बात के सख्त निदेश जारी नहीं किए जाते कि जो अधिकारी इनके न लागू किए जाने के दोषी पाये जायेंगे, उनको दंड दिया जायेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है।

धन्यवाद !

प्रो. एन. जी. रंगा : बहुत बढ़िया।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : हम गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर इस स्थिति में गृह चर्चा कर रहे हैं जो मेरे मत के अनुसार काफी खराब है। जैसाकि मैं महसूस करता हूं यह स्थिति केन्द्र और राज्यों के बीच बढ़ते हुए तनाव और देश के विभिन्न भागों खास कर पंजाब और असम में पृथकतावादी ताकतों की गतिविधियों में वृद्धि, और सारे देश में साम्प्रदायिक तनाव में वृद्धि और आम आदमी और बेगुनाह लोगों पर पुलिस अत्याचार में वृद्धि और लोगों के लोकतान्त्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतन्त्रताओं के हनन के कारण हो रही है।

अगर हम इन सबको समग्ररूप में देखें तो हमें देश की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल जायेगा। जैसाकि ठीक ही कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल या केन्द्रीय रिजर्व बल जोकि थोड़ी सी उत्तेजना पर ही गोली चलाने के लिए तैयार रहते हैं, को गृह मंत्रालय की

शीर्षक निकाय नहीं माना जाना चाहिये। इसके अन्दर व्यापक राजनैतिक तत्व विद्यमान हैं और इसे इस रूप में समझना चाहिए इस मन्त्रालय की नीति सम्बन्धी अवस्थिति पर ही देश की अखण्डता और एकता निर्भर है। इस मन्त्रालय की नीति सम्बन्धी अवस्थिति और नीति सम्बन्धी ढांचे के आधार पर ही देश में राजनैतिक और अन्य प्रकार का स्थायित्व पैदा हो सकता है और इसी से हम अपने देशवासियों की लोकतान्त्रिक प्रगति को निश्चित कर सकते हैं।

मुझे इस बात का वास्तव में दुःख है कि मंत्रालय ने अपनी यह राजनैतिक भूमिका नहीं निभायी है। और वार्षिक रिपोर्टों से साफ पता लगता ह कि नीतियों और अवस्थितियों के मामले में इस मन्त्रालय ने गम्भीर गलतियां की हैं। जहां तक केन्द्र राज्यों के सम्बन्धों का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस बारे में किसी की दो राय नहीं हो सकती, इनमें बराबर तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन केन्द्र राज्य सम्बन्धों के विषय में हाल ही में सरकार के रवैये में परिवर्तन आया है और हाल ही में सहकारिता आयोग की घोषणा की गई है जो कि देश के संविधानिक व्यवस्थाओं की परिधि के अन्दर वर्तमान प्रबन्धों की जांच करेगा।

जहां तक आयोग बनाने का सम्बन्ध है मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन यह स्वागत एक सीमित सीमा तक है, सीमित सीमा से अभिप्राय है कि इसे कुछ ऐसी बातों द्वारा पंगु बनाया जा रहा है जो आज विद्यमान स्थिति के अनुकूल नहीं हैं। मुझे यह देखकर खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने जिस दिन सरकारिया आयोग बनाने की घोषणा की थी, उस दिन यह कहा था कि मेरी हमेशा यह धारणा रही है कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए तथा इसके साथ-साथ राज्यों को भी मजबूत होना चाहिए। पहले उनका ऐसा मत नहीं था। यद्यपि हम यह सुनते रहे हैं कि केन्द्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। तथापि, पहली बार हमने सुना है कि केन्द्र के साथ-साथ राज्यों को भी मजबूत बनाना होगा। मात्र रिकार्ड के लिए मैं गृह मंत्री या मन्त्रिमण्डल के किसी अन्य मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह बताने के लिए एक भी उदाहरण दे सकते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल के दौरान उन्होंने राज्य की शक्तियां बढ़ा कर तथा वित्तीय, सांवैधानिक और राजनैतिक उपाय करके राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठाया है ? क्या वह एक भी उदाहरण दे सकते हैं ? इसके विपरीत देश के संविधान के अन्तर्गत राज्यों को दी गई शक्तियों को क्षति पहुंचाने के निरन्तर प्रयास किए गए हैं। यदि वे एक भी उदाहरण दे सकें तो मुझे इसकी खुशी होगी। राजामनार समिति ने विस्तृत सिफारिशें की; अब उन सिफारिशों पर चर्चा करने का समय नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इन वर्षों के दौरान राज्यों के अधिकारों को निरन्तर क्षति पहुंचायी गई है और यहां तक कि संविधान के सीमित संघीय अभिप्राय की भी उपेक्षा की गई है और वस्तुत: संविधान का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है मानो यह एकात्मक संविधान हो।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। यदि आप चाहें तो सोमवार को अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सोमवार को मैं नहीं आऊंगा। मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं।

महोदय, यहां तक कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का विचार अभी तक नहीं बदला है। मैं विपक्ष के सदस्यों जिनमें इस सदन के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य भी शामिल हैं, द्वारा की गई केवल एक दो टिप्पणियों का ही उल्लेख करूंगा। जिस समय चार राज्यों की परिषद, मैं इसका भूगोल नहीं बताऊंगा की घोषणा की गई थी, तब उस पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई थी और उन प्रतिक्रियाओं से आप समझ सकते हैं कि क्या उनके मन में कोई परिवर्तन आया है या नहीं। प्रो. के. के. तिवारी यहां नहीं हैं। काश वह यहां होते। उन्होंने कहा था कि यह सभा भारत के विघटन की चेष्टा थी। अब मैं श्री स्टीफन द्वारा कही गई बात को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने इसे अत्याधिक खतरनाक और संविधान वाह्य बताया है और उन्होंने आगे यह धमकी दी कि यदि इन चारों राज्यों के मुख्यमन्त्री यह स्पष्टीकरण नहीं देंगे कि बंगलौर की उनकी बैठक अनौपचारिक थी तो केन्द्र सरकार समझेगी कि वह बैठक 'राजनीतिक' थी। अब, श्री करुणाकरन—वह राज्य के मुख्य मन्त्री हैं उनके अनुसार सम्मेलन राजद्रोहात्मक था और राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध था। मैं केवल इतना पूछूंगा कि क्या गृह मंत्री ने इन चारों सज्जन पुरुषों के विरुद्ध रा. सु. अ. अथवा दंड संहिता के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तगत गिरफ्तार करने के वारंट जारी करने की सलाह दी थी ?

अत:, महोदय केन्द्र राज्य के सम्बन्ध का प्रश्न शत प्रतिशत एक राजनैतिक प्रश्न है। इस मामले पर केवल कानून अथवा न्यायिक निर्णय से ही विचार नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न शत प्रतिशत राजनैतिक है। अत: इस मामले पर राजनैतिकता और राजनैतिक समझ तथा चातुर्थ से विचार करना चाहिए। अत: यह समझ तथा सूजबूझ तभी संभव है जब सत्तारूढ़ दल भविष्य के संकेतों को समझ सके। मैं केवल यह सुझाव दूंगा कि उन्हें सरकारिता आयोग को और विस्तृत बनाना चाहिए। तथा उसके निर्देश पत्र इस तरह तैयार किए जाने चाहिए कि वह भी केन्द्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एवं वास्तविक संघवाद के आधार पर नया ढांचा तैयार करने के विचार से सांवैधानिक परिवर्तनों के व्यावहारिकता तथा वांछनीयता पर विचार कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं केवल इसी मुद्दे पर चर्चा कर सकता हूं क्योंकि आप मुझे अन्य मुद्दों···पर बोलने की अनुमति नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री द्वारा एक महत्वपूर्व वक्तव्य दिया जाना है।

श्री चित्त बसु : मैं कुछ और मुद्दों पर बोल सकता हूं···।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं। अब वित्त मंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की जानी है।

श्री चित्त बसु : सोमवार को मैं अपनी बात जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं सोमवार को आपको अपनी बात जारी रखने की अनुमति दूंगा। श्री चित्त बसु, सोमवार को आप सबसे पहले वक्ता होंगे।

अब, वित्त मंत्री बोलेगे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने और पेंशन भोगियों को राहत देने के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की विद्यमान योजना के अन्तर्गत 1960 को आधार वर्ष मानकर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि होने के बाद मंहगाई भत्ते की एक किश्त की स्वीकृति के बारे में विचार किया जाता है। इस आधार पर मंहगाई भत्ते की पिछली किश्त कर्मचारियों को 1.6.1982 से उस समय स्वीकृत की गई थी जब औसत सूचकांक 456·08 था। अगस्त, 1982 के अन्त में औसत सूचकांक 464.07 पर पहुंच गया और इस प्रकार 8 अंकों की वृद्धि हो गई। बाद में नवम्बर 1982 के अन्त में औसत सूचकांक भी 472·23 पर पहुंच गया जिससे 8 अंकों की और आगे वृद्धि हो गई। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.9.1982 और 1.12.1982 से मंहगाई भत्ते की दो और किश्तें विचार किए जाने योग्य हो गई। सरकार ने इन दो किश्तों को कर्मचारियों को नकद देने का फैसला किया है। जिन तारीखों से ये किश्तें देय हुई उनसे इनकी अदायगी किए जाने से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को 192·50 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे जबकि पूरे वर्ष के दौरान एक किस्त की अनुमानित लागत 70·00 करोड़ रुपये होगी। इन किश्तों की अदायगी के आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जाएंगे।

2. जो किश्त 1.9.1982 से दी जाएगी उसके अन्तर्गत प्रतिमास 1600/- रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारी भी आ जाएंगे। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 15.3.1982 को मैंने सदन में घोषणा की थी कि वरिष्ठ अधिकारियों की परिलब्धियों में तीव्र ह्रास को देखते हुए सरकार ने संयुक्त सचिव तथा उसके समकक्ष स्तर पर निराकरण के स्तर को बढ़ाकर लगभग 45 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। ऐसे ही वर्गों के अधिकारियों के सम्बन्ध में निराकरण के इसी स्तर को रखा जा रहा है। प्रतिमास 2750/- रुपये और उससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारियों के मामले में भी तदर्थ मंहगाई भत्ते में प्रतिमास 150/· रुपये की वृद्धि की जाएगी।

3. विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत परिवार पेंशन भोगियों सहित केन्द्रीय सरकारी पेंशन-भोगियों को मंहगाई राहत की एक किश्त भी औसत सूचकांक में 8 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के बाद विचार किए जाने योग्य हो गई। इस आधार पर राहत की पिछली किश्त 1.6.1982 से स्वीकृत की गई। सरकाप ने अब क्रमश: 1.9.1982 और 1.12.1982 से परिवार पेंशन भोगियों सहित पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत की दो किश्तें देने का फैसला किया है। इससे सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 22.00 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे और पूरे वर्ष में राहत की एक किश्त की अनुमानित लागत 8·00 करोड़ रुपये होगी। इन किश्तों की अदायगी के आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जाएंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगली मद।

श्री एच. एन. बहुगुणा (गढ़वाल) : महोदय, सूचना के एक प्रश्न पर मैं मांग करता हूं

कि जब सूचकांक एक विशेष स्तर पर, जिसके सम्बन्ध में सरकार ने वायदा किया है, तक पहुंच जाएं, तो सरकार को वित्त मंहगाई भत्ते की घोषणा कर देनी चाहिये। वे ऐसा क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री अजय विश्वास के लिए त्रिपुरा पश्चिम) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को धन उपलब्ध करायेगी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शांति-शांति। मैंने अगली मद···गैर···सरकारी सदस्यों के कार्य ले लिया है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 56 प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 6 अप्रैल, 1983 को सभा में प्रस्तुत किये गये 56वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समित के 6 अप्रैल 1983 को सभा में प्रस्तुत किये गये 56वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन विधेयक

(धारा 25 आदि का संशोधन)

श्री ए. टी. पाटिल (कोलबा) : मैं नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए. के. पाटिल : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन

विधेयक (धारा 2 का संशोधन)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : मैं प्रस्तव करता हूं कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियमन 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

हिन्दू धर्मग्रन्थ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण एवं संशोधन विधेयक)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू धर्मग्रन्थों तथा अन्य धार्मिक साहित्य से ऐसे शब्दों, वाक्यों, कंडिकाओं, पद्यखण्डों, अध्यायों आदि का, जिनसे भारत के संविधान में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों और संविधान की प्रस्तावना में अन्तर्विष्ट भारत की जनता के पुनीत संकल्प के विपरीत, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, व्यवसाय या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति घृणा, भेदभाव, असमानता या अस्पृश्यता को प्रोत्साहन मिलता है या प्रचार होता है, पता लगाने और उनका लोप करने या उनमें संशोधन करने की दृष्टि से हिन्दू धर्मग्रन्थों तथा अन्य धार्मिक साहित्य का पुनरीक्षण करने और इस प्रयोजन के लिए एक आयोग की स्थापना करने तथा इनसे सम्बन्धित बातों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि हिन्दू धर्मग्रन्थों तथा अन्य धार्मिक साहित्य से ऐसे शब्दों, वाक्यों, कंडिकाओं, पद्य-खण्डों, अध्यायों आदि का, जिनसे भारत के संविधान में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों और संविधान की प्रस्तावना में अन्तर्विष्ट भारत की जनता के पुनीत संकल्प के विपरीत, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, व्यवसाय या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति घृणा, भेदभाव, असमानता या अस्पृश्यता को प्रोत्साहन मिलता है या प्रचार होता है, पता लगाने और उनका लोप करने या उनमें संशोधन करने की दृष्टि से हिन्दू धर्मग्रन्थों तथा अन्य धार्मिक साहित्य का पुनरीक्षण करने और इस प्रयोजन के लिए एक आयोग की स्थापना करने

तथा इनसे सम्बन्धित बातों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

ऋण (सीमा का निर्धारण) विधेयक

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ऋण लेने की सीमा निर्धारित करने का उप्रबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है। ...

प्रो एम. जी. रंगा (गुन्टुर) : महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध करता हूं क्योंकि इससे सरकार की उधार लेने की शक्तियों में गम्भीर रूप से कटौती हो जायेगी और यह इसी सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा केन्द्र दोनों के सरकारी कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए प्राधिकृत है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 292 में यह प्रावधान है, कि सरकार संसद के एक अधिनियम द्वारा सरकार के ऋणों की सीमा का निर्धारण कर सकती है। इन सभी वर्षों के दौरान हमारे देश में संविधान के लागू होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी है। सरकार ने सरकार ऋण लेने की शक्तियों का सीमानिर्धारण करने के लिए कोई अधिनियम अधिनियमित नहीं किया। और मैंने इस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके अलावा लोक लेखा समिति ने विभिन्न प्रतिवेदनों में सिफारिश की है कि सरकार को संसद के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के विधेयक या अधिनियमन् बनाने चाहिए मैंने एक आधारभूत मुद्दा उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका विरोध करने की कोई सूचना नहीं दी है, मैंने उसको उनकी आयु का ख्याल रखते हुए अनुमति दी है।

प्रश्न यह है।

कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ऋण लेने की सीमा निर्धारित करने का उपबध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

नये अनुच्छेद 19 क का अन्त स्थापन

श्री चित्त बसु : (बार साट) मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थासित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

धारा 2 का संशोधन आदि

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर गिरि : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेंयक

अनुच्छेद 244 का संशोधन आदि

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय विश्वास : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

व्यापार और पण्य चिन्ह (संशोधन) विधेयक

नई धारा 88 क का अन्त.स्थापन, आदि

डा. वसन्त कुमार पंडित (राजगढ) मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि व्यापार कौर पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वसन्त कुमार पंडित : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

भारतीय केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

डा. वसन्त कुमार पंडित : (राजगढ़) मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने कीं अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा. वसन्त कुमार पंडित : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन)

धारा 2 का संशोधन, आदि

डा. वसन्त कुमार पंडित : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा. वसन्त कुमार पंडित : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं

दिल्ली भाटक नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन आदि)

श्री के. लकप्पा (टुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के. लकप्पा : मैं विधेवक को पुर:स्थापित करता हूं

देवदासी और मुरली प्रथा (उन्मूलन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी द्वारा 5 नवम्बर, 1982 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करती है :

"कि भारत में देवदासी तथा मुरली प्रथा को समाप्त करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रो. सत्यदेव सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो. सत्यदेवसिंह (छपरा) : पिछले अवसर पर इस विधेयक पर बोलते हुए श्रीमती कृष्णा साही ने कहा था कि विधवा के साथ समाज का व्यवहार बड़ा निष्ठुर है। विधवा रंगीन साड़ी नहीं पहन सकती और उसको मांस मछली खाने की अनुमति नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि हमारे आचार-विचार पर हमारे खानपान का असर पड़ता है। जहां तक मांस-मछली के सेवन का प्रश्न है, इससे हमारे मन में उत्तेजना आती है। भारतीय समाज में नारी पतिव्रता रहीं हैं और उसने अपने नारीत्व की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण रखने का जीवन संकल्प लिया है। पिछले दिनों ऊर्जा राज्य मंत्री श्री चन्द्र शेखरसिंह जी के यहां रात्रि भोज का आयोजन था।

उस मौके पर श्रीमती कृष्णा साही के साथ मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला था। वे हमारे जिले से आती हैं, हमारे प्रदेश से आती हैं और एक संभ्रांत परिवार से आती हैं। वे विधवा हैं। उन्होंने तर्क दिया था कि विधवा के प्रति समाज बड़ा निष्ठुर है

समाज ऐसा अंकुश नहीं है कि विधवा को रंगीन साड़ी पहनने के लिए और मांस-मछली खाने के लिए अनुमति नहीं दें। लेकिन भोज के अवसर पर मैंने उनसे आग्रह किया कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी। उन्होंने कहा कि मैं शाकाहारी हूं। होना तो यह चाहिए था कि वे शाकाहारी नहीं मांसाहारी होती, मछली का सेवन करतीं। लेकिन कहने में और करने में भिन्नता और समाज पर आरोप लगाना, यह अवांछनीय है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : बिहार में ऐसा ही चलता है।

प्रो. सत्यदेवसिंह : उत्तर प्रदेश हमें प्रेरणा देता है जहां तीर्थराज प्रयाग और काशी जैसी पवित्र नगरी हैं। हमरे समाज में जिस तरह की मुरली प्रथा है वह एक कलंक है और घोर अपमानजनक बात हैं। एक तरफ तो हम सभ्य और सुसंस्कृत कहे जाते हैं और दूसरी तरफ नारी का इतना अपमानमय और निंदनीय स्थान हो। मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपनी कविता में नारी का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है।

"अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी"
"आंचल में है दूध और आखों में पानी"

आज हमारे सुसभ्य और सुसंस्कृत समाज का यह आग्रह है कि नारी के मर्यादित जीवन को हम और ऊंचा उठाएं। अनादिकाल से ही हम नारी को अर्धांगिनी कहते हैं और उसका एक विशिष्ट स्थान है। जब तक नारी को किसी पवित्र यज्ञ में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था तब तक वह यज्ञ सफल नहीं होता था। नारी की कितनी मर्यादा और महिमा हमारे समाज में है। स्वतन्त्र होने के बाद भी हमने देखा कि सरकार में चाहे राजकुमारी अमृत कौर हों या श्रीमती सरोजिनी नायडू, उनका एक विशिष्ट स्थान रहा है। अपना मूर्धन्य स्थान ग्रहण करने वाली हमारे राष्ट्र की प्रधान मंत्री ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में अपनी एक भूमिका अदा की है। इससे ऐसा लगता है कि अतीत से लेकर और आज तक हमारे समाज में नारी का कितना महिमामय और गौरवपूर्ण स्थान है। जब समाज में ऐसी अमानवीय स्थिति है तो इसका अविलम्ब अन्त होना चाहिए। अवचेतन अर्धचेतन या परम्परा से वशीभूत होकर इस प्रकार की प्रथा को अपने बीच देखते हैं तो यह प्रथा हमारे लिए सर्वथा अग्राह्य है। इसकी हम निन्दा और भर्त्सना करते हैं। सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार का विधेयक लाकर समाज में नारी का ओजपूर्ण और गोरवपूर्ण स्थान अक्षुण्ण रखें। इन शब्दों के साथ में श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी के विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमारसिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, सही मायने में यह समाज और धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। आदिवासी और मुरली प्रथा को तमिलनाडू में कानूनी तौर पर अवैध करार दे दिया गया है। लेकिन कानून का इम्पलीमेन्टेशन आज तक नहीं हुआ।

किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यह प्रथा कुछ प्रान्तों में चली आ रही हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह प्रथा कुछ प्रान्तों में है। उड़ीसा और आन्ध्रा में है, लेकिन वहां इस पर कोई कानून नहीं है कर्नाटक में तो कानून बना दिया गया लेकिन व्यावहारिक रूप में कहीं भी यह कानून लागू नहीं हैं। इम्पारल ट्रैफिक ऐक्ट बना फिर भी देश में वैश्यावृत्ति हो रही है और कितनी अभिषाप से व्याप्त महिलायें अपना नारकीय जीवन मजबूरी में व्यतीत कर रही हैं। कानून बेकार पड़ा हुआ है और उसको बेकार बनने के के लिये तरह-तरह के गलत तरीके अपनाये जाते हैं। उस इम्पारल ट्रैफिक ऐक्ट के मातहत जिन महिलाओं का उद्धार किया जाता है, उनको जब रेस्क्यू करके रेस्क्यू होम्स में भेजा जाता है तो वहां उनकी हालत और भी खराब होती है। आपको याद होगा आगरा का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि रेस्क्यू होम की हालत की जांच की जाय। पता लगा कि वहां की हालत तो बहुत ही दयनीय है, अच्छी भली महिलायें वहां रहने के बाद पागल हो गई। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि कानून बनना चाहिये क्योंकि यह कुप्रथा देश के लिये एक अभिषाप और कलंक है, जहां धर्म के नाम पर ऐसी स्थिति हो सरकार और समाज उसके लिये कुछ व्यवस्था अवश्य करें जो कि कारगर हो। अगर समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तो यह हमारे लिये शर्म की बात है। इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसा कानून लाये, इम्पारल ऐक्ट के अन्तर्गत ही लाया जाय और उसमें ऐसी व्यवस्था निहित हो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेश्यावृत्ति के लिए जो काम किया जाता है उसको सक्षम तरीके से रोका जाय। अर्धविश्वास के वशीभूत होकर देवदासी के नाम पर कुछ लोग अपनी बच्चियों को दे देते हैं और फिर धर्म के तथाकथित ठेकेदार उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और बाद में ऐसी महिलाओं को बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में पहुंचा दिया जाता है, ऐसी स्थिति को रोका जाय। इसमें एक प्रश्न और आ जाता है इम्पारल ट्रैफिक ऐक्ट में इतनी खासियां हैं कि लोग पकड़े जाते हैं और उनको बेल मिल जाती है और रेस्क्यू होस में उस महिला की बदतर हालत हो जाती है, और आखिर में आकर वह महिला कोई ऐवीडेंस कोर्ट में नहीं दे पाती है। इसलिए सामाजिक और सरकारी दो प्रश्न उठते हैं और सरकार को चाहिये कि इनके पुनरुद्धार के लिये ऐसी योजना बनायें, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय, समाज में उनको पुरःस्थापित करने की व्यवस्था हो तभी इस कुप्रथा को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो केवल कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। और उनका उद्धार नहीं होगा, और जो इस तरह की गन्दगी फैलाना चाहते हैं वह फैलाते रहेंगे। इसलिए एक सक्षम कानून इम्पारल ट्रैफिक ऐक्ट को संशोधित करके भी लाया जा सकता है जिसको सारे देश पर लागू किया जाय।

वैसे मैं माननीया सदस्या के बिल का स्वागत करता हूं, लेकिन सरकार को चाहिये वह संशोधन करके कोई ऐसा सक्षम बिल लाये जिससे यह देश में अन्दर जो बदनाम धब्बा लगा हुआ है यह समाज से मिट सके और धर्म नाम पर जो वीभत्स रूप में महिलाओं का शोषण हो रहा है यह रुक सके। सरकार को ऐसा कोई सक्षम कानून लाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें उनके बच्चों के रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था हो, सरकार को ऐसी कोई योजना बनानी चाहिये। जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करना चाहता उन्हें पुनः प्रतिष्ठित कराने के लिए सरकार और समाज को अगुवाई करनी चाहिये।

श्री चन्द्रपाल शलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष जी, देवदासी और मुरली प्रथा को समाप्त करने से सम्बन्धित जो विधेयक श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने प्रस्तुत किया है उनके लिये मैं उनको कोटि कौटि धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि इतने अहम विषय पर इस सदन के सामने अपने विचार रखे हैं। देवदासी और मुरली प्रथा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे अगर मैं यह कहूं कि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर कलंक है तो शायद बुरी बात नहीं होगी। धर्म की आड़में यह प्रथा पनपती चली आ रही है।

पूरे देश में ऐसा कोई सूबा, प्रान्त या जगह नहीं है, जहां इस तरह की प्रथा किसी न किसी रूप में विराजमान न हो लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र, गौवा और उड़ीसा में खासतौर से यह प्रथा बुरी तरह से प्रचलित है। अगर यह कहा जाये कि आजादी के बाद भी इस वात अपनी जगह पर सही है।

एक जमाना था, जब हम गुलाम थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हमें आभास हुआ कि हम भी संसार में कुछ है तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिये कम-से-कम कुछ प्रभावी कदम हमें उठाने चाहिये थे। कुछ लोगों का इरादा कानून बनाकर इसको सांविधानिक रूप से समाप्त करने का है तो मैं समझता हूं कि संविधान में कानून की ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है, इसका सीधा सम्बन्ध जनता से और जनता की भावना से है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम इसे कुप्रथा और कलंक मानते हैं तो समाज-सेवी संस्थाओं को स्वयं ही जनता की राय लेकर इसे समाप्त करने के लिये आगे आना चाहिये।

15.57. (**श्री एन के. शेजवालकर पीठासीन हुए**)

देवदासी प्रथा की एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। कर्नाटक के बेलगांव जिले में एक स्थान पर येलम्मा का मंदिर है। वहां हर पूर्णमासी को बहुत-सी गरीब लड़कियों को देवदासी बनाकर लाया जाता है, लेकिन माघ मास की पूर्णमासी कों 5,6 हजार लडकियों को वहां देवदासी बनाया जाता है। आजादी के बाद अब तक दो, ढाई लाख देवदासियां वहां बनाई जा चुकी हैं। इस तरह का रिवाज दूसरे स्थानों पर भी है।

धर्म के नाम पर इस तरह की प्रथा पनपने के लिये मैं उन लोगों को दोषी ठहराऊंगा जो मंदिरों की व्यवस्था करते हैं, चाहे वे वहां के पंडे-पुजारी हों चाहे उनके दलाल हों, चाहे गांव के बड़े जमीदार हों। वे लोग देवदासियों को अपने भोग की व्यवस्था समझकर उनका प्रयोग करते हैं। नतीजा यह होता है कि जवानी में वह बाजार-हाठ में अपना समय व्यतीत करती हैं और जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनका जीवन नारकीय और तरस खाने लायक हो जाता है।

हमारे देश में वैश्यावृत्ति भी एक ज्वलन्त समस्या है। जो लड़कियां, स्त्रियां वेश्यावृत्ति में चली जाती हैं वह उसे अपना पेशा बना लेती हैं और वह तो कुछ धन अर्जित कर लेती हैं जो कि उनके बुढ़ापे या संकट के पास काम आता है, लेकिन ये देवदासियां इस लायक भी नहीं रहतीं क्योंकि उनका सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से शोषण किया जाता है जिससे उनका जीवन स्पायल हो जाता है और वह किसी दीन की नहीं रहती।

मेरा अनुरोध है कि पूरा सदन इस गंभीर समस्या पर गहराई से विचार करे, मनन करे और इस प्रथा को समाप्त करने के लिये जहां एक तरफ कानून बनाया जाये वहां सामाजिक संगठनों को भी इस कुरीति को दूर करने के लिये आगे आना चाहिये। बहुत से देशों में वेश्या-वृत्ति को कानूनी रूप दे दिया गया है। वहां प्रास्टीट्यूस को लाइसेंस दिए जाते हैं। लेकिन यह व्यवस्था भारत में नहीं है. और है भी, तो बहुत कम जगह पर। इस तरह की सामाजिक बुराइयों का असर अच्छे खानदान की बहन-बेटियों पर भी पड़ता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि वह स्वय इस प्रकार का बिल लाएं और उसको पास कराए, जिससे यह कुप्रथा खत्म हो।

मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को पार्टी-पालिटिक्स से ऊपर उठ कर, जात-बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ कर, इस बारे में एकमत हो कर आगे आना चाहिए और इस तरह का कानून बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय के हों हमें सामाजिक संगठनों के रूप में इस कुरीति के खिलाफ प्रचार करना चाहिए जिससे उन महिलाओं की जिन्दगी बर्बाद होने से बच जाए, जो इस देश की अच्छी नागरिक बन सकती हैं और इस देश का नाम रोशन कर सकती हैं और प्राचीन काल से आ रहा यह कलंक का टीका हमारे देश और समाज के माथे पर से मिट जाए।

यह बिल लाने के लिए मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद देता हूं। मुझे मालूम है कि एक प्राईवेट मेम्बर्ज बिल होने की वजह से यह पास नहीं होगा। लेकिन इसके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाएं प्रकट हुई हैं। इन सदन के माननी सदस्य पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह पूरे देश की भावनाएं यहां पर जाहिर हो रही हैं। इस लिए मेरा आग्रह है कि सरकार स्वयं इस तरह का बिल लाए और इसको सर्व-सम्मति से पास कराए, जिससे इस कुप्रथा को मिटाने के लिए एक प्रभावी कदम उठाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस बिल का समथन करता हूं।

* **श्री पी. पलानी अप्पन** (सलेम) : मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से देवदासी और मुरली प्रथा (उत्पादन) विधेयक जिसे माननीय महिला सदस्या श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने पुरःस्थापित किया है, को पूरा समर्थन प्रदान करता हूं।

महोदय, देवदासी प्रथा को उन राजाओं और राजकुमारों, जो कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में राज्य करते थे, के समय में लागू किया गया था। देवदासियां मनोरंजन का साधन नहीं थीं। वे राज्य में सम्मानित नागरिक होती थीं। वे नृत्य और संगीत में भी पारगत होती थीं। राजाओं और राजकुमारों के महलों में मनोरंजन करने के अतिरिक्त, चूंकि वे देवताओं को समर्पित होती थी, इसलिए वे मन्दिरों में भी गाती तथा नृत्य करती थीं। उनके समक्ष कोई वित्तीय समस्या नहीं होती थी। देवदासियों को गरीब नहीं होने दिया जाता था।

जैसे-जैसे समय बीतता गया और उन्हें गरीबों की समस्या का सामना करना पड़ा तो

* तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उन्हे वेश्यावृत्ति अपनाने को बाध्य होना पड़ा। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि मन्दिर जातिवाद और वेश्यावृत्ति जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों को स्रोत बन गये। यह अनुभव करते हुए इस सामाजिक बुराई से कानूनी शक्ति से भी लड़ा जाना चाहिये, 1939 में मद्रास राज्य में राजा जी सरकार ने देवदासी प्रथा के उत्पादन के लिए लाए गये विधेयक को स्वीकार कर लिया जिसे मद्रास विधान परिषद की सदस्या श्रीमती मुथुलक्ष्मी ने संचालित किया था।

स्वातन्त्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक परिस्थितियों ने भी विधायी प्रभाव को कम कर दिया था। वेश्यावृत्ति गरीबी के शिकंजे से बच निकलने का मार्ग बन गई। दुर्भाग्य से, आज भी धार्मिक अन्ध विश्वास का अटल साम्रज्या हमारे देश के कुछ भागों में छाया हुआ है। कर्नाटक के शिमागा जिले में येल्लम्मा देवी को समर्पित एक मन्दिर है। इस देवी के भक्तगण अपने परिवार की सब से बड़ी बेटी को देवी को अर्पण कर देते हैं। येल्लम्मा के वार्षिक महोत्सव पर कुमारी लड़कियों को मंदिर के महोत्सव में नंगा ले जाया जाता है और समर्पण उत्सव के बाद उन्हें वेश्यावृत्ति का प्रथम पाठ पढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति लड़की को ले जाता है उस पर कोई नैतिक बन्धन नहीं होता है। लड़की उसके सहवास से जो बच्चे पैदा करती है उनके लिए लड़की का उस व्यक्ति पर कोई विधिक दावा भी नहीं होता है। परन्तु, जब रूप का जादू हट जाता है तो वह व्यक्ति उसे वेश्यावृत्ति के कायुक लोगों के लिए छोड़कर चला जाता है। बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे महानगरों में वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। दिल्ली में जी. बी. रोड़ पर नाचने-गाने वाली लड़कियों का एक संघ है जो कि पंजीकृत भी है। इन नगरों के बड़े होटलों में कैवरे नर्तकियां होती हैं जो कि आधुनिक वेश्यावृत्ति की एक किस्म है। ग्रामीण क्षेत्रों की जी-तोड़ गरीबी वहां की युवतियों को देश में सामाजिक बुराई के इन केन्द्रों की ओर खींचती है।

इसके अतिरिक्त, मामूली अपराध करने वाली महिलाओं को भी जेल भेज दिया जाता है। जेलों में उनको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। पुरुष सह-कैदी उन्हें हर प्रकार की ज्यादतियों का शिकर बनाते हैं। जब वे बाहर आती हैं तो पुलिस भी उनके साथ मनमानी करती है उसके बाद वे इन महिलाओं के नंगे तथा रंगीन फोटो लेते हैं। और उन्हें अरब देशों को भेज देते है। उनमें से कुछ को अरब देशों को निर्यात कर दिया जाता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि महिला-कैदियोंको उचित संरक्षण प्रदान किया जाए। उन्हें समाज-विरोधी तत्वों से बचाया जाना चाहिये।

अब मैं तमिलनाडु की देन का वर्णन करता हूं। कंकण और विजयन राजाओं को महिलाओं का अपमान करने के बाद हिमालय में छुपने के लिए बाध्य होना पड़ा था। परन्तु उनका पीछा करके उन्हें वहाँ पकड़ लिया गया था। उन्हें तमिलनाडु में भारी पत्थर ढ़ोकर लाने का काम दिया गया था जहां पर उन्हें हमारे देश में प्रायः नारी पवित्रता की प्रतीक के रूप में सामान्य जानी जाने वाली 'कन्नगी' की प्रतिमा गढ़ने में प्रयोग में लाया गया। इस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिनकी औसत दैनिक आय 75 पैसे है। योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है। स्वाभाविक है कि नारी को अन्य साधनों से अपनी जीविका कमाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गरीबी उन्हें वेश्यावृत्ति की ओर खींचती है। मैं इसका उल्लेख इस लिये कर रहा हूं क्योंकि मैं इन पददलित लोगों के आर्थिक उत्थान की तात्वलिक आवश्यकता

पर बल देना चाहता हूं। हम इसको केवल सामाजिक और कानूनी दबाव से हल नहीं कर सकते हैं। हमारे गरीब लोगों के आर्थिक उत्थान को हमें उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिये। निस्सन्देद, इस बुराई का उन्मूलन करने के लिए अनैतिकपण्य व्यापार विधेयक में समुचित करना चाहिये।

अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं ऐसी महिलाओं बच्चों जो अनैतिक रूप से जन्म लेते हैं के पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी भी जोर देना चाहता हूं। उनको समाज की उपेक्षा तथा निदर्यता का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।

मैं श्रीमती ऊषा प्राकश चौधरी के विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक का निर्धारित समय 16-17 बजे समाप्त हो जायेगा। सदन की क्या राय है ? मंत्री महोदय को भी बाद,विवाद में भगा लेना है तथा प्रसावक को उसका उत्तर देना है। हम इस को कितने समय तक बढ़ायेंगे ?

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीमनगर) : 45 मिनट तक

सभापति महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन तथा श्री रावत इस पर बोलना चाहते हैं। मंत्री जी भी कुछ समय लेंगे। हम इसको 17.00 बजे तक समाप्त कर देगे। यह ठीक रहेगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करके समाज में फैली इस कुप्रथा की ओर सारे देश का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे देश में सामाजिक कुरीतियां हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए हमारे देश में बड़े बड़े नेता पैदा हुए और उन्होंने इनको मिटाने का प्रयास किया। पहले हमारे देश में सती प्रथा विद्यमान थी। उस प्रथा को मिटाने में राजा राम मोहन राय ने बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा किया। आर्य समाज ने भी समाज सेवा का कार्य किया है। स्वामी दयानन्द जी ने इस देश में महत्वपूर्ण कार्य करके राष्ट्र के समक्ष सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत किया। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों का आकर्षण राजनीतिक की तरफ है, समाज सेवा की ओर हमारा आकर्षण नहीं है। निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत ही आवश्यकंता है। जब तक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता कार्य नहीं हैं मैदान में नहीं आते हैं, तब तक ये कुरीतियां बन्द नहीं हों सकती हैं। हमारे इस देश में अन्धविश्वास है। हमारे देश में धर्म का उपयोग इस प्रकार से किया जा रहा है, जिससे लगता है कि वह वास्तव में सही धर्म नहीं है। देवदासी की कुप्रथा एक प्रकार से सामाजिक कुप्रथा है। जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उन्हीं में ही यह कुप्रथा है। प्रश्न यह है कि यह कुप्रथा इनमें क्यों हैं। पहले हमारे समाज का ढांचा इस प्रकार का है था कि राजा, पुजारी अनुसूचित जाति और जमजाति के लोगों का शोषण करते थे। उनको दबाकर रखते थे। मंदिर में कन्या को देव और देवता के नाम से समर्पित्त कर दिया और उस कन्या का किस प्रकार से भोग की वस्तु मानकर उपयोग किया जाए, यह हमारे समाज के लिए कलंक की बात है। इसके बारे में पहले ध्यान मैसूर के राजा का गया था, कर्नाटक की सरकार का गया, महाराष्ट्र की सरकार का गया। उन्होंने कानून बनाए हैं और यहां भी विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इन

कानूनों के बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जब तक समाज में निष्ठावान कार्यकर्ता सामने नहीं आयेंगे, तब तक इस कुप्रथा की समाप्ति नहीं होगी।

हमारे इस देश में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, वे हैं सिनेमा। उससे हिंसा की प्रवृत्ति को बल मिलता है। उससे सैक्स की कुप्रवृत्ति को बल मिलता है। मैं यह समझता हूं कि सिनेमा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन वह हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को समाज की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की फिलमें बनानी चाहिए, ताकि इन कुरीतियों को निपटाया जा सके। यदि इस संबंध में सरकार प्रयास करती हैं, तो वह बहुत ही बड़ी सेवा होगी। इस देवदासी कुप्रथा के लिए भी फिल्में बनाई जा सकती है। सती-प्रथा के बारे में भी फिल्में बनाई जा सकती हैं। दहेज कुप्रथा के बारे में भी फिल्में बनाई जा सकती हैं और फिल्में बहुत ही अच्छी भूमिका अदा कर सकती हैं। हमें हमारी जनता को प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें रुढ़िवाद से निकालना होगा और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। तभी जाकर हम इस कुप्रथा को बन्द कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं महाराष्ट्र और कर्नाटक ने कानून बनाया तो कितने लोगों ने मुकदमें किए? बहुत ही कम मुकदमें किए गए हैं। मेरे ख्याल से एक भी मुकदमा सामने नहीं आया है। इस प्रकार की कुप्रथा जिसमें कि हजारों आदमी माह की पूर्णिमा के दिन देवी को समर्पित करते हैं और हजारों लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करता है। यह समाज की बड़ी भारी कमजोरी है। इस प्रकार की कुप्रथाओं को मिटाने के लिये हमें प्रयास करना चाहिये। मैं राजनीतिज्ञों से भी कहना चाहता हूं कि वे राजनीतिक क्षेत्र में तो काम करें ही, लेकिन उस के साथ उन को सामाजिक क्षेत्र में भी काम करना चाहिये तथा इन सामाजिक कार्यों को कर के उन्हें समाज की रचना में अपनी विशेष भूमिका अदा करनी चाहिये।

हम इतने स्वार्थी बन गये हैं कि हमारा कोई भी कार्य स्वार्थ से अछूता नहीं होता है। हममें निःस्वार्थ की भावना समाप्त हो गई है। हम ने पहले भी नारी को सत्कार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। हम ने अपने संविधान के अन्दर नारी को बराबर का स्थान दिया है, परन्तु इस का कार्यान्वयन करना एक महत्व का कार्य है और इसके लिये आवश्यकता है कि हम इस प्रथा को मिटाने के लिये, इस कुरीति को मिटाने के लिये समाज की अधिक से अधिक सेवा करें तथा इस प्रकार की सामाजिक सेवा की टीम गांव-गांव में बने, नगरों में बने और वे टीमें इस समाज के कार्य को अपने हाथ में ले तभी इस प्रकार की कुरीति बन्द हो सकती है।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : अधिष्ठाता जी, मैं बहन ऊषा प्रकाश चौधरी जी को साधुवाद देता हूं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के संदर्भ में इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। वास्तव में हमारे देश के अन्दर जहां वर्षों से गरीबी का आधिपत्य रहा है, गरीबी के साथ-साथ अन्ध विश्वास और अशिक्षा इसके मुख्य कारण हैं। आज हमारी सरकार का ध्यान गरीबी और अशिक्षा को दूर करने में लगा हुआ है और हम आशा करते हैं कि धीरे-धीरे जो सामाजिक अन्धविश्वास हमारे अन्दर व्याप्त हैं, समाज के अन्दर व्याप्त हैं, वे भी दूर होंगे। मगर इसके लिए जरूरत है कि हम राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ अपने देश के अन्दर

सामाजिक आन्दोलन भी संगठित करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई में जहां राजनीतिक पक्ष उजागर किया, वहां सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने मुहिम प्रारम्भ की। लेकिन आजादी के बाद इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। हमने अपने राजनीतिक और आर्थिक दर्शन पर बहुत काम करने की कोशिश की, मगर जो सामाजिक कुरीतियों का पहलू था उसको नकार दिया। आज कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कुछ भी कहने का साहस करता है। हम बहुंधा अपने स्वार्थ के कारण सामाजिक कुरीतियों पर हमला करने से कतराते हैं। यदि किसी मंदिर का कोई मठाधीश अपने यहां किसी कुरीति को चलाता है या इस तरह की कोई अन्य कुरीति या प्रथा को बढ़ावा देता है, तो उसे स्थानीय लोगों के खिलाफ हम कोई आन्दोलन संगठित नहीं करते हैं, या यह कहें कि राजनीतिक नेता संगठित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वह मठाधीश उस क्षेत्र में उनका राजनीतिक प्रभाव कम न कर दे। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ हम को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी प्रहार करना चाहिए। इस दौरान हमारी पार्टी ने इस पक्ष की ओर ध्यान दिया है चाहें दहेज प्रथा के खिलाफ संघर्ष की बात हो या अन्य सामाजिक कुरीति के खिलाफ संघर्ष की बात हो, हमारी कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ कर रही है। इसी प्रकार और पार्टियों के भी युवा संगठन हैं। वे पार्टियां भी और उनके युवा संगठन भी इस मामले में सहयोग करें। अगर सभी सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया जा सकता है। हम इस मामले में सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं।

हमारी सरकार ने सामाजिक कुरीरियों को दूर करने के लिए बहुत से कानून बना रखे हैं। इनमें एक सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट भी है। इस एक्ट का इम्प्लीमेन्टेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में है। इस कानून को लागू करने में स्टेट गवर्नमेंट्स कोई दिलचस्पी नहीं लेती हैं। इस एक्ट के तहत यदि कोई पकड़-धकड़ होती भी है तो बाद में छोड़ दिया जाता है। वे लड़कियां फिर वही काम शुरू कर देती हैं जिसको कि वे पहले करती थीं। जहां इस एक्ट का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों द्वारा उन लड़कियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए जो कि इस इम्मोरल एक्ट में फंस गई हैं।

मान्यबर, केवल कानून बना देने से भी इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। देवदासी लड़कियों या वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियों को वहां से ला करके और कुछ दिनों तक सुधार घरों में रखने के बाद फिर उनको छोड़ देंगे तो क्या समाज उनको अपनाने को तैयार होगा। इस काम के लिए बहुत कुछ बजट भी रखा जाता है। लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। जितने भी आपके डेस्टीच्यूट्स होम हैं उनमें पहले से ही मठाधीशों का प्रभाव है। कुछ लोगों का उन पर आधिपत्य है। जो लड़कियां वहां आती हैं, वे उनसे और भी इम्मोरल काम कराते हैं। अपने स्वार्थ के लिए उन लड़कियों का प्रयोग करते हैं। जितना बजट इस काम के लिए रखा जाता है, उसका उपयोग ऐसी लड़कियों के सुधार के लिए न होकर चंद व्यक्तियों के सुधार के लिए होता है। सरकार इस कार्य के लिए जितनी भी राशि रखती है, जितनी भी मदद करती

है उस राशि के उपयोग में और मदद के संचालन में राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की भी मदद ली जानी चाहिए।

मेरा यह भी कहना है कि जितना रुपया सरकार इस काम के लिए अब खर्च कर रही है वह ना काफी है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। यह बहुत पुण्य का काम है। इस कार्य के लिए देश की राज्य सरकारों को भी मदद दी जानी चाहिए। अगर यह कार्य आप राज्य सरकारों पर छोड़ देंगे तो वे इस कार्य को करने के लिए आगे नहीं आयेंगी। वे पैसों की कमी का बहाना बना कर पीछे हट जाएंगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनके मंत्रालय द्वारा जो राशि इस कार्य के लिये दी जा रही है वह बहुत कम है। इसको तत्काल बढ़ाने की जरूरत है।

इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय ऊषा जी ने एक सुझाव बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। इसमें पुरुष की ज्यादा अहमियत है, नारी की उतनी अहमियत नहीं है। इसको हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। हमारे समाज में पुत्र या पुत्री के नाम के साथ पिता का नाम तो होता है लेकिन माता का नहीं होता। हम यह व्यवस्था कर दें कि अगर कोई लड़का या लड़की अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी लेना चाहे तो वह ले सकती है।

दूसरे जो लोग ऐसी महिलाओं के साथ शादी विवाह करते हैं उनको सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन या पुरस्कार दिये जा सकते हैं। आजकल जो पुरस्कार की राशि है वह बहुत कम है। आप किसी को पांच सौ या एक हजार रुपये की राशि देते हैं वह बहुत कम है। फिर जो इन्सेन्टिव आपने घोषित किये हुए हैं वे ऐसे लोगों को नहीं दिये जाते हैं। इस लिए मैं सरकार से और मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को दिये जाने वाले इंसेन्टिव की राशि को बढ़ाया जाए और ऐसी महिलाओं के साथ शादी-विवाह करने वालों को और भी इन्सेन्टिव दिये जाएं, जैसे सरकारी नौकरी वगैरह में तरजीह आदि।

एक बार फिर मैं ऊषा जी को ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमेन साहब, यह जो देवदासी प्रथा के विरुद्ध बिल आया है, यह बड़ा अच्छा बिल है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि हिन्दुस्तान में 36 साल हो गए हैं फिर भी ऐसी चीजें चल रही हैं। जिन स्टेटों में यह चीजें चल रही हैं उन स्टेटों के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह हिन्दुओं में हर जगह नहीं है। जिन जगहों में यह है वहां वे लोग लड़कियों के साथ बदसुलूक करते हैं। लड़कियों के साथ इस तरह की बदसुलूकी का होना उन स्टेटों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत बुरी बात है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब आप लोग अपना घर साफ नहीं कर सकते तो दूसरों का क्या भला करेंगे। हमारे चौधरी दलबीर सिंह जी मिनिस्टर हैं। क्या वे अपनी औरत को ले जाकर हरियाणा में किसी कुएं पर पानी भर सकते हैं। मैं 36 साल से जीतता रहा हूं। मेरा पूरा परिवार पढ़ा हुआ है। लेकिन आज भी मैं अपनी औरत को ले जाकर हरियाणा के किसी कुएं से पानी नहीं भर सकता हूं।

यह हालत हिन्दू सोसायटी की है। लड़कियों को मारते हैं और हरिजनों के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं। क्या हिन्दुस्तान इसीलिये आजाद हुआ है ?

आज आप सिक्खों को कहते हैं कि तुम अपने आपको हिन्दू कहो। लेकिन 15 करोड़ आदमी जो कहते हैं कि हमें हिन्दू मानो उनको आप हिन्दू नहीं मानते हैं। जिनके दम पर आप को वोट मिलते हैं और आप जिनके दम पर कायम हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं उस दिन भारत को आजाद समझूंगा जिस दिन कोई हरिजन लड़की प्रेसीडेंट होगी। आज उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आप भी हिन्दू हैं। आप देखिये कि गुरुद्वारों और मन्दिरों में क्या हो रहा है। वहां पर राजनीति होती है और कोई बात नहीं होती।

ये लोग सिगरेट बीड़ियां पीते रहते हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने सिगरेट के मुतल्लिक कहा है मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। आप महात्मा गांधी की बात भी नहीं मानते हैं जिसने हिन्दुस्तान को आजाद कराया है। सिगरेट पीते हैं इसलिए मारे हुए हैं। महात्मा गांधी ने कहा है—

"शराब की भांति धूम्रपान का भी मुझे भयानक अनुभव हुआ है। मैं धूम्रपान को एक व्यसन समझता हूं। यह व्यक्ति की आत्मा को निर्जीव कर देता है और कभी तो यह मद्यपान से भी बदतर होता है क्योंकि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। यह एक ऐसा व्यसन है जो लग जाने पर कठिनाई से छूटता है। यह एक मंहगी लत है। इससे सांस में दुर्गन्ध आती है। यह दांतों को गन्दा कर देता है और कभी-कभी इससे कैंसर भी हो जाता है। यह एक गंदी आदत है।

धूम्रपान एक प्रकार से मद्यपान से भी बड़ा अभिशाप है। क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति को समय पर इसके दुष्प्रभावों का पता नहीं चलता है। इसे असभ्यता का प्रतीक नहीं समझा जाता, सभ्य लोग भी इसकी प्रशसा करते हैं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि उन्हें प्रशंसा करने दीजिए परन्तु जो इसे छोड़ सकते हैं, छोड़ें और उदाहरण प्रस्तुत करें।"

ये सिगरेट भी नहीं छोड़ सकते। आज समाज में औरतों की बुरी हालत है। अपने समाज को ठीक नहीं कर सकते तो औरों को क्या ठीक करेंगे। हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है। इनकी तो बुरी हालत है लेकिन अगर कोई और आगे आना चाहता है तो उसको भी नहीं आने देते हैं। वाजपेयी जी हैं, डा. कर्णसिंह तो हिन्दुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। बड़ा प्रचार करते हैं। शंकराचार्य भगवान बने हुये हैं। भगवान मत बनो आदमी बनो। भगवान हो तो कोई भगवान वाला काम तो करो।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह कैसा कानून बनेगा ? हमें शर्म आती है कि आप हिन्दुओं के कानून बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े लीडर्स हैं उन्हें पता ही नहीं कि क्या कानून बन रहा है। यह बिल पास हो जायेगा लेकिन किसी के समझ में नहीं आयेगा।

सभापति महोदय (श्री एन. के. शेजवलकर) : आपका टाइम हो गया है।

श्री सुन्दर सिंह : मैं असल में होम-अफेयर्स पर बोलना चाहता था, टाईम नहीं मिला। सोमवार को टाईम मिलेगा।

सभापति महोदय : मैंने आपको दो मिनट की बजाय पांच मिनट टाईम दिया है।

श्री सुन्दर सिंह : ठीक है, अब मैं बैठता हूं।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। हम वाद-विवाद में श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी सहित कुल 19 सदस्यों ने भाग लिया हैं।

इस विधेयक के प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए मैं श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी को बधाई देता हूं।

विभिन्न सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैं उसको संक्षिप्त में दोहराना चाहता हूं, इसमें मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूंगा।

इन 19 सदस्यों में से श्री अमल दत्त पहले सदस्य थे, जिन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि इस सम्मानित सदन में इस विधेयक पर चर्चा करने से असहायों विशेष रूप से देश की असहाय महिलाओं की रक्षा के लिए वातावरण पैदा होगा।

श्रीमती कृष्णा साही भी बोली थीं और उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि यह प्रणाली देश के कुछ ही भागों में प्रचलित है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए क्या सामाजिक सुधार किया जाना चाहिए, जैसा कि श्री राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा का यह विचार था कि इस बुराई का मूल कारण अन्ध विश्वास, निरक्षरता तथागरीबी है।

श्री गिरधारी लाल व्यास, जो यहां पर नहीं है, अपने बोलने के जोरदार तरीके से इस प्रकार की प्रणाली का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने यह उदाहरण दिया है कि राजस्थान में किस प्रकार बंदी प्रथा का समाज में विरोध किया गया है, जो इस समय राजस्थान के समाज से जड़ से उखाड़ दी गयी है।

श्री सत्यनरायण राव ने आमतौर पर एक बहुत ही परिपक्व सांसद, की तरह ठीक ही कहा है, कि चूंकि वह बुराई देश के कुछ ही भागों में प्रचलित है, इसलिए वे राज्य जो इससे अधिक प्रभावित हैं, यदि वे कोई अधिनियम बनाते हैं और उनको प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करते हैं, तो इससे केन्द्रीय विधेयक पारित करने की बजाय यह समस्या काफी अच्छे ढंग से हल हो सकती है।

श्री सत्यनारायण जटिया भी इस विधेयक के बारे में बोले हैं और उनका यह विचार था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक सामाजिक बुराई है, और इसको समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री एस. बी. सिदनाल ने यह कहा हैं कि इस समस्या को सामाजिक पिछड़ेपन, निरक्षरता तथा कमजोर आर्थिक परिस्थियों के दृष्टि कोण से देखा जाना चाहिए।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते जो इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं, बहुत ही वाकपटुता से बोली हैं और उन्होंने कुछ सौम्यता से यह कहा है कि इस प्रकार की बुराइयां एक विवाह प्रथा के तर्क का परिणाम है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राज्यों के वर्तमान अधिनियमों तथा केन्द्रीय अधिनियमों की अक्षमता के बारे में भी खेद व्यक्त किया है।

इसके बाद श्री ए. टी. पाटिल बोले। उन्होंने भी कहा कि क्योंकि यह समस्या आर्थिक और नैतिक समस्याओं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका खात्मा किया जाना चाहिए। इसके बाद श्री बी. डी. सिंह ने भाषण किया। उन्होंने कहा कि यह अन्ध विश्वास की समस्या है और इस अन्ध विश्वास को मिटाया जाना चाहिए।

एक अन्य अनुभवी समाज सेविका-श्रीमती ब्रार जोकि यहां नहीं बैठी हुई हैं ने काफी विस्तार से इस पर चर्चा की है और अपने ढंग से कहा है कि इस सम्मानित सदन में इस पर चर्चा से देश की जनता के सदन में और सदन से बाहर राय बनाने में मदद मिलेगी और देश के दूरस्थ भागों में रहने वाली महिलाओं और गरीबी की हालत में रहने वाली महिलाओं के हितों की सरकार द्वारा सही से रक्षा की जानी चाहिए।

इसके बाद श्री सत्यदेव सिंह ने कहा यह बुराई बिहार में प्रचलित नहीं है और आगे कहा कि यह कोई राष्ट्रीय बुराई नहीं है। इन सदस्यों ने 25 फरवरी को चर्चा में भाग लिया।

आज जिन सदस्यों ने भाग लिया, उनके बारे में सदस्यों को स्वयं याद ही होगा। श्री राजेश सिंह ने वर्तमान कानून की अक्षमता के बारे में कहा है। श्री चन्द्र पाल शैलानी ने कहाकि यह बुराई महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडु आदि में प्रचलित है और यह एक सामाजिक बुराई है और इसको खत्म किया जाना चाहिए।

श्री पलानी अप्पन ने तामिलनाडु की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि यह सामाजिक बुराई है और इसे खत्म किया जाना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन, जो कि अब सदन में उपस्थित नहीं हैं, ने अपने ढंग से कहा कि इस की बुराइयों को मिटाया जाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कई एक समाज सुधारकों जैसे, स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा राम मोहन राय आदि के उदाहरण दिये।

आखिर से पहले के वक्ता, श्री हरीश रावत ने जोरदार शब्दों में कहा कि राज्य सरकारें इन अधिनियमों को सही ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रही हैं और उनको इन्हें सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अपनी मशीनरी को और चुस्त करना चाहिए।

आखिरी वक्ता श्री सुन्दर सिंह ने अपने ढंग से धार्मिक स्थानों और धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग जिससे कि महिलाओं का शोषण होता है, केवल महिला वर्ग का ही नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्ग का भी उल्लेख किया है। और उन्होंने इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए जोरदार मांग की।

अब मैं इस पर अपने विचार रखता हूं। उपर्युक्त सदस्यों के वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कुप्रथा का मुख्य कारण लोगों की खराब आर्थिक स्थिति है। यह अन्धविश्वास पर आधारित एक सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक धार्मिक समस्या है।

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने स्वयं कहा कि कुछ ऐसी लड़कियां जिनके पास सिर में लगाने के लिए तेल तक नहीं है और जब उनके बाल गन्दे हो जाते हैं तो लोग कहने लग जाते हैं और इसको देवदासी बना दिया जाये क्योंकि माता यल्लम्मा ने इसके बालों में जटायें डाल दी है। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस कुप्रथा का मुख्य कारण है आर्थिक पिछड़ापन।

यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति ने 1974-75 में एक सर्वेक्षण किया था।

और वे भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देवदासी प्रथा आर्थिक कारणों से ही विद्यमान रही है और इसकी पुष्टि एक सर्वेक्षण के दौरान टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई द्वारा हुई है।

दूसरे, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह राष्ट्र-व्यापी नहीं है। यह अधिकतर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा के कुछ भागों तथा कर्नाटक आदि में फैली हुई है। अतः मैं नहीं समझता कि इस स्थिति में हमें केन्द्रीय स्तर ऐसे विधेयक की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में इस समस्या से निपटने के लिए पहले ही कुछ कानून मौजूद हैं। उदाहरण के लिए-माननीय सदस्यों ने भी उदाहरण दिए हैं-महाराष्ट्र में बम्बई देवदासी संरक्षण अधिनियम 1934 नामक अधिनियम है। एक अन्य अधिनियम-मद्रास देवदासी समर्पण निवारक अधिनियम, 1947 है, कर्नाटक सरकार ने भी 1982 में एक अधिनियम बनाया था।

इसके अतिरिक्त वेश्यावृत्ति की बुराइयों को समाप्त करने के लिए, जिसमें देसवासियों भी आ जाती हैं, 'स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1957 भी मौजूद है। इसे और अधिक प्रभावित बनाने के लिए 1978 में इसमें संशोधन किया गया था। अतः मेरा प्रश्न यह है कि इस समय हमने राज्यों में ऐसे विशेष कानून बनाये हैं और मैं नहीं समझता कि एक केन्द्रीय विधेयक जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है, की आवश्यकता है। साथ ही, मैं इस बात पर बल दूंगा कि जिन राज्यों में हमारे ये विशेष कानून प्रचलित हैं, उन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से इन्हें कार्यान्वित करना चाहिये ताकि इस सामाजिक और बहुत पुरानी बुराई को शीघ्र दूर किया जा सके।

अंत में, इन शब्दों के साथ, में अपनी बहन, श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी से निवेदन करूंगा कि वह कृपया अपना विधेयक वापिस ले लेवें।

सभापति महोदय : क्या आप इस सदन को बता सकते हैं कि क्या 1974-75 के बाद कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री पी. के थुंगन : मुझे उस बाद किए गए किसी अन्य सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

लेकिन समिति ने 1974-75 में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी समिति ने विशेषकर उन क्षेत्रों में जो देशवासी और मुरली प्रथाओं से प्रभावित हैं, एक विस्तृत सर्वेक्षण किया था और बताया है कि लड़कियों को देवी को समर्पित करने का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति थी उसके बाद टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने भी सर्वेक्षण किया और उसमें भी यही कारण बताया गया।

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि हमें इसके लिए सभी वर्गों के लोगों से विशेषकर महिला सदस्यों से सहयोग की आवश्यकता है, जिन्हें समाज में सुधार करने में और अधिक सक्रिय होना होगा तथा साथ ही हमें उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए कदम उठाने होगें, ताकि इन वर्गों के लोगों की स्थिति में सुधार हो सके।

श्री वी डी सिंह (फूलपुर) : मंदिरों का अधिग्रहण करके क्या सरकार खुद उनकी व्यवस्था नहीं चला सकती है ? उसमें क्या दिक्कत है ? वह पुजारियों को निकाल बाहर करे।

श्री पी. के. थुंगन : येलम्मा और अन्य बहुत से मंदिर है। उदाहरण के लिए, श्रीमती ऊषा चौधरी के भाषण से ही मैं यह बताना चाहता हूं कि तंजावुर में बहुत वर्ष पहले 400 देवदासियों सोमनाथपुरम में 500 देववासियां थीं।

श्री वी डी सिंह : उसी का अधिग्रहण कीजिए।

श्री पी. के. थुंगन : येलम्मा मंदिर का नाम नहीं है बल्कि यह एक देवी का नाम है।

श्री ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस सदन में सभी पक्षों और दलों के सदस्यों ने मेरे इस बिल का बड़ा हार्दिक समर्थन किया है और इसके लिए मैं उनकी बहुब अभारी हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं के मूवमेंट में काम करने के नाते, और साहित्य में रुचि होने के कारण, देववासियों का विषय बहुत समय से मेरे दिल में बसा हुआ था। जब यह बिल आया, तो हर कोई पूछता था कि यह प्रथा कहां है, क्या यह बहुत पुरानी प्रथा है, आदि। तो मैं खोज को निकली। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि कई पत्रकारों और लेखकों ने समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में देवदासी के विषय को बड़े जोरदार ढंग से उठाया है, जिससे उनका जीवन और उनकी व्यथा समाज के सामने आई है। उनका भी आभार मानना मैं अपना फर्ज समझती हूं।

देवदासियों की कहानियाँ बहुत पुरानी हैं, जो अब तक मंदिरों और बड़े-बड़े महलों की दीवारों के बीच दबी हुई थीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साहित्यकारों की किताबों में छिपी हुई थीं। बरसों के बाद वे इस सदन में गूंज उठी हैं। दीवारों से दबी हुई उनकी चीखें आज इस सदन में सुनाई दी हैं। जो आंसू उन्होंने बरसों तक पाले थे, वे हमारी आंखों में आंसू ले आए हैं। मंत्री महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है कि वह उन आंसुओं को ऐसे ही न गंवाएं। उन्हें इस बारे में भी कुछ जिक्र करना चाहिए था।

हर एक समस्या और हर एक प्रश्न का कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था बतायी जाती है। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ केवल आर्थिक कारणों से ही हो रहा है। समाज की व्यवस्था को कोई और बिगाड़े, समाज के माननीय नेता और राजनीतिज्ञ उसकी तरफ ध्यान न दें, सेंट्रल

गवर्नमेंट उसके लिए कानून न बनाए, बरसों तक उसको इस समस्या के बारे में मालूम भी न हो बड़े-बड़े धर्मगुरू उन लड़कियों का बाजार बनाएं, मगर महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता अपना परिवार छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़ कर इस स्थिति की सुधारें और सामाजिक संस्थाओं को इसका ठेका लेना चाहिए ! क्यों ? क्या वे उसके लिए पैदा हुए हैं ? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है ?

मैं मंत्री महोदय और सदन को बताना चाहती हूं कि इन स्त्रियों के आंसू किसी दिन तूफान बन सकते हैं। बूंद सागर बनती है और सागर में तूफान उठते हैं। आज हरिजनों और दलितों की आवाज हमें जीने नहीं दे रही है। इसी तरह देवदासियों की समस्या भी कुछ दिनों बाद एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन सकती है।

मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में क्षेत्र की मर्यादा डाली है। मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूं। स्वतंत्र भारत में कोई भी विषय रिजनल या स्टेट का नहीं बन सकता है। बरसों तक हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि अमुक प्रश्न प्रान्त का है अमुक जगह लड़ाई, दंगा-फसाद हो रहा है, सैंटर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते रहे हैं कि उनसे राष्ट्रव्यापी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस लिए इस प्रश्न को प्रान्त तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उसके लिएहमारे पास एक बहुत बड़ा आधार है। हमारे संविधान के अनुसार यह विषय समवर्ती सूची में आता है। कुछ बिषय केन्द्रीय सूची में आते हैं, कुछ राज्य सूची में आते हैं और कुछ विषय समवर्ती सूची में आ सकते हैं। यदि समाज में कोई शोषण है उससे संरक्षण देने का विषय समवर्ती सूची में आप ले सकते हैं और उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कानून बना सकती है। आपने स्टेट्स के लिए कुछ कानूनों की बात बताई लेकिन हर एक स्टेट की स्थिति अलग है और स्टेट के कानून में लूपहोल्स होने की भी सम्भावना है। आपने बताया कि इतने कानून बनाए गए लेकिन एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। अगर महाराष्ट्र में कानून बन जाए तो हो सकता है महारष्ट्र की सीमा के पार मध्य प्रदेश में देविदासियां को बनाना आरम्भ कर दिया जाए और फिर हम उनके पीछे-पीछे कहां तक भागते रहेंगे ? इसलिए मैं समझती हूं राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाना चाहिए।

मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ प्रान्तों से पत्र भी प्राप्त हुए हैं। जो लोग देवदासी संस्थाओं में काम करते हैं उन्होंने भेजे हैं। एक हैं श्री डी वेंकटश्वरा राव जोकि प्रेसीडेन्ट हैं ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र में इनको कलावंथुला संगम कहा जाता है। वे देवदासी के ही लड़के हैं। उन्होंने इसका इतिहास दिया है। उनके लेटर से मैं कुछ लाइनें उद्धृत करना चाहती हूं। वे कहते है।

इस देवदासी समुदाय उर्फ कलावेथुली समुदाय ने सरकार से प्रार्थना की है कि वे इस प्रथा का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए इस अपराध को देवनीय अपराध घोषित करें। आगे चलकर उन्होंने कहा है

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, भोली-भाली महिलाओं को देवदासी बनाने के किसी भी प्रयास को दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। और दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष की कैद तथा

उस पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिये। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो यह बोगम मेलम (नाच दल) तथा वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करेगा। यह अधिनियम निश्चय ही समुदाय की छवि में सुधार लायेगा। ऐसे काफी लेटर्स हमारे पास आए हैं। अगर समय हो तो मैं यहां पर उद्धृत कर सकती हूं।

समवर्ती सूची के आधर पर आपने जो कानून बनाए हैं उनके कुछ उदाहरण मैं यहां पर देना चाहती हूं। 1955 में आपने अस्पृश्यता निवारण कानून लागू किया। हमें ऐसा लगा कि वह कानून कुछ कमजोर है तो 1977-78 में प्रोट्रेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया। हमारी यह भावना थी कि जो अछूत हैं उनका शोषण रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। यह देवदासी भी कौन हैं ? देवदासी के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, उसके साथ कोई शादी नहीं करता है और वे कुयें से पानी नहीं निकाल सकते हैं। उनको रखैल का बच्चा बोला जाता है। ऐसी स्थिति में उनका क्या भविष्य हो सकता है ? एक तरफ तो आप अस्पृश्यता निवारण के लिए कानून बना रहे हैं, रिर्जवशन रख रहे हैं और दूसरी तरफ एक अछूत वर्ग को पुरःस्थापित कर रहे हैं। क्या इसको लेकर जब कोई पोलिटिकल समस्या खड़ी हो जायेगी तभी हम इसकी ओर ध्यान देंगे ? जब तक कोई समस्या राष्ट्रीकरण रूप धारण न कर ले तब तक हम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मुझे माफ करेंगे, मैं कुछ गुस्से में बोल गई हूं। स्वतंत्रता के बाद दो तीन लाख देवदासियां बनाई गई हैं और उनके कई लाख बच्चे पैदा हुए हैं।

मंत्री जी को कानून बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं यहां पर कुछ सुझाव देना चाहती हूं। हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए संविधान के आर्टिकल (23) के अधीन कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या भगवान को इस देवदासी को अर्पित करके, उनसे इस प्रकार का धन्धा कराना चाहिए ? यह एक नमूना है आपके सामने। हम आपसे महिलाओं की शोषण मुक्ति का अधिकार मांगते हैं। आजादी के बाद हम ने महिलाओं और उनके बच्चों की संरक्षण की अपेक्षा की है। उनके लिए कानून बनाने पर हम लोग सहमत भी हैं कि उनके लिए कानून बनाना चाहिए। फिर भी मेरी समझ में नहीं आता है कि मंत्री महोदय को इस बिल को पास करने में कठिनाई क्यों है। आपने बड़ी सावधानी से माननीय सदस्यों द्वारा रखी बातों का जबाब दिया है। सच्चाई यह है कि यह समस्या छः प्रान्तों में है। आपने सदस्यों की आधी बातों को सुना और आधी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। धन्धा बनाने के लिए कुछ दलाल लोग दूसरे प्रान्तों में इनको ले जाना चाहते हैं। यह समस्या बढ़ रही है, इसलिए आपको पूरे देश के लिए कानून बनाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए।

इन लोगों के सामने पुर्नवास की समस्या भी है। कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है कमजोर रह जाता है। जैसाकि मैंने अपने पिछले भाषण पर भी कहा था कि हमें उन लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए। देवदासी और उनके बच्चों के लिए आप कानून नहीं बनाना चाहते हैं, कहा जाता है कि यह स्टेट का मामला है।

आप इस बिल को पास नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप को राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा सैल बनाना चाहिए, जो इनकी समस्याओं का निदान कर सके।

यदि किसी एक महिला के साथ बलात्कार होता है, सदन में घण्टों चर्चा होती है। पूरी राज्य सरकार उसके पीछे काम करती है, पुलिस काम में लगती है और अखबार वाले बड़े-बड़े आर्टिकल्स निकालते हैं,। महिलाओं के अपहरण और बलात्कार हम लोग कितना ध्यान देते हैं, लेकिन इस समस्या की ओर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई शार्ट-कट ढूंढ लिया है कि महिला को भगवान को अर्पित करो और बाद में उसका वैश्या के रूप में उपयोग किया जाए। देश के बाहर भी उसकी बिक्री हो रही है। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और इस बिल को पास करने की इच्छा नहीं रखती है या उसको कमजोर महसूस करती है। उधर कानून बना होने के बाबजूद भी कोर्ट में एक केस भी पेश नहीं होता है। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 इस एक्ट के तहत भी एक को भी सजा नहीं हुई है। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि आप इस समस्या के निदान के लिए कानून नहीं बनाना चाहते हैं, महिलाओं को वैश्य बनाना चाहते हैं, तो बात अलग है। यदि आप उनका संरक्षण करना चाहते हैं, तो आपको कानून बनाना चाहिए। 1956 का कानून तो अब मिटाने के लायक हो गया है। अभी-अभी एक सदस्य ने कहा कि इस में संशोधन होना जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से एक प्रभावी कानून ला कर उस मैं देवदासियों के लिये भी आप अलग से प्रावीजन कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप से निवेदन करती हूं कि काफी वर्षों के बाद देवदासियों के इस उपेक्षित वर्ग की आवाज यहां पहुंची है. इस लिए सरकार की ओर से कुछ न कुछ आश्वासन दिया जाना आवश्यक है, कम से कम इतना ही कह दें कि महिलओं की खरीद-बिक्री के काम को बन्द करने के लिये तथा इस तरह की प्रथा को बन्द करने के लिये हम कोई नया प्रभावी कानून बनाने की आशा करते हैं।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, उन्होंने जो कहा है, क्या उसके सन्दर्भ में आप कुछ करना चाहेंगे।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

सभापति महोदय : मैं अब इस विधेयक के प्रस्तावक माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसे वापस लेना चाहती हैं अथवा इसे प्रस्तुत करने पर जोर देंगी ?

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : पहले उनको बोलने दीजिये।

सभापति महोदय : वह कुछ नहीं कहना चाहते।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, मुझे कहने दीजिये। मैंने प्रस्तावक और उनके समापन भाषण में कही गई बातों को ध्यान से सुना है सरकार निश्चय ही उन बातों को ध्यान में रखेगी और सरकार उनके द्वारा देवदासियों की दशा के बारे में सामाजिक सुधारों तथा धार्मिक सुधारों के बारे में दिये गये बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखेगी।

अनेक माननीय सदस्यों ने सही बात कही है कि केवल कानून से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता किन्तु इसके लिए समूचे समाज में सामाजिक चेतना और

समाज का सहयोग आवश्यक है। न केवल सामाजिक चेतना हो बल्कि इस बुराई को दूर करने के लिये समाज को जबरदस्त विरोध चाहिये।

इन शब्दों के साथ मै माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी अच्छी एवं साहसी बहन से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस लेने के लिए सहमत हों

श्री एस. बी. सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, मैंने अपने भाषण में कहा था कि क्या सरकार एक आयोग की स्थापना करेगी

सभापति महोदय : अब चर्चा समाप्त हो चुकी है। महोदया, आप क्या चाहती हैं ? क्या आप विधेयक को वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय के विचारों में काफी परिवर्तन होने लगा है और वह हमारी समस्या को समझ गये हैं। उन्होंने बहन शब्द बोला है, इस देश में बहन देती आई है, इस लिये भाई को भी सोचना चाहिये। उन्होंने बहन बोलकर इस काम की जिम्मेदारी ली है। मुझे मालूम है आप अपने से यहां कुछ डिक्लेअर नहीं कर पायेंगे लेकिन जो आपके कुलीग हैं, कैबिनेट है और हमारी नेता हैं, उनके साथ इस बारे में जरूर बात कीजिये इस संघर्ष में आपको हमारा साथ देना चाहिये, अन्यथा यह संघर्ष दूसरे ढ़ंग से उठ सकता है, और वे देवदासियां आपके पास आ सकती हैं।

इसलिये मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में पूरा कानून सरकार के जरिये यहां लाने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को वापस लेना चाहती हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपना विधेयक वापस लेंगी ?

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को वापस लेना चाहती हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में देवदासी और मुरली की प्रथा को समाप्त करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

संसद सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक

धारा 3 का संशोधन आदि

सभापति महोदय : अब श्री मुडाकल अपने उस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं जिस पर कि विचार किया जाना है।

श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल (मुवत्तुपुजा) : महोदय में प्रस्ताव करता हूं

"कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन अधिनियम 1954 में और सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मैंने इस विधेयक को संसद सदस्यों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु पुर:स्थापित किया है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ ही मास पूर्व, मेरे साथी श्री मूलचन्द डागा जी ने इसी प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया था। मैं तो केवल इस सम्मानित सदन का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं।

51 रुपये का दैनिक भत्ता 1969 में निर्धारित किया गया था। तब से लेकर अब तक जीवन स्तर और जीवन निर्वाह व्यय में काफी वृद्धि हो गई है। तब रेलवे चार रुपये में मध्याह्न भोजन देती थी और अब दस रुपये में देती है। गत चौदह वर्षों से हमें वही मंहगाई भत्ता मिलता चला आ रहा है। अभी कुछ ही मिनट पहले हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया है। दिल्ली में जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि हो गई है। हमें दोहरे निवासों का खर्च वहन करना पड़ता है, एक तो दिल्ली में और दूसरा अपने चुनाव क्षेत्र में।

और फिर हमें धुलाई का खर्च भी देना पड़ता है। इन सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। अत: मेरा संसद से निवेदन है कि दैनिक भत्ते को बढ़ा कर 101-रुपये कर दिया जाए।

मेरा दूसरा मुद्दा यात्रा भत्ते के बारे में है। जब हम हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो हमें अपनी जेब से अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। हम जो कुछ इस यात्रा पर खर्च करते हैं हमें उसका आधा ही मिलता है। अत:, मेरा सरकार से निवेदन है कि यात्रा भत्ता 21-रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया जाए।

अगला मुद्दा यह है कि यदि किसी सदस्य का निधन हो जाता है और वह गरीब आदमी है तो उसके परिवार को बहुत दु:ख उठाना पड़ता है। अत: मेरा संसद से निवेदन है, कि संसद सदस्यों को बीमा सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे कि केन्द्रीय सरकार हमारे लिए जीवन बीमा योजना तैयार कर सके। सरकार को इसके लिए आवश्यक अंशदान करना चाहिये।

चौथा मुद्दा यह है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सदस्यों को मिलने वाले वेतनों और भत्तों को आयकर से छूट मिलनी चाहिये।

पांचवां मुद्दा यह है कि सांसदों के आश्रितों को रेलवे रियायत प्रदान की जानी चाहिये आप तो जानते ही हैं कि सरकारी कर्मचारियों और यहां तक कि बैंक कर्मचारियों को भी उनके परिवार के सदस्यों के लिए रियायत मिलती है। वर्ष में एक बार या कम से कम दो वर्ष में एक बार वे भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं न केवल उनके बच्चे, अपितु सरकारी कर्मचारी के आश्रित माता-पिता भी उसके साथ यात्रा कर सकते हैं। हमारे मामले में यदि मेरे

दो बच्चे हैं तो उनको दिल्ली लाने के लिये मुझे एक बच्चे का यात्रा व्यय स्वयं वहन करना पड़ता है। अत: मेरा निवेदन है कि कम से कम वर्ष में एक बार संसद सदस्यों के आश्रितों को देश में कहीं भी यात्रा करने की अनुमति मिलनी चाहिये

छटा मुद्दा यह है कि अब पति-पत्नी सत्रावधि में अपने निवास से केवल एक बार ही दिल्ली आ जा सकती है। अतः मैंने सुझाव दिया है।

"3 मूल अधिनियम की धारा 6 ख में (एक) खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :—

'तीन पति-पत्नी के लिए एक निःशुल्क अहस्तांतरणीय प्रथम श्रेणी का रेल पास जिससे पति-पत्नी भारत में कहीं भी किसी भी रेल से किसी भी समय यात्रा करने का हकदार हो जायेगा।"

अतः यदि किसी प्रकार की तात्कालिक आवश्यकता हो तो एक या दो बार दिल्ली आ सके।

भूतपूर्व-संसदों के लिए एक निःशुल्क पास प्रदान किया जाना चाहिए। अपनी सेवा अवधि बीत जाने पर यदि वह कुछ सम्पर्क कार्य या अपने पहले वाले मतदाताओं के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। पेंशन आदि के अतिरिक्त मैं केवल एक निःशुल्क रेलवे पास मांग कर रहा हूं।

अधिकांश संसदीय चुनाव क्षेत्रों में संसद सदस्यों को एस. टी. डी. की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह कुछ ट्रंक-कालों के लिए व्यवस्था करें या इस प्रयोजनार्थ सांसदों को कुछ भत्ता दिया जाए। 1956 में सांसद को 15000 स्थानीय काले निःशुल्क करने की अनुमति थी। अब चूंकि दूरभाष स्थिति में सुधार हो गया है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि निःशुल्क कालों की संख्या 15000 से बढ़कर 25000 कर दी जाएं।

संसद सदस्यों को अपने मतदाताओं के साथ उनके मूल निवास स्थानों पर बहुत सा पत्र व्यवहार करना पड़ता है और मतदाताओं को अपने मूल निवास स्थानों से बहुत से पत्र लिखने पड़ते हैं। उन पत्रों को डाक से भेजने के लिए टिकटों के लिए व्यय उन्हें अपनी जेब से करना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है। कि डाक खर्च के लिए कुछ भत्ता या डाक से पत्र भेजने के लिए उन्हें कुछ डाक टिकटें दी जाएं जिससे कि वे अपने चुनाव क्षेत्रों में अपना पत्र व्यवहार प्रभावी ढंग से कर सकें।

जब एक संसद सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेता है तो उसे अपना माल असबाब पुस्तकें संसदीय पत्र और अन्य बहुत सी वस्तुएं अपने मूल-निवास स्थान को स्वयं अपने खर्चे पर ले जानी पड़ती हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा-निवृत्त होता है तो उसे अपने मूल निवास स्थान को अपना सामान ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन मिलता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह किसी संसद सदस्य का सामान और अन्य वस्तुएं उसके अपने मूल-निवास स्थान को निःशुल्क ले जाने की व्यवस्था करें।

बहुत से संसद सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें अपने चुनाव क्षेत्रों में लोगों से मिलने और उनकी शिकायतों का पता लगाने के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती है। आजकल

पेट्रोल के दाम बहुत ऊंचे हैं और वाहनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि या तो उन्हें मुफ्त वाहन दिया जाए और प्रतिवर्ष किलोमीटर की यात्रा सीमा तय कर दें अथवा फिर कोई भता दें जिससे कि वे अपने चुनाव-क्षेत्रों में प्रभावी ढ़ंग से यात्रा कर सकें और लोगों से अपने मतदाताओं से सम्पर्क साध सकें और संसद में भी उनकी शिकायतों का प्रतिनिधित्व कर सकें। सरकार प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर की सीमा निश्चित कर सकती है।

विदेशों में, संसद सदस्यों को निजी सचिव और सचिवालय कर्मचारी रखने की अनुमति है दिल्ली में मैं मार्थ एवेन्यू में रहता हूं। पत्रों का प्रारूप तैयार करने और उसे टाइप करने के लिए रात में किसी टंकक (टाईपिस्ट का मिलना बहुत कठिन होता है। हमें पत्रों को टाइप करने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए या कुछ ऐसी सचिवालयी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जहां पर संसद सदस्य रहते हैं वहां पर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा औषधालयओं की सुविधाओं की तरह ये सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। कुछ मास पूर्व इस विधेयक पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। मैंने तो कुछ उन कठिनाईयों का उल्लेख कर दिया है जिनका कि हमें सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।

श्री जेवियर अराकल (एरनाकुलम) : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गये इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि वर्तमान संसद सदस्य का निधन होने की स्थिती में बीमा की व्यवस्था होनी चाहिये। उसका मिधन हो जाने पर उसे कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये जब वह संसद सदस्य हो-क्योकि संसद सदस्य होने के नाते उसका जीवन अधिक खतरों में भरा होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस सुझाव पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप समूहिक बीमा योजना अपना सकते हैं

श्री जेवियर अराकल : जी हां किसी न किसी प्रकार की समूह बीमा योजना लागू की जा सकती है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, संसद सदस्यों के बेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित संशोधन विधेयक कुछ महीने पहले इस सदन के माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया गया था। उसी आधार पर माननीय सदस्य ने यह बिल प्रस्तुत किया है। यह सही है कि मौजूदा समय में मंहगाई इतनी बढ़ रही है, परिस्थितियां इतनी बदल रही हैं कि पार्लियामेंट से संसद सदस्य को जो कुछ मिलता है उससे उसका खर्चा नहीं चल सकता। वैसे भी मैं यह मानकर चलता हूं कि संसद सदस्य बनना कोई ऐश-आराम की जिन्दगी जीना नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जो गरीब मुल्क है। संसद सदस्य को जो तनख्वाह और सुविधाएं दी जाती हैं उसके कंपेरीजन में अगर हम देश की जनता को देखें तो उससे कहीं वह ज्यादा दुखी हैं। जो लोग ज्यादा सहूलियतों की मांग करते हैं उनको मेरा सुझाव है कि बजाय संसद सदस्य बनने के वे कोई व्यापार करें या अपनी खेती-बाड़ी संभालें और अच्छी तरह से आराम का जीवन व्यतीत करें। यह तो जन सेवा है। इसमें जितना मिलता है उतने में ही गुजर-बसर करनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तव में अपनी जगह पर सही हैं।

यह बात सही है कि जनता की सेवा करना, देश की सेवा करना संसद सदस्य का परम कर्त्तव्य है। इसके लिए उसको जो सुविधाएं दी जाती हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए।

1952 में जब पार्लियामेंट के पहले चुनाव हुए थे उस समय जो वेतन और भत्ता संसद सदस्य को मिलता था उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। सदस्य को सीधे जनता से सम्पर्क करना होता है। अपने क्षेत्र में जाना होता है। जहां तक मेरी जानकारी है अधिकतर सदस्य ऐसे हैं जो गरीब परिवार से या मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे अपने क्षेत्र में जाकर जन सम्पर्क कर सकें और जनता की तकलीफों को अधिकारियों तक या सरकार तक पहुंचा सकें। इसी प्रकार हमको बहुत सी चिट्ठियां भी लिखनी होती हैं। अपने वोटरों को, फरियादियों को, शुभचिंतकों को पत्र लिखने होते हैं। लोगों के पत्रों का जबाव देना होता है। इसलिए तन्ख्वाह और भत्ते बढ़ाए जाएं इसका मैं समर्थन करता हूं।

विभिन्न राज्यों में एम. एल. एज. की स्थिति हमसे अच्छी है। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात बताता हूं। वहां का मकान का किराया, पानी, बिजली का किराया फर्नीचर का किराया नहीं देना पड़ता। उनको जो पैसा मिलता है वह नैट पैसा मिलता है। यहां पर मकान, पानी, बिजली, टेलीफोन, पर्दा, फर्नीचर सब का पैसा देना होता है। इनका सीधा असर पार्लियामेंट के मेंबर पर पड़ता है। मैं बहुत ही स्पष्ट बात रख रहा हूं। अगर कोई संसद सदस्य बेइमान नहीं है, हेराफेरी नहीं करता है तो जो पैसा मिलता है उससे उसका काम नहीं चल सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है···।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी संसद सदस्य की आय का और कोई स्रोत नहीं होता है तो वह अपना जीवन सही ढंग से नहीं व्यतीत कर सकता है। मैं उनकी बात इस प्रकार कहूंगा।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : ऐसा नहीं कह रहे हैं। इनका कहना यह है कि जब तक हेराफेरी नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। मतलब यह है कि हेराफेरी से चल रहा होगा। जो नहीं कर सकते हैं वे नहीं चला पा रहे होंगे। उनका कहना यह है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मुझे तरस आ रहा है माननीय सदस्य की समझदारी पर। क्या कहा जा रहा है और वे क्या समझ रहे हैं ?

श्री राजेश कुमार सिंह : आप मुझे भाषा के बारे में ज्ञान न दें। जहां का मैं रहने वाला हूं वहीं के आप रहने वाले हैं।

आप सुनने की क्षमता तो रखिए कि मैं क्या कह रहा हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह : फिर हेरा-फेरी में ले जा रहे हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मुझे गलत समझा जा रहा है। मैंने कहा है कि जब दूसरे सोर्स हों तब कोई मेम्बर गलत रास्ते पर उतारू न हो जाए। मैंने कहा था कि जन-सेवा करना या राजनीति में आना कोई पेशा नहीं है। जो लोग इसको पेशा समझते हैं उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि समझते हैं तो बिजनैस, खेती बाड़ी या कोई और धन्धा करें और ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताएं। पार्लियामेंट जितना देती है उसी से गुजर-बसर करनी चाहिए।

मैं यह नहीं कहता कि तन्ख्वाह या भत्ते बढ़ाए जाएं लेकिन जो फैसिलीटीज मैम्बर्स को दी जाती हैं, वह पूरी मिलनी चाहिये। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मेरे क्षेत्र अलीगढ़ से 50-100 आदमी न आते हों। उनको यहां आने पर ठहराना और खिलाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मकान, पानी, बिजली और फर्नीचर का किराया समाप्त किया जाये और कांस्टीच्युऐन्सी में घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाए। टाइपिंग या डाक-तार का खर्चा देने के लिये सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मूलचन्द डागा जी ने कुछ दिन पहले जो बिल पेश किया था, उस समय भी सांसदों ने अपने उद्‌गार जाहिर किए थे। उसके साथ ही सरकार ने सेकण्ड क्लास में जो अटेंडेंट चलता था उसको फर्स्ट क्लास के लिए अलाऊ कर दिया। इसके अलावा और भी सहूलियतें दी हैं।

मैं चाहता हूं कि डाक-तार और टाईपिंग आदि की सुविधाएं देने पर भी सरकार गम्भीरता से विचार करे ताकि संसद सदस्य ईमानदारी, वफादारी और लगन से काम कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब इस बिल के उद्देश्य, कारणों और कथन को देखता हूं तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि आज का निर्वाह व्यय बहुत अधिक बढ़ गया है। माननीय सदस्य ने अभी जो कुछ कहा उनकी शुरूआत की बातों से मैं सहमत हूं लेकिन अन्त में वे घुमाकार फिर वहीं ले आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंहगाई बढ़ रही है। लेकिन क्या यह मंहगाई सिर्फ सांसदों के लिए बढ़ रही है या पूरे देश में मंहगाई है। ब्रिटिश पालियामेंट की पद्धति को देखेंगे तो आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। उन्होंने अलाउन्स मुकर्रर किया था, सेलरी वाली बात नहीं थी। हमारे यहां वेतन भी है। उनका मकसद था कि लोग जन-सेवा, समाज सेवा या राष्ट्रीय सेवा के लिए आगे आएं। डेमोक्रेसी का भी मतलब यही है कि जो लोगों के नुमाइन्दे बन कर आते हैं, जिन लोगों के द्वारा उन्हें भेजा जा रहा है उनकी खिदमत करने के लिए आए हैं किसी की नौकरी के लिए नहीं। पिछली बार भी एक माननीय सदस्य इसी प्रकार का बिल लाए थे और सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ोत्तरी कर दी। जब इस बिल की चर्चा हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों में और कर्मचारियों में होती है, तब वे क्या सोचते हैं ?···(व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पहले बोल लूं, उसके बाद आप बोल सकते हैं, इससे इन्कार करते हैं या नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि अगर अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने की बात है तो साथ-साथ कर्मचारियों के भी बढ़ने चाहिए और सदस्यों से ज्यादा बढ़ने चाहिए। लेकिन वह नहीं बढ़ायेंगे, देरी में बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य अभी मकान, बिजली, पानी और फर्नीचर की बात कह रहे थे। मैं तो देहात से आता हूं। मुझे मालूम है हिन्दुस्तान जैसे गरीब मुल्क में यह कतई आवश्यक नहीं है कि सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र में जाने के वक्त कार दी जाए। पालियामेंट ने और विधान मण्डलों ने जो सुविधाएं रेल और बसों में चलने की दे रखी है यह कम नहीं हैं। हमें इस मुल्क की गरीबी को ध्यान में रखना चाहिए। यदि अपने लिए हम मंहगाई की बात करते हैं तो पहले जनता की गरीबी की बात करनी होगी।

इस बिल में जो कहा गया कि कुटुम्ब के लोगों के लिए पास होना चाहिये, इससे मैं

सहमत नहीं हूं। क्यों यह सहूलियत होनी चाहिए ? आपको लोगों ने नुमाइन्दा बनाया है, आप ही सेवा कर रहे हैं, सारा कुटुम्ब नहीं, और आपने खुद अपने आपको समर्पित किया है सेवा के लिए इसलिए अपने कुटुम्ब या फैमिली की बात नहीं होनी चाहिए। फिर तो एक तरह की जागीरदारी प्रथा हो जाएगी। अतः देश की गरीबी की हालत को देखते हुए माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस बिल को वापस ले लें क्योंकि यह जनभावनाओं के विपरीत है। देश का नुमाइन्दा, नुमाइन्दा ही रहना चाहिए। अपने लिए सुविधाए पहले लोगों को उपलब्ध करा कर तब मांगनी चाहिएं।

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीमनगर) : उपाध्यक्ष जी, जो बिल माननीय सदस्य लाये हैं इसका पूरी तरह से समर्थन करना तो मुश्किल है। लेकिन एक चीज से मैं सहमत हूं कि जितने भी सदस्य के बच्चे या माता पिता हैं, आप भी तमिलनाडु से आते हैं जो कि बहुत दूर है, अगर उनको दिल्ली लाना है तो अपने खर्चे से लाना पड़ता है जिसमें काफी दिक्कत पड़ती है। इसलिए यह सहूलियत जरूर मिलनी चाहिए। माननीय सदस्यों की कुछ आदत हो गई है यह कहने की ऐसा बिल लाने से लोग हमारे खिलाफ हो जायेंगे, वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एक बात तो यह है जब हम यहां आते हैं तो सदस्य जितने भी हैं ईमानदारी से उनको अपना काम अंजाम करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ईमानदार सदस्य को ईमानदारी से अपना अंजाम करने के लिए यह सहूलियत दी जाय। मैं डेली अलाउन्स और सेलरी बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जब बच्चों को लाना होता है तो अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है जिससे बड़ी दिक्कत होती है। हमेशा तो वह आते नहीं। जैसे स्पाउन्ज के लिए सहूलियत है वैसे ही बच्चों और माता पिता के लिए फ्री सहूलियत होनी चाहिए।

दूसरे मैं उनकी यह बात भी मानता हूं कि जब हम अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में आते हैं तो ज्यादातर लोगों को मुसीबत होती है क्योंकि उनके पास अपनी कोई सवारी नहीं होती है। यह माना कि कुछ के पास कार है, लेकिन अधिकतर सदस्यों के पास नहीं है। इसलिए जब कोई सदस्य अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाना चाहता है, खासकर इन्टीरियर में जैसे कि मेरा इलाका है जहां कि रेल भी नहीं है···तो हम वह पास रखकर क्या करेंगे? अगर ऐसी जगह आप इस तरह की फैसिलिटी दें तो अच्छा रहेगा ताकि अपनी कांस्टीटुएन्सी में फिरा जा सके। शादी या विवाह या और कामों के लिए मैं नहीं कहता। अगर मेम्बर कांस्टीटुएन्सी में फंक्शन करता है तो वह सहूलियत देना मैं कोई गलत नहीं समझता। वह सुविधा बराबर होनी चाहिये।

इंश्योरेंस की बात कहीं गई है। उसे पूरी तरह से मैंने एग्जामिन नहीं किया इसलिए मैं कुछ अपनी बात जाहिर नहीं कर सकता। अभी हमारे अरकल साहब फरमा रहे थे कि इंश्योरेंस होना चाहिए। वह पीछे बीमार हो गये थे। वह एडवोकेट हैं और बहुत अच्छा कमा रहे थे लेकिन एम. पी. बनने के बाद प्रैक्टिस खत्म हो गई। बीमार होने के बाद इतनी मुसीबत में पड़े कि पार्टी की तरफ से मदद देनी पड़ी और बहुत से दूसरे लोगों ने मदद देकर उनको बचाया। वह मरने वाले थे। उनके बीवी बच्चों की क्या हालत थी, मैंने देखी है। इसलिए उनका तजुर्बा

है, तभी उन्होंने इन्श्योरेंस की बात कही है। ऐसे लोगों को इन्श्योरेंस देने में कोई दुश्वारी नहीं है।

पोस्टल वगैरह की फैसिलिटी तो जरूरी है ही। वह तो लोगों की खिदमत के वास्ते है। डिपेंडेंट्स को यहां आने की सुविधा और रेलवे की सहूलियत और कांस्टीटुएन्सी में फिरने की सुविधा देना जरूरी है।

मैम्बर्स के अलावा मंत्रियों की हालत भी ठीक नहीं है। मैं मंत्री लोगों को भी फील कर रहा हूं। उनकी सैलरी काफी नहीं है। ईमानदारी से अगर रहना हो तो मुश्किल हो जाता है। जितने विजीटर्स आते हैं तो चाय पिलाना पड़ता है, मर्यादा रखनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। लेकिन जहां तक मैम्बर्स का सवाल है, मैं समझता हूं कि ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सुधीर कुमार गिरि। आज हम इसे समाप्त करेंगे। हमने इस पर चर्चा की है इसलिए हम इस विधेयक को आज पूरा कर लेना चाहते हैं

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : वस्तुतः इस मामले में आपके विचार संगत होंगे सभा को हर एक मामले के बारे में निर्णय करने के लिए आपकी अध्यक्षता में आपनी एक समिति का गठन करना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : कुछ महीने पहले माननीय सदस्य श्री मूल चन्द डागा ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया था। अपने दल की ओर से मैंने विधेयक का विरोध किया था और जब मैंने इसका विरोध किया था

उपाध्यक्ष महोदय : यहां आप विधेयक का विरोध करेंगे परन्तु जब बकाया राशि मिलती है तो आप जाकर ले लेते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरि, अब विधेयक का विरोध भी कर रहे हैं। परन्तु जब छूट दी जाये तो आपको उसे स्वीकार मत करना।

श्री सुधीर गिरि : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसी रियायत है जिसको आपने स्वीकार न किया हो ?

श्री सुधीर गिरि : यह सिद्धान्तः नहीं होना चाहिए। हमने विधेयक का विरोध किया था मैं अभी भी विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक का विरोध कर सकते हैं मैं जो कुछ कहता हूं वह यह है मान लिजिए कोई रियायत हो जाती है आप उस रियायत को लेने से मना नहीं करते।

श्री सुधीर गिरि : यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम मना कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया आगे ले बोलिए।

श्री सुधीर गिरि : यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम मना कर सकते हैं।

मैं विधेयक का विरोध करता हूं (**व्यवधान**) मैं इस विधेयक का विरोध इस आधार पर नहीं करता कि जो संसद सदस्य चुने गये हैं उनको जनता की सेवा करनी है। बल्कि केवल इस आधार पर कि हमें जो कुछ भी सुविधायें तथा वेतन मिल रहे हैं वे अपने कर्तव्य को पूरा करने करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए मैं विधेयक का विरोध करता हूं। मैं एक बात को बहुत अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कि हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोगों की बहुत अधिक संख्या गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। मूल्यों में वृद्धि का भार केवल संसद सदस्यों पर ही नहीं पड़ा बल्कि देश के सभी लोगों पर पड़ा है। वे लोग बहरे तथा गूंगे हैं। वे भारी वजन के नीचे कराह रहे हैं। हम संसद के सदस्य चुने गये हैं। हम संसद को सदस्यों की सुविधायें बढ़ाने का उपकरण बना रहे हैं यह उचित तथा न्यायोचित नहीं हैं। जब तक लोग भूखे रहते हैं हमें और अधिक के लिए मांग नहीं करनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि जो सुविधायें तथा वित्तीय लाभ हमें अब प्रदान किये जा रहे हैं हमारे लिए पर्याप्त हैं। इनमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

लोगों की नजरों में जनता के प्रतिनिधियों की छवि बहुत गिर गयी है। यह मुख्य रूप से इस लिए है क्योंकि बहुत से सदस्य किसी दल विशेष के टिकट पर जीत कर भी कभी उसके बाद अपने दल को बदलकर किसी अन्य दल में मिल जाते हैं। इसको दल बलद कहते हैं। यह न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। इसको जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए इसी लिए मैं कहता हूं कि जनता के प्रतिनिधियों के वारे में जो धारणा है वह बहुत ही खराब हो गयी है

उपाध्यक्ष महोदय : यह दल बदलाव नहीं है। यह किसी अन्य दल के लिए प्यार है।

श्री सुधीर गिरि : जो सदस्य दल बदलते हैं उन्हें जिस जनता ने चुना है उसको स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाना चाहिए।

संसद सदस्यों के लिए अपना कर्तव्य कुशलता पूर्वक पूरा करने के लिए कुछ सचिवालयी सेवायें या सहायता आवश्यक हो सकती है। उनको एक आशुलिपिक अथवा टाईपिस्ट की सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। सरकार को उनके लिए ऐसी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं कि संसद सदस्य की आय आयकर से मुक्त होनी चाहिए।

सदस्य के साथ पति/पत्नी को यात्रा करने की सुविधा प्राप्त है। जब वे यात्रा कर रहे हों तो उनको साथी के रूप में माना जाना चाहिए इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एस. बी. सिदनाल (बेलगाम) : मैं निम्नखित आधारों पर विधेयक का स्वागत करता हूं।

आजकल बहुत अधिक मुद्रास्फीति हैं। चुने जाने के बाद एक संसद सदस्य अपने मूल पेशा या व्यापार को बन्द नहीं कर सकता। यदि वह एक गम्भीर संसद सदस्य बनाना चाहते हैं तो उनको उसे छोड़ना पड़ेगा। मूल रूप से वह एक वकील डाक्टर या व्यापारी हो सकता है। इस हानि की क्षति पूर्ति के लिए उसको सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए ये सुविधायें, परिवहन यात्रा रियायत और दैनिक भत्ते आदि की सुविधायें हो सकती हैं कम से कम जब हम अनुपस्थित हो अन्तसवावधि के दौरान अपने चुनाव क्षेत्रों में हो- तो कम से कम हमारा दैनिक भत्ता तथा न्यूनतम सुविधायें जारी रहनी चाहिए। यदि सुविधायें नहीं हैं तो हम कार्य नहीं कर सकते। और सामान्य रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। विपक्षी दल हमेशा एक ही बात करते हैं विधेयक I विरोध करो और जैसा कि आपने कहा वे सभी सुख सुविधायें प्राप्त कर लेते हैं। उनको इन मामलों में कपटी नही होना चाहिए। संसद सदस्यों को जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को वास्तविक ढंग से पूराकरने न्यूनतम सुविधायें मिलनी चाहिए। दूसरे पक्ष की ओर से यह दर्शन प्रस्तुत किया गया है कि देश इतना गरीब है और लोग इतनी कुबीनी दे रहे हैं और ये सब बातें। मैं समझता हूं कि केवल कांग्रेस (ई) ही गरीब लोगों के फायदें के लिए इतने कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

वेतन के लिए वे विरोध करना चाहते हैं। परन्तु पिछली दफा जिन लोगों ने इसका विरोध किया था उन्होंने सबसे पहले लाभ प्राप्त किया।

श्री सुधीर गिरि : बिल्कुल नही। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री एस. बी. सिदनाल : ठीक है यदि आप नहीं हैं और यदि आप ये सुविधाएं लेने के विरूद्ध हैं तो मैं आपके कदम का स्वागत करता हूं। हमें मालूम है कि आप विरोध भी करते रहे हैं और साथ-साथ प्राप्त भी करते रहे हैं। यह है अच्छा कार्य जो आप कर रहे हैं।

हमें 51 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। यह न्यूनतम सुविधा है। पिछले 30-35 वर्षों में मुद्रा स्फीति हजारों गुना बढ गयी है और हमारे जैसे अन्य लोग चाहे वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हो और चाहें राज्य सरकार के उन्हे प्रति वर्ष बढा हुआ भत्ता मिलता है। जीवन बीमा निगम तथा बहुत से बैंकों में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी एक संसद सदस्य से अधिक वेतन पाता है मुझे मालूम है कि राजनैतिक दल सेवा का माध्यम है न कि एक सजावट की वस्तु। मेरे मतानुसार यह विलासिता की वस्तु भी नहीं है। परन्तु जो जनता की गम्भीरता तथा ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं उनको न्यूनतम सुविधायें दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र विधान सभा में उन्होने यह किया है। कर्नाटक में किया है। उत्तर प्रदेश में किया है। मैं इग्लैंड, और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से तुलना नहीं करना चाहता जहां पर धनी लोग हैं और जहां पर हमारे प्रति पक्षियों को इतनी अधिक सुविधायें प्रदान की गयी है। स्थानीय जगह पर भी जब हम मंत्री से मिलना चाहते हैं तो हमें कम से कम 25 रुपये टैक्सी के लिए खर्च करने पड़ते हैं। यदि मंत्री हमसे तुरन्त मिलने की अनुमति नही देता तो हमें 10 रुपये प्रतीक्षा के देने होते हैं। किराया हमेशा बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही साथ

हमारे ऊपर कार्य का व धन का दबाव बढ़ता है, हम टैक्सी के लिए इतनी राशि खर्च करते हैं। कर से कम जब हम स्थानीय जगहों पर आयें जायें तो कुछ सुविधायें होनी चाहिए। हम कोई मौदिक सुविधायें नहीं चाहते। हम हाथ में नकदी नहीं चाहते।

महोदय, रविवारों या प्रतिदिन प्राप्त काल दो घंटे के लिये व्यक्ति गत सहायक या आशुलिपिक की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हम लोगों की सेवा अधिक अच्छे तरीके से कर सकें। कई बार हमें एक पत्र टाईप कराने के लिए टाईप्रिंग पूल में लाईन में खड़ा होना पड़ता है। स्वयं सदस्य द्वारा मसौदा तैयार करने तथा लिखने में काफी समय लग जाता है और जब आपके पास आशुलिपिक हो तो आप आशुलिपिक को नोट लिखवाये जा सकते हैं।

संसद सदस्यों के नाते, हमें विभिन्न संस्थानों से जिसमें धार्मिक और शैक्षिणक संस्थान भी शामिल हैं, अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। यदि हम उनका उत्तर नहीं दे देते तो वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ? वे यही कहेंगे कि इन लोगों के पास एक लाइन का उत्तर देने का भी शिष्टाचार नहीं है। और यदि हम उत्तर देते हैं, तो उस पर डाक व्यय कितना होता है ? हमें संसद सदस्य और विधान की प्रतिष्ठा बनाए रखने और उसे बढ़ाने की क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ? इसके लिए उसे बहुत अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए, अन्यथा वह संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर सकेगा।

हमें जो तनख्वाह मिलती है, उसमें से बिजली, टेलीफोन आदि का बिल काट लिया जाता है। कई बार, गलत बिल भेजे जाते हैं। जैसा कि आप और अन्य सभी जानते हैं, संसद सदस्य के जीवन का यह कटु सत्य है कि जब कभी हम बाहर होते हैं, टेलीफोन का किराया जिसकी हमें जानकारी नहीं होती निश्चय ही, कई बार यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि ऐसा किसी तकनीकी खराबी या गलत गणना आदि के कारण भी हो सकता है। कुछ भी हो ये केवल न्यूनतम कठिनाइयां हैं। ये कठिनाइयांहै है। हमें एक घर यहां बनाना पड़ता है और दूसरा अपने निर्वाचन क्षेत्र में।

हमें अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है। जब तक हम लोगों की शिकायतों की जानकारी नहीं रखते, तब तक हमें उनके बारे में जानकारी नहीं रह सकती जब तक हमें लोगों से आवेदन-पत्र नहीं मिलते, हमें वहां की जानकारी नहीं मिल सकती।

यदि हम उनके सब आवेदन-पत्र संसद अथवा संबंधित मंत्रियों के समक्ष नहीं रखते हैं, हम उन लोगों के प्रति न्याय नहीं कर सकते। हमें यहां लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए निर्वाचित करके यहां भेजा है।

एक संसद सदस्य अथवा विधायक की धारणा क्या है ? उसे उचित रूप से न्यूनतम सुविधाएं दी जानी चाहिए। उचित मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। हमारे पास कई अतिथि हैं। उन्हें कम से कम एक गिलास पानी या आधा कप चाय तो मिलनी चाहिए। ऐसी कई बातें हैं। महोदय, आप मुझसे अधिक अच्छी तरह जानते हैं। यह आम कठिनाई है। हम अधिक

सुविधाएं चाहते हैं। हर अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं चाहते। हम विलासितापूर्ण जीवन जीना नहीं चाहते। कम से कम, संसद सदस्यों को न्यूनतम सुविधाएं दी ही जानी चाहिये। यदि हमें न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दी गई, लोग हमें तुच्छ नजर से देखेंगे। मेरे एक माननीय सहयोगी कह रहे थे कि हमारा देश एक निर्धन देश है। क्या हम अपने ससदीय निर्वाचन क्षेत्र में घर पर जा सकते हैं ? यह विधान सभा के सदस्य का चुनाव क्षेत्र है कि हम 10-20 गांव भर घूम लें ? मेरा निर्वाचन क्षेत्र करीब 100 मील के दायरे में है। यदि हमें पूरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़े तो केवल भगवान ही जानता है कि यह कितना कठिन है। लेकिन हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है। यह बहुत मुश्किल काम है।

हमें उचित परिवहन सुविधा अवश्य दी जानी चहिए। उपर्युक्त के पास दो तीन कारों का प्रबंध होता है. संसद सदस्य को कभी-कभी उनके साथ जाना पड़ता है जब अधिकारियों के साथ हमारी तुलना की जाती है, वे हमें तुच्छ समझते हैं। मैं ईमानदारी से अपना निजी अनुभव बताता हूं। मैं अपने निजी अनुभव से यह कह रहा हूं। जहां कहीं भी आप किसी मुख्य मंत्री या मंत्री से मिलने जाते हैं। हमें या तो किसी अधिकारी की या अन्य किसी व्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। इस तरह से हमें अधिकारियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है।

हम लोगों की अच्छी तरह सेवा कैसे कर सकते हैं ? इसी कारण हम अपना व्यक्तित्व उभार नहीं पाते। जब तक हमें उचित सुख सुविधाएं, नहीं दी जाती, हम वास्तविक रूप में लोगों की सेवा नहीं कर सकते। इसी कारण मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि संसद सदस्य को कम से कम उचित यातायात सुविधाएं अवश्य दी जानी चाहिये। हमें यातायत के खर्चे के लिए दिन में 100 रुपये प्रतिदिन दिए जाने चाहिए अथवा कम से कम दिन में 2 घंटे के लिए यातायात सुविधा दी जानी चाहिये। हम हर समय के लिए यह सुविधा नहीं चाहते। हम यह नहीं कहते कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक हर वक्त यह सुविधा दी जानी चाहिये और हम उस पर छुट्टी मनायें या कुछ और करे। हमें मंत्रियों से भेंट करने तथा अपने अतिथियों को लाने के लिए दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए इस सुविधा की आवश्यकता है। हमें 24 घंटे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। जब कभी निर्वाचन क्षेत्र से कोई अतिथि आता है, हम नहीं जानते उसे कब आना है। हम अशिक्षित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे हमें कुछ नहीं लिखते वे पत्र-व्यवहार नहीं करते, न ही टेलिफोन करते हैं। वे अचानक आ जाते हैं और हमें उन्हें लेने जाना पड़ता है। ये हमारी कुछ वास्तविक कठिनाइयां हैं।

इस पर ईमानदारी से ध्यान दिया जाना चाहिये। हमें बहुत कुछ नहीं चाहिये। लेकिन हमें कटु सत्य बताने दीजिए। लोगों में हमारा एक दर्जा है और हमें सार्वजनिक जीवन में उचित मर्यादा बनाए रखनी होती है। अन्यथा अधिकारियों के साथ हमें जनता द्वारा भी तुच्छ समझा जाता है। जब हमारा तिरस्कार होता है, तो किस मुंह से हम उनकी सेवा कर सकते हैं ? हम उन पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं ? हम सब धनी नहीं हैं। यदि हमारा वेतन कम होगा, सुविधाएं कम होगी, तो बुद्धिमान लोग संसद सदस्य बनने के इच्छुक नहीं होंगे। यदि हम बुद्धि जीवियों को आकर्षित करने में सफल नहीं होते, हम देश की सेवा नहीं कर सकते। बुद्धि जीवियों को संसद सदस्य या विधान सभा के सदस्य बनने के लिए आकर्षित न करने का अर्थ होगा उल्टी

गंगा बहाना। अतः बुद्धि जीवियों, योग्य व्यक्तियों, ईमानदार और अच्छे लोगों को आकर्षित करने का सबसे अच्छी तरीका यह है कि उन्हें सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये।

यहां तक कि प्रशासक और अधिकारियों को भी सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हम इसका बुरा नहीं मानते। यह गांधी का देश है। हम बेइज्जत भी महसूस नहीं करते। लेकिन वह सब इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए कि अधिकारी हमें तुच्छ दृष्टि से देखें। हम उन्हें तुच्छ दृष्टि से नहीं देखते, हम यह नहीं कहते कि उनका दर्जा हमा से नीचे रखा जाना चाहिये।

लेकिन प्रश्न है कि उन्हें हमारे बारे में कैसे विचार रखने चाहिये? उनके मन में एक एक संसद सदस्य के प्रति कितना आदर होना चाहिये? मेरे विपक्षी सहयोगियों ने कहा कि हमें इसलिए तुच्छ समझा जाता है क्योंकि हम एक दल से दूसरे दल में जाकर दल-बदल कर रहे हैं। निश्चय हो यह बात यहां संगत नहीं है। मैं इसे उन पर छोड़ता हूं। जैसा कि आपने कहा, महोदय, यह एक दल का त्याग और अन्य दल के प्रति स्नेह हो सकता है। मैं यह अपने सहयोगियों पर छोड़ता हूं कि वे नियमित रूप वैसा करें। मैं उस पर भी टीका-टिप्पणी करना नहीं चाहता। यह तथ्य की बिडम्बना है कि जो सदस्य विधेयक का विरोध करते हैं, विधेयक के पास पारित होने पर उन्हीं सदस्यों को ऊंचा वेतन मिलता है। मेरा सदन से अनुरोध है कि संसद सदस्यों को न्यूनतम सुविधाएं दी ही जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मानित सदस्य ने सांसदों के वेतन भत्ते तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में जो बिल पेश किया है, इस से पहले भी हमारे डागा साहब ने इस बिल को पेश किया था। उस पर बहस भी हुई थी और आज फिर इस बिल पर चर्चा हो रही है। एक सम्मानित सदस्य यहां बोल रहे थे, मुझे उन का नाम भूल गया है, उन का एक वाक्य मुझे बहुत पसन्द आया-वेतन भत्ते तथा सुविधाओं के बारे में भी हम अपने को पक्ष और विपक्ष का समझ कर बहस में शामिल होते हैं और औचित्य को ध्यान में नहीं रखते हैं। मैं भी उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं-जो इस के विरोध में बोले हैं। उन्होंने एक बात कही है कि इस से सदस्यों का सम्मान घट जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सदस्यों का सम्मान वेतन भत्ता लेने से या सुविधायें प्राप्त करने से घटता है। सदस्यों का सम्मान तो उन के कार्यों से घटता है। वे जो काम करते हैं जो अपने चरित्र को सम्भाल कर नहीं चलते हैं उससे घटता है।

गांधी जी जिस जमाने में थे और जब आजादी की लड़ाई के लिये उन्होंने पार्टी का गठन किया था, आजादी की लड़ाई के लिये लोगों को जुटाया था, उस जमाने में जो लोग राजनीति में आये थे, उन को छोड़ कर कितने सदस्य साफ-सुथरे थे। क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उन के जमाने का चरित्र आज रह गया है। अगर आज

हमारी साख गिरी है तो उस का कारण यह नहीं है कि हम को वेतन भत्ता मिलने लगा है, उसका कारण यह है कि जगह-जगह पर हम अनैतिक कार्यों में शामिल होते हैं।**

मैं तो आप को बतलाना चाहूंगा-मैंने विधायकों को देखा है, साँसदों को देखा है-**

इस तरह से चरित्र गिर रहा है। इस के कारण राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मर्यादा नहीं मिल पा रही है।

मैं वेतन भत्तों और सुविधाओं के बारे में कहना चाहता हू-टेलीफोन की सुविधा है, मैंने अपना पिछला टेलीफोन का बिल देखा-ता. 16-8-1982 से 16-10-1982 तक का बिल 3634 रुपये का आया, यह दो महीने का मेरे घर का बिल है। मालूम होता है कि बिरला या टाटा का कोई कारखाना चल रहा है, जिस में कलकत्ता, लन्दन और दुनिया भर से बात करनी पड़ती है। कहां से इतना बिल आयेगा ? मैं जानता हूं फर्जी बिल बना है, लेकिन जब बना है तो देना पड़ेगा। इस के बाद घर का टेलीफोन का एक पैसा अदा नहीं किया है। यदि मैं हिसाब लगाऊं तो 15 हजार रुपये से ऊपर तो घर का टेलीफोन का बिल हो जाता है। यह क्या सुविधा है, कैसी सुविधा है ? आप जरा हिसाब लगायें हम को कितनी तनख्वाह मिलती हैं-डेढ़ हजार रुपया भत्ता और एलाउन्स मिला कर दिया जाता है, जिस में 400-500 रुपया पानी, बिजली, मकान का कट जाता है, किसी को 800, किसी को900 या किसी को 1100 से ज्यादा नहीं दिया जाता है। अब अगर दो महीने में चार हजार रुपया टेलीफोन का देगा तो फिर कैसे हम कार्य कर सकेंगे ?

एक जमाना था, जब रजवाड़े यहां आ कर बैठते थे, लेकिन अब डेमोक्रेसी है, लोकतन्त्र है। यहां एक किसान का बेटा, जिस के पास दो बीघा जमीन है वह भी चुन कर आता है और एक छोटा दुकानदार भी आता है। जब दुकानदार आता है तो उसे दुकान बन्द करनी पड़ती है। उसे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का शौक है, तो क्या इस के मायने यह है कि इस शौक के पीछे वह अपने बच्चों को मार दे ? अपने बच्चे को कुछ न दे। इसके लिए तो उसे सोचना ही पड़ेगा। अगर उसे सेवा के बदले में गलत तरीके से काम करना पड़े तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता। मैं तो समाज में काम करता हूं, मैं जानता हूं कि कितनी कठिनाई होती है।

अब मुझे टाइपिंग पूल में जाना पड़ता है। मैं वहां गया था। मैंने वहां पांच लेटर लिखवाये और मुझे चार बार वहां से लौटना पड़ा। आज तीसरे दिन 12 बजे मुझे वे मिल पाये। मैं आपको ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि करीब डेढ़ महीने की चिट्ठियां मेरे पास पड़ी हैं। पांच सौ चिट्ठियां मौजूद हैं। मैं उनका जबाब भी नहीं दे सका हूं। यह कठिनाई है। अगर इनके लिए एक बाबू की मांग की जाती है, टाइपिस्ट की मांग की जाती है तो इसमें क्या बुराई है ? क्या यह मेरे लिए जरूरी नहीं है। क्या यह जनता की सेवा के लिए जरूरी नहीं है ? हम कैसे अपना रोजाना का काम कर पायेंगे ? कैसे हम अपनी चिट्ठी-पत्रियों का निबटारा कर पायेंगे ? इसलिए यह आवश्यक है कि हमें टाइपिस्ट या स्टेनो दिया जाए। यह बहुत अच्छी बात होगी।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

भाई साहब ठीक कह रहे थे। मैं तो पहले से यह महसूस करता था। उपाध्यक्ष महोदय हम अपने राज्य में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं। क्षेत्र में बी.डी.ओ. साहब कार में बैठे चले जा रहे हैं, हम खरामा-खरामा पैदल चले जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमको इतना वेतन नहीं मिलता कि हम अपना साधन रख सकें। अब हमारे क्षेत्रों में सूखा पड़ा है, कोई उत्पीड़न है, कहीं साम्प्रदायिक दंगा हो गया है, उसके लिए संसद् सदस्य अगर चाहे कि वह अपने क्षेत्र का दौरा करे और उनके लिए उसको वाहन न दिया जाय तो वह कैसे जनता का काम कर सकेगा। अगर हमारा परिवार उस पर घूमें, अगर हमारे बच्चे सैर करें, कश्मीर की यात्रा करने जाएं तब तो और बात है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे ऐसे साधनों से वंचित रखा जाए कि वह संसद् सदस्य ठीक तरह से अपने कर्त्तव्य का पालन भी न कर सके, जनता की अधिक से अधिक सेवा भी न कर सके। अभी चर्चा हुई कि देश में गरीबी है, भुखमरी है। देश में लाखों लोग गरीब हैं, बेकार हैं इसलिए हम को सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिएं। मैं तो कहता हूं कि सरकार अंधी है। उसको दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हमको सुविधाएं और साधन मिलें। हम अपने क्षेत्र में जाएं और वहां का दौरा करें और वहां की हालत देख कर अपनी सरकार को बताएं।

अभी पिछले महीने में 5 से 11 तक अपने क्षेत्र के अन्दर था। मैंने वहां पैदल यात्रा की थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे जिले के अन्दर गोमती नदी के किनारे ऐसे सैंकड़ों गांव हैं जिनमें 90 फीसदी लोगों के घरों में अनाज नहीं है, वे भुखमरी के शिकार हैं। सरकार ने उन लोगों की हालत नहीं देखी है। अगर मेरे पास साधन होता तो मैं वहां जल्दी पहुंचा होता और बहुत पहले आपको वहां की स्थिति बताता। इसलिए हमें इन सुविधाओं की आवश्यकता है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : उपाध्यक्ष महोदय, में सार्वजनिक जीवन में ऊंचे चरित्र और ईमानदारी बनाये रखने की माननीय सदस्यों की स्पष्ट भावानाओं की कद्र करता हूं। साथ ही लगभग सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष रूप से तथा आम तौर से देश के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। महोदय सदस्यों की वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिशें वित्त मन्त्रालय को उसकी सहमति के लिए भेजी जा चुकी हैं। पिछले शरदकालीन अधिवेशन में कुछ सिफारिशें इस महान सभा में स्वीकृत हो चुकी हैं उदाहरण के तौर पर सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के निवास स्थान से दिल्ली तक पति/पत्नी को वायुयान से तथा माननीय सदस्य के साथ आने वाले व्यक्ति को प्रथम श्रेणी की यात्रा सुविधा प्रदान करना तथा प्रति मील एक रुपया से बढ़ा कर 1,30पैसे करने सम्बन्धी यह सिफारिशें हैं।

अन्य सिफारिशें अब वित्त मन्त्रालय के सक्रिय विचाराधीन हैं। जब उन पर विचार हो जायेगा तो संसदीय कार्य मन्त्री उन्हें इस महान सभा में लायेंगे

उपाध्यक्ष महोदय : वे भी यहीं बैठे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : इन सब बातों के सन्दर्भ में मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि विधेयक को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल, आपसे विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया जा रहा है।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे यहां लाखों लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। किन्तु सदस्य गण हमेशा उन कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते तथा अन्य बातों के लिये कहते रहते हैं जो प्रतिमास 2000 रुपये से 3000 रुपये वेतन ले रहे हैं। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है। यात्रा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी रेल लाइन उपलब्ध नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि बैलगाड़ी से यात्रा करूं? किन्तु मेरी जेब में एक रेल पास अवश्य है

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बैलगाड़ी से यात्रा आरम्भ करें तो आपके कार्य काल की समाप्ति तक आप अपने निर्वाचन क्षेत्र अवश्य पहुंच जायेंगे **(व्यवधान)**

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : मैंने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए संसद सदस्यों के लिये न्यूनतम सुविधाएं मांगी हैं और मैं सभी संसद सदस्यों के लिए इन सुविधाओं की व्यवस्था के यिए याचना कर रहा हूं ताकि वे ईमानदारी और प्रभावशाली ढंग से अपने निर्वाचन क्षेत्रों की सेवा कर सकें। खैर, चूंकि सरकार मामले से परिचित है मैं इस विधेयक में लिये आग्रह नहीं कर रहा हूं।

"महोदय मैं संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन,भत्ता पेंशन अधिनियम, 1954 में और संसोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

आधे घण्टे की चर्चा
गेहूँ का समर्थन मूल्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गेहूं के समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा करेंगे

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) मेरे विचार से माननीय सदस्य इसे वास्तव में एक आधे घंटे की चर्चा का स्वरूप देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज आधे घन्टे की बहस चल रही है। सच बात तो यह है कि पूरे दिन भर की या कम से कम दो दिन की बहस होनी चाहिए थी क्योंकि यह बहस एक मूल सवाल के साथ जुड़ी हुई है। एक प्रश्न इस सदन में हुआ था कि गेहूं का दाम कब अनाऊंस होगा ? उसी प्रश्न को लेकर आज यह चर्चा चल रही है। तब मंत्री जी, ने कहा था कि जल्दी करेंगे और अब मंत्री जी ने इस सदन में गेहूं के दाम एलान किए हैं। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें कहनी है। समय बहुत कम है इसलिए मोटे-मोटे पाइन्ट ही बोल देता हूं।

पहली बात यह है कि जिस दल में माननीय मंत्री जी अब हैं उस दल का जो भूतपूर्व बुनियादी दल है जिसके आदि पुरुष प्रो0 रंगा साहब यहां बैठे हुए हैं, इन सब ने भारत की जनता से वायदा किया था जिसमें थोड़ा बहुत मेरा भी हिस्सा रहा है कि सरकार खेत की पैदावार के दाम फसल बोने पहले एलान करेंगी। क्या यह सरकार किसी भी तारीख में वायदे को पूरा करेगी या नहीं करेगी, यह मैं जानना चाहता हूं ? मुझे खुशी इस बात की है कि इस कुर्सी पर माननीय स्पीकर साहब की वजह से जब 204 नम्बर के सवाल पर बहस चल रही थी तो स्पीकर साहब सरकार के खिलाफ फैसला कर चुके और उन्होंने कहा कि "जल्दी कीजिए" "दाम बताइये," गल्ला बाजार में आ रहा है। स्पीकर महोदय ने भी उस बात की ताईद की क्योंकि वे खुद काश्तकार हैं। काश्कार तो राव बीरेन्द्र सिंह भी हैं, लेकिन इनकी काश्तकारी दूसरे लोग करते हैं, और इनका खेत की मेड़ से कोई रिश्ता नहीं है। इन्होंने अपने हाथ से न तो कभी गेहूं काटा है और न पता हो सकता है कि काटने वालों को क्या तकलीफ है।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैंने इतना काटा है कि जितना आपने नहीं काटा होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह जाहिर है कि इनके मुकाबले में मैं तो इनके काश्तकार के काश्तकार का काश्तकार भी नहीं हूं। वह तो तो बहुत बड़े भूमिपति हैं। इसलिए जाहिर है उनके पास भूमि बहुत है। सीलिंग से कैसे बचाई होगी भगवान जानें।

राव बीरेन्द्र सिंह : बदली कर लो अपनी प्रौपर्टी से

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे मंजूर है, मेरी सारी सम्पत्ति और इनकी सम्पत्ति का बटवारा हो जाय और जो सम्पत्ति मुझे इनसे मिलेगी मैं उसको स्कूलों को दान कर दूंगा। पर यह अपने वचन पर दृढ़ रहें।

इनका वायदा आज साफ होना चाहिये कि दाम तय करायेंगे कि नहीं। और बात तो गेहूं की है, अगले साल के गेहूं के दाम भी तय कर दीजिये और अगर योजना चलानी है तो खरीफ के दाम भी तय कीजिए, और 5 साल के लिये कीजिये कि गेहूं का दाम, खाद का दाम बिजली पानी का दाम यह होगा। इस का ऐलान कीजिए। रूस और चीन ने ऐसा किया है।

दूसरी बात यह है कि राव बीरेन्द्र सिंह ने गेहूं का दाम तय किया 151 रु.। सन् 1960 के मुकाबले में वित्त मंत्री कहते हैं कि रुपये की वैल्यू घट कर 20 पैसे रह गई है। तो कृषि मन्त्री जी का दाम गेहूं को 1960 के मुकाबले में हो गया एक बटे पांच, यानी 30 रु.। अब क्या किया ? ए. पी. सी. ने 150 रु. कहा था तो 1 रु. राव साहब की सरकार ने दक्षिणा और दे दी कि 151 रु.। अब यह किस हिसाब से दिया ? आप देखें कि आज बाजार भाव क्या है। मेरे पास 8 अप्रैल का "इकोनामिक टाइम्स" अखबार है जिसमें गेहूं का बाजार भाव निकला है हापुड़ ऐवरेज 200 से 210 रु., हापुड़ फार्म 220 से 230 रु., जयपुर 175 से 240 रु., कानपुर 180 से 230 रु., करनाल जो राव बीरेन्द्र सिंह की रियासत का जिला है वहां आर्डिनरी गेहूं का भाव है 183 से 186 रु., करनाल सुपीरियर फार्म 192 से 198 रु. करनाल शरबती 188 से 193 रु., करनाल मैक्सिकन 180 से 182 रु., मुरादाबाद दड़ा 200 से 260 रु., मेरठ फार्म सुपीरियर 250 से 275 रु., मेरठ दड़ा 200 से 215 रु., मौगा फार्म 170 से 175 रु., मौगा दड़ा 158 से 162 रु., मौगा मैक्सिकन 158 से 164 रु., मौगा पलवन 167 से 173 रु., रोहतक दड़ा 170 से 200 रु. रोहतक फार्म 210 से 230 रु., रोहतक सुपीरियर 235 से 250 रु. सौनीपत फार्म 200 से 225 रु.। यह तो आपके हरियाणा के भाव हैं, और राव बीरेन्द्रसिंह ने देश की संसद में भाव कर दिया 151 रु.। बाजार में काश्तकार को यह ऊंचा भाव मिल रहा है और सरकार कह रही है 151 रु. काफी है।

मैं जानना चाहता हूं कि किसान को बजार भाव क्यों लूटा जा रहा है इस सदन के द्वारा क्या वजह है सरकार ने कम भाव रखा ? तीसरा सवाल यह करना चाहता हूं सरकार कहती है हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ी हाई ईल्डिंग वैराइटीज में पैदावार की। इस। सरकार का हाल क्या है वह बता दूं। इस सरकार ने कहा गल्ले में हमने आत्म निर्भरता पैदा की। पिछले 30 साल में हम 60 मिलियन टन से 130 मिलियन टन पर जरूर आ गये। लेकिन पैदा कितने में हुआ ? 130 मिलियन हेक्टर में राव बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने 1 हेक्टर में 1 टन गल्ला पैदा किया। पड़ोसी चीन में क्या है ? 100 मिलियन हेक्टर में 300 मिलियन टन गल्ला। यानी एक हेक्टर में 3 टन और हमारे मंत्री जी हेक्टेयर पीछे 1 टन में ही प्रसन्न हैं, मगन हैं, खुश हैं, अच्छा खुश रहिये, परन्तु इससे देश का तो काम बनता नहीं।

तीसरी बात सुनिये, कितना बुरा हाल इनका है ये फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा रहे हैं। अगर आप 200 रुपये टन फर्टिलाइजर पर सबसीडी दे देते तो कुल सबसीडी 140 करोड़ रुपये पड़ती। अगर इतनी सबसीडी दे दोगे तो अन्न का इम्पोर्ट बिल कम होगा 280 करोड़ रुपये के बराबर।

इस सरकार को समझने के लिये एक स्कूल खोलने की आवश्यकता है जहां कि इसको समझाया जाय। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की किताब देखने की इनको फुरसत नहीं है। इनके यहां झगड़े बहुत हैं। कौन मंत्री रहे और कौन जाये। कौन मुख्य मंत्री रहे और कौन जाये ? किसको खिसकाओ ? राव साहब की चिन्ता थोड़े दिन के लिये दूर हो गई है क्योंकि श्री भजन लाल जी अमेरिका चले गये हैं, लेकिन खिसकाओ, बैठाओ, खिसकाओ। मेरा कहना है कि गल्ला खिसकाओ आगे,नहीं सारा देश मर जायेगा। गरीबी दूर होने वाली नहीं है। (व्यवधान)

मैं सब काम छोड़कर तैयार हूं

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) इधर आ जाईये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा । इधर-उधर क्या ? मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैंने इन्हें बचपन से देखा है, अब इनको क्या कहूं ? जैसे किसी बड़े को अपने छोटे बच्चों को ऊपर आते हुए होते देखकर खुशी होती है, इनको यहां देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती रही है। जब मैं मुख्य मंत्री था तो यह मेरे दल में थे ब्लाक प्रमुख थे। लेकिन इनका दल बाद में इन्दिरा दल हो गया और मैं अलग हो गया।

पंजाब स्टेट प्लानिंग बोर्ड कह रहा है, पंजाब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बोल रहा है कि पंजाब को रोटेशन था पहले क्राप का, वह भूमि के लिए लाभप्रद था। मन्त्री जी ने बड़ी तारीफ की है कि पंजाब में धान बहुत पैदा होता है। एक दिन राव साहब ने बोला कि दक्षिण भारत वालों क्या बोल रहे हो कि धान तुम्हीं नहीं करते हो, धान तो हम पैदा कर रहे हैं पंजाब में। लेकिन हालत क्या है, लुधियाना यूनीवर्सिटी की रिकमैंडेशन है, एटीकल्चर प्राइस कमीशन से बात कोटड है; पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर प्लानिंग बोर्ड ने बोला है कि व्हीट-मेज रोटेशन जब तक जो पैदावार थी, उसमें कम खाद डाल कर ज्यादा गल्ला पैदा होता था। जब से व्हीट. राइट रोटेशन हुआ है, तब से मामला गड़बड़ हो गया। खाद ज्यादा लग रही है, पैदावार निस्बतन कम मिल रही है। मुख्य बात यह है कि क्रापिंग पैटर्न पर ध्यान देंगे या नहीं धरती को बचाने के लिए ?

सही दाम के क्या दोगे ? पर इतना ही बताइये कि माटी का निरीक्षण कराया है कि कितनी खाद पड़ेगी किस गांव के खेत में। किस गांव में माटी कैसी है ? राव साहब को पता ही नहीं होगा कि माटी का परीक्षण हो रहा है या नहीं। हां खाद पड़ रहा है।

मैं आपको बता दूं कि क्या फर्क पड़ा है। पंजाब में जब से यह धान पैदा करने लगे हैं, तब से यह गड़बड़ हुई हैं। यह एक ग्रेट ग्रीन रेवोल्यूशन है भारत डोगरा का जिसमें उसने स्टेट प्लानिंग बोर्ड को कोट किया है।

यह अंग्रेजी में है। उन्होंने लिखा है कि जब गेहूं के बाद धान पैदा होता है, तो साढ़े 13 के.जी. गेहूं पैदा होने के लिए 1 के.जी. फर्टीलाइजर लगता है, पर जब व्हीट और मेज़ की साइकिल चलती है तो उस वक्त 20 के.जी. व्हीट होता है एक के.जी. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पर। एक नाइट्रोजन यूनिट साढ़े 13 में ये प्रसन्न हैं और इनको पता नहीं है कि धरती नष्ट हो रही है और नाइट्रोजन ज्यादा लग रहा है, किसान के पैदावार के दाम ज्यादा लग रहे हैं।

हमें यह बता दें कि फार्मर तक टेक्नालाजी पहुंचाने का इनका क्या तरीका है ? दाम जो यह बढ़ा रहे हैं, उससे प्रोडक्टिविटि का किसान को क्या फर्क पड़ा है ?

इनकी किताब आर्थिक समीक्षा है। इसमें पृष्ठ 81 में लिखा है कि गेहूं कैसा हो रहा

है। 1955-56 में गेहूं कितना था और आज कितना है। 1978-79 में गेहूं 35·5 मिलियन टन था और 1981-82 में राव साहब ने कहा कि 37.83 मिलियन टन। देखिए तो सही क्या तेज चल रहे हैं ?

राव साहब से पूछा जाये कि करनाल बंट ने क्या हाल कर दिया। मैं इन्हीं की किताब से पढ़कर सुना दूंगा। यह किताब है टाटा कंसल्टैंसी की। इनकी बहुत दोस्ती है टाटा कंसल्टैंसी से। इनसे मतलब राव साहब से नहीं, बल्कि इनकी सरकार से हैं। यह सरकार बिरला और टाटा की सरकार है। उसका कहना है कि 1968-69 में फर्टलाइजर का इम्पोर्ट बिल 133 करोड़ रुपए का था और गल्ले का 337 करोड़ रुपए था। टोटल इम्पोर्ट हो गए 470 करोड़ रुपए। और पार साल राव साहब ने 1,000 करोड़ रुपए का फर्टलाइजर मंगाया। अब यह सरकार सैल्फ सफिशेंसी की तरफ काम नहीं कर रही है। सारी कठिनाई यह है कि किसान के धंधे के सम्बन्ध में कोई बुनियादी नीति नहीं है। उसको दाम भी नहीं मिल रहा है और उसे सही रास्ता भी नहीं बताया जा रहा है।

नहरों के किनारे के सारे खेत डूब रहे हैं। मेरे साथी श्री रामलाल राही, को अभी सीतापुर में अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए पानी में बैठना पड़ा 72 घन्टे एक बार और 23 घंटे एक बार। तब सरकार की समझ में आया। क्या सीपेज का कोई इलाज नहीं है।

इसी हाउस में एक क्वेस्चन के जबाव में राव साहब ने कहा कि ए.पी.सी. में एक एक्सपर्ट है। इस मामले में रंगा साहब मेरी गीता हैं। मैं उन्हीं को सवोट करता हूं—आज से नहीं, जब मैं स्वयं सेवक था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपने महान् नेताओं की चप्पल उठाता था, तब से किसानों के बारे में उनके भाषण मैं सुन रहा हूं। रंगा साहब ने कहा कि किसानों के नुमाइन्दे और रखो। राव साहब ने कहा कि एक तो है, और कितने रखूं। फिर भी रंगा साहब ने कहा कि यह ऐसा जरूर करेंगे। फिर कोई मेम्बर बोला, तो कहा कि उन्होंने वचन दिया है, यह करेंगे। भगवान् जाने, ए.पी.सी. कैसा बनेगा। कौन देखने वाला है !

नई वैरायटीज कितनी पैदा हुई हैं ? हर साल कहा जाता है कि इतनी नई वैरायटीज निकली हैं। मन्त्री महोदय बतायें कि क्या गेहूं की कोई ऐसी वैरायटी है, जिसको कीड़ा न लगे। हरियाणा और पंजाब में करनाल बंट ने क्या गजब किया है ! अगर मैं पढ़ कर सुना दूं, तो सदन को पता चलेगा कि इस देश की हालत कितनी खराब है। करनाल बंट एक फंगस डिजीज है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में बहुत नुकसान हुआ है। 1980-81 में इसका इतना फैलाव हो गया कि यह राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तराई रिजन और बिहार में भी फैल गया। इकानोमिक टाइम्ज ने 31 जून, 1981 को लिखा :—

> "एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार करनाल बंट पंजाब के आठ जिलों में फैल गई जहां पर इन क्षेत्रों से एकत्रित किए गए नमूनो में 13 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक यह बीमारी पायी गई है।"

लेकिन करनाल बंट का कोई इलाज उनके पास नहीं है। अगर एग्रीकल्चरल प्रासपेरिटी लानी है, किसान का भला करना है, तो साइन्टिस्ट्स को कोई डिजीज-फ्री सीड तैयार करने के लिए कहना चाहिए। मगर बेचारे साइन्टिस्ट तो आत्म-हत्या करने पर मजबूर हैं। आज व्यवस्था ऐसी है कि उसको काम नहीं करने दिया जाता, सारा ब्यूरोक्रेटिक मामला चल रहा है।

किसान को पैसा देने में तो राव साहब की सरकार को बहुत तकलीफ है। एफ.सी.आई. को जो सबसिडी दी जाती है, उसमें से रोडेंट—चूहे कितना खाते हैं और ट्रांसिट में कितना लास होता है? खाने वाले को सबसिडी दी जा रही है, वह कितनी है और एफ.सी.आई. के मिसमैनेजमेंट, टोटली गलत मैनेजमेंट के कारण कितनी है? मैं उनमें से रहा हूं, जो कहते हैं कि यह काम पब्लिक सैक्टर से लेना चाहिए। लेकिन आज पब्लिक सैक्टर की स्थिति यह है कि एफ.सी.आई. का चेयरमैन कौन बनेगा, उसमें कौन रहेगा? जिसकी सरकार चाहे। हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है: जिसको मिया चाहे, वही सुहागिन। यह नहीं देखा जाता है कि आदमी लायक है या नालायक।

मैं तो कहता हूं कि प्राईवेट फूड ट्रेड के सब से योग्य आदमी को उसका चेयरमैन बनाओ और उसे कहो कि अगर वह उसी परसेंटेज पर इस कार्पोरेशन को नहीं चलायेगा, जिस पर वह अपना काम चलाता था, तो हम उसको सजा देंगे। आज यह सरकार फूड कार्पोरेशन के मिसमैनेजमेंट को सबसिडी दे रही है और किसान के दाम काट रही है। वह कहती है कि 161 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते। यू. पी. सरकार इनकी सरकार है, मेरी सरकार नहीं है। उसकी रिकमेंडेशन है कि 200 रुपए देने चाहिए। मन्त्री महोदय बताएं कि इस बारे में उसका क्या कहना है। या तो वह सरकार मूर्ख है या समझने वालों की समझ गायब हो गई है। दो सौ रुपया उस सरकार ने क्यों बतलाया और 151 इन्होंने क्यों कहा?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : आपका असर पड़ गया होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उत्तर प्रदेश के तीन चौथाई मन्त्री जो अब तक हुए हैं और भारत के प्रधान मन्त्री तक बड़े अर्से तक मेरे असर में रहे हैं और उस असर के बड़े-बड़े फल निकले हैं। आपको भी असर लेना हो तो मुझे गाली देना शुरू कीजिए, आपको अच्छा पोर्ट-फोलिया मिल जायेगा। और आप मुझ को रोज दावत पर बुलाना शुरू कर दीजिए तो आपका डिस्पसल हो जायेगा।

मेरा चार्ज है कि यह सरकार लूट करती है। सरकार मुनाफाखोरी कैसे करती है वह बताना चाहता हूं। राव साहब के प्रान्त हरियाणा का ही उदाहरण देना चाहूंगा। पारसाल इन्होंने गेहूं का दाम तय किया 142 रुपए क्विंटल। पंजाब वालों ने 138 और 142 के बीच में गेहूं खरीदा। आपने फेयर एवरेज व्हीट का दाम 151 रुपया बोला है। उसका मतलब यह है कि उस एवरेज से नीचे वाले गेहूं का दाम कम होगा। तो पिछले साल पंजाब ने 138 और 142 के बीच में गेहूं खरीदकर 180 और 188 रुपए में खुले बाजार के लिए उन्होंने क्या भाव बेचा उससे इस सरकार का क्या मतलब ट्रेडंस को बेचा।

इसी तरह से हरियाणा में गेहूं 140-142 के बीच में खरीदा गया और 175-180 रुपए में डीलसर्स को खुले बाजार में ले जाने के लिए बेचा गया। हरियाणा की एक खासियत और भी है। कुरुक्षेत्र में पांडवों की जीत कभी-कभी ही होती है, वहां का कौरव दल बड़ा शक्तिशाली है। मेरा चार्ज है कि हरियाणा सरकार ने जो गेहूं खरीदा उसमें से 25 हजार टन बंगाल के रोलर फ्लावर मिल्स को बेच दिया। किस भाव पर? 165 रुपए क्वींटल के भाव पर। खरीद 140-142 में और बेचा 165 में। मैं स्पेसिफिक चार्ज लगा रहा हूं।**

ग्राप समझ लीजिए कितने करोड़ की बात होगी? सवाल यह है कि जो गल्ला सरकार लेती है उसमें मुनाफाखोरी क्यों करती है? दूसरी तरफ पहाड़ों पर गल्ला गायब है। मैंने प्रधान मन्त्री को भी पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि लिख ग्राप ठीक रहे हैं। हमारे यहां गांवों में गल्ला नहीं पहुंच रहा है।

एक बात और है। सरकार कहां है, इसकी कोई पहचान प्रधान मन्त्री ने नहीं छोड़ी है। अगर होम मिनिस्टर यहां हैं तो इन्टेलीजेंस वहां हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां हैं सिविल सप्लाई वाले गायब हैं। गेहूं इनके पास तो गन्ना उनके पास। इनको पकड़ो तो वह उधर और उनको पकड़ो तो ये इधर। सारी अव्यवस्था है। प्रधान मन्त्री का अधिकार तो है मंत्रिमण्डल को बनाना लेकिन यह अधिकार नहीं है कि डिपार्टमेंट्स को नष्ट कर दें, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दें। ग्राज पहाड़ पर गल्ला नहीं पहुंच रहा है। मेरे दोस्त अभी वहां से घूम कर ग्राये हैं, इनकी बात मैं मान लूंगा, ये कह दें कि सभी जगह गल्ला पहुंच रहा है। पांच रुपए किलो से कम पर ग्राटा पहाड़ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है इतना बुरा हाल है। ग्रापने रोलर फ्लोर मिल का दाम 205 रुपए क्वींटल बताया है, यह किसके मत्थे जायेगा? कह रहे हैं पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ाते थे, इस बार ज्यादा बढ़ा दिया है। इन्होंने 151 रुपया तय करके किसानों को लूटा है। बाजार भाव जो मिल रहा है, वह मैंने अभी ग्रापको बताया है। खाने वाले को राव साहब ग्रापने क्या दिया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : ग्राप ही बता दीजिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : ग्राप ही बता दीजिए, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : 172 रु.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इसके मायने यह हुए कि एक क्विंटल 172 रु. में मिलेगा। फेयर प्राइज शॉप पर मान लीजिए मेरा कार्ड दो किलो का है, तो मुझे देना पड़ेगा 3 रु. 44 पै. तो इस प्रकार एक पैसा कहां से ग्रायेगा। खैरीज बाजार नहीं है। देश में दो लाख से ज्यादा फेयर प्राइस शाप्स हैं। इस सरकार ने दुकानें बढ़ाई हैं और उनके द्वारा बिकने वाला गल्ला घटाया है। वह एक पैसा ग्राप दुकानदार को दिलाना चाहते हैं। ग्राप कह रहे हैं कि 172 में मिलेगा, लेकिन मिलेगा 173-174 में। किसी भी हिसाब से ग्राप लगा लीजिए, खाने वालों को

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ज्यादा देना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप चलकर किसी भी सामान को खरीदिए, यदि एक या दो पैसे वापिस लेने हैं, तो वे नहीं मिलेंगे। फेयर प्राइस शाप पर गल्ला दे रहे हैं, लेकिन मेरे नौकर को तीन घंटे वहां बैठना पड़ता है, कार्ड पर गल्ला लेने के लिए। कार्ड में मेरे नौकर का नाम जोड़ना था. तो पता नहीं कितने दिनों से पार्लियामेंट हाउस में कार्ड पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होता। सवाल यह है जैसा कि प्राण चोपड़ा साहब ने कहा है कि फेयर प्राइस शाप्स पर जितना रुपया लगाना पड़ता है उसे देखा जाए और जो जाइज का मुनाफा है उसमें उनको तीन सौ रुपए माह उसे समझा जाए तो ज्यादा नहीं बचते हैं। मगर ईमानदारी से काम न करे तो कोई फेयर प्राइस शाप्स 6 हजार रुपए से कम नहीं कमा रही है। किसान लुट रहा है खेत में, खाने वाला लुट रहा है बाजार में, ऐसे हैं हमारे कृषि में भी राव साहब और ऐसी है हमारी आज की सरकार की व्यवस्था। मेरी मांग है, किसानों को मत लूटो, खाने वाले को मत लूटो। मेरी प्रार्थना है कि स्वराज के वायदे को मत तोड़ो, किसान के दम को मत तोड़ो। हर एक चीज का दाम एक फसल पहले एलान कर दो, अगर आप सचमुच देशभक्त हैं, अगर आप सचमुच किसान भक्त हैं। मैं मानता हूं कि आप देशभक्त तो हैं, पर इससे भी गया टाटा भक्त है। क्योंकि इनको देश टाटा और बिरला में ही दिखाई देता है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि किसान को मत लूटो। यदि उसके पास पैसा होगा तो वह साईकिल खरीदेगा, रेडियो खरीदेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेगा, लेकिन किसान लुट जाएगा तो कुछ नहीं होगा।

दूरदराज के पहाड़ी इलाके की लाहुलस्फीती की बात भी कर रहा हूं, केदार-बद्री की बात भी कह रहा हूं, पिथौराढ़, उत्तरकाशी, चमौली और अल्मोड़ा की बात भी कह रहा हूं गल्ला सारे इलाकों में नहीं है। चाहे मिनिस्टर आपके दूसरे हो गए हो, उनको कह दो मेहरबानी करके लोगों को जिन्दा रहने दें। किसान लुट गया तो उसको बचाइए, खाने वाले मर गए तो उनको बचाने की कोशिश कीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस आधे घण्टे की बहस का यह फैसला निकलेगा कि खरीफ का फौरन दाम एलान हो जाएगा। रबी का दाम अगले सीजन के पहले सितम्बर के पहले-पहले एलान हो जाएगा। मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि मैं और फसलों की क्या कहूं आप कह देंगे कि यह गेहूं की बात पर बहस है। लेकिन आधे से ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश और बिहार में जल जाएगा। इस सदन में मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कृपा करके आप उसका इन्तजाम कीजिए, वरना इस देश की अर्थ व्यवस्था के ऊपर जो कड़वा बोझ आ रहा है और टूट आ रही है, उसके लिए यह सरकार इतिहास और इस देश के भविष्य की नजर में दोषी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा जी, जब आप बोल रहे थे तो आपने धनराशि में हिसा देने की बात कही थी।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैंने उसका विरोध किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा। मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा।

श्री अमल दत्त : यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने ग्राप को बता दिया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं केवल दो बातें कह रहा था। मैंने दो निवेदन किए हैं। कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष 140 रुपये तथा 142 रुपये के बीच बाजार से किसानों से गेहूं खरीदा था उसके पश्चात उन्होंने उसे उचित दर की दूकानों को नहीं बल्कि व्यापारियों को क्रमशः 175 ग्रौर 180 रुपये की दर से बेच दिया। तीसरी बात यह है कि उन्होंने गेहूं बेच दिया ग्रौर जो मैं कह रहा हूं। मैं उसे पक्की तरह कह रहा हूं, उन्होंने 25,00 टन गेहूं बंगाल की रोलर फ्लोर मिल को 165 रुपये की दर से बेच दिया।

ग्रब, वह गेहूं किसने बेचा है ? हरियाणा सरकार ने बेचा है ग्रौर यदि हरियाणा सरकार ने बेचा है तो उसके लिये ग्रौर कौन उत्तरदायी है ? मैं जानना चाहता हूं कि उसे रोलर फ्लोर मिल को 165 रुपये पर क्यों बेचा गया ग्रौर उपभोक्ताग्रों से उसका ग्रधिक मूल्य क्यों लिया जा रहा है ? ग्रतः सन्देह इस बात का है कि इस सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक ग्रारोप है। ग्रतः इसके लिये मैं रिकार्ड पढ़ूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : ग्राप रिकार्ड देख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा। ग्रब मन्त्री महोदय ग्रपने विचार व्यक्त करे।

कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि श्री बहुगुणा जी ने किसान के हक में ग्रावाज उठाई है। लेकिन जो बातें इन्होंने कही हैं, वे बार-बार हाउस में, इस से पहले कितनी ही बार डिस्कस हो चुकी हैं। करीब-करीब हर चीज का जवाब हम दे चुके हैं। इस बार इन का एक ही ऐतराज था कि गेहूं की कीमत कम मुकर्रिर की गई है ग्रौर वक्त से पहले मुकर्रिर नहीं हुई··· ··

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा । बोने से पहले।

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, बोने से पहले। कीमत मुकर्रिर करने में हम जल्दी करते हैं, लेकिन खास तौर से बोने से पहले कीमत मुकर्रिर करना हमेशा किसान के लिये लाभदायक चीज नहीं हो सकती है। यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत मर्तबा ऐसा होता है-ग्रगर 6 महीने पहले हम कीमत मुकर्रिर कर दें, गेहूं बोई जाती है-नवम्बर में, हार्वेस्टिंग होता है मार्च के ग्राखिर में ग्रौर ग्रप्रैल में, इस बीच में कहीं डीजल की कीमत बढ़ सकती है, कहीं बिजली की कीमत बढ़ सकती है। ऐसी सूरत में भाव को बार-बार रिवाइज नहीं किया जा सकता। दूसरी चीजों की कीमत बढ़ जाती है, जिन के लिये किसान को खर्च करना पड़ता है, उन का भी ग्रन्दाज करना पड़ता है।

हम ने ग्रपने टर्म्ज ग्राफ रेफेन्स 1980 में रिवाईज किये थे। जो चीज किसान ग्रपने इस्तेमाल के लिये खरीदता है ग्रौर किसान की पैदावार जिस कीमत पर बिकती है उन में कुछ पैरिटी होनी चाहिये, इस का ध्यान एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन रखेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए कोशिश हम यह करते हैं, ज्यों ही ठीक मौका हो, उसमें ग्रन्दाजा लग कर कैबिनेट में

कीमत तय कर दें। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, उस के बाद हमारी काफी लम्बी ड्रिल है। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की रिपोर्ट पर हम स्टेट गवर्नमेंन्ट्स से कमेन्ट्स लेते हैं। आम तौर पर सब स्टेट्स से जवाब आने में देर लग जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब स्टेट गवर्नमेंन्ट्स से जवाब आ जाते हैं तो हम दूसरी मिनिस्ट्रीज से कमेन्ट्स लेते हैं. जैसे प्लानिंग कमीशन, फाइनेन्स मिनिस्ट्री, फूल और सिविल सप्लाईज से। उनके नजरिये को सामने रखना पड़ता है। उस के बाद फिर जो हमारा ख्याल बनता है कि कितनी कीमत होनी चाहिये, उस पर सरकार तय करती है कि क्या कीमत हालात को देखते हुए, उस वक्त जब कि फ़सल आने वाली हो, तय की जाय। इस बार कुछ दिनों की देरी जरूर हुई है, मैं मानता हूं। क्योंकि बावजूद इस के कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अभी फसल मंडियों में नहीं आई हैं, अप्रैल में कटाई शुरू होती है, इस लिये अप्रैल में फसल आनी शुरू होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो सूखे इलाके हैं फसल कुछ वक्त से पहले पहुच जाती है। लेकिन इसके लिये ज्यादा परेशानी बहुगुणा जी को यों नहीं होनी चाहिये कि मध्य प्रदेश में जिस किसम का गेहूं आता है, उस की कीमत तो किसान को पहले ही अच्छी मिलती है प्रोक्योरनेन्ट प्राइस, जो सरकार तय करती है, वह एक किस्म की यह गारन्टी है कि उससे नीचे दाम किसानों को मंडियों में नहीं मिलेंगे और अगर ऐसा होगा तो जो कुछ भी किसान मंडी में लायेगा उसको सरकार खरीद लेगी। इस लिये जो दाम मुकर्रिर होता है, उससे ऊपर किसान का बिकता है जिस की वजह से उस को नुकसान नहीं होता है। यह एक खुली चीज है-अगर हमारे भाव से नीचे किसान को दाम मिलता है, तो हमारे भाव पर वह हम को बेच दे, इस में कोई रूकावट नहीं है। इस लिये, डिप्टी स्पीकर साहब जो बात बहुगुणा जी ने कही है उसमें कोई वजन मुझे नजर नहीं आता है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि 151 रुपये कीमत कम मुकर्रिर हुई है। मुझे माफ करें मैं बहुगुणा जी का ध्यान तीन साल पहले जो हालात थे उन की तरफ दिला दूं। प्राइसिज भी इनके सामने हैं। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसमें बहुगुणा जी भी एक बहुत बड़े सदस्य थे, उस समय आपने गेहूं का भाव 110 रुपये तय किया था। इसके बाद दुबारा 112 रुपये 50 पैसे कर दिया था। फिर उसके बाद आपने किसान को फायदा पहुचाने के लिए जो कि बहुत कोशिश की भी वह यह की थी कि वह 112 रुपये 50 पैसे का भाव 115 रुपये कर दिया था। यह आपकी जनता गवर्नमेंट ने किया जिसमें आप बहुगुणा जी शामिल थे, बजीर थे। अब आप देख लीजिए कि जब से आपने गवर्नमेंट छोड़ी, उसके बाद से हम इन तीन वर्षों में इन भावों को कहां ले गये हैं। गेहूं के दाम को 115 रुपये से बढ़ा कर 151 रुपये कर दिये हैं। (व्यवधान)

प्रो. एन. जी. रंगा : अन्य मूल्य भी बढ़ गये हैं।

श्री हेवमती नन्दन बहुगुणा : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय प्रो· रंगा की बात का भी जवाब दें।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने इस साल 142 रुपये से 151 रुपये दाम किये हैं। पिछले साल हमने 130 रुपये से 142 रुपये किये थे। यानी 12 रुपये की वृद्धि की थी। उससे पहले 117 रुपये से बढ़ा कर हमने 130 रुपये किये थे।

एक माननीय सदस्य : रुपये की कीमत तो कम हो रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : रुपये की पहले भी कीमत हमेशा गिरती आयी है और कीमतें बढ़ती रही हैं। हर चीज का उससे मुकाबला न करें। आप यह देखें कि सरकार ने इन तीन सालों में किसान को अच्छी कीमतें देने के लिए कितना कुछ किया है। उन तीन वर्षों में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बहुगुणा जी आपने करके दिखाया था? गन्ने की मिसाल ले लीजिए। आपने 38 लाख टन शूगर की पैदावार को छोड़ा था, 79-80 में। हमने पिछले साल तक 38 लाख टन से बढ़ा बढ़ा कर शूगर की पैदावार को तीन साल में 84 लाख टन पर पहुंचा दिया है। अब हिन्दुस्तान सारी दुनिया में सब से बड़ा चीनी पैदा करने वाला देश बन गया है। (व्यवधान) आप भूल गये उन दिनों को जब जनता राज में बताशे ढूंढ़ते फिरते थे। आज शायद आप मिठी लस्सी पीकर आये हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : इस साल जितना गन्ना जलेगा, उतना पहले भी नहीं जला था।

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुगुणा जी कहें कि गेहूं के लिए कुछ नहीं हुआ, अगर वे ध्यान दें तो मैं उनको बताता हूं कि गेहूं के लिए क्या कुछ नहीं हुआ है। (व्यवधान) आप मुझे तरीका बता दीजिए कि कैसे हम गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। हम उस पर अमल करेंगे।

हमारे यहां 1974-75 में पर हेक्टेअर ईल्ड 1338 के. जी. नेशनल एवरेज था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप एक हेक्टेअर में कितना पैदा करते हैं, चीन कितना पैदा करता है? आप चीन में जा कर देखिये, अब तो वहां के दरवाजे खुले हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सन् 1974 के मुकाबले में आज हम 1696 के. जी. पर हेक्टेयर ईल्ड कर रहे हैं। इसमें हमारे साइंटिस्टों का भी योगदान है। उन्होंने बीज भी अच्छा पैदा किया है, डिजीज रजिस्टेंश भी है, बीमारी भी कम लगती है। नयी नयी वैराइटीज के बीच पैदा किये गये हैं। इसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का भी योगदान है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : फांसी पर जो लटक रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं।

इसी तरीके से गेहूं की पैदावार बढ़ती रही है। सन् 1977-78 का तो बहुगुणा जी ने बताया कि 31 मिलीयन टन से कुछ ऊपर था फिर 1978-79 में बेशक फसल बहुत अच्छी हुई। वह भगवान की मेहरबानी थी, मौसम बहुत अच्छा था। उससे ज्यादा उससे पहले कभी नहीं हुई थी; 35 5 मिलीयन टन पैदा हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि 1979-80 में आपकी दया से सूखा पड़ा। ...... (व्यवधान) किसके ऊपर नजला था?

उपाध्यक्ष महोदय : राव बीरेन्द्र सिंह जी वह भी इसका श्रेय ले सकते हैं। क्योंकि वह भी एक समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (गढ़वाल) मैं उनसे अधिक रहा हूं :

राव बीरेन्द्र सिंह : उस समय 31.81 मिलियन टन की पैदावार हुई। लेकिन एक ही

साल में इस सरकार के बनते ही 31.83 मिलियन टन से बढ़कर 63 मिलियन टन पर पहुंच गई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या किया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : किसानों को हमारे ऊपर एतबार हुआ। किसानों को समय पर अच्छे बीज पहुंचाए गए। आइ. आर. डी. का प्रोग्राम हमने सारे मुल्क में लागू किया और 5011 ब्लाक्स को शामिल किया। एन. आर. इ. पी. का प्रोग्राम भी अच्छा चला और इर्रीगेशन को इस तरह से बढ़ावा दिया गया जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। तीन मिलियन जमीन को इर्रीगेशन करना कोई मामूली बात नहीं है। जो कुछ हुआ उसको आप भूल जाते हैं। पिछले साल भी मौसम इतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी हमने जिस तरीके से अच्छे बीज पहुंचा जिस तरीके से प्लानिंग की, जिस तरीके से हाई-इल्डिंग वैरायटीज को बढ़ाने की बात की, नयी टैक्नोलाजी एक्सटेशन के जरिए से पहुंचायी, डिमान्सट्रेशन दिया, मिनी किट्स तकसीम किए, वह सब फारमर्स को पता है। जहां पर गेहूं की इल्ड बहुत कम है, वहां हमने पर यूनिट इल्ड बढ़ाने की कोशिश की है। पंजाब, हरियाणा, और वेस्टर्न यू. पी. में फसल अच्छी है। दो मिलियन टन से ज्यादा गेहूं की फसल बरबाद हो गई लेकिन फिर भी 37.8 मिलियन टन गेहूं पिछले साल पैदा हुआ। यह एक आल टाईम रिकार्ड था। हालांकि, सब जानते हैं कि देश में अब भी सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन किस-किस तरीके से क्या-क्या उपाय किए गए और क्या-क्या सुविधाएं किसानों को दी गई, वह हम जानते हैं। हर स्टेट में जाकर हमारे आफिसर्स कहते हैं कि किसानों को पानी, बिजली और खाद समय पर दो, अच्छे बीज पहुंचाए भी गए हैं।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि 40 मिलियन टन की हमने पैदावार की और इस साल भी उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी पैदावार होगी। आप अन्दाज नहीं कर सकते थे कि किस तरीके से पैदावार बढ़ रही है ? किस तरीके से किसानों को अच्छा भाव मिला। गेहूं का एरिया बढ़ा है घटा नहीं है। नहीं तो किसान पैदा करना छोड़ देता जैसे आपके समय में खेतों में आग लगा दी थी और गन्ना बोना छोड़ दिया था। इस तरीके से हमने कोशिश की है कि किसानों को पूरा भाव मिले। सरकार इस बात को महसूस करती है कि यदि किसानों को खेती की पैदावार के लिए कोई इन्सेन्टीव देना है तो उन्हें पूरा भाव मिलना चाहिए। बहुगुणा जी के और हमारे विचार यहां मिलते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जो हम कर रहे हैं उसकी तारीफ उनके मुंह से नहीं निकलती। क्योंकि उन्होने कसम खा रखी है कि सरकार को क्रिटीसाइज करने की बात करो।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सारी बुराइयां हमारी तरफ भेज दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : गेहूं की कीमत मुकर्रर करने के बाद मन्डियों में तुरन्त इन्तजाम करने की कोशिश की जाती है और उसी की वजह से किसानों को पूरा लाभ पहुंचाता है। अब कहीं-कहीं अगर कोई इर्रेगुलैरिटी होती है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स खुद मुख्तार हैं, ऐग्रीकल्चर स्टेट का सबजेक्ट है, हम तो स्टेट्स को उत्साह दिलाते हैं, इमदाद करते हैं, जब कभी सूखा या फ्लड आता है तो असिस्टेंस भी देते हैं, किसानों को जो नुकसान होता है सूखे या फ्लड से यह किसी कुदरती हादसे से तो अच्छी फसल पैदा करने के लिए दिल खोल कर भारत सरकार ने

इमदाद दी है । अब तक 407 करोड़ रु. की ऐडीशनल असिस्टेंस दी है । स्टेट्स को । कुछ स्टेट्स के मैमोरेन्डा आ रहे हैं । यह सारी किसानों को इमदाद है ।

आपने कहा ऐफ. सी. आई. को जो सबसिडी दी जा रही है उसका लाभ किसानों को नहीं पहुंचता । जो ऐफ. सी. आई. को नुकसान उठाना पड़ता है डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है । ब्रैक अप मैं कई बार दे चुका हूं, चाहेंगे तो बाहर फिर से दूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कृपा कर के भिजवा देना ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं भिजवा दूंगा । ज्यादा खर्चा उस मंडियों के टैक्सेज और ट्रांसपोर्ट चार्जेज हैं, साथ ही कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वह भी है, गोदाम के चार्जेज हैं और लौसेज भी हैं चाहे वह कीड़ों से हो, चूहों से हो और आदमी भी खा जाते हैं । तो यह डिस्ट्रि-ब्यूशन पर खर्चा है । एक पोलिसी देश ने अपनायी है कि बफर स्टाक रखना है । देश में 12 से 18 मिलियन टन तक होनी चाहिये और कोशिश करते हैं कि 20 मिलियन टन का बफर स्टाक हो । अगर इतना भारी बफर स्टाक नहीं होता तो 1979-80 में जिस तरीके से सूखे का मुकाबला किया और बाहर से एक दाना अन्न नहीं मंगाना पड़ा, यह बफर स्टाक की वजह से ही हुआ । इसकी आपको तारीफ करनी चाहिये । एक आदमी भूखा नहीं मरने पाया उस सूखे में भी ।

माननीय बहुगुणा जी को एक छोटी सी बात और समझानी है । यह कहते है कि 172 रु. जो भाव मुकर्रर किया उसके हिसाब से 1 रु. 72 पैसे प्रति किलो अनाज लोगों को मिलेगा और खरीज की शौर्टेज होने से व्यापारी उपभोक्ताओं को लूटेंगे । बहुगुणा जी बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं यह यह समझ लें कि 172 रु. ऐफ. सी.आई. की इशू प्राईस है रिटेल प्राईस नहीं । इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐड करेंगी । एफ. सी. आई. से जो मिलेगा स्टेट को वह 172 रु. पर मिलेगा । इसका मतलब यह नहीं है कि रिटेल में 1 रु. 72 पैसे कंज्यूमर को मिलेगा । तो वहां यह बराबर हो जाएगा, आप चिन्ता न करें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : समझ में आ गया और लूटो ।

राव बीरेन्द्र सिंह : गेहूं का प्रौक्योरमेंट जितना होता है सैन्ट्रल स्टाक के लिये उसका 96 परसेंट पंजाब, हरियाणा और यू. पी. से होता है, और इसके अलावा चावल भी 76 फीसदी इन तीन राज्यों से ही इकट्ठा होता है । तो अगर यह दोनों फसलें, गेहूं और चावल की, इन इलाकों में न ली जायें तो देश में बहुत भारी कमी होगी । आप चीन से जब मुकाबला करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब चीन से कम पैदा नहीं करता है क्योंकि यहां एक खेत से गेहूं और चावल की दो फसलें ली जाती हैं ।

रही बात सीपेज, वाटर लगिंग और सैलनिटी की तो उसका हम इलाज करते हैं । खाद का किस तरह से सही इस्तेमाल हो वह भी सिखाने की कोशिश की जा रही है । उतनी चिन्ता की बात नहीं । क्योंकि हिन्दुस्तान में फर्टिलाइजर की कंजम्पशन अभी बहुत कम है । नेशनल एवरेज हमारी 30,32 के. जी. पर हैक्टर है जब कि दूसरे देशों में 400,500 के. जी. तक है ।

सिर्फ पंजाब हरियाणा में 100 के. जी. पर हैक्टर से ऊपर है, बाकी स्टेट ऐसी हैं जहां 10,12 के. जी. पर- हैक्टर भी नहीं बनती।

उपाध्यक्ष महोदय : चीन में न केवल गेहूं बल्कि सभी खाद्यान्न एक साथ लिए जाते हैं। वहां प्रत्येक चीज एक साथ ली जाती है। यही अधिकतम है। यह केवल गेहूं नहीं है बल्कि सभी खाद्यान्न हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्होंने आपत्ति की है ··

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे छोड़कर अन्य सभी अन्नों को निकाल देते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि चीन में वे सभी अन्नों को सम्मिलित करते हैं परन्तु हम केवल गेहूं को लेते हैं। चीन के साथ केवल गेहूं के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि अन्य सभी खाद्यान्नों के सम्बन्ध में तुलना करनी चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैंने चीन की तुलना में भारत में सभी खाद्यान्नों के कुल उत्पादन के आंकड़े पढ़े हैं। मैंने उन्हें बताया है कि 1130 लाख हेक्टेयर में 1350 लाख टन उत्पादन होता है। चीन में 1000 लाख हेक्टेयर में 3000 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वे इस प्रकार अन्य सभी फसलों को सम्मिलित कर लेते हैं वे खाद्यान्न उत्पादन में आलू जैसी खाद्य फसलों को भी सम्मिलित कर लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। (**व्यवधान**)

राव बीरेन्द्र सिंह : आप गेहूं के बारे में पूछ रहे हैं। यदि आप आलू के बारे में पूछें तो हम आपको बताते कि आलू के उत्पादन में हमने कैसे वृद्धि की है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा जी आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा देश एक लोकतान्त्रिक देश है। (**व्यवधान**)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, वह पंजाब के बारे में कह रहे थे। पंजाब के 50 अथवा 60 की तुलना में गुजरात में केवल 11 भी नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यह सम्पूर्ण देश में भिन्न-भिन्न है। आप केवल पंजाब की बात न करें। (**व्यवधान**)

राव बीरेन्द्र सिंह : जिस राज्य का प्रति इकाई उत्पादन कम है, उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। हमारी यही नीति रही है और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक सम्पूर्ण देश का खाद्यान्न का उत्पादन उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता जिसे हम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बगुहुणा : अपने बाद की पीढ़ी का भी ध्यान रखो।

राव बीरेन्द्र सिंह : इन्होंने करनाल बंट की बात कही, डिसीज फ्री पैदा करने की बात कही। हमारे रिसर्च इंटीट्यूट ज्यादातर काम ही करमाल बंट पर कर रहे हैं। करनाल बंट फैल

गया है, इसमें शक नहीं। लेकिन इसकी वजह से ईल्ड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत कम असर पड़ा है, व्हीट प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। मेरी निगाह में इसकी वजह से 1, डेढ़ परसेंट से ज्यादा कम नहीं होता है जहां करनाल बंट लग भी जाये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने फिगर्स पढ़े हैं आपके।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे पता है कि आप जानते हैं थोड़ा बहुत। कोशिश यह होती है कि हाई ईल्ड वैराइटी बढ़े। बाजरे, मकई व्हीट व राइस की पैदावार बढ़ी है, आप जानते हैं कि किस तरह से ईल्ड बढ़ी है। कहां से कहां हिन्दुस्तान पहुंचा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : चीनी को भी सम्मिलित कीजिए। आपको गन्ने और सभी चीजों को भी सम्मिलित करना चाहिए। राव बीरेन्द्र सिंह जी आपको गन्ने और सभी चीजों को अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए। हम विश्व में प्रथम स्थान पर तभी आ पाएंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें श्री बहुगुणा जी ने उठाई थीं, उनका जवाब उनको मिल गया है।

कोशिश हम यह करेंगे कि। आइन्दा तजुर्बे के तौर पर जो बहुगुणा जी ने कहा है, मुझे इससे इन्कार नहीं, कि इस बार खरीफ की फसल आ रही है, हम बोने से पहले ही उसकी कीमतें मुकर्रर करेंगे और आप हम तजुर्बा करेंगे कि उसका किसानों पर क्या असर होता है। उसका नतीजा सामने आ जायेगा। अगर उससे किसान को लाभ पहुंचता है तो हम रबी के लिये भी ऐसा करेंगे, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : लेकिन बीच में खाद, बिजली और पानी के दाम मत बढ़ा देना।

राव बीरेन्द्र सिंह : सब कुछ कह लिया बहुगुणा जी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अमल दत्त। मैं श्री अमल दत्त, श्री हरीश रावत, श्री राजेश कुमार सिंह और श्री सत्यनरायण जटिया से अनुरोध करूंगा कि वे केवल एक-एक प्रश्न पूछें और कोई भाषण न दें। आप सब केवल एक-एक प्रश्न पूछें। पहले ही आधे घंटे की बजाए एक घन्टा हो गया है। उन्होंने प्रश्न पूछने में आधा घन्टा लगाया तो मंत्री महोदय ने उत्तर देने में आधा घन्टा लगा दिया। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : भारत के सारे खाद्यान्न के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा वसूल किए गए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए गए खाद्यान्न की यात्रा केवल 9 से 10 प्रतिशत है। सरकार के लिए ऐसे व्यक्ति को मूल्य देना संभव नहीं है जिसने नई प्रोद्योगिकी अपनाकर उत्पादन में भारी वृद्धि की है ? क्या सरकार कृषि आदानों के मूल्य में हुई वृद्धि तथा अन्य ऐसी वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि को, जिनको किसानों को खरीदना पड़ता है हैं। देखते हुए तथा विशेषरूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वसूली मूल्य केवल उन्हीं किसानों के मामले में संगत है जिनके पास स्टाक करने

की शक्ति नहीं है, जिन्हें फसल के तत्काल बाद उसे बेचना पड़ता है, एक ऐसे मूल्य की घोषणा करेगी जो किसानों के लिए लाभकारी हो ? क्या सरकार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकारों के क्रमशः 170 रुपए, 175 रुपए, 180 रुपए और 200 रुपए, प्रति क्विंटल के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, मूल्य 165 रुपए घोषित करेगी जो सरकार की कृषि मूल्य आयोग के सुझावों को सीधे स्वीकार न करने बल्कि राज्य सरकारों के परामर्श से स्वीकार करने की नीति के अनुरूप होगा ?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमने किसानों के दो हिमायतियों की बात सुनी। एक तो माननीय सदस्य, गढ़वाल. जिन्होंने कभी हल नहीं चलाया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए, सुस्पष्ट प्रश्न। अन्य किसी चीज का उल्लेख न करें। यदि आप अन्य बातों का उल्लेख करेंगे तो प्रत्येक अधिक समय लेगा। कृपाया आप सीधा प्रश्न पूछिए मंत्री जी प्रत्येक बात का उत्तर देंगे

श्री हरीश रावत : पहले यह प्रैक्टिस रही है कि इस बारे में चीफ मिनिस्टर्ज के व्यूज लिए जाते थे और उसके बाद प्रोक्युरमेंट प्राइस घोषित की जाती थी। इस बार कुछ चीफ मिनिस्टर्ज ने अपने कमेंट्स भेज और कुछ नहीं भेजे पाए और उनको प्रापर टाइम नहीं दिया गया। इस मामले में यह ढील क्यों हुई जिन स्टेट्स ने अपने कमेंट्स भेजे, उन्होंने क्या प्रोक्युरमेंट प्राइस फिक्स करने की सिफारिश की थी ?

श्री बहुगुणा ने एक बहुत सुन्दर प्रश्न उठाया है कि इस तरह सबसिडी पर पैसा खर्च करने के बजाए मंत्री महोदय क्यों नहीं फिनांस मिनिस्ट्री से सिफारिश करते कि फर्टलाइजर पर से एक्साइज ड्यूटी या तो पूर्णतः समाप्त कर दी जाए या कम कर दी जाए, ताकि किसान को सस्ते दाम पर फर्टलाइजर मिल सके और वह अपने उत्पादन को और अधिक बढ़ा सके और लोगों को गेहूं और पैडी की प्राइस बार-बार बढ़ाने की वकालत न करनी पड़े।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : क्या पार्टी में रहने का इरादा नहीं है ?

श्री हरीश रावत : पिछली बार पैडी के मामले में दिक्कत आई है। सरकार ने कहा कि हम फूड' के मामले में सारे कंट्री को एक जोन मान कर चलेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने रेगुलेशन के नाम पर या अपने टैक्सिज की उगाही करने के नाम पर ईन्टर-स्टेट या इन्टर-डिस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन्ज इम्पोज कीं। इस तरह सारे कन्ट्री को एक जोन बनाने की बात लागू नहीं हो पाई है। विशेषकर आंध्र प्रदेश और यू पी ने, और कुछ हद तक मध्य प्रदेश ने भी, ऐसी रेस्ट्रिक्शन्ज लगाई, जिसकी वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हुई है विशेषकर उन एरियाज में जो डेफिसिट हैं। इस को एन्फोर्स करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न पूछे जाएं। आपको उसी ढंग से प्रश्न पूछने चाहिएं जैसे कि श्री हरीश रावत और श्री अमल दत्त ने पूछे हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : महोदय, मंत्री जी ने अपने उतर में कहा है कि :

"कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया और अब कृषि मूल्य आयोग को कृषि और गैर-कृषि वस्तुओं उपभोक्ता वस्तुओं के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखना होगा।"

दोनों की तुलना करने के बाद एक जगह पर वे फिर कहते हैं :

"......कृषि उत्पादों और गैर-कृषि उत्पादों के सूचक मूल्यों में बेहतर समानता प्राप्त करना संभव नहीं रहा है।"

पिछले साल इन्होंने 130 रुपए से 142 रुपए तय करके 12 रुपए क्वींटल की वृद्धि की थी। इस साल इन्होंने 9 रुपए क्वींटल की वृद्धि की है। यह सरकार विदेशों से 40 लाख टन गेहूं मंगवा सकती है जिसपर विदेशी मुद्रा में 50 रुपए क्वींटल अधिक दाम, यहां की तुलना में, दे सकती है -- यह सरकार का कौन सा फार्मूला और नीति है ?

आपने अपनी तकरीर में यह भी कहा है कि जनता सरकार के मुकाबले में तुलनात्मक दृष्टि से, आपने कीमतें ज्यादा बढ़ाई हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जनता सरकार के समय में डीजल की कीमत क्या थी ? एक रुपए 47 पैसे लीटर का भाव था जो कि अब साढे तीन रुपए से भी ऊपर है। इसी तरह से फर्टिलाइजर की एक बोरी 54 रुपए में आती थी जो कि अब 130 रुपए की है। इसी तरह से आपने बिजली का रेट पांच बार बढ़ाया है। ट्रैक्टर की कीमत उस समय क्या थी और आज क्या है ? इसके अलावा आपने बैंक से ऋण लेने की सुविधा और फर्टिलाइजर पर जो सहायता दी जा रही थी उसको भी समाप्त कर दिया है। गर्ज कि किसान के काम में आने वाली जो भी चीजें हैं, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।

इसके अलावा किसी साल अगर आलू ज्यादा पैदा हो गया तो सड़ जायेगा और गन्ना ज्यादा पैदा हो गया तो जला दिया जायेगा। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आप क्राप पालिसी, कृषि नीति कब निर्धारित करने जा रहे हैं ? आपने क्राप इंस्योरेंस की स्कीम बनाई है लेकिन सही मायने में अभी वह लागू नहीं है तो उसको आप कब-तक लागू करेंगे ? सरकार को चाहिए कि क्राप पालिसी निर्धारित करे जिससे कि किसानों की सुरक्षा हो सके।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहस काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न करने के लिए भी कुछ न कुछ आधार चाहिए। इस देश की बहुसंख्य जनता खेती पर निर्भर करती है और उसकी जो औसत आमदनी है वह गरीबी की रेखा से भी नीचे है जिसका अर्थ यह है कि किसानों की आय बहुत ही कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसी भी उद्योग के अन्दर जो कुछ लागत लगती है, उस लागत के आधार पर ही उसके भाव निर्धारित होते हैं। इसलिए मैं साफ-साफ पूछना चाहता हूं कि क्या खेती में जो लागत लगती है, उसे लागत के आधार पर ही किसान को कृषि उत्पादन का मूल्य मिलेगा या नहीं ? इस पर मैं सरकार की राज्य जानना चाहता हूं। दूसरे यह देखने में आया है कि फर्टिलाईजर की कंजम्पशन कम होती

जा रही है। इसका मूलभूत कारण यह है कि सिंचाई की क्षमता उपलब्ध नहीं है, इसलिए खाद की खपत कम होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे जैसे उपभोक्ताओं के बारे में कोई नहीं बोलता।

श्री सत्य नारायण जटिया : इसलिए मेरा कहना यह है कि सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने पर विचार कर रही है ? प्राय: गांवों में सब जगह तालाब उपबब्ध नहीं हैं, उसके कारण फ्लो-इरिगेशन नहीं मिलता हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कुवें से सिंचाई करनी है तो डीजल और बिजली के दाम बढ़े हुए हैं। कुंवा बनाना है तो सीमेंट के दाम बढ़े हुए हैं। जब इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो. उसी अनुपात में, चाहे रेल के किराए की बात या मोटर के किराए की बात हो, किसानों के उत्पादन के दाम भी बढ़ने चाहिए। किसान को सारी सुविधा मिल नहीं पाती हैं। जिस तरह से मंहगाई बढ़ रही है और रुपये की कीमत घट रही है. उसी अनुपात में आप किसान को क्या देने वाले हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय कुछ और मुद्दे भी माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं मैं उनको भी संक्षेप में उत्तर दूंगा सरकार का हमेशा लाभकारी मूल्य देने का इरादा होता है। परन्तु जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि हमें किसान को दिये जाने वाले मूल्य तथा जो मूल्य उपभोक्ता को देना पड़ेगा उसके बीच संतुलन रखना होता है। हमें उपभोक्ता का भी ध्यान रखना है। किसान भी काफी मात्रा में उपभोक्ता है बहुत से लोग जो खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं वे स्वयं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में नहीं उगा पाते उन्हें भी समय-समय पर खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादन खरीदने पड़ते हैं। इसलिए यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि केवल किसान अपने उत्पादन का मूल्य ही प्राप्त करते हैं। उन्हें देना भी पड़ता है। अधिकांशत: पूरे वर्ष किसानों के पास भी भंडार नहीं होते हैं और उनको भी बाजारमें जाना पड़ता है। केवल अन्य उपभोक्ता ही यहीं बल्कि किसानों को भी उपभोक्ताओं की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है।

श्री अमल दत्त : जब किसान बाजार जाता है तो क्या उसे खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिल जाता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : क्यों नहीं, किसानों पर भी उचित दर की दुकानों से जहां कहीं ये सरकार द्वारा खोली गयी हैं। खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप केवल 10 प्रतिशत की खरीद करते हैं। 90% खुले बाजार में होता है। हम सभी को मालूम है कि केवल शहरी क्षेत्रों में ही राशन की सुविधा उपलब्ध है। केवल कलकत्ता जैसे शहरों में ही सांविधिक राशनिग की सुविधा है अन्यथा इन शहरों में भी बहुत से लोगों को उचित दर की दुकानों की सुविधा प्राप्त नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय : जब मूल्य 1.51 रु. निर्धारित किया गया है फिर भी खुले बाजार का मूल्य 1.70 या 1.80 है। मानलीजिए मूल्य 1.80 रु. निर्धारित कर दिया जाता है तो खुले बाजार का मूल्य तुरन्त इससे भी अधिक हो जायेगा।

प्रो. एन. जी. रंगा (गन्टुर) : उत्पादन लागत की स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि क्या खुले बाजार के मूल्य नहीं बढ़ जायेंगे फिर हर किसी के लिए कठिनाई होगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : सभी मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। भोजन एक मूल आवश्यकता है। यदि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो मूल्यों में निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी।

हमारी स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था है। यदि वितरण को सुचारु रूप से जारी रखना है तो हमें अधिकतम वसूली करनी होगी इसलिए देश को एक खाद्य क्षेत्र रखा गया है इसको एक खाद्य क्षेत्र बनाया गया है ताकि लोग अन्य राज्यों से भी खाद्यान्नों की सप्लाई प्राप्त कर सकें अन्यथा यदि हम इसे उस राज्य तक ही सीमित रखेंगे तो वसूली मे वृद्धि तो होगी परन्तु कमी वाले राज्यों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए यद्यपि कुछ राज्य वसूली को अधिकतम करने के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगा रहे होंगे परन्तु हमारी नीति यह है और जैसे कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि वसूली केवल उत्पादन की लगभग 10 प्रतिशत ही होती है और बाकी 90% मुक्त बाजार में जाता है और यह उन किसानों के लिए पर्याप्त होगा जो अपने अनाज का मनमर्जी से कहीं भी बेचने के लिए अपने पास स्टाक बनाते हैं

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह केवल बड़े किसान ही कर सकते हैं। छोटे तो विवश होकर आपको ही बेच रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वसूली मूल्य प्राथमिक रूप से उन छोटे किसानों की सहायता के लिए ही जो अपने पास अनाज के भंडारों को रोककर रख नहीं सकते।

प्रो. एन. जी. रंगा : इसीलिए यह काफी जल्दी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम इससे सहमत हैं। यदि सरकार बाजार में न आये और समर्थन मूल्यों में कोई हस्तक्षेप न हो तो क्या आप जानते हैं कि क्या होगा व्यापारियों द्वारा किस प्रकार से बाजार का शोषण किया जायेगा। कटाई के समय हमेशा ऐसा होता है यदि सरकार न खरीदे तो मूल्य गिर जाते हैं।

राज्यों की सिफारिशें मिली थीं। श्री हरीश रावत जानना चाहते थे। हमने 8 नवबर को कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें प्राप्त करते ही मुख्य मंत्रियों को लिखा था और उसके बाद हम उन्हें स्मरण पत्र भी देते रहे। परन्तु राज्यों से, हरियाणा से 19-1-83 को उत्तर प्रदेश से 25-1-83 को और पंजाब से 10 फरवरी को तथा अन्य राज्यों से 10 फरवरी 1983 से पहले उसके बाद उत्तर मिले। हमें इस तरीके से इन्तजार करनी पड़ी।

प्रो. एम. जी रंगा : इसमें विलम्ब हुआ है।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्री हरीश रावत सिफारिशें किये गये मूल्यों के बारे में जानना चाहते थे। मुख्य मन्त्रियों ने जिन मूल्यों की सिफारिश की वे 150 रु, से लेकर 200 रु. तक थे। यह सही

नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने 200 की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश की सिफारिश 186 रु. की थी न कि 200 रुपये जैसा कि श्री बहुगुणा ने कहा है।

श्री सत्य नारायण जटिया : मध्य प्रदेश के बारे में क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह सम्भवतः 200 रुपये था। केवल इसी राज्य ने यह सिफारिश की थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपने निम्नतम को चुना।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा नहीं है। जैसाकि मैंने कहा यदि राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किये गये मूल्य वास्तविक नहीं होते हैं तो केन्द्र सरकार मुख्य मन्त्रियों द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों को स्वीकार नहीं कर सकती। हमें पूरे देश के बारे में और किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के बारे में भी सोचना है। यह सत्य है कि उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि हुई है परन्तु पिछले वर्ष मार्च से उर्वकों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। यदि जो कुछ श्री राजेश कुमार सिंह ने कहा कि कृषि आदान के मूल्यों में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। वह मान लिया जाये तो उसका अर्थ होगा कि उत्पादन लागत भी उतनी ही रहेगी और फिर मूल्यों को 151 रु. पर निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पूर्व मूल्य सम्भवतः बना रहेगा इसलिए माननीय सदस्यों को मालूम है और जैसा कि इस सभा में कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा मूल्यों की सिफरिश करते समय उन सभी कृषि आदानों की लागत को जो कि उत्पादन लागत में समिलित होती हैं ध्यान में रखा जाता है और कृषि आदानों के मूल्यों में हुई वृद्धि को पूर्ण रुप से ध्यान में रखा जाता है

श्री जटिया जानना चाहते थे कि क्या कुछ किया जा रहा है। क्या कोई फसल की नीति है क्या सिंचाई का ध्यान रखा जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रतिवर्ष 30 लाख हेक्टेअर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लिया जाना है। यह इस वर्ष तथा अगले वर्ष के लिए हमारी योजना का लक्ष्य है

श्री सत्य नारायण जटिया : 1978-79 की तुलना में आपके सिंचाई के रकबे में वृद्धि हुई तो फिर आपका प्रौडक्शन कैसे कम हो गया ? यह मेरा सीधा प्रश्न है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी हम चाहते थे या जितनी हमारी इच्छा थी क्योंकि भारत में अभी भी अधिकांश भूमि, सूखी खेती के अन्तर्गत आती है। अपनी सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग करने के बाद भी भारत में भूमि का अधिकांश भाग असिंचित रहेगा और हमें वर्षा पर निर्भर करना पड़ेगा। परन्तु हम सूखी भूमि में खेती की तरफ ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। केवल नयी तकनीकियों नमी भूमि तथा पानी के संरक्षण व किसानों द्वारा अपनाये जाने वाले कटाई के नये तरीकों तथा अन्य विभिन्न बातों द्वारा जिनसे शुष्क क्षेत्रों में बेहतर उत्पादन हो सकता है तथा नई तकनीकियों द्वारा ही हम देश में पूर्ण उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और हम उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। अपने बजट भाषण में भी वित्त मन्त्री ने

घोषणा की थी कि विशेष रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों के छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए 125 करोड़ रुपये का केन्द्रीय नियतन होगा क्योंकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पुनरीक्षित तथा संशोधित किये जाने के बाद छोटे तथा सीमान्त किसान लाभ से वंचित रख दिये गये हैं परन्तु अब उन पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा और शुष्क भूमि में खेती पर अब प्रधान मन्त्री नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में जोर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 11 अप्रैल 1983 को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.18 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 11 **अप्रैल**, 1983/21 **चैत्र**, 1905 (**शक**) **के** 11 **बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6